खण्ड-397, अंक-4
मंगलवार, 12 आषाढ़, शक संवत् 1912
(3 जुलाई, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 397 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1–2
प्रश्नोत्तर (जारी) ..	(?)
नत्थो (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा की मांग.... (स्वीकृत) ..	(?)
प्रश्नोत्तर ..	3–100
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें ..	100
लखनऊ जनपद में जल भराव से व्याप्त गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 से अन्तर्गत सूचना ..	100–101
जनपद ललितपुर में विद्युत् वोल्टोज की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101
रेलो महानगर में पतंग उद्योग से बिक्रीकर माफ किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101–102
जनपद वाराणसी में भदोही क्षेत्र में सिनेमा हाल के ध्वस्त होने से दबकर मरने वालों का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
जनपद उन्नाव में नगर क्षेत्र समितियों द्वारा बनाये गये प्रस्ताव को जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102–103
जनपद फिरोजाबाद के नगर व देहात में विद्युत् संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
जनपद अलीगढ़ के ग्राम किरतोली के गंगा के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103–104
सदन में लोक महत्व की सूचनाओं पर चर्चा आरम्भ होते ही शासन पक्ष द्वारा कोरम का प्रश्न उठाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	104–108
सत्रकाल में जिलाधिकारी द्वारा समितियों की बैठकें बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	108–111
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव....(स्वीकृत) ..	111–114
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990.... (पुरःस्थापित) ..	114

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	115–121
वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 65, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 66, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 69—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्)....(स्वीकृत) ..	122–176
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990.... (पारित) ..	176–177
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	
दिनांक 20 जून, 1990 को अमीनाबाद लखनऊ में नगर महापालिका के अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर लाठी चार्ज, लूट एवं तोड़फोड़ से कई लोगों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ..	178–182
नागरिकों को हथियार का लाइसेन्स देने तथा लाइसेन्सों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार के परामर्श से नई नीति निर्धारित कराने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	182–188
नस्थियां ..	189–194

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अख्तर श्री,	गाजियाबाद	बंशीधर, श्री	रामपुर
अनवार मोहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद	बरफिक्र लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	बल्देव सिंह, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार, श्री	बिजनौर	बृजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
उमाकान्त वाजपेयी, श्री	फतेहपुर	मंत्री प्रसाद नैथानी, श्री	टिहरी गढ़वाल
ओम प्रकाश यादव, श्री	मुरादाबाद	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी	माधव, श्री	एटा
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां, श्री	बदायूं
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
रेवती रमण सिंह	इलाहाबाद	मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
कृपा शंकर आर्य, श्री	देवरिया	यशपाल, श्री	नैनीताल
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती	युवराज सिंह, श्री	हमीरपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
खुर्शीद, श्री	गाजीपुर	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
गंगाभक्त सिंह, श्री	हरदोई	रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गोपाल रामदास, श्री	अल्मोड़ा	राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री	गाजीपुर
जगदीश लाल, श्री	महराजगंज	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
जफर अली नकवी, श्री	खीरी	राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
तेजपाल, श्री	बिजनौर	राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
धर्मपाल, श्री	बुलन्दशहर	राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फर नगर	राम औतार मिश्र, श्री	शाहजहांपुर
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी	राम प्रसाद देशमुख, श्री	अलीगढ़
परमाई लाल, श्री	हरदोई	राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर		
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली		

राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर	सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती	बदायूं
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री	गोण्डा	सरस्वती प्रसाद सिंह, श्री	खीरी
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत	साहब सिंह, श्री	मेरठ
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर	सुखवीर सिंह, श्री	बिजनौर
विजय सिंह राणा श्री	अमरा	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
विपिन बिहारी, श्री	हरदोई	सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नो, श्री	गाजियाबाद
विशुन दयाल, श्री	बहराइच	सुलेमान, श्री	बिजनौर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	हरिद्वार	हनुमन्त सिंह, श्री	गोंडा
शशि मिसल, श्रीमती	मेरठ	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

अनुपूरक सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सत्ता विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत

प्रदेश को स्वायत्तशासी संस्थाओं को शिक्षा व चिकित्सा सहित सभी विभाग सौंपने पर विचार

*1—श्री रवीन्द्र तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की योजना का मूर्त रूप प्रदान करने के लिये क्या सरकार प्रदेश के स्थानीय निकायों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को शिक्षा तथा चिकित्सा समेत वे सभी विभाग पुनः सौंपने पर विचार कर रही है जिन्हें पिछले तीन दशकों से उनसे ले लिया गया था ? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

जी हां ।

यह मामला अभी शासन के समक्ष विचाराधीन है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विकेन्द्रीकरण के मामले में क्या-क्या चीजें विचाराधीन हैं और वह किस तरह इसको लागू करेंगे ? मान्यवर, पिछले 20 सालों में स्वायत्तशासी संस्थाओं के सारे अधिकार कांग्रेसी सरकार ने धीरे-धीरे छीन लिये थे, इसलिए कृपया इस पर प्रकाश डालें कि वे कौन सी प्रक्रिया अपनायेंग ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, विकेन्द्रीकरण शब्द का अर्थ यह नहीं है कि हम पैसा ही दे दें, पैसे का बंटवारा विकेन्द्रीकरण नहीं है । विकेन्द्रीकरण का अर्थ है सत्ता का विकेन्द्रीयकरण और आत्मनिर्भरता जिसमें चौखम्भा राज्य भी है । उसमें देखना यह होता है कि जो हमारी स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनको आत्म-निर्भर कैसे बनाया जाये और किस तरह से उनको प्रभावशाली बनाया जाये । विचार इसी पर किया जा रहा है । इस पर विचार करने के लिए हमारी सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो ग्रामीण स्वायत्तशासी संस्थाओं के बारे में विचार करेगी और उनकी समस्याओं का अध्ययन करेगी । उस कमेटी ने कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तामिलनाडू तथा अन्य कई प्रदेशों का दौरा भी किया है ।

जो शहरों की स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनके बारे में भी हम अलग से विचार कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में भी हम चाहते हैं कि एक कमेटी बना दी जाये जिसमें अधिकारियों के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये । साथ ही विचारगोष्ठियां भी आयोजित की जायें जिनमें इस प्रश्न पर विचार किया जाय कि इनको असली जामा किस प्रकार पहनाया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार—

यह कहा गया कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को कांग्रेस सरकार ने भंग कर दिया और उनके सारे अधिकार छीन लिये । मैं जानना चाहता हूं कि जिला परिषदें जो आज गठित हुई हैं वे इसके पूर्व कब भंग की गई थीं और किस सरकार ने उनको भंग किया

था ? माननीय मंत्री जी कृपया यह भी बताय कि विकेन्द्रीयकरण कर इन संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की जो योजना विचाराधीन है उसको अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा, या वह केवल कल्पना मात्र ही रह जायेगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय, जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है, यह कांग्रेस सरकार ने भंग किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कमजोर जरूर किया। मान्यवर, जो विकेन्द्रीकरण का स्वरूप शासन आया, राज्य सरकार का जो अस्तित्व है, उसकी उपेक्षा करके और केन्द्र को, सीधे—सीधे नीचे के आदमी से ही। लेकिन और केन्द्र और राज्य का महत्व है, तो माननीय संस्थाओं का भी अपना महत्व है। तो कैसे आत्मनिर्भर और प्रभावी बनाया जाए, इस मामले में विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों की भी राय ली जाएगी। (व्यवधान) यह कोई प्रशासनिक प्रश्न नहीं है कि तुरन्त इसको लागू कर देना है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मेरा प्रश्न तो सीधा है कि कब भंग किया था।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, तिवारी जी जानते हैं...

(आगे सदस्य को बुला लिये जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार—

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि कब भंग किया था और किस सरकार ने भंग किया था।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

कोई अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न के सम्बन्ध में ही पूछा जा सकता है, किन्तु मूल प्रश्न का यह है ही नहीं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में, क्या माननीय मंत्री जी स्वायत्तशासी संस्थाओं ग्रामीण अंचल में जिला परिषद् और ग्राम पंचायत तथा नगर अंचल में नगरपालिका और टाउन एरिया, को स्वावलम्बी बनाने के लिये उनकी आर्थिक स्थिति में किस आधारभूत मुद्दों पर आप समिति गठित करना चाहते हैं, जिससे वह सरकार की तरफ मुंह देखी न लें ? ऐसी आधारभूत नीति आपकी क्या है ? क्या इसके बारे में कोई विचार हुआ है ? यदि हुआ है तो वह क्या है ? इसके साथ ही जैसा पूर्व केन्द्र सरकार ने जवाहर रोजगार योजना बनाकर उसको स्वावलम्बी बनाने का एक स्वांग रचा, उसको क्या वह तोड़ेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

पहले इतना ढोंग हो चुका है कि हर सही काम में लोगों को ढोंग नजर आने लगता है। किन्तु इसमें ढोंग की कोई बात नहीं है। वर्मा जी जिस समाजवादी विचारों के पोषक और समर्थक हैं, उसमें कोई ढोंग नहीं है और उसी तरह इसमें भी कोई ढोंग नहीं है, बल्कि इसमें खूब सोच विचार के ही कोई निर्णय होगा।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मूल प्रश्नकर्ता सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जैसे प्रश्न शुरू किया: कांग्रेस को बुराई करना शुरू कर दिया (व्यवधान) वह सन् 1977 की अपनी भूल गये, जब उनकी सरकार ने स्वायत्तशासी संस्था जिला परिषदों को भंग कर दिया था, उनको तिवारी जी भूल गये। इसमें जसा दूसरे पैरा में लिखा है यदि हां, तो प्रस्तावित योजना को रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उत्तर में आया है, मामला अभी शासन के समक्ष विचाराधीन है, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि जब तक यह मामला विचाराधीन ह, उस समय के लिए, जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं और उसकी जो दुर्दशा है, उसको आज भी व्यवस्था में परिवर्तन करने वाली सरकार कसे प्रगति की ओर ले जाएगी और कैसे चलाएगी ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मंत्री जी ने बताया कि उस पर एक कमेटी बना रहे हैं वह उस पर विचार करेगी और उसमें जनप्रतिनिधि भी रहेंगे।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

इस बीच में क्या होगा, सिर्फ मैं यह जानना चाहता हूं।

(मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं बुलाया गया।)

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। स्थानीय निकायों को जो अधिकार थे, उन्हें उनसे तीन दशकों में ले लिया गया, क्या उनको वापस लेने पर विचार करेंगे। नगर महापालिकाओं के अन्तर्गत जो जल संस्थान था, बेसिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा थी, वहां का सारा काम उसके अन्तर्गत था, अब वह अलग हो गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कमेटी गठित करने जा रहे हैं, इसमें जन-प्रतिनिधि भी होंगे। तो क्या मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि वह कमेटी कब तक गठित हो जायेगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

अति शीघ्र, मान्यवर।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितनी चुनी हुई संस्थाएं, जिला परिषदें हैं, नगरपालिका, टाउन एरिया हैं उनको भंग करने का प्रस्ताव क्या सरकार के पास विचाराधीन है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

बिल्कुल नहीं।

श्री मांता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए स्वावलंबन द्वारा शिक्षा और मेडिकल उनके अधिकार क्षेत्र में जाने से क्या यह संस्थाएं मजबूत होंगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह विचाराधीन है ।

भारत सरकार के सदृश्य राज्य कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की धनराशि निर्धारित किये जाने के आदेश

*2—श्री राम स्वरूप शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन, भारत सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन के समान रु0 375 मासिक करने का आदेश अब तक जारी न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त के सम्बन्ध में आदेश कब तक जारी कर दिय जायेंगे और वे किस तिथि से प्रभावी होंगे ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

भारत सरकार के संवृश्य राज्य कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन की धनराशि रु0 375 प्रतिलाह दिनांक 1-4-90 से निर्धारित किए जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, प्रश्न का आधा उत्तर दिया गया है । कब से प्रभावी हो गये हैं, इसका उत्तर नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब केन्द्र सरकार ने 1-1-86 से रु0 375 पेन्शन दे दी है तो प्रदेश सरकार भी 1-1-86 से देने की कृपा करे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

वित्तीय अभाव को देखते हुए 1-1-86 से इसका आदेश निकालना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सम्भव नहीं था और इसीलिए अब यह आदेश निकाल दिये गये हैं कि 1-4-90 से यह पेन्शन दी जायेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वित्तीय संसाधन कम हैं तो दो साल पीछे से दे दें । 1-4-90 से देने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, वित्तीय साधनों में कमी की वजह से यह हुआ है । मैं बताना चाहूंगी कि जो शर्मा जी की मांग है, अगर वह मान ली जाय तो प्रदेश सरकार के ऊपर 45 करोड़ रुपये का भार आयेगा और प्रतिवर्ष साढ़े बारह करोड़ का भार आयेगा । सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है, जितना सम्भव था, उतना दे दिया ।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या न्यूनतम पेन्शन योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त इन्टर कालेज, हाई स्कूल तथा स्थानीय निकाय द्वारा संचालित हाई स्कूल के कर्मचारी भी इसमें शामिल किये जायेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है । यह सूचना है कि करीब 65 हजार लोग पेन्शन पायेंगे ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है ।

राजस्व एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री राम शरण दास)—

मान्यवर, यदि रुचि है तो इसे प्रश्नकाल के बाद ले लिया जायेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश की चीनी मिलों पर कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य

*1—श्री मिठाई लाल शास्त्री (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का कितना मूल्य बकाया है ? क्या यह सही है कि चीनी मिलों से सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित टैगिंग आदेश का परिपालन चीनी मिल्स तथा उनके बैंकर्स द्वारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो गन्ना मूल्य अवशेष रहने का क्या कारण है ?

श्री राम शरण दास—

रु0 91.67 करोड़

दिनांक 31.5.1990 की स्थित के अनुसार ।

कुछ मामलों में परिपालन नही हुआ है ।

कुछ मिलों ने अपने बैंकर्स की आपत्ति से कारण टैगिंग आदेश परिपालन करने में असमर्थता सूचित की थी ।

अधिक गन्ना उपलब्धता के कारण लम्बी अवधि तक पेराई चालू रहना, गत वर्ष की अपेक्षा अधिक गन्ना मूल्य एवं अपेक्षतया कम चीनी पर्ता आदि गन्ना मूल्य अवशेष रहने के प्रमुख कारण है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गाजियाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों के लिये निश्चित क्षेत्र

*1—श्री महेन्द्र सिंह माटी—

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद दादरी जी0 टी0 ग्रेड जनपद गाजियाबाद के दोनों ओर निर्माणाधीन एवं निर्मित औद्योगिक इकाइयों का भू-उपयोग बदल दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)—

गाजियाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना 1983 से प्रभावी है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों के लिए 4912.83 एकड़ क्षेत्र निश्चित किया गया है । इस क्षेत्र में गाजियाबाद से दादरी के बीच जी0 टी0 रोड पर भी औद्योगिक विकास के लिए स्थान आरक्षित है । निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत यदि कोई निर्माणाधीन एवं निर्मित औद्योगिक इकाई स्थापित है तो वह अनधिकृत है । उनके सम्बन्ध में भू-उपयोग परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

मान्यवर जिला गाजियाबाद, दादरी, तहसील सिकन्दराबाद में रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट के तहत भू-परिवर्तन नहीं किया गया है । जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि चार हजार कुछ एकड़ जमीन महायोजना के अन्तर्गत है, तो दादरी तहसील में ऐसे कौन से गांव हैं जिन गावों में यह महायोजना लागू है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मेरे पास दादरी तहसील की सूचना उपलब्ध नहीं है । दूसरी बात बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद से दो किलोमीटर की दूरी तक, जी० टी० रोड के दोनों तरफ महायोजना के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है और न ही शासन से इसमें परिवर्तन का कोई प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ है कि इसमें परिवर्तन किया जाए ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

दादरी तहसील गाज़ियाबाद से दो किलोमीटर के बाद शुरू होती है यहां महायोजना लागू नहीं है, लेकिन यहां जितनी बिल्डिंग बन रही हैं उनके पास कोई भू-परिवर्तन का सार्टिफिकेट नहीं है, तो जैसी छूट इन इन्ड्रस्टीज को दी गई है, क्या ऐसी छूट किसानों को भी दी जाएगी, ताकि वह भी अपने घरों की चिनाई कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न स्पष्ट करें ?

श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

मान्यवर, दादरी तहसील में जिस महायोजना के बारे में कहा जा रहा था, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि दादरी तहसील गाजियाबाद से दो किलोमीटर के बाद शुरू होती है तो यहां पर स्मेकल इन्डस्ट्रीज, हीरो मोटर इन्ड्रस्टी और कई इन्ड्रस्टीज हैं, यह करीब पचास इन्ड्रस्ट्रीज हैं जिन्होंने कोई भू-उपयोग का प्रमाण-पत्र चकबन्दी अधिकारियों रेवेन्यू अधिकारियों से नहीं लिया है, तो हम मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी छूट किसानों को भी मिल सकती है कि वह किसी की परमीशन न लें और अपना घर बनाना शुरू कर दें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, यह गाजियाबाद महायोजना से सम्बन्धित प्रश्न था यह दो किलोमीटर के बाद के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, दो किलोमीटर तक औद्योगिक क्षेत्र घोषित है उसके आगे का क्षेत्र इस महायोजना के अन्तर्गत है ही नहीं ? जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, तो ऐसी अगर कोई बात है तो इसमें जांच कराकर माननीय सदस्य को इससे अवगत करा दिया जाएगा ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि महायोजना के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण या गाजियाबाद प्राधिकरण ने गलत नीतियों को अपनाया है, माननीय सदस्य कह रहे थे कि दादरी तहसील महायोजना की सीमा से बाहर है । वहां इस तरह की बातें हो रही हैं कि जिनसे किसान परेशान हो रहा है । महायोजना के अन्दर जो जमीनें ली गयीं हैं उसमें बड़े-बड़े लोगों को भूखंड दे दिये गये हैं और उनका

इस्तेमाल नहीं हो रहा है । क्या इस बात की जानकारी आपको या आपकी सरकार को है कि माननीय महेन्द्र सिंह टिकैत बहुत जल्दी ही किसानों को लेकर गाजियाबाद को प्रस्थान करने वाले हैं । तो क्या सरकार इसकी मुकम्मल जांच करायेगी ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं उसको देख लेता हूं । ऐसी कोई जानकारी मेरे ख्याल से शासन को उपलब्ध नहीं है । यदि हो तो माननीय सदस्य बता दें, या जो प्रोसीडिंग में आया है, प्रोसीडिंग को देखकर उसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 4600 एकड़ भूमि उद्योग पट्टी के रूप में सुरक्षित कर रखी है लेकिन जो सांटी जी का अनुपूरक प्रश्न है वह यह है कि बड़े आदमियों के लिये भू-उयोग के परिवर्तन के आदेश हो जाते हैं । मेरा यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है कि क्या आप किसान को भी यह अधिकार देंगे कि जो किसान औद्योगिक पट्टी के नजदीक रहते हैं उन्हें भी भू उपयोग के परिवर्तन की आपकी तरफ से आज्ञा मिल जाय, क्या वह भी भू-उपयोग परिवर्तन कर सकते हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा है कि भूमि उपयोग परिवर्तन जहां औद्योगिक क्षेत्र घोषित है वहां नहीं किया गया है । सम्मानित भाटी जी का जो अनुपूरक प्रश्न है उसका समुचित उत्तर मैं इसलिये नहीं दे पा रहा हूं कि भाटी जी ने गाज़ियाबाद से लेकर दादरी तक के बारे में प्रश्न किया है 2 कि0 मी0 से आगे भाटी जी की मंशा है ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है । अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मिल लें । माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि गाजियाबाद से दादरी के बीच जी0 टी0 रोड पर भी औद्योगिक विकास के लिये स्थान आरक्षित है । तो प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अलग से मिल लीजियेगा, मंत्री जी से ।

[मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उ0 प्र0 रा0 स0 परिवहन निगम का कांप्रेस कमेटी पर बसों के किराये की कुल बकाया धनराशि एवं वसूली हेतु किये गये प्रयास

*1—श्री श्याम देव राय चौधरी दादा तथा श्री राजधारी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 परिवहन निगम का उ0 प्र0 कांप्रेस कमेटी पर उसके द्वारा विभिन्न अवसरों पर किराये पर लिए गये बसों का कुल कितना किराया बकाया है ? क्या सरकार इस बकाया धनराशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

रु0 2,67,20,214.05 बकाया है । परिवहन निगम द्वारा वसूली के सम्बन्ध में निरन्तर पत्र व्यवहार किया जा रहा है एवं व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर यदि किसी गरीब पर 2–4 हजार का बकाया हो जाता है तो उसकी खिड़की दरवाजे उतार लिये जाते हैं और उसके यहां कुर्की हो जाती है । और यह पौने तीन करोड़ रुपये के करीब जो बकाया है कांग्रेस (आई) पर जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव गांधी जी हैं, तो इस रुपये को वसूलने के लिए क्या इस प्रकार की अटैचमेन्ट की कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो फिर जो इसके लिए दोषी हैं, जो इतनी बड़ी रकम को अब तक बकाया रखते चले आ रहे हैं, क्या उनको दण्डित किया जायगा ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने कहा यह सही है कि अगर गरीब के यहां बकाया हो, तो उसकी वसूली तेजी से की जाती है, लेकिन जैसा कि माननीय चौधरी साहब खुद जानते हैं, यह 1980–81 का 10 साल से बकाया है और यह भी वह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में बसों को लिया, प्रधान मंत्री की रली को सफल बनाने के लिए या अन्य प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए और यह भी सही है कि करीब ढ़ाई करोड़ रुपया बाकी है, यह भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसी बस मांगी थी, अब हिम्मत तो पड़ी नहीं किसी की, कि बकाया मांगता । "भइयां भये कोतवाल, अब डर काहे की ।" मान्यवर, इसकी वसूली के लिए शासन स्तर पर बड़े कदम उठाये जायेंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दाद—

मान्यवर, पूरा जवाब नहीं आया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी का जवाब आ गया है ।

श्री राजधारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि आप जनता के बकाये की वसूली तो सरकार रेवन्यू की भांति जिला प्रशासन के माध्यम से वसूल करा लेती है, जिसमें कुर्की का भी काम होता है, तो इतनी बड़ी धनराशि की वसूली के लिए रेवन्यू की भांति जिला प्रशासन के माध्यम से कुर्की करा कर वसूली करेगी या अब तक वसूली की ऐसी कोई कार्यवाही की है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं यह तो सब हुआ 1980 से लेकर जब तक कांग्रेस सरकार थी और मान्यवर, कुर्की की कार्यवाही तो सरकार करती है, लेकिन उस समय सरकार भी उनकी ही थी, तो कार्यवाही कैसे होती । अब यह है कि इस सम्बन्ध में काफी कागज के पन्ने पलटे गये, तो यह पता ही नहीं चला कि कब किसके कहने से बसें दे दी गयीं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक कमेटी बना दी गयी है जो पिछले 10 साल में किसके कहने से बसें दे दी गयीं, इन सारी बातों का परीक्षण करेगी । (व्यवधान) मान्यवर, पूरा उत्तर तो आ जाय, तभी तो शंका समाधान होगी । मान्यवर, 1987 में करीब सवा करोड़ रुपये के बारे में जब श्री महावीर प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनसे कहा गया, वह भी आना-कानी कर गये, उसके बाद माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी से कहा गया, तो उन्होंने कहा कि हम 40 लाख रु0 दे देंगी, लेकिन उन्होंने भी नहीं दिया । लेकिन चूंकि बस ली गयी थी और धनराशि बाकी है, तो इस सरकार की जिम्मेदारी है वसूल करना, तो मान्यवर, नियम-कानून के मुताबिक उसको पूरी तौर पर ईमानदारी से वसूल किया जायगा ।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मौका दिया । मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से जानकारी इस प्रश्न के माध्यम से चाहता हूं कि 1980 में कांग्रेस कमेटी पर कोई बकाया नहीं था, 1981-82 में बकाया हुआ और 1987-88 में बकाया हुआ । तो मैं जानना चाहता हूं कि 1981-82 में प्रदेश का मुख्य मंत्री कौन था, अगर नहीं कहना चाह रहे हों तो मैं बताये दे रहा हूं, भारत के प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उनसे वसूली कर लें और मान्यवर, 1987 में श्री महावीर प्रसाद तब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थ तो परिवहन मंत्री डा0 संजय सिंह थे इनका पता न मालूम हो तो बता दें, 2, विक्रमादित्य मार्ग पर रहते हैं आप इनसे वसूली करवा दीजिए । (व्यवधान) मान्यवर, क्या प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और महासचिव डा0 संजय सिंह से वसूली के लिए लैण्ड रेवन्यू रिकाड भेजे जायेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह संसदीय लोकतन्त्र और बलों की सरकार है कुछ लोग व्यक्तिगत झगड़ा लाते हैं सदन में मान्यवर, इनका संजय सिंह से क्या व्यक्तिगत झगड़ा है, मैं कह नहीं सकता ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मेरा कोई झगड़ा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बसों को मांगा । सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बसें मांगी, उस पर बकाया है तो कांग्रेस पार्टी से हमारा इतना ही निवेदन है कि जो बकाया है, ईमानदारी से दे दें ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार परिवहन विभाग का कोई भी सरकार दुरुपयोग न कर पाये, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आये तो इसका दुरुपयोग न कर पाय, इसके लिए कोई कानून बनायेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, दुरुपयोग तो आचरण की बात है। इस तरह का कानून न तो मध्य प्रदेश में बना है, न राजस्थान में है और न उत्तर प्रदेश में ही बना हुआ है।

श्री अरुण कुमार सिंह "मुन्ना"—

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मान्यवर, जो आपने उत्तर दिया है उसके दूसरे पैरा में दिखाया है ,कि "बकाये की वसूली के सम्बन्ध में परिवहन निगम द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) के पदाधिकारियों को अनेकों पत्र भेजे गये हैं और व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित किया गया है। वसूली हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं"। मान्यवर, निश्चय ही एक इतना बड़ा राजनीतिक दल था, कार्यक्रम थे, प्रोग्राम थे, उसमें बसें ली जाती हैं, सब दल के लोग लेते हैं, हम भी लेते हैं। (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब आपके लोगों ने सम्पर्क किया, हमने पेमेन्ट भी दिया है। लेकिन मान्यवर, जब आपने कांग्रेस कमेटी से सम्पर्क किया है तो मेरी निश्चित जानकारी है कि परिवहन निगम द्वारा जब जब सम्पर्क किया गया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी जानना चाहा कि पिछले.. बिल जिनका संज्ञान दिखाया गया कि बहुत सी चीजें रिकार्ड में नहीं हैं, आप सारी चीजें उपलब्ध करा दें। सारे बिल बनकर आ जायेंगे तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पेमेन्ट कर देगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, हमारा तो इस सदन के जरिये से कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि इस 2 करोड़ 67 लाख के बकाये को जल्द से जल्द दे दें, नहीं तो उन्हीं की बदनामी होगी। हमारा अनुरोध है कि पेमेन्ट जल्द से जल्द दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बिकल जी, इसी प्रकार का प्रश्न नम्बर 3 है जो इसी से मिलता-जुलता है, उसमें आपको समय दे देंगे।

*2—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[दिनांक 26 जून, 1990 को अल्प सूचित ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

कांग्रेस कमेटी द्वारा किराये पर ली गयी बसों की संख्या, किराये का भुगतान एवं बकाया धनराशि की वसूली हेतु किये जा रहे प्रयास

*3—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कांग्रेस कमेटी (आई) उत्तर प्रदेश की ओर से सन् 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89 और 1 अप्रैल, 1989 से 31 अक्टूबर, 1989 तक कुल कितनी बस रैलियों एवं सभाओं हेतु राज्य परिवहन निगम

से किराये पर ली गई ? उनका कितना किराया भुगतान किया गया ? कुल कितना किराया 31 अक्टूबर, 1989 को बकाया था ? सरकार ने उक्त बकाया वसूल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

कुल 8391 बसें किराया पर ली गयी थी । उक्त अवधि में कांग्रेस (आई) ने किराया रु0 46,57,750 भुगतान किया है । 31 अक्टूबर, 1989 को कांग्रेस (आई) पर किराये के रूप में रु0 2,25,14,494.06 बकाया था ।

बकाये की वसूली के सम्बन्ध में परिवहन निगम द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) के पदाधिकारियों को अनेकों पत्र भेजे गये हैं और व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित किया गया है । वसूली हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि कांग्रेस पर बहुत लम्बी धनराशि बकाया है, पहला नियम यह लागू करेंगे कि कांग्रेस को कोई भी बस किराये पर न दी जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, अगर कांग्रेस का यही हाल रहा तो इस पर भी विचार कर लेंगे ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय उपनेता विरोधी दल ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को बसें दी जाती हैं मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्कसंवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बी0 एस0 पी0 या सत्तारूढ़ दल, जनता दल, लोकदल, क्या इनके ऊपर कभी कोई बकाया है और क्या यह सही नहीं है कि इन्होंने बसें लीं तो इनसे अग्रिम रुपया लिया गया ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के दुरुपयोग की तुलना अन्य पार्टियों से न की जाय । यह मुनासिब न होगा ।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से किसानों और दूसरे बकायेदारों से आम वसूली की जाती है और वसूली के लिए सामान कुर्की की जाती है क्या कांग्रेस कमेटी के जिला और प्रदेश स्तर के सभी दफ्तरों की कुर्की करके आम वसूली की तरह से धनराशि की वसूली की जायगी यदि नहीं तो क्यों ?

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । उत्तर दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय अंचल जी के प्रश्न का उत्तर रह गया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

कानूनी पहलुओं पर परीक्षण कराकर विचार किया जायेगा ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, सरकारी क्वार्टरों में सरकारी अधिकारी जिस रिजीम में रहते हैं उनके पीरियड में यदि कोई अनियमितता होती है तो उसका उत्तरदायित्व उस पर डाला जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मैं माननीय महाबीर प्रसाद जी के रिजीम में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में था । श्री दल सिंगार यादव, श्रीराम पाल सिंह, श्री श्याम सुन्दर यह सब महामंत्री थे । तत्कालीन परिवहन मंत्री की सांठ-गांठ से बिना कांग्रेस कमेटी के एप्रूवल के यह बसें और टैक्सियां लेते रहे हैं । तो क्या व्यक्तिगत सम्पर्क उनसे भी कर रहे हैं ।

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें यह उत्तरदायित्व का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न विस्तृत है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

यह कहा गया कि संया भये कोतवाल, तो मान्यवर अब संया भी नहीं हैं, कोतवाल रहे नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया प्रश्न करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

हर जगह कोतवाल हैं देश और प्रदेश में । उत्तर में कहा गया है कि पत्र व्यवहार कर रहे हैं, व्यक्तिगत सम्पर्क कर रहे हैं, 2 करोड़ 67 लाख रु0 बकाया है । जिस प्रकार से आम लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, इतने आग्रह के बाद भी पैसा न मिलने के कारण अटैचमेंट कुर्की करने का या डिफाल्टर करने की कोई कार्यवाही सम्बन्धी माननीय मंत्री जी सुनिश्चित आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

कांग्रेस पार्टी को डिफाल्टर घोषित करने की कार्यवाही करने की बात माननीय विकल जी ने कही है, वह तो खुद ही डिफाल्टर है । उन्हें क्या डिफाल्टर घोषित किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शांति बनाये रखें, प्रश्नों का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है । मैंने पार्लियामेंट्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी को बुलाया है । आप लोग कृपया बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि 1985-86, 1986-87, 1987-88 में कितना बकाया था, उस समय प्रदेश का कौन परिवहन मंत्री था, कौन मुख्य मंत्री था, यह भी बातें मांगी गयी थी, किसके आदेश द्वारा मांगी गयी थी ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शांति बनायें रखें । कृपया बैठें । यह प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है । आप सभी अपना समय बरबाद कर रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

[श्री श्याम देव राय चौधरी बाबा सदन के फ्लोर पर आ गये और कहने लगे

[× × +]

(श्री श्याम देव राय चौधरी बाबा, डाक्टर सुरजीत सिंह बंग व श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) आदि सदस्यों के प्रयास से अपने आसन पर वापस चले गये ।

(घोर व्यवधान)

सत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा की मांग

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय, यह बात आयी कि सेंया भये कोतवाल तो डर काहे का, माननीय यह विषय बहुत ही गम्भीर है, इस पर आधे घंटे की चर्चा करा दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप लोग बैठें आयें पहले सदन को सुव्यवस्थित कराइये ।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य, आबकारी एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

माननीय, अगर माननीय सदस्यगण उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो जो निर्णय आप लेना चाहें, ले लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा अनुरोध है कि कृपया पहले आप लोग अपने-अपने दल के सदस्यों को बिठायें ।

नोट—[+++] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित सदस्य एक साथ खड़े हैं, कोई एक सदस्य बोले तो मैं उसकी बात सुनूं।

(सभी सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जायं। सब लोग एक साथ बोल रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, आपने मेरा नाम लिया है, इसलिए पहले मेरा प्रश्न होना चाहिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें, अन्यथा मैं नहीं बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूं, आप लोग बैठ जायें।

(सभी दलों के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री हरिद्वार दुबे एडवोकेट—

मान्यवर, आप केवल पुराने लोगों को ही बुलवाते हैं, नये सदस्यों को नहीं बुलवाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नियम 49 में चर्चा करवा दूंगा।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

हमें चर्चा नहीं चाहिये।

श्री शारदानंद अंचल—

मान्यवर, इस पर एक घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलते रहने पर घोर व्यवधान होता रहा)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सत्य प्रकाश विकल जी आप अपने दल के सदस्यों को कृपया शान्त कराइये।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े रहने पर शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपा करके आप लोग बैठ जायें। मैंने श्री सत्य प्रकाश विकल जी को बुलवा लिया है।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, यह प्रकरण पूरा हुआ। आपकी व्यवस्था भी आ गई है चर्चा की। मेरा निवेदन है कि हमारे कुछ साथी इस बात से दुखी हैं कि बार-बार प्रश्न करने के लिए आप से अनुमति मांगने हेतु आपकी ओर देखते हैं, किन्तु आपके सम्मानित पीठ से उन्हें अवसर नहीं मिलता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे कुछ नये साथी हैं, वह प्रश्न करना चाहते हैं इसलिए उन्हें भी आप अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री स्पीकर—

आपकी बात स्वीकार है । बहुत से माननीय सदस्य इस पर प्रश्न करना चाहते हैं । कुछ ने नियम 49 में लिखकर भी इसे भेजा है इसलिए इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली है ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

जनपद आगरा में डोरी स्मृति अन्तर्राष्ट्रीय सभागार का निर्माण कार्य

*4—श्री विजय सिंह राणा (अनुपस्थित)—

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में डोरी स्मृति अन्तर्राष्ट्रीय सभागार का शिलान्यास निवर्तमान मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा किया गया था ? अब तक उसका निर्माण कार्य न होने के क्या कारण हैं ? उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

जी हाँ । यह परियोजना संयुक्त क्षेत्र के माध्यम से कार्यान्वित करायी जानी है । इसके लिये श्रीमन्त एल0 एल0 होटल्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लि0 के साथ उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा अनुबन्ध किया गया है । निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व श्रीमन्त एल0 एल0 होटल्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लि0 अपेक्षित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा रहे हैं ।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ द्वारा छपवायी गयी छोटी व बड़ी डायरियों की संख्या, उन पर व्यय रुपये एवं उनका वितरण

*5—श्री अफजाल अंसारी (अनुपस्थित)—

क्या सूचना मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वर्ष 1990 के लिये कितनी-कितनी संख्या में छोटी एवं बड़ी डायरी कितनी बार में छपवायी गयी हैं ? प्रत्येक छोटी एवं बड़ी डायरियों पर पेपर जिल्द एवं छपायी इत्यादि में औसतन कितना-कितना रुपया खर्च पड़ा है ? यह डायरियां प्रदेश में विधान मंडल के सदस्यों व शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त कितने अन्य लोगों को कितनी-कितनी संख्या में वितरित की गयी हैं और इनके इतनी बड़ी संख्या में छापे जाने एवं बांटे जाने का क्या उद्देश्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्ष 1990 में 35,000 (पैंतीस हजार) छोटी तथा 7 हजार पांच सौ (7,500) बड़ी डायरियां एक बार में छपायी गयी हैं ।

पेपर जिल्द एवं छपायी इत्यादि व्यय लगाकर प्रति डायरी (बड़ी डायरी) व्यय 41,42 रुपया तथा प्रति (छोटी डायरी) व्यय 17,76 रु0 हुआ है ।

विधान मंडल के सदस्यों व शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त साहित्यकारों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं तथा जन सामान्य को उनकी मांग पर सामान्यतः प्रति आवेदक एक डायरी वितरित की जाती है । परन्तु अपवाद स्वरूप एक से अधिक डायरी भी वितरित की जाती है । वितरण सूची सम साध्य है ।

सूचना डायरी छपाने का उद्देश्य प्रदेश व केन्द्र सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाओं के अलावा अन्य विशेष जानकारियों से अवगत कराना है ।

जनपद सोनभद्र के लिये अलग से बजट का प्राविधान किये जाने की मांग.

*6—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार जनपद सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये वहां के मूल निवासियों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की तरह अलग से बजट का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतपाल प्रकाश—

जी नहीं ।

सोनभद्र प्रदेश के अन्तर्गत नवसृजित जनपदों में से एक है । यह जनपद पूर्वी क्षेत्र में स्थित जनपद मिर्जापुर का एक प्रमुख अंग रहा है । प्रदेश के अन्य जिलों की भांति जनपद मिर्जापुर के लिये भी विकेन्द्रित जिला स्तरीय योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1982-83 से किया जा रहा है । इस प्रकार विकेन्द्रित नियोजन का पूरा-पूरा लाभ जनपद सोनभद्र, जो जनपद मिर्जापुर का एक अंग था, को भी बराबर मिलता रहा है । अतः अब इसके लिये भी अलग से विकेन्द्रित जिला स्तरीय योजना तैयार की जा रही है । जनपद सोनभद्र की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी पर्वतीय क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों से अधिकांशतया भिन्न है । अतः जनपद सोनभद्र के लिये अलग से किसी भी प्रकार के बजट का प्राविधान होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री विजय सिंह—

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी भी जनपद के पर्वतीय क्षेत्र या विशेष क्षेत्र घोषित करने के लिये क्या मापदण्ड है ?

श्री सतपाल प्रकाश—

माननीय, जो पर्वतीय इलाके हैं और उनके जो मापदण्ड हैं, उन मापदण्डों में एक तो यह है कि दूरी कितनी है, दूसरा जनसंख्या का सघन होना या न होना भी है, उसका क्षेत्रफल और भौगोलिक स्वरूप भी है । इन आधारों पर इधर पूर्वांचल के किसी भी इलाके को पर्वतीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है । मिर्जापुर का जो दक्षिणांचल का हिस्सा है दुद्धी, चोपन, राबर्ट्सगंज आदि ज्यादातर पठारी इलाके हैं या पहाड़ से सटे हुये हैं । उनके लिये अलग से बजट में प्राविधान का मतलब यह है कि योजना आयोग से इस पर अनुमति लेनी पड़ेगी । जो मानक है, उन्हीं मानकों के आधार पर प्राविधान भी करना होगा । जिन आधारों पर पर्वतीय क्षेत्र का बजट अलग से प्राविधानित किया गया है, उसके अन्तर्गत यह सोनभद्र का जनपद नहीं आता है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सोनभद्र बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, उसको देखते हुये सोनभद्र को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करके वहां पर विशेष योजनायें लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इस सम्बन्ध में बताना उचित होगा कि सोनभद्र पूर्वांचल का ही जनपद है और पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश का पिछड़ा हुआ इलाका है । इस इलाके की आमदनी से पूरे देश की आमदनी 50 प्रतिशत कम है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में भी कहा और नीति भी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विशेष अभियान चलाया जायगा । इसके लिये 20 करोड़ रु0 का विशेष प्राविधान बजट में किया गया है । इसके लिए विशेष तौर से योजनायें सरकार चलायेगी ।

श्री विजय सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र विन्ध्या पर्वत और कैमूर पर्वत की घाटियां हैं । इनको देखते हुए क्या मिर्जापुर और सोनभद्र को आदिवासी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र घोषित करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है ।

श्री सारदानन्द अंचल—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में, आपने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये 20 करोड़ रु0 दिया है और सरकार सचेष्ट है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के विकास के लिये सर्वांगीण पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना करके उसके सर्वांगीण विकास के लिये कदम उठाने जा रही है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जिस नाम के बारे में माननीय सदस्य ने इशारा किया है, इस नाम से तो नहीं लेकिन इस इलाके के सर्वांगीण विकास के लिये सरकार विशेष तौर से विचार कर रही है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

माननीय मन्त्री जी से उनके उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि निगम तो नहीं लेकिन क्या पूर्वांचल विकास परिषद् के गठन की घोषणा सरकार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । प्रश्न सोनभद्र जिले से सम्बन्धित है ।

(घोर व्यवधान)

श्री शिव प्रसाद शुक्ल—

क्या सरकार कुछ करेगी, इसी सन्दर्भ में मैंने कहा है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, कृपया बैठें ।

(प्रश्नकर्ता सदस्य के बड़े खड़े पर)

माननीय मंत्री जी यदि चाहें तो उत्तर दे दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, यह मूल प्रश्न तो नहीं है लेकिन उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के बारे में केन्द्रीय योजना आयोग से भी कहा गया है और यह भी निवेदन किया गया है कि जो संशोधित गाडगिल फार्मूला है, जिसके तहत केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया जाता है, उसको बदलने की बात है । यह बात कही गयी थी कि प्रदेश में जितने भी ऐसे इलाके हैं जिनकी औसत आमदनी राष्ट्रीय आमदनी से 50 प्रतिशत कम है, उनको विशेष तौर से दिया जाय। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इसमें आता है । इस पर सैद्धान्तिक सहमति दे दी गयी है । उम्मीद है कि संशोधित गाडगिल फार्मूले से लाभ मिल सकेगा ।

श्री अमर मणि—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 20 करोड़ रु0 का प्राविधान है । मैं जानना चाहूंगा कि 20 करोड़ रु0 क्या काफी है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जो प्राविधान किये गये हैं, उन प्राविधानों के अतिरिक्त यह प्राविधान है ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि केन्द्र सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि जहां पर 50 संकड़ा से कम हैं वहां पर विशेष रूप से उनको दिया जायेगा । माननीय मंत्री जी खुद "पूर्वान्चल बचाओ" सम्मेलन के सदस्य रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी केन्द्र सरकार से और राज्य सरकार से मिली-जुली सिफारिश करने की कोशिश करेंगे कि पूर्वान्चल विकास बोर्ड का गठन किया जाय ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, अपने उत्तर में मैंने ऐसा नहीं कहा है कि केन्द्र सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है । हां, राज्य सरकार से कहा गया है माननीय सदस्य की भावना का उसमें समावेश भी किया गया है, लेकिन कोई संगठन बनाने की बात नहीं है । किस तरह से वहां का विकास हो सके, इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री सुबास—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हाल ही में मऊ में नया जिला बना है, क्या माननीय मंत्री जी उसके विकास के लिये कोई योजना बनायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मूल प्रश्न से सम्बन्धित है नहीं ।

श्री सुबास—

यहां पूर्वान्चल की बात हो रही है, आप मेरी बात का उत्तर दिलाएं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जी नहीं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जैसा कि विदित है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत से ऐसे जनपद हैं जो कि पिछड़े हुए हैं जो उद्योग शून्य हैं शिक्षा न के बराबर है, लेकिन जब पिछड़ापन दूर करने की बात आती है और बँटवारे की बात आती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये सरकार ने इस प्रकार के मानक नहीं बनाये हैं कि जिससे विकास के लिये प्राविधान किया जाय । इसलिये जो उद्योग शून्य जिले हैं, शिक्षा नहीं है, पिछड़े हुए हैं तो क्या उनके लिये अलग से प्राविधान किया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 7 के पुकारे जाने पर व्यवधान)

अभी गोरखपुर के माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है पूर्वान्चल के बारे में । अब आप बैठिये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

नहीं मान्यवर, ऐसी बात तो नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

पूर्वान्चल का पिछड़ापन दूर करने के सम्बन्ध में काफी दिनों से बात चल रही है कि इसके लिये अलग से वित्तीय प्रबन्ध किया जाय जैसा कि पहाड़ के लिये किया गया है । बात पुरानी है, सरकार ने अभी तक फैसला नहीं किया है । माननीय सदस्य का सुझाव वजनदार है, इस पर पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विचार किया जा रहा है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर प्रश्न करने की अनुमति मांगने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न पर बहुत समय हो गया है । मैं अब इस पर प्रश्न करने की अनुमति नहीं हो रहा हूं । इस प्रश्न पर दस मिनट का समय हो गया । अब तारांकित प्रश्न संख्या 7 ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप मुझे प्रश्न करने की अनुमति दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, फिर भी ऐसा करते हैं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

जनपद गाजियाबाद में असंक्रमणीय भूमि के हस्तान्तरण द्वारा रजिस्टर्ड बैनामें के विरुद्ध हुत कार्यवाही

*7—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि असंक्रमणीय भूमि के हस्तान्तरण पर लगी रोक के बावजूद भी गाजियाबाद जनपद में हस्तान्तरण द्वारा रजिस्टर्ड बैनामे किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इन बैनामों का निरस्तीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

असंक्रमणीय भूमि के दो बैनामे उपनिबन्धक, दादरी गाजियाबाद के कार्यालय में दिनांक 22 मई, 1990 को पंजीकृत हुए थे उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त 21 मामले असंक्रमणीय भूमि के हस्तान्तरण के और प्रकाश में आये हैं जो इकरारनामों अथवा मुख्तारनामों पर आधारित हैं। अब तक 12 मामलों में निर्णय लेकर भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गयी है तथा शेष 9 मामलों में निरस्तीकरण की कार्यवाही कलेक्टर/अपर कलेक्टर के न्यायालयों में विचाराधीन है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

यह उत्तर तो बिल्कुल झूठा है। सच्चाई तो यह है कि दादरी में एक इंच भी भूमि जो अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर दी गयी थी और उनको असंक्रमणीय अधिकार थे, वह सारी की सारी भूमि इन्डस्ट्रियलिस्ट्स ने या कोलोनाइजर्स ने ले लिया है। इसमें सबसे ज्यादा आपके राजस्व के अधिकारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप इस तरह से किताब सदन में बैठकर न पढ़ें। अगर किताब पढ़ना है, तो लाबी में चले जायें।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

इस तरह के बैनामे हुये हैं। 21 जनवरी, 1989 को एक बैनामा हुआ है बिल्डी कोलोनाइजर्स के नाम हुआ है और उनके दाखिल खारिज भी हो गये हैं। इस प्रकार के सैकड़ों से ज्यादा मामले हैं। सुरजपुर गांव का बैनामा हुआ है। प्रह्लाद ने जमीन ओमती प्रभा धींगरा को बेची है। ओम प्रकाश लेखपाल है, उसकी गवाही है

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मैं इस सम्बन्ध में पिछले 5 साल से सवाल पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने आपके सवाल को समझ लिया है।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं इस राय का हूं कि आप जितने साल के बैनामों की बात कहेंगे, उन सभी की जांच करा कर उन पर कार्यवाही करूंगा। उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लिस्ट दे दें। हम मुकदमा चलवा देंगे। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं।

बभनान तथा नवाबगंज शुगर मिल, गोण्डा पर गन्ना किसानों का बकाया रुपया एवं शीघ्र भुगतान के आदेश

*8—श्री दशरथ सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बभनान तथा नवाबगंज शुगर मिल, गोण्डा पर गन्ना किसानों का लगभग 80 लाख रुपया बकाया 4 व 5 वर्षों से अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस बकाये की रकम का भुगतान सरकार द्वारा कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामशरण दास—

रु0 80 लाख से अधिक बकाया है ।

बभनान चीनी मिल के विरुद्ध अवशेष बकाया वसूली के प्रमाण-पत्र जारी कर कलेक्टर, गोण्डा को प्रेषित किया जा चुका है ।

नवाबगंज चीनी मिल के अधिग्रहण से पूर्व के बकाया के भुगतान की कार्यवाही उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के प्राविधानों के अनुसार होती है । शेष बकाया शीघ्र भुगतान करने के आदेश कर दिये गये हैं ।

श्री दशरथ सिंह—

माननीय मंत्री जी क्या बतायेंगे कि बभनान और नवाबगंज की मिलों पर अलग-अलग बकाया कितना है और किन-किन सीजनों का है ।

श्री राम शरण दास—

यह जो है आपकी बभनान फैक्टरी इस पर 73 लाख 77 हजार रुपया बकाया है और नवाब गंज की जो है, उस पर 69 लाख 15 हजार रुपया बकाया है ।

डाक्टर ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं कि इन दोनों मिलों पर जो बकाये के भुगतान के बारे में कहा गया है, उनका भुगतान क्या गन्ना समितियों के माध्यम से होता है या मिल के माध्यम से ? दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है ये मिलें गन्ना समितियों को पैसा दे देती हैं और गन्ना समितियां उनका भुगतान करती हैं । लेकिन गन्ना समितियों की हालत जर्जर है वह गन्ना मिल को भी खा जाती है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये ।

डाक्टर ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी—

इसी प्रकार से के0 एन0 शुगर मिल फैजाबाद और सहकारी गन्ना मिल सुल्तानपुर पर काश्तकारों का बकाया है । क्या मंत्री जी उसे दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैंने जो फीगर पहले बतायी है, उन्हें मैं पहले शुद्ध कर दूं । बभनान शुगर मिल पर 92,10,000 रुपया बाकी है । इसे मान्यवर, संशोधित कर लें । दूसरी जो फीगर मैंने दी है, वह सही है । बभनान की जो डंडी है वह कन्टीन्यिअस चौबीसों घंटे चल रही है इस डंडी के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही कर दी है और मार्च सहकारिता वर्ष के अन्दर बकाये पर डाल दिया है ।

(व्यवधान)

पूरा जवाब तो सुन लें । माननीय, कुर्की की कार्यवाही कर दी गई है । और भी जो ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही होगी, उसके खिलाफ करेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय, ऐसे में जवाब नहीं दे पाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं । धैर्य रखें । उत्तर सुन लें ।

श्री राम शरण दास—

जो रुपया बकाया है, जिन्होंने गड़बड़ी की होगी यह तो दूसरा प्रश्न है किन्तु इस समय जितना पैसा मिल के पास बकाया है उसको निकलवाने दें । आप गड़बड़ी के सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न कर लें । नवाबगंज के सम्बन्ध में इस साल का जो बकाया है, उसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले रहे हैं । मैं तो विभाग का मंत्री हूं । हमारा बजट पास होने दें, आपके रुपये की हम अदायगी करवा देंगे । यह निगम की फैक्टरी है । हमने इस बजट में इसके लिये 45 करोड़ रुपये मांगा है सरकार से, ताकि भुगतान कर दें । हम किसानों को प्रताड़ित नहीं करने देंगे और किसानों के हित में ही काम करेंगे ।

श्री दशरथ सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस बभनान फैक्टरी से कब तक बकाये का भुगतान करवा देंगे ? किसानों को फंसाया जा रहा है बकाया के क्या कारण हैं इसको नहीं बताया जाता है । अब शासन से आश्वासन आ रहा है कि अगली दिलवा देंगे तो कितनी जल्दी दिलवा देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो रहा है आप मंत्री जी संक्षेप में उत्तर दे दें ।

श्री राम शरण दास—

श्रीमान् मैं ऐसा आदमी हूं जो किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा, मिल मालिकों के खिलाफ जो भी कार्यवाही जिन्होंने पैसा रोका है करूंगा किसी मिल मालिक को जेल जाना पड़ेगा तो किसानों के हित में तो जायेगा, हम उनके हित में काम करेंगे और जल्दी से जल्दी भुगतान कराने की कोशिश करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

पी० सी० एस० जे० प्रतियोगिता में आयु 35 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव पर विचार

*9—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या कानून व न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी० सी० एस० जे० प्रतियोगिता में शामिल होने की आयु 30 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

नोट—सूची (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

देहरादून महायोजना के भू-उपयोग संशोधन के सम्बन्ध में जनता से मांगी गयी आपत्तियां एवं सुझावों पर विचार

*10—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1988 में देहरादून महायोजना के भू-उपयोग संशोधन के संबंध में जनता से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त सुझाव/आपत्तियां प्राप्त होने पर भू-उपभोग संशोधन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। दिनांक 4 जून, 1988 व 25 जून, 1988 को जनता से आपत्तियां एवं सुझाव मांगने की समाचार-पत्रों में सूचना जारी की गई थी।

(1) 4 जून, 1988 की सूचना के सन्दर्भ में जो आपत्तियां व सुझाव प्राप्त हुये थे उनके सम्बन्ध में 24 अक्तूबर, 1988 को महायोजना को संशोधित करने की अधिसूचना जारी की गई थी।

(2) 25 जून, 1988 की सूचना के सन्दर्भ में प्राप्त आपत्तियां एवं सुझाव विचाराधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय सुरक्षा कर्मियों को पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार

*11—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय सुरक्षा कर्मियों को पुलिस कर्मियों के बराबर वेतनमान दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक सचिवालय सुरक्षा कर्मियों को पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन मिलना शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सचिवालय सुरक्षा कर्मियों को पुलिस कर्मियों के बराबर वेतनमान दिये जाने की मांग मुख्य सचिव समिति के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत की जा रही है। मुख्य सचिव समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा यथासमय उचित निर्णय लिया जायेगा।

आगरा में चीनी मिल की स्थापना की मांग

*12—श्री बहादुर सिंह—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रहसकर्ता का दिनांक 10 जनवरी, 1990 का पत्र जो आगरा में गन्ना मिल की स्थापना के सम्बन्ध में है उन्हें मिला ? शासन का निर्णय क्या है ? यदि हां, तो क्या आगरा में गन्ना मिल स्थापित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राम सरन दास—

प्रश्नकर्ता का दिनांक 10 जनवरी, 1990 का पत्र प्राप्त हुआ। जनपद आगरा में कुल गन्ना उत्पादन 7·37 लाख क्विंटल होता है जबकि 2,500 टी० सी० डी० क्षमता की चीनी मिल के लिए 40 लाख क्विंटल गन्ना चाहिए। अतः गन्ना उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण चीनी मिल की स्थापना का औचित्य नहीं बनता है।

*13—श्रीमती सरस्वती तिवारी—

[दिनांक 29 जून, 1990 को तारांकित प्रश्न सं० 14 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ की राजाजीपुरम तथा राम सागर मिश्र योजनाओं को फ्री होल्ड किये जाने की मांग

*14—श्री राम कुमार शुक्ला—

क्या नगर आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुछ शहरों की आवास विकास कालोनी को "फ्री होल्ड" किया गया है ? यदि हां, तो लखनऊ की राजाजीपुरम तथा राम सागर मिश्र नगर को कब तक "फ्री होल्ड" किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां पूर्व में निम्नलिखित योजनाएं शासन की अनापत्ति के पश्चात "फ्री होल्ड" की गयी थी :

1—आइजट नगर योजना सं०—1	1971
2—मोहतपुरी नगर योजना सं०—4	1971
3—इस्लामाबाद योजना सं०—4 मेरठ	1971
4—जेहडनगर योजना सं०—2 देहरादून	1971
5—घटवासम योजना आगरा	1975

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् भूखन्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं अंतरण संबंधी विनियम 1979 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 की धारा—95 के अन्तर्गत बनाये गये हैं जिसके प्रावधानों के अनुसार भूखन्ड/भवन लीज पर दिये जा सकते हैं। अतः राजाजीपुरम तथा इन्दिरानगर (राम सागर मिश्र नगर) योजनाओं को फ्री होल्ड करने का प्रश्न नहीं उठता।

*15—श्री कुंवर सिंह तेंगी—

[दिनांक 15 जून, 1990 को तारां० प्रश्न सं० 20 द्वारा उत्तरित]

नई आवास नीति के शासनादेशों का व्यावहारिक परीक्षण करने हेतु समिति गठित किये जाने की, मांग

*16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विशेष सचिव (आवास) की अध्यक्षता में कोई समिति हाल में ही नई आवास नीति के तहत जारी किये गये शासनादेशों का व्यावहारिक परीक्षण करने हेतु गठित की गयी है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट शासन को कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की चीनी मिलों को गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान किये जाने के निर्देश

*17—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1990 तक प्रदेश के चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कितना रुपया बाकी था ? चालू सीजन का गन्ना किसानों का भुगतान, मिलें बन्द होने के साथ ही कर देने के निर्देश क्या शासन द्वारा मिलों को दे दिये गये हैं ? क्या शासन ने किसानों का बकाया मूल्य पर किसानों को ब्याज दिये जाने का निर्णय ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

प्रदेश की चीनी मिलों पर 31 मार्च, 1990 तक सीजन 1989-90 का 30.85 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान हेतु अवशेष था ।

पेराई सत्र बन्द होने के 15 दिन के अन्दर समस्त अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान करने के निर्देश चीनी मिलों को दिये गये हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*18—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा बेसिक कोटा के अनुसार सम्पूर्ण गन्ने का क्रय

*19—श्री साहब सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि शुगर मिलों द्वारा बेसिक कोटा के अनुसार सम्पूर्ण गन्ने को, सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर न खरीदे जाने के कारण कृषकों को अन्यत्र कम दामों पर गन्ना बेचना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे किसानों का सारा गन्ना बेसिक कोटा के अनुसार मिलों द्वारा ही खरीदा जाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं ।

कृषकों द्वारा गन्ना आपूर्ति किये जाने की दशा में कृषकों के बेसिक कोटा की सम्पूर्ण गन्ने की मात्रा खरीदने हेतु चीनी मिलें विधिक रूप से बाध्य हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा नगर में पेय जल संस्थान के निर्माण हेतु कृत कार्यवाही

*20—श्री हरद्वार दुबे (एडवोकेट)—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में जनता को पीने के पानी हेतु नये जल संस्थान का निर्माण विश्व बैंक परियोजना के तहत स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उसके निर्माण की क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

पेय जल संस्थान के निर्माण हेतु निविदायें आमन्त्रित कर ली गयी तथा भूमि पर कब्जा लेने की कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरदोई सण्डीला शहर में आवास हेतु भवन बनाने की योजना में आवास विकास परिषद् को त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश

1--श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सण्डीला शहर जनपद हरदोई में आवास विकास परिषद् द्वारा नवनिर्माण हेतु योजना में बहुत से लोगों ने रुपया जमा करके मकान/प्लाट पंजीकृत कराये हैं ? अगर अभी तक स्थान का चयन नहीं हो पाया है ? क्या आवास हेतु भवन बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु यह मामला अभी शासन को नहीं भेजा गया है। आवास विकास परिषद् को त्वरित कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं।

जिला बाराबंकी के ग्राम रामपुर जोगा में अवैध पट्टों के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही

2--श्री राम लखित--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर जोगा, पो0 बरौली आटा, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी के अवैध पट्टों के सम्बन्ध में प्रधानकर्ता ने दिनांक 26 फरवरी, 1990 को कोई शिकायती-पत्र समस्त ग्रामवासियों की ओर से मा0 राजस्व मंत्री जी को दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उक्त शिकायती-पत्र और दोषी कर्मचारी ग्राम प्रधान, उप प्रधान के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? पत्र में उल्लिखित पट्टों को कब तक खारिज करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

यद्यपि प्रश्नगत पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता परन्तु जनपद स्तर पर ग्रामवासियों के शिकायती-पत्र दिनांक 19 फरवरी, 1990 एवं 24 फरवरी, 1990 प्राप्त हुये थे।

जांच से 9 आवंटियों के आवंटन अनियमित पाये गये जिनके निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

दोषी पाये गये लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

3—श्री राम ललित—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर जोगा, पोस्ट बरौली, जाटा, जिला बाराबंकी द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर, 1989 को कितनी भूमि आवंटित की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त जमीन किन-किन व्यक्तियों के नाम आवंटित हुई है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा प्रधान ने कोई प्रस्ताव किया था, यह कोरम फर्जी है ? क्या यह सही है कि अधिकारियों ने अपने स्तर से डायरेक्ट पट्टा प्रधान के भतीजे एवं उप प्रधान तथा सदस्यों के नाम कर दिया और नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को पत्रावली नहीं दिखाई गयी ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पट्टा को खारिज करने हेतु ग्रामवासियों ने दिनांक 24 फरवरी, 1990 को एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी बाराबंकी को दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम शरण दास—

प्रश्नगत ग्राम की 16 बीघा 19 बिस्वा 04 बिस्वांसी राम जियावन, हनोमान, बुद्धू, हुसेनी, हिरई, मथुरा, नोहरी कल्लू, काशी, अवधराम, भोला सिंह, इंदर सिंह, राम सिंह, कैलाश, रमेश, मंशाराम, बन्दर, मोलहे, सियाराम, दया राम, रामेश्वर, जगदीश तथा राम सनेही के नाम आवंटित की गई है। कथित प्रस्ताव वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में ही हुआ है और इस प्रस्ताव में प्रधान ने अपने भतीजे रमेश पुत्र पुत्र कंवई तथा उप प्रधान सियाराम पुत्र राम औतार के पक्ष में भूमि आवंटन किया है। आवंटन पत्रावली अनुमोदन के पूर्व परीक्षण हेतु नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी। ग्रामवासियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र की जांच से अनियमित पाये गये 9 पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही अपर कलेक्टर, बाराबंकी के न्यायालय में विचाराधीन है।

बस्ती एवं गोण्डा जनपद का सीमा विवाद

4—श्री अकबाल हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जनपद तथा गोण्डा जनपद का सीमा विवाद बन्दोबस्त अधिकारी बहराइच के यहां लम्बित था ? यदि हां, तो उसमें कोई अन्तिम निर्णय हुआ ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राय शरण दास—

जी हां।

सहायक अभिलेख अधिकारी, बहराइच के समक्ष 36 ग्रामों के सीमा विवाद के मामलों में अन्तिम निर्णय हो चुका है जिसके अन्तर्गत पुनरीक्षित अभिलेख तैयार कराकर सम्बन्धित जनपद के अभिलेखागार में वर्ष 1986 में दाखिल किये जा चुके हैं। शेष 27 मामलों में राजस्व परिषद् के समक्ष निगरानियां विचारधीन हैं।

तहसील जालौन में सीलिंग की भूमि पर गांव सभा का कब्जा

5—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जालौन किन-किन गावों में सीलिंग की कितनी भूमि उपलब्ध है ? क्या सीलिंग की भूमि पर गांव सभा

का कब्जा है ? यदि हां, तो उससे गांव सभा को प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

तहसील जलालपुर के किसी गांव में आबंटन हेतु सीलिंग भूमि उपलब्ध नहीं है संलग्न सूची के 19 गांवों में सीलिंग में प्राप्त अकृषिक 35·64 एकड़ भूमि गांव सभा में निहित की गई है ।

उपरोक्त निहित भूमि पर गांव सभा का कब्जा है ।

चूंकि गांव सभा में निहित भूमि अकृषिक है अतः उस भूमि से कोई आय नहीं होती है ।

(देखिये सप्ली 'क' आगे पृष्ठ 189 पर ।)

ग्राम देवरिया बुद्दू खां तथा बंजनाथपुर ग्रामों के सीमा-निर्धारण किये जाने हेतु जिलाधिकारी देवरिया को निर्देश

6—श्री पुर्णवासी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा देवरिया बुद्दू खां, तप्पा-पटना, परगना-शाहजहांपुर तहसील व जिला-देवरिया के आराजी नं0 309 पर स्थित बंजर जमीन (जो ग्राम की पूर्वी सीमा पर है) के सीमा निर्धारण हेतु तहसील देवरिया के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 1990 को नाप की गयी थी, और नापों के दौरान उक्त ग्राम सभा तथा बगल की ग्राम सभा बंजनाथपुर की सीमा एक दूसरे ग्राम में 80 कड़ी अन्दर चली आ रही थी ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में परगना अधिकारी, देवरिया सदर ने अपने पत्र सं0 514/एस0 टी0-85, दिनांक 17 जनवरी, 1989 द्वारा जो रिपोर्ट जिलाधिकारी देवरिया को प्रेषित की थी, उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? उक्त ग्राम के पूर्वी सीमा का कब तक निर्धारण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जिलाधिकारी देवरिया द्वारा तहसीलदार को ग्राम देवरिया बुद्दू खां तथा बंजनाथपुर दोनों ग्रामों के नक्शों पर बने सभी मार्गों की छानबीन करके तथ्यात्मक रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उक्त ग्रामों के सभी मार्गों की छानबीन की जा रही है । स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् उक्त ग्रामों के सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में नियमानुसार निर्णय किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के उप गन्ना आयुक्त श्री राम मिलन सिंह पर विधायक द्वारा लगाये गये गम्भीर भ्रष्टाचार, सरकारी आदेशों की अवहेलना आदि शिकायतों की अपर गन्ना आयुक्त द्वारा जांच

7—श्री पुर्णवासी—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आरोपित अधिकारी, जांच अधिकारी नहीं हो सकता है यदि हां, तो श्री राम मिलन सिंह उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर मंडल गोरखपुर ने अपने ही विरुद्ध आरोपों (श्री बीरेन्द्र सिंह सोलंकी, विधायक द्वारा लगाये गये गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों, सरकारी आदेशों की अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता से संबन्धित वर्ष 1989 के प्रथम सत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1989 दिन वृहस्पतिवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये सदन में अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय जांच की मांग एवं श्री संकटा प्रसाद यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पिछड़ा, अनुसूचित अल्प संख्यक समाज सुधार समिति एवं अन्य जनप्रतिनिधियों तथा कर्मचारी संगठनों के शिकायतों) की जांच की थी ? यदि हां, तो इस गम्भीर अनियमितता के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जी नहीं । संदर्भित मामले में शिकायतों की जांच के लिए अपर आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम कुंडो जिला वाराणसी की भूमि की पैमाइश की मांग एवं ग्राम की जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति का निर्गमन

8—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कुंडो परगना पन्द्रह जिला वाराणसी चकबन्दी हुए 10/12 वर्ष हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अभी भी 1/4 भाग भूमि की पैमाइश नहीं की गयी है ? इसका क्या कारण है ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

9—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सोनपुरवा परगना पन्द्रह जिला वाराणसी के धारा 52 के प्रकाशन से सम्बन्धित कागजात 8 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हो गये ? यदि हां, तो चकबन्दी विभाग, वाराणसी द्वारा उक्त कागजात अब तक न भेजने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और धारा 52 का प्रकाशन करायेगी ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

सम्बन्धित ग्राम को जिले तहसील एवं राजस्व अभिलेखागार में क्रमशः दिनांक 3 एवं 10 जुलाई, 1979 को जमा की जा चुकी हैं ।

प्रश्नगत ग्राम की चक चकबन्दी अधिनियम की धारा 53(1) के अंतर्गत विज्ञप्ति दिनांक 5 मई, 1978 को निर्गत की जा चुकी हैं ।

जनपद लखीमपुर खीरी, सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

10—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल "सम्पूर्णानगर" जनपद लखीमपुर खीरी के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

दैनिक वेतन पर कार्यरत श्रमिकों के नियमितीकरण का कोई नियम प्राविधान नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील बबेरू में 28 एवं अतर्रा में 43 अवशेष अमल–दरामद के मामले

11—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के तहसीलों अतर्रा, बबेरू, नरैनी के चकबन्दी शुदा गांवों के हजारों की संख्या में परगना अमल–दरामद पड़े हुए हैं और काश्तकारों को उनकी नकल खतौनियां प्राप्त नहीं हो रही हैं ? यदि हां, तो उक्त तहसीलों में कितने ऐसे अमल–दरामदों के मामले बगैर अमल–दरामद पड़े हैं ? क्या इन्हें शीघ्र निस्तारित किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं, अमल–दरामद से सम्बन्धित 71 मामले अवशेष हैं । कृषकों को खतौनियों को नकल प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की सूचना नहीं हैं ।

तहसील बबेरू में 28 तथा अतर्रा में 43 मामले अमल–दरामद हेतु अवशेष हैं । तहसील नरैनी में इस प्रकार का कोई मामला अवशेष नहीं हैं ।

जी हां ।

लगभग तीन माह में अमल–दरामद से सम्बन्धित अवशेष मामलों का निस्तारण हो जाने की आशा हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभारी अधिकारी, टाउन एरिया/परगनाधिकारी फतेहपुर द्वारा श्री मो0 वैस को मट्ठे की गोलाई बनाने हेतु लाइसेंस एवं टाउन एरिया फण्ड में धनराशि जमा करने के आदेश

12--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूखण्ड संख्या 2158, रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा 15 बिस्वांसी स्थित ग्राम फतेहपुर परगना व तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी जो गांव सभा (नवीन परती) की भूमि है, पर तत्कालीन लेखपाल श्री मो0 मोरीन की गलत रिपोर्ट के आधार पर परगनाधिकारी फतेहपुर, बाराबंकी ने ईंट मट्ठा लगाने के लिए श्री मो0 वैस पुत्र मो0 अयूब को अनुमति प्रदान कर दी है ? क्या यह सही है कि उक्त अनुमति के फलस्वरूप जमा की जाने वाली सरकारी धनराशि को गांव सभा कोष में जमा न कराकर अनियमित तरीके से टाउन एरिया कोष में जमा कराने की अनुमति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमितताओं के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

भूखण्ड संख्या 2158/1-8-15, स्थित ग्राम सभा सम्पत्ति है। शासकीय विज्ञप्ति संख्या 6980 (1) टी0 ए0-1483-53, दिनांक 11 अगस्त, 1954 द्वारा जिला बाराबंकी की टाउन एरिया, फतेहपुर में ग्राम फतेहपुर, चक काजीपुर व ब्रह्मनीटोला विहित किये गये हैं। शासनादेश के अनुसार ग्राम फतेहपुर में स्थित भूखण्ड संख्या 2158/1-8-15, टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। ग्राम सभा फतेहपुर देहात तथा ब्रह्मनी टोला के प्रधानों ने उक्त के विरुद्ध समादेश याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पीठ लखनऊ में संस्थित कर स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं? रिट याचिका संख्या 1571/66 विचाराधीन है। प्रभारी अधिकारी टाउन एरिया/परगनाधिकारी, फतेहपुर द्वारा श्री मो0 वैस पुत्र मो0 अयूब को मट्ठे को गोलाई बनाने हेतु लाइसेन्स (वार्षिक) नियमानुसार दिया गया है। टाउन एरिया फण्ड में धनराशि जमा करने का आदेश परगनाधिकारी द्वारा उक्त शासन को विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ लि0, फर्रुखाबाद द्वारा आलू की वास्तविक खरीद

13--श्री राज किशोर सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ लि0, फतेहपुर, फर्रुखाबाद के द्वारा माह मार्च व अप्रैल, 1989 में आलू की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 3500 कुन्तल की फर्जी खरीद दर्शायी गयी है ? यदि हां, तो प्रबन्ध निदेशक के इस कृत्य के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

उ0 प्र0 आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ लि0, फर्रुखाबाद द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 3384 कुन्तल आलू की वास्तविक खरीद की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के श्री पुरुषोत्तम राम सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को प्राविजनल पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान

14--श्री राज किशोर सिंह--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में माह जुलाई सन् 1987 में हेड मास्टर पद से सेवानिवृत्त श्री पुरुषोत्तम राम को प्राविजनल पेंशन एवं ग्रेच्युटी की धन राशि दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी उनको पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि तत्काल दिए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जी हां ।

श्री पुरुषोत्तम राम, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को प्राविजनल पेंशन/पेंशन डियू-डेट से दिया जा रहा है । इनकी ग्रेच्युटी का भुगतान भी कोषागार, गाजीपुर द्वारा किया जा चुका है ।

कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ के मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारी एवं वेतनमान

15--श्री राज किशोर सिंह--

क्या वित्त मंत्री यह बतायेंगे कि निदेशालय कोषागार, उ0 प्र0, लखनऊ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी वेतनमान 515-850 में पांच वर्षों से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं ? क्या उन कर्मचारियों को उनके मूल विभाग वापस करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो इतने अधिक समय से उन्हें उक्त विभाग में बने रहने का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ के मुख्यालय में कोई भी कर्मचारी वास्तव में प्रतिनियुक्ति पर तैनात नहीं है । एक कर्मचारी, जिन्हें सेवाओं के स्थानान्तरण द्वारा लाया गया है, पिछले पांच वर्षों से अधिक अवधि से वेतनमान रु0 515-860 में कार्यरत हैं । कोषागार निदेशालय में उक्त कर्मचारी की सेवाओं की अभी आवश्यकता है । अतः उन्हें उनके मूल विभाग में अभी वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी, तहसील नवाबगंज के श्री अवध नरेश, स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगों का प्रशिक्षण के उपरान्त मण्डला-युक्त द्वारा स्थानान्तरण पर विचार

16--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अवध, नरेश सुपरवाइजर कानूनगो जो अपनी गृह निवास की तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में तैनात थे, को शासन के आदेशों से अन्यत्र तहसील में स्थानान्तरित किया गया था तथा उन्हें पुनः उनकी गृह तहसील में नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

जी हां । श्री अवध नरेश, स्थापना सु0 का0 हैं तथा उनका मूलपद लेखपाल का है । उनकी पत्नी द्वारा उनकी बीमारी के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्र पर विचारोपरांत जिलाधिकारी ने मानवीय आधार पर उन्हें तहसील नवाबगंज में उनके गृह विकास खंड को छोड़कर, विकास खंड, हरख में पुनः स्थानान्तरित कर दिया है । वर्तमान में वह प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई में कानूनगो का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । प्रशिक्षण के उपरान्त उनके स्थानान्तरण पर मण्डलायुक्त द्वारा विचार करके समुचित कार्यवाही की जायगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के ग्राम जगमल जोत के अभिलेखों में जालसाजी के लिए दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

17--श्री रवीन्द्र कुमार सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि जखनिया विधान सभा क्षेत्र के विधायक ने आयुक्त, वाराणसी मण्डल को भेजे गये अपने पत्रांक दिनांक 4 अप्रैल, 1990 में तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर के ग्राम जगमल जोत के अभिलेखों में भारी जालसाजी कर एक सौ सत्ताइस बीघा भूमि हड़पे जाने की शिकायत की है ? यदि हां, तो संबन्धित प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

जी हां । शिकायतों की जांच से 1356 फसली तथा 1364 फसली की खतौनियों में 129 बीघा 6 बिस्वा 1 बिस्वांसी भूमि के सम्बन्ध में खाते बढ़ाकर अनियमित प्रविष्टि व जालसाजी पायी गयी है । मामले की जांच की जा रही है । अभिलेखों में जालसाजी के लिए दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

प्रश्नगत ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है । जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

लखनऊ एवं दिल्ली से बस सेवा को जनपद चमोली को जोड़ने की मांग

18--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद के मुख्यालय को लखनऊ एवं दिल्ली से उ0 प्र0 रोडवेज की सीधी बस सेवाओं से जोड़ने का शासन ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या जनपद चमोली में इसका कार्यान्वयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका कब तक वहां कार्यान्वयन हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बीलवर में परिवहन निगम का डिपो स्थापित किये जाने हेतु उपयुक्त भूमि की तलाश

19—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० परिवहन निगम का डिपो बीलवर (पौड़ी गढ़वाल) में खोलने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या इसका कार्यान्वयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

श्री नगर में डिपो स्थापित किये जाने हेतु उपयुक्त भूमि निगम के पास उपलब्ध नहीं है, जिसके लिये तलाश जारी है ?

20—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[5 वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री इन्द्रसेन त्रिपाठी, प्रशासनिक अधिकारी, हरदोई के शिकायती-पत्र पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश

21—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 मार्च, 1990 को श्री इन्द्रसेन त्रिपाठी, प्रशासनिक अधिकारी, हरदोई-उन्नाव-कानपुर प्रा० बस आपरेटर्स एसो-सिएशन, हरदोई का शिकायती-पत्र बाबत गबन-टैक्स प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

शिकायती-पत्र में यात्रीकर अपवंचना के संदर्भ में उठाये गये बिन्दुओं की जांच-पड़ताल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

अलीगंज, लखनऊ की कतिपय भूमि का मूल्य आवंटी से जमा न कराने और शासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

22—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1983 में अलीगंज, लखनऊ स्थित भवन संख्या ई-तीन/849 के आवंटी से अन्य आवंटियों की भांति रु० 5.50 प्रति वर्ग फुट की दर से लगी अतिरिक्त भूमि का मूल्य जमा कराने का निर्णय लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण को भूमि का मूल्य जमा कराने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो लगभग सात वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शासन के निर्देश का पालन क्यों नहीं किया गया ? शासन अपने उक्त निर्णय का पालन लखनऊ विकास प्राधिकरण से तत्काल कराएगा और वर्ष 1988 में ही अन्य आवंटियों के साथ भूमि का मूल्य उक्त आवंटी से जमा न कराने और शासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

चूंकि प्राधिकरण की नीति अतिरिक्त भूमि का मूल्य आबंटी से बाजार दर पर लिये जाने की थी, अतः प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव पर शासन से पुनर्विचार का अनुरोध किया जो अभी विचाराधीन है । विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

जनपद फतेहपुर की तहसील खागा में सर्वेक्षण कार्य के बाद ग्रामों में चकबन्दी कार्य

23—संध्यद लियाकत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की तहसील खागा के कितने ग्राम चकबन्दी योग्य हैं, जहां अभी चकबन्दी नहीं हुई है ? सरकार ऐसे ग्रामों में कब तक चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ करायेगी ?

श्री राम शरण दास—

जनपद फतेहपुर की तहसील खागा के 120 ग्राम ऐसे हैं जहां अभी चकबन्दी प्रारम्भ नहीं की जा सकी है । अभी तक सर्वेक्षण न होने के कारण चकबन्दी योग्य ग्रामों की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के पश्चात् चकबन्दी योग्य ग्रामों में चकबन्दी किया जाना सम्भव होगा ।

24—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[6वें शुक्रवार में अता० प्र० सं 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के ग्राम सभा मुड़ियार के ग्राम समाज की भूमि विषयक श्री महेश्वर पाण्डेय, एम० एल० सी० के पत्र में अंकित बिन्दुओं की जांच

25—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सम्बोधित श्री महेश्वर पाण्डेय, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 23 जून, 1989 ग्राम सभा मुड़ियार, तहसील बस्ती, जनपद बस्ती के ग्राम समाज की भूमि विषयक प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में अंकित बिन्दुओं की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जांच तहसीलदार, बस्ती द्वारा की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य का स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा

26—श्री अनुग्रह नारायण सिंह, राकेशधर त्रिपाठी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि इलाहाबाद के मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य श्री वाई0 वी0 एम0 राव ने 2 मार्च, 1990 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ? यदि हां, तो इस्तीफा देने का कारण क्या है ? उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य डा0 वाई0 वी0 एन0 राव ने दिनांक 2 मार्च, 1990 को स्वेच्छा से समय पूर्व सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर, तहसील महाराजगंज के मृतक नायब तहसीलदार की पत्नी को पेंशन स्वीकृत कराने की कार्यवाही

27—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के मृतक नायब तहसीलदार श्री अवधेश मिश्र की पत्नी श्रीमती गुलइची देवी को पेंशन दिये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां । श्रीमती गुलइची देवी पत्नी स्व0 श्री अवधेश मिश्र, नायब तहसीलदार को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक प्रपत्र जिला स्तर पर तैयार कर लिये गये हैं । अपने फोटो के सत्यापन हेतु श्रीमती गुलइची देवी के उपस्थित न होन के कारण पेंशन प्रपत्र स्वीकृति हेतु भेजे नहीं जा सके । उनके पुत्र द्वारा वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति करायी जा रही है, जिसके उपरान्त पेंशन स्वीकृत कराने की कार्यवाही यथाशीघ्र करायी जायेगी ।

कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत के प्रबन्धक लक्ष्मीचन्द्र गुप्ता का निलम्बन, बहाली एवं पदोन्नति

28—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा संचालित कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत के प्रबन्धक श्री लक्ष्मी चन्द्र गुप्ता के खिलाफ गबन, सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति के गबन के आरोप थे और क्या वे वर्ष 81 से 86 तक निलम्बित रहे ? यदि हां; तो क्या यह सही है कि इन पर गम्भीर आरोपों के होते हुये भी वर्ष 1986 में उन्हें बहाल कर इसी फैक्ट्री में प्रबन्धक के पद पर कार्य दे दिया गया और मार्च 1988 में वरिष्ठ प्रबन्धक बना दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत के तत्कालीन प्रबन्धक श्री लक्ष्मी चन्द्र गुप्ता को कतिपय वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में दिनांक 6 अक्तूबर, 1982 को निलम्बित किया गया। अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त तत्कालीन प्रशासक समिति के निर्णय के अनुपालन क्रम में दिनांक 16 मई, 1986 को बहाल किया गया। आयुर्वेद की तकनीकी योग्यता रखने के कारण श्री गुप्ता की मूल नियुक्ति प्रबन्धक पद पर कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत के लिये ही की गयी थी। अतएव बहाल होने के उपरान्त श्री गुप्ता को रानीखेत कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री में ही तैनात किया गया। चूंकि श्री गुप्ता के विरुद्ध अन्तिम रूप से कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाये थे। अतः उन्हें प्रोन्नति हेतु पात्र पाये जाने की स्थिति में दिनांक 16 सितम्बर, 1987 को तदर्थ एवं अस्थायी आधार पर वरिष्ठ प्रबन्धक, कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत के पद पर पदोन्नति दी गयी।

29—श्री ऊदल—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ज़िला वाराणसी की अराजी नं0 827, 848 पर अवैध कब्जे हटाने के सम्बन्ध में यथा वश्यक कार्यवाही

30—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि क्या गांव तरसड़ा परगना चन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी की अराजी नं0 827, 848 जो प्रा0 प0 तरसडा की जमीन है? क्या वह सही है कि उनके कुछ हिस्से को वीरेन्द्र पुत्र परसोत्तम गांव तरसड़ा जोतते हैं और बबुआ दलसिंगार, मोहन रामजतन उर्फ बांके उसी नम्बरान में मकान बना रहे हैं तथा अभय शंकर पम्पिग सेट लगा रहे हैं। क्या इस सम्बन्ध में गांव की जनता ने परगना अधिकारी उत्तरी वाराणसी को एक प्रार्थना-पत्र 15 फरवरी, 1990 को दिया है? यदि हां, तो अब तक कोई जांच अथवा कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी और अवैध कब्जा को हटाने की आज्ञा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

गाटा संख्या 827 प्राइमरी पाठशाला के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। गाटा संख्या 848, श्री राम औतार आदि की संक्रमणीय भूमिधारी अंकित है।

गाटा संख्या 827 के 0-02 एकड़ पर परसोत्तम पुत्र गंगा, 0-02 एकड़ पर बबुआ पुत्र जंराम, 0-03 एकड़ पर भागीरथी पुत्र नरोत्तम यादव, 0-02 एकड़ पर सूयंबली पुत्र रूप नरायन क्षत्रिय का अनधिकृत कब्जा है। इसके अतिरिक्त 0-10 एकड़ पर सर्वजीत पुत्र चिरकिट द्वारा पम्पिग सेट आदि लगाकर कब्जा किया गया है। अभय शंकर द्वारा पम्पिग सेट लगाये जाने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। जिला कार्यालय में प्रश्नगत प्रार्थना पत्र, दिनांक 15 फरवरी, 1990 का प्राप्त होना नहीं पाया गया।

अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने के वाद सक्षम न्यायालय में पंजीकृत कर दिये गये हैं। निर्णयोपरान्त अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम हसनपुर मोपापुर की सरकारी समितियों के सचिवों के प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र का कार्यवाही हेतु अध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्रेषण

31—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियां ग्राम हसनपुर मोपापुर गाजियाबाद के सचिवों का मुख्य मंत्री को सम्बोधित समूहिक प्रार्थना-पत्र दिनांक 15 फरवरी, 1989 शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े व कमजोर वर्गों तथा अल्प संख्यकों द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के तत्वावधान में गठित सहकारी आवास समितियों द्वारा क्रय की गयी भूमि पर आवासीय कालोनी के विकास हेतु अनमति की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत अनुमति दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। आवास समितियों द्वारा क्रय की गयी भूमि पर विकास कार्य की अनुमति संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा शासनादेशों में निर्धारित नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार प्रदान की जाती है। तदनुसार प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को समुचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

32—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

फार्मेसी पाठ्यक्रम के व्याख्याताओं को विनियमित किये जाने की मांग

33—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विनियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप 1 मई, 1983 से पूर्व फार्मेसी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त व्याख्याताओं का विनियमितीकरण नहीं किया गया है जबकि अन्य पाठ्यक्रमों के व्याख्याताओं का विनियमितीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो फार्मेसी पाठ्यक्रम के व्याख्याताओं का विनियमितीकरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। फार्मेसी पाठ्यक्रम के साथ-साथ कुछ अन्य पाठ्यक्रमों के व्याख्याताओं का विनियमितीकरण अभी नहीं किया जा सका है।

इन व्याख्याताओं का विनियमितीकरण सम्बन्धित शासनादेश में वांछित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति न हो सकने के कारण अभी नहीं किया जा सका है।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय अवकाश प्राप्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को देय बीमा का भुगतान

34—श्री पंचानन राय—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री केदार नाथ राय तथा राजदेव सिंह अवकाश प्राप्त ग्राम पंचायत अधिकारी जनपद आजमगढ़ को सामूहिक बीमे की धनराशि के भुगतान से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 जनवरी, 1990 निदेशक राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

सर्वश्री केदार नाथ राय तथा राजदेव सिंह को देय बीमा की धनराशि का चेक मुलतान हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भेज दिया गया है।

राजकीय पालीटेक्निक कालेज जिला जौनपुर के लिए अधिग्रहीत की गयी भूमि का प्रदत्त मुआवजा

35—श्री असगर तथा श्री कवल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक कालेज, मुबारक पट्टी जगदीशपुर जिला जौनपुर के लिए जमीन अधिग्रहीत की गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि हरिजन विधवा, महिलायें तथा गरीब पिछड़ी जातियों की जमीन को ही लिया गया है और अभी तक कई लोगों का मुआवजा नहीं दिया गया है ? क्या माननीय हाईकोर्ट ने तथा जिला जौनपुर के माननीय जज ने मनोरमा देवी व शारदा देवी को मुआवजे की धनराशि वहां के बाजार रेट को देखकर बढ़ा दिये जाने का निर्णय दिया है ? यदि हां, तो उक्त मुआवजा आज तक क्यों नहीं दिया गया ? क्या राजस्व परिषद ने सभी जिलाधीशों व भूमि अध्याप्ति अधिकारियों को आदेश दे रखा है कि जमीन अधिग्रहीत करते वक्त जिनकी जमीन ली जाये उनके परिवार से एक-एक व्यक्ति को श्रेणी 3 व 4 की नौकरी का भी एप्वाइन्ट कराया जाये ? यदि हां, तो भूमि अध्याप्ति अधिकारी जौनपुर ने इसका पालन क्यों नहीं किया ?

श्री राम शरण दास—

जी हां।

जी नहीं। जिन भू-स्वामियों की भूमि अर्जित की गयी है उसमें हरिजन, विधवा महिलाओं तथा गरीब पिछड़ी जातियों के अतिरिक्त कायस्थ ब्राम्हण व ठाकुर जाति के भी लोग हैं। नियमानुसार सभी पात्र भू-स्वामियों को मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है।

जिला जज ने प्रतिकर की धनराशि केवल मनोरमा देवी बेदारसालिक पुत्र लालजी के रेफरेंस प्रार्थना-पत्र पर बढ़ा दिया है जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में फर्स्ट अपील विचाराधीन है। शारदा देवी का ऐसा कोई वाद नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14 दिसम्बर, 1988 द्वारा स्थगन आदेश दिया था इस कारण प्रतिकर नहीं दिया गया स्टे वैकेट हो जाने पर बढ़ायी गयी धनराशि जिला जज के न्यायालय में दिनांक 3 मई, 1989 को जमा कर दी गयी है।

अर्जित की गई भूमि पर राजकीय पालीटेक्निक स्थित है जो एक प्राविधिक शिक्षण संस्था है। इस प्रकरण में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गयी है फिर भी जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा प्राचार्य राजकीय पालीटेक्निक को इस सम्बन्ध में यथा सम्भव आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

जिला उन्नाव के तहसील हसनगंज के लेखपाल व कानूनगो का स्थानान्तरण

36--श्री राम पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि ग्राम--देवीपुर, परगना--गौरिन्दा परनन्दन, तहसील--हसनगंज, जिला उन्नाव के लेखपाल व कानूनगो पिछले 15 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कार्मिक विभाग की स्थानान्तरण नीति के अनुसार तहसील के समस्त लेखपाल व कानूनगो का स्थानान्तरण 5 वर्ष की तैनाती के उपरान्त करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

जी नहीं, प्रश्नगत ग्राम के लेखपाल व कानूनगो गत 6 व 7 वर्ष से कार्यरत थे जिनका अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है । तहसील हसनगंज में केवल 6 लेखपाल ही अपने क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं । उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

37--श्री राम कुमार शुक्ला--

[5 वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त पर्यटन डिप्लोमा प्राप्त नवयुवकों को पर्यटन विभाग की नियुक्तियों में वरीयता

38--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त पर्यटन डिप्लोमा प्राप्त युवकों को पर्यटन विभाग में सेवा में वरीयता दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां । सरकार द्वारा सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पर्यटन विषय में डिप्लोमा रखने वाले युवकों को पर्यटन विभाग के अन्तगत कतिपय सम्बन्धित पदों पर नियुक्तियों में वरीयता प्रदान की जाती है । ऐसी संस्थाओं में कुमाऊं विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 कृषक सहकारी समिति कर्मचारी संघ सीतापुर के कर्मचारियों की मांगे एवं उन पर कृत कार्यवाही

39--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 कृषक सहकारी समिति कर्मचारी संघ, सीतापुर के कर्मचारियों की मांगों के बारे में प्रश्नकर्ता के परिपत्र के साथ कोई मांग पत्र फरवरी 1989 में उन्हें मिला है ? यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

मांग तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 190पर)

सचिवालय के टेलीप्रिन्टर आपरेटरों को अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नत किये जाने की मांग

40—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सचिवालय स्थित टेलीप्रिन्टर सेल का कार्य दिनांक 31 मई, 1981 से दिनांक 11 मार्च, 1985 के मध्य राजस्व को हस्तान्तरित कर दिये जाने के कारण सचिवालय प्रशा0 (अधि0) अनु-4 के आदेश सं0 12580/20-ई-60-29 (नियुक्ति)/80, दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 द्वारा नियुक्त 32 टेलेक्स/टेलीप्रिन्टर आपरेटरों को (वर्तमान में अवर वर्ग सहायक का वेतनमान दे दिये जाने के बावजूद) शासनादेश सं0 3880, दिनांक 14 अगस्त, 1980 के अनुसार पदोन्नति के संदर्भ में उनकी नियुक्ति की तिथि दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 से ज्येष्ठता के अनुसार अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति न देकर उन्हें टेलीप्रिन्टर आपरेटर मानते हुए तदनुसार कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता को दूर करते हुए उक्त टेलीप्रिन्टर आपरेटरों को दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 से ज्येष्ठता देते हुए अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जी हां । आदेश दिनांकित 14 जुलाई, 1980 टेलेक्स/टेलीप्रिन्टर आपरेटरों पर लागू नहीं होते हैं । प्रश्न में उल्लिखित तिथि 14 अगस्त, 1980 सही नहीं है ।

जी नहीं ।

ऐसी प्रोन्नति हेतु नियमों व आदेशों में कोई प्राविधान नहीं है । टेलीप्रिन्टर आपरेटर एवं अवर वर्ग सहायक के अलग-अलग संवर्ग हैं । यह बात अलग है कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-4 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-832/20-ई-4-1989, दिनांकित 7 मार्च, 1989 द्वारा टेलेक्स, टेलीफोन, टेलीप्रिन्टर आपरेटरों के वेतनमान को उच्चीकृत करके अवर वर्ग सहायक के वेतनमान के समकक्ष कर दिया गया है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह पद और अवर वर्ग सहायक के पद परस्पर स्थानान्तरणीय हो गये हैं अथवा इसके आधार पर इन पद-धारकों को पूर्वगामी तिथि से प्रोन्नति दी जानी चाहिये थी । उत्तर प्रदेश सचिवालय में दिनांक 26 नवम्बर, 1988 के आदेश द्वारा टंकक के पदों को समाप्त कर उन्हें अवर वर्ग सहायक संवर्ग में संविलोन कर दिया गया है । पूर्व में टंककों की अवर वर्ग सहायक के पदों पर प्रोन्नति तत्समय विद्यमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही की गई है ।

टेलीप्रिन्टर आपरेटरों को दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 से ज्येष्ठता के अनुसार अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नत करने का कोई औचित्य नहीं है ।

लखनऊ-बहराइच तथा लखनऊ-गोण्डा मार्ग की बसों को गनेशपुर चौराहे पर रोके जाने के निर्देश

41—श्री शिवकरन सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच से लखनऊ जाने वाली सभी बसों को बाराबंकी के गनेशपुर चौराहे पर रोकने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

लखनऊ क्षेत्र द्वारा संचालित लखनऊ-बहराइच तथा लखनऊ-गोण्डा मार्ग की सभी बसों का फेयर स्टाप गनेशपुर चौराहा पर पूर्व से निर्धारित है। इसके अतिरिक्त अधिकांश बसें फैजाबाद क्षेत्र की उक्त मार्ग पर संचालित हो रही हैं, जिन्हें गनेशपुर चौराहा पर रोककर यात्रियों को चढ़ाने-उतारने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड हरैया के श्री सन्त प्रसाद राय तथा श्री चिरकुट राय के नाम फर्जी ऋण वितरण सम्बन्धी प्रइनगत विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

42—श्री पंचानन राय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0 बछअर सिल्लू, विकास खण्ड हरैया, जनपद आजमगढ़ में किसानों के नाम फर्जी ऋण निकाले जाने से सम्बन्धित प्रइनकर्ता के दो पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1990 सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, आजमगढ़ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

साधन सहकारी समिति लि0 बछअर सिल्लू के सदस्य श्री सन्त प्रसाद राय तथा श्री चिरकुट राय के नाम फर्जी ऋण वितरण सम्बन्धी श्री पंचानन राय, विधायक के पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1990 को जांच अंपर जिला सहकारी अधिकारी, तहसील सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ से करायी गयी। जांच में श्री सन्त प्रसाद राय के नाम रु0 2400 00 रुपया सही तथा 4851·00 रु0 का ऋण फर्जी तथा श्री चिरकुट राय के नाम 456·00 रु0 सही एवं 5144 00 रु0 का ऋण फर्जी पाया गया। फर्जी पाये गये ऋणों की अध्यावधि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री रवीन्द्र नाथ लाल (मृतक) की सम्पत्ति से उनके उत्तराधिकारी एवं उनके स्थान पर नियुक्त सचिव श्री महेन्द्र नाथ लाल से वसूल करके जमा कर दी गयी है, तथा वर्तमान सचिव को निर्देशित कर दिया गया है कि फर्जी पाये गये ऋण की धनराशि ब्याज सहित श्री सन्त प्रसाद राय तथा श्री चिरकुट राय के खातों से घटा दी जाय।

जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा बिजौरा व ग्राम सभा मतेहू के अन्तर्गत कस्टोडीएन की जमीन की जांच की मांग

43—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील गाजीपुर, जनपद गाजीपुर के गांव सरांव उर्फ हुंदरगंज, ग्राम सभा बिजौरा व ग्राम सभा मतेहू के अन्तर्गत कस्टोडिएन की जमीन, क्रमशः आ0 नं0 236/9 व 10/1028/2, 1034/2, 1035, 1036, 1289/2, 1292/2, 1294, 1036/2 व 1038 तथा 1299/3 व 1147, 478, 707, 689 694, 696 तथा मतेहू में आ0 नं0 416, 516/2, 618, 598, 599 किसी के नाम बंदोबस्त कर दी गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और पूरी जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

44—श्री श्याम देव राय चौधरी डाबा—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

45—श्रीमती सिया दुलारी—

[4थे गुरुवार में अता० प्र० सं० 126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद बरेली में आवास एवं विकास परिषद् की कतिपय योजनाओं के अन्तर्गत फ्री होल्ड सुविधा

46—श्री किशन सिंह तड़ागी—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में आवास एवं विकास परिषद् की योजनाओं में लीज पर आवंटित अनेक भवनों तथा भूखण्डों को लीज से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार की व्यवस्था केवल बरेली जनपद में ही लागू किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बरेली जनपद में आवास एवं विकास परिषद् की चार योजनाओं में से आइवट नगर योजना संख्या 1 के अन्तर्गत फ्री होल्ड की सुविधा दी गई । उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में मेरठ की मोहनपुरी योजना संख्या 4 एवं इस्लामाबाद योजना संख्या 5, देहरादून की, नेहरू नगर योजना संख्या 2 तथा आगरा की घटवासन, योजना के अन्तर्गत फ्री होल्ड की सुविधा प्रदान की गयी है ।

जनपद वाराणसी में कतिपय मार्गों पर वाराणसी से निजी बसों हेतु परमिट जारी किये जाने की मांग

47—श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी), श्री दया शंकर तथा श्री सत्य प्रकाश सोनकर—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में वाराणसी से थानापुर, सैदपुरघाट कमालपुर एवंती, नादी आदि सम्बन्धित मार्ग की निजी बस संचालकों को परमिट वाराणसी से उक्त मार्गों पर चलाने के लिए जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों पर निजी बसें विधिवत् चलाई जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्ष 1984 के माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार वाराणसी से प्रवणगत स्थानों के लिए परमिट निजी बसों को नहीं दिये गये । इन मार्गों का वाराणसी से अलीनगर तक का भाग राष्ट्रीयकृत होने के कारण निजी बसों को परमिट नहीं दिये जा सके । अतः वाराणसी से इन मार्गों पर संचालन विधिवत् नहीं है ।

श्री बलराम यादव, अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सतर्कता जांच रिपोर्ट पर निलम्बन एवं बहाली

48—श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी—

क्या शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय के (श्री डी० आर० यादव) अधिशासी अभियन्ता को विजिलेन्स रिपोर्ट पर निलम्बन

मे वर्ष 1990 के आरम्भ में निलम्बित किया था व समस्त औपचारिकतायें पूरी किये बगैर ही मई, 1990 से पहले बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, श्री दवनराम यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सतर्कता जांच की रिपोर्ट पर निलम्बित किये जाने के आदेश दिनांक 6 फरवरी, 1990 को दिये गये थे तथा पुनःविचार के पश्चात् दिनांक 22 मार्च, 1990 को उन्हे बहाल किये जाने के आदेश दिये गये ।

जनपद फैजाबाद में ग्राम के चकों का सीमांकन कराने के सम्बन्ध में तत्कालीन राजस्व राज्य मंत्री के पत्र पर कार्यवाही किये जाने की मांग

49—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर पुवारी, परगना हवेली, तहसील व जनपद–फैजाबाद में धारा 23 के अन्तर्गत चकबन्दी के सम्बन्ध में पुष्टिकरण वर्ष 1986 में हो चुका है तथा इस ग्राम की चक निगरानियों तक का निस्तारण कर दिया गया है, किन्तु अभी तक इस ग्राम के चकों का सीमांकन एक बार भी नहीं कराया गया है ? क्या उक्त ग्राम का सीमांकन कार्य समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन राजस्व राज्य मंत्री का दिनांक 12 अक्तूबर, 1989 का पत्र उप संचालक, चकबन्दी, फैजाबाद को मिला था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहायक अभिलेख अधिकारी, फैजाबाद के पद पर स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर की तैनाती

50—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभिलेख अधिकारी, फैजाबाद दिनांक 30 जून, 1989 को सेवा निवृत्त हो गये ? यदि हां, तो उक्त पद पर समकक्ष अधिकारी की तैनाती कब की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

सहायक अभिलेख अधिकारी, फैजाबाद के पद पर श्री शम्भू शंकर श्रीवास्तव, स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर की तैनाती दिनांक 29 मई, 1990 से कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

51–52—श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद बाराबंकी में समय–सारिणी के अनुसार तिथिवार बसों की ट्रिपें, ट्रिपों के स्थगन के कारण एवं सुधार

53—श्री शिव करन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जनपद बाराबंकी में समय सारिणी के अनुसार माह मार्च, 1990 में तिथिवार कितनी बसें चलीं ? किन–किन

कारणों से कितनी निरस्त हुई ? क्या सरकार इसमें सुधार के लिए कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी हेतु समय-सारिणी के अनुसार कुल मिला 50 ट्रिपों का संचालन माह मार्च, 1990 में निर्धारित था। इनके विरुद्ध तिथिवार संचालन ट्रिपों का विवरण क्रमशः निम्नवत् है :—

38, 25, 30, 32, 34, 38, 36, 36, 31, 27, & 35, 31, 37, 45, 31, 40, 36, 39, 37, 32, 37, 31, 36, 37, 32, 34, 36 42, 28, 41,

शेष ट्रिपों का संचालन वाहनों में तकनीकी खराबी, अनुबंधित बस के साप्ताहिक अवकाश पड़ जाने, होली के त्यौहार पर अत्यधिक संख्या में चालक/परिचालक के अवकाश पर चले जाने के कारणों से स्थगन हुआ है।

जी हां।

स्थगन के कारणों को दूर किया जा रहा है। यू० पी० की बसें समाप्त हो गई हैं व बसों की तकनीकी अवस्था में भी सुधार आया है।

जनपद बाराबंकी के राम नगर के ग्राम सिहाली में सरकारी बसों की पूर्व की भांति सुविधा

54-श्री शिव करन सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र राम नगर के सिहाली में सरकारी बसों की सुविधा पूर्व की भांति सुचारु रूप से चलाने तथा दो बसें अतिरिक्त बढ़ाने की व्यवस्था सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र राममगर के ग्राम सिहाली में सरकारी बस की सुविधा पूर्व की भांति किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित् की जा रही है।

दो अतिरिक्त बसें बढ़ाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस मार्ग का लोडफैक्टर फरवरी, 1990 में 54%, मार्च, 1990 में 56%, तथा अप्रैल, 1990 में 62% ही प्राप्त हुआ है। अतः यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए अभी इस मार्ग पर अतिरिक्त बसों के लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

55-श्री राम रति बिन्द—

[6 वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर में शक्कर विशेष निधि योजना के अन्तर्गत कतिपय सड़कों पर खड़ंजा स्तर तक का निर्माण-कार्य

56—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल जनपद बुलन्दशहर, में शक्कर निधि योजना के अन्तर्गत पैंटिंग स्तर तक के निर्माण हेतु स्वीकृत 1-अमरगढ़ से करयारी से पिलखनी, 2-अमरगढ़ से मंगलपुर, 3-ऊंचागांव से खम्भौड़ी, 4-नगला मदारीपुर से कपसाई, 5-अनूपशहर बीच नहर से भगवन्तपुर, 6-अनूपशहर बीच नहर से मऊवा खेड़ा, 7-पाली आलमबगढ़ी से बोलतपुर, 8-दिवाना खुर्द से

बौलतपुर, 9–अमरपुर से खातपुर, 10–गेसूपुर से खानपुर, 11–ईलना से सौजना लाया, सड़कों पर खड़ंजा का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या शक्कर निधि योजना को पूर्ण करने हेतु उपरोक्त खड़ंजा सड़कों के पैंटिंग स्तर तक के निर्माण हेतु अनूपशहर चीनी मिल को विशेष अनुदान ऋण के रूप में स्वीकृत करके मंत्री जी उपरोक्त सड़कों का पैंटिंग स्तर तक निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास––

प्रश्नगत 11 सड़कों (सम्पर्क मार्गों) में से केवल 3 मार्ग क्रम संख्या–4, 7 व 9 हेतु शक्कर विशेष निधि से धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिन पर खड़ंजा स्तर तक का निर्माण–कार्य पूर्ण हो चुका है ।

इन सम्पर्क मार्गों तथा अन्य सम्पर्क मार्गों जिनमें खड़न्जा स्तर तक का निर्माण–कार्य पूर्ण हो चुका है में पैंटिंग कार्य कराने का निर्णय धन की उपलब्धता एवं रोड इम्पलीमेन्टेशन कमेटी द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर ही किया जा सकेगा ।

57–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)––

[दि0 26 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 103 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के निर्वाचन क्षेत्र 72 निघासन में अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को अहेतुक सहायता प्रदान किए जाने की मांग

58–श्री निरवेन्द्र कुमार––

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि निर्वाचन क्षेत्र 72 निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी में हुए अग्नि काण्ड दिनांक 23 मई, 1986, 17 अप्रैल, 1986 म बेला टायर में 74 मकान तथा अतरिया में 44 मकान अग्नि से प्रभावित हुये जिसमें गृह अनुदान क्रमशः 14,800/–तथा 8,800/– दिया गया परन्तु अहेतुक सहायता उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई ? क्या इनको अहेतुक सहायता प्रदान की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास––

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

नियमानुसार अहेतुक सहायता प्रभावित परिवारों को भुखमरी की स्थिति से बचाने के लिए वितरित की जाती है । वर्तमान में प्रभावित परिवार भुखमरी की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब अहेतुक सहायता वितरित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

समस्त जनपदों में गांव समाज की भूमि के फर्जी पट्टों को निरस्त कर भूमिहीनों एवं खेतिहर मजदूरों में वितरित किये जाने की मांग

59––श्री शिव कुमार बेरिया––

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 5524–बी–5/48/81, दिनांक लखनऊ, 8 जुलाई, 1982 गांव समा की भूमि के सम्बन्ध में कोई राजाज्ञा दुर्गेश जीशा, अपर उप भूमि व्यवस्था आयुक्त द्वारा जारी की गई थी, जिसमें पहाड़ी

जिलों को छोड़कर समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दिये गये थे कि यदि उनके जनपदों में स्कूलों के नाम पर गांव समाज की भूमि के फर्जी तौर पर पट्टे हुए हैं तो उन्हें निरस्त कर सम्बन्धित भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया जावे ? यदि हां, तो इसके अनुपालन में ऐसे किन-किन जनपदों की फर्जी स्कूलों में लगी भूमि के स्कूलों से लेकर कितने भूमिहीनों को आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब सरकार इसमें उक्त राजाज्ञा के अनुपालन में कार्यवाही करेगी ?

श्री रामशरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

60—श्री शिव कुमार बेरिया—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि कानपुर देहात जनपद के अन्तर्गत ग्राम अमिलिहा, तहसील बिल्हौर में गांव समाज की 33 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि फर्जी तौर पर दिनांक 5 अप्रैल, 1967 को आदर्श शिक्षा समिति, तातियागंज, अमिलिहा शिक्षण संस्थान के नाम आवंटित दिखाई गई है, जिस भूमि को नियमानुसार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरित होना चाहिये था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजाज्ञा के अनुसार फर्जी तौर पर आदर्श शिक्षा समिति, तातियागंज, अमिलिहा शिक्षण संस्थान की भूमि ग्राम समाज में निहित करा कर भूमिहीनों में वितरित करायेगी, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

61—श्री संगम लाल शुक्ला—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

बदायूं जनपद के उझियानी नगर में बस स्टैण्ड निर्माण की मांग

62—श्री कृष्ण स्वरूप वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि बदायूं जनपद के उझियानी नगर में, जिसकी आबादी 40 हजार है, बस स्टैण्ड नहीं है ? यदि हां, तो उक्त नगर में कब तक बस स्टैण्ड की स्थापना हो जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

निगम की वर्तमान नीति के अनुसार नये बस स्टैण्ड का निर्माण नहीं कराया जाना है।

बदायूं जनपद के उझियानी नगर में बाई पास पर चेक पोस्ट स्थापित है जहां से गुजरने वाली बसें रुक कर यात्रियों को चढ़ने-उतरने की सुविधा प्रदान करती हैं।

किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर (पीलीभीत) में कार्यरत स्थायी सीजनल, अस्थायी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विवरण

63—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर में विभिन्न वर्षों में कितने स्थायी, अस्थायी व दैनिक वेतनभोगी तथा सीजनल व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त चीनी मिल में विभिन्न वर्गों में कितने

कर्मचारी बीसलपुर तहसील के बाहर के कार्य कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति का आधार क्या है ?

श्री राम शरण दास--

किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर (पीलीभीत) में कुल 751 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 238 स्थायी, 453 सीजनल, 9 अस्थायी एवं 51 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं ?

कार्यरत कर्मचारियों में से 114 स्थायी, 190 सीजनल, 2 अस्थायी तथा 17 दैनिक वेतन भोगी कुल 323 कर्मचारी बीसलपुर तहसील के बाहर के हैं। नियुक्तियां अभ्यर्थियों की निर्धारित अर्हता एवं अनुभव के आधार पर की गई हैं ?

किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर (पीलीभीत) के वर्तमान पेराई सीजन का पूर्ण विवरण

64--श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर (पीलीभीत) का वर्तमान पिराई सीजन किस दिन प्रारम्भ हुआ और आज तक कितने दिन फैक्ट्री बन्द रही ?, क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस फैक्ट्री की पेराई क्षमता क्या है तथा वर्तमान पेराई सत्र में अब तक गन्ने की कितनी पेराई की गई ? शक्कर उत्पादन सत्र का अब तक प्रतिशत क्या है और पिछले वर्ष क्या था ?

श्री राम शरण दास--

किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर (पीलीभीत) का वर्तमान पेराई सीजन 5 जनवरी, 1990 को प्रारम्भ हुआ और दिनांक 18 जून, 1990 तक की अवधि में फैक्ट्री 240 घन्टे बन्द रही। इस मिल की पेराई क्षमता 12,500 कुन्टल प्रतिदिन है और वर्तमान पेराई सत्र में दिनांक 18 जून, 1990 तक मिल ने 19,25,615 कुन्टल गन्ने की पेराई की है। उक्त तिथि तक शक्कर उत्पादन का प्रतिशत 8.34 है जो पिछले वर्ष 9.58 था।

पीलीभीत के जिला गन्ना अधिकारी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता सहस्र के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

65--श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या गन्ना मंत्री को पीलीभीत के जिला गन्ना अधिकारी के विरुद्ध दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 के अन्दर प्रश्नकर्ता का उनके विरुद्ध जांच की मांग करते हुए शिकायती-पत्र संलग्नक सहित मिला है ? यदि हां, तो उन शिकायतों की क्या जांच की गई और उनका क्या परिणाम निकला ? क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि शिकायतों की जांच उक्त अधिकारी को हटाये बिना सम्भव नहीं है, उक्त जिला गन्ना अधिकारी को तुरन्त स्थानान्तरित करेंगे ?

श्री राम शरण दास--

जी हां।

शिकायती-पत्र पर जांच के निर्देश दे दिये गये हैं।

उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण अन्य जनपद में कर दिया गया है।

सहकारी चीनी मिल, पुवायां, जनपद शाहजहांपुर के नियमित कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

66—श्री चेतराम—

क्या चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल, पुवायां, जनपद शाहजहांपुर के कर्मचारियों की प्रारम्भ से अब तक की ज्येष्ठता सूची बनायी गयी है ? क्या ज्येष्ठता सूची के अनुरूप कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिये गये हैं ? क्या यह सच है कि परियोजना अवधि से कार्यरत अनेकों मिल कर्मी आज भी नियुक्ति पत्र से वंचित हैं व बाद में सेवा में आये कर्मचारी विनियमित कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करा के ज्येष्ठता क्रम को नजर अन्दाज करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं। ज्येष्ठता सूची नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की ही बनाई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हां। परियोजना अवधि से कार्यरत कुछ मिल कर्मियों को वांछित योग्यता एवं कार्यकुशलता न होने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं दिये जा सके हैं और कुछ बाद में सेवा में आये योग्य तथा तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों को नियमित रूप से नियुक्त किया गया है। ज्येष्ठता का निर्धारण नियमित नियुक्ति के पश्चात् से किया जाता है। नियुक्ति के पूर्व ज्येष्ठता का कोई प्रश्न नहीं है। अतः इस प्रकरण में किसी अधिकारी कर्मचारी को दण्डित करने का भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में ओबरा व रेनुकूट वन प्रभाग से तेन्दू पत्ता विक्रय से प्राप्त बिक्रीकर

67—श्री विजय सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में क्रमशः ओबरा और रेनुकूट वन प्रभाग से तेन्दू पत्ता विक्रय से केन्द्रीय बिक्रीकर और प्रान्तीय बिक्रीकर के मद में कितना राजस्व वर्ष 1987 से मार्च, 1990 तक प्राप्त हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद सोनभद्र में वर्ष 1986-87 से मार्च, 1990 तक तेन्दू पत्ता विक्रय से ओबरा एवं रेनुकूट वन प्रभागों से निम्नांकित बिक्रीकर प्राप्त हुआ :

	ओबरा वन प्रभाग		रेनुकूट वन प्रभाग	
वर्ष	प्रान्तीय	केन्द्रीय	प्रान्तीय	केन्द्रीय
1986-87	613514.00	शून्य	..	..
1987-88	शून्य	..	1281610.11	..
1988-89	..	..	857406.74	..
1989-90	..	..	435824.67	..
योग ..	613514.00	शून्य	2574841.52	..

68श्री विजय सिंह--

[7 वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव एवं जिला अधिकारी कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

69--श्री नजम उद्दीन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के तहसील-सोरांव में तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारी निर्धारित वर्षों से अधिक समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार क्या इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव में तृतीय श्रेणी के 3 कर्मचारी निर्धारित समय से अधिक अवधि से कार्यरत हैं, जिनमें से 2 का स्थानान्तरण किया जा चुका है और एक कर्मचारी को शासकीय कार्य के हित में इस वर्ष स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

70--श्री नजम उद्दीन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के जिला अधिकारी कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक एक ही पद/स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

जनपद इलाहाबाद के जिला कार्यालय में 78 कर्मचारी निर्धारित अवधि से अधिक समय से कार्यरत थे, जिनमें से 54 का इस वर्ष स्थानान्तरण किया जा चुका है तथा 4 कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति निकट होने के कारण तथा शेष 20 कर्मचारियों को शासकीय कार्य के हित में इस वर्ष स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

71--श्री राम प्रसाद सिंह--

[6वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

72--श्री शिव करन सिंह--

[दि० 26-6-90 को अता० प्र० सं० 166 द्वारा उत्तरित]

जिला एटा, गन्ना सहकारी समिति के सेवा-निवृत लेखाकार, श्री शिव सरन लाल श्रीवास्तव को ग्रेच्युटी का भुगतान एवं सचिव के विरुद्ध कृत कार्यवाही

73--श्री शिव करन सिंह--

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव सरन लाल श्रीवास्तव, सेवा-निवृत्त लेखाकार, गन्ना सहकारी समिति, न्योली, जिला एटा को 31 जनवरी, 1987 को सेवामुक्त हुये थे और अपना ग्रेच्युटी का क्लेम 12 अप्रैल, 1987 को प्रस्तुत किया था,

का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया ? श्री शिव सरन लाल का भुगतान कब तक किया जायेगा ? क्या विलम्ब के लिये दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जांचोपरान्त पाया गया कि मामले में सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समिति द्वारा प्रस्ताव अपूर्ण भेजा गया था जिसके लिये जीवन बीमा निगम को पत्राचार करना पड़ा । इस प्रकरण में समिति स्तर पर विलम्ब पाया गया जिसके लिये समिति के सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है तथा श्री शिव सरन लाल श्रीवास्तव को प्रेचयुटी का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था कर दी गई है ।

जनपद बदायूं की तहसील बदायूं में किसानों पर दायर मुकदमों के सम्बन्ध में दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही किये जाने की मांग

74—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि बदायूं तहसील अन्तर्गत ग्राम धर्मपुर में भूमिहीन किसानों को पट्टे दिये जाने के बाद उन्हीं किसानों पर तहसील के विभागीय अधिकारियों ने जमींदारी विनाश कानून की धारा 122-बी० के अन्तर्गत मुकदमे दायर कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वहां के काश्तकारों ने इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन जिला प्रशासन को अप्रैल, 1990 में दिया है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जनपद बदायूं की तहसील बदायूं के अन्तर्गत ग्राम धर्मपुर नाम से कोई राजस्व ग्राम नहीं है बल्कि ग्राम बड़ला संजन का धर्मपुर मजरा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नये मण्डलों/जिलों/तहसीलों के सृजन पर भारत सरकार द्वारा 30 जून, 1991 तक लगायी गयी रोक

75—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं जनपद में उसाव तहसील का सृजन हो रहा है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जायेगा और इसमें कौन-कौन सा क्षेत्र शामिल होगा ?

श्री राम शरण दास—

प्रदेश में नये मण्डलों/जिलों/तहसीलों के सृजन पर विचार कर संस्तुति देने का प्रश्न अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष है ।

जनगणना के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा 30 जून, 1991 तक नई प्रशासनिक इकाइयां स्थापित करने पर रोक लगा दी गयी है । अतएव उसके पूर्व कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ?

बरेली, थाना बारादरी के अन्तर्गत रोडवेज बस से दबे कर मरे बालक के परिवार को प्रदत्त मुआवजा

76—डाक्टर विनय जोहरी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि एक बालक नन्हें पुत्र श्री मन्शाराम, निवासी फालतूनगंज, बरेली 9 फरवरी, 1990 को थाना बारादरी के अन्तर्गत रोडवेज की बस से दबकर मर गया था ? यदि हां, तो क्या मृतक के परिवार को 50 हजार रुपये मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 140 के अन्तर्गत 25 हजार रुपये दिये जाने का प्राविधान है । उक्त प्राविधान के अनुसार 25,000 रु० की धनराशि का चेक जिलाधिकारी, बरेली को मृतक के परिवार को भुगतान करने हेतु दिनांक 3 मई, 1990 को भेजा जा चुका है ।

गढ़-दिल्ली मार्ग पर नये परमिट जारी किये जाने हेतु उक्त दोनों राज्यों के बीच निर्धारित शर्तें

77—श्री अकबर—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि देहली-गढ़ रोड पर जितनी बसें 1960 में थीं उतनी ही आज हैं जिससे लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? क्या यह सही है कि नये परमिट के खिलाफ पुराने बस मालिकान स्टे ले आते हैं ? क्या सरकार ऐसे कानून बनाने की योजना पर विचार करेगी कि जिससे बस मालिकान नये परमिट लेने के कार्य में बाधा न डाल सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

देहली-गढ़ रोड पर वर्ष 1960 की तुलना में आज अधिक बसें चल रही हैं । नये परमिटों के विषय किसी "स्टे" की जानकारी नहीं है । वर्तमान में शासन के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । गढ़-दिल्ली मार्ग एक अन्तर्राज्यीय मार्ग है जिस पर दोनों राज्यों के बीच समझौते में निर्धारित शर्तों एवं संख्या के अनुसार ही परमिट दिए जा सकते हैं ।

जिला गाजियाबाद के ब्रिजघाट एवं अन्य कथित ग्रामों में रोडवेज बस अड्डा बनवाये जाने की मांग

78—श्री अकबर—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि ब्रिज-घाट सिकन्दराबली व पिलखुवा व हापुड़ जिला गाजियाबाद में रोडवेज के स्टापेज हैं, लेकिन वहां पर बसें नहीं रुकती हैं ? क्या सरकार के पास ब्रिजघाट पर रोडवेज बस अड्डा बनाने की योजना है ? यदि हां, तो बस अड्डा कब बनेगा । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

ब्रिजघाट, सिम्भावली, पिलखुवा व हापुड़ में परिवहन निगम का स्टापेज है। इन स्थानों पर परिवहन निगम की बस रुकती है।

जी नहीं।

डिपो स्टेशनों को छोड़कर अन्य स्थानों पर बस स्टॉप निर्माण कराये जाने की परिवहन निगम की नीति नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि0, लखनऊ द्वारा जिला प्रबन्धक, सहायक सामान्य प्रबन्धक एवं उप सामान्य प्रबन्धक पदों पर कार्यरत अधिकारियों को प्रदत्त वेतन वृद्धियां

79—श्री अख्तर—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि0, लखनऊ ने शाखा प्रबन्धकों में से वर्ष 1976, 1981 और उसके पश्चात् जिला प्रबन्धक, सहायक सामान्य प्रबन्धक एवं उप सामान्य प्रबन्धक पदों पर तदर्थ आधार पर उत्तरोत्तर प्रोन्नतियां की हैं ? क्या उक्त सभी प्रोन्नति आदेश अब भी प्रभावी है ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों पर तदर्थ प्रोन्नत से कार्यरत सभी अधिकारियों को प्रोन्नत पद का वेतनमान एवं वेतन वृद्धियां दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

जी हां।

केवल जिला प्रबन्धक पद पर 1981 में 9, 1983 में 3, 1984 में 2 एवं 1987 में 8, कुल 22 प्रोन्नत शाखा प्रबन्धकों को प्रोन्नत पद का वेतनमान एवं वेतन वृद्धियां नहीं दी जा रही हैं। शेष अन्य पदों पर प्रोन्नत अधिकारियों को प्रोन्नत पद का वेतनमान एवं वेतन वृद्धियां दी जा रही हैं।

वर्ष 1981 में बैंक में कुल 28 जिला प्रबन्धक के पद प्रोन्नति कोटे में आते थे जिन पर अधिकारी पूर्व से प्रोन्नति के उपरांत कार्यरत थे। सीधी भर्ती के कोटे में तत्समय उपलब्ध पदों पर बैंक कार्य के तहत में 22 शाखा प्रबन्धकों को जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं, तदर्थ आधार पर प्रोन्नत कर दिया गया जिन्हें प्रोन्नति कोटे में पदों के अभाव में प्रोन्नति पद का वेतनमान एवं वृद्धियां दिया जाना नियमानुसार उचित नहीं था, अस्तु उन्हें बैंक द्वारा रु0 75 प्रतिशत स्थानापन्न भत्ता स्वीकृत कर दिया गया।

प्रदेश की जेलों से बन्दियों के पलायन के सम्बन्ध में निलम्बित अधीक्षक और कारापाल के विरुद्ध गृत विभागीय कार्यवाही

80—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 के प्रारम्भिक चार माहों में प्रदेश के जेलों से कैदियों के भागने अथवा भगाने की घटनायें हुई ? यदि हां, तो इन घटनाओं का विवरण क्या है ? भागने के बाद कितने कैदी पकड़े गये और इन मामलों के उत्तरदायी किन-किन अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माह जनवरी, 1990 से अप्रैल, 1990 के मध्य, प्रदेश की जेलों से 7 बन्दियों के पलायन की घटनायें घटी हैं । विवरण संलग्न है । इन 7 बन्दियों में से 2 बन्दी पुनः पकड़े जा चुके हैं । पलायन की इन घटनाओं के सम्बन्ध में तीन अधीक्षक और एक कारापाल निलम्बित किए गए और विभागीय कार्यवाही की जा रही है । एक अधीक्षक का स्थानान्तरण किया गया और विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ. . पर)

गाजीपुर जिले में नई तहसील स्थापित किये जाने पर विचार

81—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में एक नई तहसील जखनिया खोलने की मांग वर्षों पूर्व से की जा रही है ? यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

वर्ष 1982-83 में अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित "उत्तर प्रदेश में तहसीलों का सृजन तथा पुनर्गठन समिति द्वारा जनपद गाजीपुर में किसी नयी तहसील के स्थापित करने की संस्तुति नहीं की गयी थी ।

वर्ष 1989 में पुनः अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में मंडलों/जिलों/तहसीलों के सृजन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसकी संस्तुति प्रतीक्षित है ।

जनगणना के कारण नई प्रशासनिक इकाइयां स्थापित करने एवं प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन पर भारत सरकार ने 30 जून, 1991 तक प्रतिबन्ध लगाया है, अतएव इसके पश्चात् ही विचार किया जाना सम्भव होगा ।

मुरादाबाद से बिलारी एवं चन्दौसी-बिलारी के मध्य संचालित बसें एवं बसों की संख्या बढ़ाने की मांग

82—चन्द्र विजय सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र विधान सभा 31 कुन्दरकी के तहसील मुख्यालय बिलारी से मुरादाबाद एवं बिलारी से चन्दौसी के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा कितनी लोकल बसें चलायी जा रही हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि लम्बे रूट पर आने-जाने वाली कितनी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों का बस स्टाप बिलारी में है ? क्या सरकार का उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम की लोकल बसों को वहां बढ़ाने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लम्बे रूट से आने-जाने वाली उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बसों का स्टापेज बिलारी में भी करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मुरादाबाद से बिलारी एवं चन्दौसी-बिलारी के मध्य 17 शटल बसें संचालित की जा रही हैं ।

अभी बसों का फेयर बस स्टाप बिलारी में है ।

मार्ग पर यात्रियों की संख्या को देखते हुये अभी बसें बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

लम्बे रूप की परिवहन निगम की इस मार्ग से होकर आने जाने वाली सभी बसों का फेयर स्टाप बिलारी में है।

परिवहन निगम झांसी क्षेत्र में जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर चालक पद पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों/कर्मचारियों पर लगाये गये झूठे आरोप एवं चालक पद हेतु बनायी गयी ट्रेड लिस्ट

83—श्री धनी राम वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन निगम, झांसी क्षेत्र में वर्ष 1987 से मार्च, 1990 के मध्य चालक पद पर अधिकांशतः फर्जी शैक्षिक योग्यता/आयु प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को भारी संख्या में अपात्र लोगों को चयनित किया गया जिनके प्रमाण-पत्रों को सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्रति-हस्ताक्षरित/सत्यापित नहीं कराया गया और तमाम लोगों को चालक पद पर नियमित कर दिया गया ? यदि हां, तो उक्त औपचारिकतायें पूर्ण न कराकर अनियमित रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों तथा इन अनियमितताओं के लिये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

जाली प्रमाण-पत्रों आदि के आधार पर चालक पद पर नियुक्त किये जाने का कोई भी मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। अब चयनकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

84—श्री धनी राम वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन निगम के झांसी क्षेत्र में निर्धारित नार्म्स से अधिक संख्या में चालक होते हुये भी जनवरी, 1990 में चालक पद पर ट्रेड टेस्ट लेकर लगभग एक सौ लोगों की प्रतीक्षा सूची बनायी गयी जिसमें अधिकांश अभ्यर्थियों को फर्जी शैक्षिक योग्यता/आयु प्रमाण-पत्रों तथा फर्जी लाइसेंस/पी० एस० वी० के आधार पर भर्ती किया गया ? यदि हां, तो दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध (अधिकारियों/कर्मचारियों/अभ्यर्थियों) क्या कार्यवाही गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

चालक पद हेतु प्रश्नगत अवधि में ट्रेड टेस्ट नियमानुसार ही आयोजित किया गया था। यह चयन भविष्य में सम्भावित रिक्तियों की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया था ताकि चालकों के अभाव में बस सेवाओं का संचालन कुप्रभावित न हो सके। मानक का पालन नियुक्ति हेतु किया जाता है जबकि चयन की कार्यवाही आगामी आवश्यकताओं के आधार करनी पड़ती है। फर्जी शैक्षिक योग्यता/आयु प्रमाण पत्र/फर्जी लाइसेंस/पी एस वी के आधार पर भर्ती नहीं की गयी।

इस सम्बन्ध में किसी चयनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया किन्तु फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की कार्यवाही अवश्य की गयी ।

उ0 प्र0 परिवहन निगम झांसी के क्षेत्रीय एवं सेवा प्रबन्धक के विरुद्ध प्रश्नगत मामले की जांच

85—श्री राम आसरे पासवान—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वश्री जे0 एन0 सिंह क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं एस0 के0 एस0 गौतम सेवा प्रबन्धक उ0 प्र0 परिवहन निगम झांसी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के परिवाद दिनांक 6 अप्रैल, 1990 के सम्बन्ध में जांचोपरान्त इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक कर ली जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नकर्ता को दिनांक रहित परिवाद माह अप्रैल 1990 प्राप्त हुआ है । प्रश्नगत मामले की जांच अतिरिक्त प्रधान प्रबन्धक (संचालन) द्वारा की जा रही है ।

झांसी क्षेत्र के परिवहन निगम में निलम्बित कर्मचारियों को समस्त लाभों का भुगतान

86—श्री अतर सिंह यादव—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि निगम मुख्यालय के परिपत्र, संख्या 198(1) दिनांक 29 जनवरी, 1987 के अनुपालन में झांसी क्षेत्र के किन-किन निलम्बित कर्मचारियों जिन्हें अधिकारिता न होते हुए 19 जून, 1981 से 20 दिसम्बर, 1986 के मध्य निलम्बित किया गया था एवं जो अनन्तिम रूप में बहाल किए गए थे, को निलम्बित अवधि का पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया तथा किन-किन लोगों को भुगतान नहीं किया गया ? जिन लोगों को प्रश्नगत अवधि के अवैध निलम्बन की अवधि को समस्त लाभों सहित सवेतन मानते हुए अवशेष वेतन का भुगतान नहीं हुआ है उनको अवशेष वेतन कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? तदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत अवधि में वर्णित परिपत्र के अनुपालन में झांसी क्षेत्र में 62 निलम्बित कर्मचारियों के निलम्बन आदेश वापस लिये गये तथा उन सबको निलम्बन अवधि का शेष भुगतान समस्त लाभों सहित किया जा चुका है । परिपत्र की परिधि में आने वाले किसी भी कर्मचारी का सम्बन्धित भुगतान शेष नहीं है ।

123 अन्य कर्मचारी भी इस अवधि में निलम्बित हुये थे किन्तु उनके अनुशासनिक प्रकरणों का निस्तारण, परिपत्र जारी होने के पूर्व हो चुका था । अतः उन्हें भुगतान किया जाना नियमानुसार आवश्यक नहीं रह गया ।

प्रश्नगत निलम्बन आदेश अवैध नहीं रह गये क्योंकि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न नियुक्ति प्राधिकारी) अध्यादेश 1987 दिनांक 17 मई, 1987 द्वारा इन्हें पूर्व प्रभाव से ही वैधता प्रदान की जा चुकी है । तथा उक्त अध्यादेश उ0 प्र0 विधान मण्डल द्वारा अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1987 के रूप में अनुमोदित हो चुका है ।

अतः अब भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं की तहसील बदायूं में अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को अहेतुक सहायता/गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान का वितरण

87—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद की बदायूं तहसील में वर्ष 90 के जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल माह में किन-किन ग्रामों में आग लगी, एवं उनमें से किस-किस को कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री राम शरण दास—

जिलाधिकारी बदायूं की सूचनानुसार जनपद बदायूं की तहसील बदायूं में माह जनवरी, फरवरी, मार्च व अप्रैल, 1990 में क्रमशः 33, 25, 32 व 93 ग्रामों में अग्निकांड की घटनायें हुई, जिनमें क्रमशः 67, 73, 58 एवं 610 परिवार प्रभावित हुए। अग्निकाण्ड पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने का प्राविधान नहीं है। दैवी आपदा में नियमानुसार एवं पात्रतानुसार अहेतुक सहायता, गृह अनुदान तथा अनुग्रह अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। जिला प्रशासन द्वारा अग्निकाण्ड प्रभावितों में से माह जनवरी में 35 व्यक्तियों को 6,900 रु0 अहेतुक सहायता, इन्हीं में से 24 व्यक्तियों को 4,800 रु0 गृह अनुदान व 7 व्यक्तियों को 6,750 रु0 अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया।

माह फरवरी में 52 लोगों को 10,900 रु0 अहेतुक सहायता, 50 व्यक्तियों को 10,800 रु0 गृह अनुदान तथा 3 व्यक्तियों को 11,250 रु0 अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया।

माह मार्च में 33 व्यक्तियों को 7,200 रु0 अहेतुक सहायता, 27 व्यक्तियों को 5,400 रु0 गृह अनुदान तथा 3 व्यक्तियों को 13,500 रु0 अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया।

माह अप्रैल, 1990 में 455 व्यक्तियों को 1,71,150 रु0 अहेतुक सहायता में इन्हीं में से 405 व्यक्तियों को 91,400 रु0 गृह अनुदान व 13 व्यक्तियों को 13,000 रु0 अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया।

जनपद हरदोई, ग्राम सभा सुन्नी के चकबन्दी विभाग में बन्दोबस्त जिल्द एवं चक फींगरें बनाने वाले दोषी लोगों को दण्डित किये जाने की मांग

88—श्री राम पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सुन्नी, ब्लाक कछौना, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई में चकबन्दी विभाग ने अपनी बन्दोबस्त जिल्द के अनुसार तथा कृषकों के चक रकबा के अनुसार चक फीगरें बनाई है ? यदि नहीं, तो क्या जाँच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सुन्नी, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई में चकबन्दी विभाग ने चकबन्दी करके बन्दोबस्त जिल्द व नक्शा तहसील सण्डीला भेज दिए हैं ? यदि हां, तो कृषकों को कब्जा सम्बन्धी कागज (कार्म नं0 25, 41, 45) आज तक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक उन्नाव के कैडर व बैंक स्तर के गम्भीर दोषपूर्ण कार्यों से सम्बन्धित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

89—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक लि0, उन्नाव ने उनको सम्बन्धित पत्र जिसकी प्रतिलिपि निबन्धक एवं सदस्य सचिव को भी दी गई है, जिसमें दिनांक 1 फरवरी, 1990 एवं दिनांक 11 अप्रैल, 1990 को कैडर व बैंक स्तर के गम्भीर दोषपूर्ण कार्यों आदि के बाबत शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर हुई कार्यवाही से मंत्री जी अवगत करायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक उन्नाव ने अपने पत्र दिनांक 1 फरवरी, 1990 द्वारा अनुरोध किया था कि श्री रमाशंकर राय सचिव/महा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक राय बरेली की उन्नाव बैंक में नियुक्ति सम्बन्धी आदेश को बैंक हित में वापस लिए जायं । रायबरेली जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने भी निबन्धक सहकारी समिति उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया कि श्री राय का स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया जाय । अतः श्री राय को रायबरेली से कार्यमुक्त किये जाने पर बल नहीं दिया गया । उन्नाव बैंक के अध्यक्ष के दूसरे पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1990 के द्वारा श्री एस0 एन0 श्रीवास्तव तत्कालीन सचिव/प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया । उक्त पत्र में इस बात की भी चर्चा की गई कि श्री अरविन्द कुमार मिश्र, वरिष्ठ प्रबन्धक का स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया जाय । श्री एस0 एम0 श्रीवास्तव तत्कालीन सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उन्नाव द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के कारण पूर्व से की जा रही प्रारम्भिक जांच के आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है श्री अरविन्द कुमार मिश्र, वरिष्ठ प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उन्नाव को जनहित में जिला सहकारी बैंक रामपुर को स्थानान्तरित किया गया था । सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक द्वारा श्री मिश्र को दिनांक 30 मार्च, 1990 को कार्यमुक्त कर दिया गया । बैंक के अध्यक्ष ने उक्त कार्यमुक्त आदेश को निरस्त कर दिया जाय । अध्यक्ष के इस आदेश को उपनिबन्धक (केन्द्रीय) सहकारी समितियां, लखनऊ मण्डल ने अपने उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 128(1) के अधीन अग्रिम आदेशों तक निष्प्रभावी कर दिया ।

उक्त आदेश के विरुद्ध बैंक के अध्यक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है जिसमें दिनांक 28 मई, 1990 को माननीय उच्च न्यायालय ने अग्रिम आदेशों तक उपनिबन्धक (केन्द्रीय), सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशों का कार्यान्वयन रोक दिया है । इस प्रकार श्री मिश्र का स्थानान्तरण सम्बन्धी मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय ग्रामों में राजस्व विभाग द्वारा ग्राम समाज की भूमि का अवैध पट्टा किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र की जांच

90—श्री हरिशंकर तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सुकरौली, विकास खण्ड गगहा, जनपद गोरखपुर के राजस्व ग्राम सरया, महुलिया, देवापार एवं जगदीशपुर तप्पा मंजुरी, परगना धुरियापार, तहसील गोला गोरखपुर में राजस्व विभाग के अधिकारियों/

कर्मचारियों द्वारा ग्राम समाज की भूमि एवं तालाब का फर्जी व गलत विधि से पट्टा किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उक्त ग्राम सभा के प्रधान के शिकायती-पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 1989 तथा दिनांक 30 मार्च, 1990 मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उन शिकायतों में वर्णित तथ्यों की जांच करा ली गई है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम के आधार पर कौन सी कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है तो कब तक की जायेगी ?

श्री राम शरण दास--

प्रश्नगत ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि का फर्जी पट्टा किये जाने का मामला प्रकाश में आया है, परन्तु तालाब के पट्टे के सम्बन्ध में कोई आवंटन पत्रावली उपलब्ध नहीं है । परगनाधिकारी के स्थलीय जांच के दौरान रामदेव यादव को कथित तालाब गाटा संख्या 29/0-95 में मत्स्य पालन करते पाया गया, जिससे उसे विरत रहने का आदेश देते हुए परगनाधिकारी के न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है । प्रश्न में अंकित राजस्व ग्राम महुलिया नहीं अपितु महुनिया सही है ।

ग्राम प्रधान सुकतौली का शिकायती-पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 1989 तथा दिनांक 30 मार्च, 1990 प्राप्त हुआ है । दिनांक 20 सितम्बर, 1989 का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता है । शिकायती-पत्रों की जांच कराई गई है ।

जांच से यह पाया गया कि प्रश्नगत ग्रामों के कुल 11 भूखंडों, रकबा 4·66 एकड़ का अनियमित आवंटन उसी गांव सभा के 16 व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है । जिनके निरस्तीकरण का वाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गोरखपुर के न्यायालय में विचाराधीन है । साथ ही सम्बन्धित लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है ।

वि किसान सहकारी चीनी मिल अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर में कार्यरत एक जूनियर कर्मचारी को गन्ना निरीक्षक के पद पर पदोन्नति

91--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्य प्रकाश शर्मा अनोखे लाल शर्मा, स्थायी गन्ना लिपिक वि किसान सहकारी चीनी मिल अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर में 1977 से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त से जूनियर अनेक कर्मचारी गन्ना निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त श्री सत्य प्रकाश शर्मा को पदोन्नति न किए जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक पदोन्नति करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

जी हां ।

श्री सत्य प्रकाश शर्मा से कनिष्ठ मात्र एक कर्मचारी को गन्ना निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है ।

गन्ना विपणन कार्य के अनुभव का अभाव ।

अर्हता प्राप्त होने तथा रिक्ति होने पर ।

कतिपय दिनांकों में माननीय लोक निर्माण मंत्री के साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री की यात्रा एवं हेलीकाप्टर पर कुल व्यय रुपये

92—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सही है कि दिनांक 31 जनवरी, 7 फरवरी, 1990 और 25 मार्च, 1990 को उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा जनपद बाराबंकी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हेलीकाप्टर से आए। यदि हां, तो उनके साथ दूसरे मंत्री कौन थे और उन्होंने किन-किन स्थानों के कार्यक्रमों में भाग लिया तथा इन कार्यक्रमों में हेलीकप्टर के प्रयोग पर कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के साथ दिनांक 7 फरवरी, 1990 व 25 मार्च, 1990 की यात्राओं में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मुख्तार अनीस भी साथ थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिनांक 7 फरवरी, 1990 को राम सनेही घाट में उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन तथा दिनांक 25 मार्च, 1990 को जैदपुर, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण स्थान पर शिलान्यास व उसी दिन सिरौली-गौसपूर नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण स्थान पर शिलान्यास माननीय लोक निर्माण मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित समारोहों में किया।

प्रसंगत तिथियों में की गयी यात्राओं में हेलीकाप्टर के ईंधन पर कुल रुपया 2,466.00 खर्च हुये।

बांदा जनपद में पांच मार्गों पर सीधी बस सेवा चलाये जाने की मांग

93—डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का बांदा जनपद में रोडवेज बस बस चलाने के सम्बन्ध में दिनांक 2 फरवरी, 1990 का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, कौन-कौन से मार्गों पर रोडवेज की बसों का चलाया जाना स्वीकार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

प्रश्नकर्ता द्वारा पांच मार्गों पर सीधी सेवा चलाये जाने की मांग की गयी थी इनकी मार्गवार स्थिति निम्नवत् है :—

1—कलिंजर-फैजाबाद सेवा—इस सेवा का संचालन माननीय विधायक की लिखित सहमति पर कलिंजर से कानपुर चलाया गया था। वर्तमान में कलिंजर से फैजाबाद के यात्री कलिंजर से कानपुर एवं कानपुर से फैजाबाद की लिंक सेवाओं का लाभ पा रहे हैं।

2—करतल-इलाहाबाद सेवा—इस मार्ग पर करतल से अतर्रा एवं अतर्रा से इलाहाबाद पर्याप्त सेवायें उपलब्ध हैं करतल के यात्री उक्त लिंक सेवाओं का लाभ पा रहे हैं। करतल से सीधे पर्याप्त यात्री न मिलने के कारण सेवा का संचालन लाभप्रद नहीं है।

3—बांदा से कोहार तक बसोसा सेवा—बांदा से बसोसा तक पर्याप्त निगम बसों का संचालन किया जा रहा है बसोसा से कोहार तक 14 किमी० मार्ग संचालन योग्य न होने के कारण बस सेवा चलाना संभव नहीं है।

4—मरेनी-अनघुआ-देवरार-अतर्रा चक्कोय सेवा—मरेनी बांदा अतर्रा-बांदा एवं मरेनी-अतर्रा मार्ग पर निगम सेवायें संचालित हैं। मार्ग अनुरूप संचालन में अनघुआ देवरार के मध्य पड़ने वाला मार्ग संचालन योग्य न होने के कारण पक्की रोड बनने तक सेवा चलाना संभव नहीं है।

5—अतर्रा-लखनऊ—इस सेवा का संचालन पूर्व में किया गया था। किन्तु लाभ संतोषजनक न आने के कारण इस सेवा को निगम हित में पुनः बांदा से लखनऊ चलाया जा रहा है। अतर्रा के यात्री बांदा आ कर लखनऊ की सीधी सेवाओं का लाभ पा रहे हैं।

जिला मिर्जापुर कारागार में स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी के आश्रित को बन्दी रक्षक पद पर नियुक्ति के आदेश

94—श्री ऊदल, श्री अस्सर—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर कारागार में महिला बन्दी गृह में रक्षक के पद पर कार्यरत श्रीमती निर्मला देवी की 27 नवम्बर, 1987 को मृत्यु हो गई है? क्या सरकार शासनादेशों के मुताबिक महिला के आश्रित अशोक कुमार को विभाग में नियुक्ति देने की कृपा करेगी? क्या इन्होंने सभी प्रमाण-पत्रों के साथ महानिरीक्षक जेल, उत्तर प्रदेश को 4 मई 1988 को प्रार्थना-पत्र दिया है जिस पर महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश ने अपने अ0 शा0 प0 सं0 15687/का0-2, दिनांक 21 जून, 1989 के द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी को लिखा है कि इनको मृतक नियमावली के अन्तर्गत सेवा करने की आज्ञा दी जायेगी? अब तक महिला के आश्रित अशोक कुमार को सेवा में न लिये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार इनको नियुक्ति के आदेश देगी?

श्री मातबर प्रकाश—

जी हां।

शासनादेश के मुताबिक महिला बन्दी रक्षक के आश्रित श्री अशोक कुमार को बन्दी रक्षक पद पर तैनाती के आदेश दिनांक 22 जून, 1990 को अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

जी हां।

जब इनका साक्षात्कार दिनांक 26 जून, 1989 को लिया गया तो उसमें यह अयोग्य पाये गये जिसके कारण इन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

श्री अशोक कुमार को बन्दी रक्ष0 पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 22 जून, 1990 को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जिला वाराणसी, तहसील औराई में प्रख्यात आराजी की भूमि पर परगनाधिकारी के आदेश

95—श्री ऊदल तथा श्री असगर—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि मौजा नरहुआ ता0 असनाव, प0 सदोही, प0 अमरुद, जिला वाराणसी की आराजी नं0 153, रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा 15 धूर जो असनाव के पूरे में अंकित है उसमें 1 बीघा 16 बिस्वा 1 धूर में 15 व्यक्तियों की

बहुत पुरानी आबादी है ? क्या नायब तहसीलदार, ज्ञानपुर, वाराणसी को ने जांच करके अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1887 को परगनाधिकारी, ज्ञानपुर, वाराणसी को दे दी है ? यदि हाँ, तो अब तक आबादी दर्ज क्यों नहीं की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर आबादी दर्ज करने की आज्ञा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

प्रश्नगत आराजी की भूमि पर परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 3 नितम्बर, 1987 द्वारा 1 बीघा 13 बिस्वा पर नहर, 2 बीघा 4 बिस्वा 11 धुर पर आबादी, 5 बिस्वा पर वसीयतोत का नाम दर्ज किया गया है । शेष 1 बीघा पर ब्रह्मदेई पट्टेदार का नाम अंकित है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के शासनादेशानुसार स्थानान्तरण, गन्ना पर्यवेक्षकों गन्ना विकास निरीक्षकों को स्थानान्तरित किये जाने, गन्ना कार्यालय में पदों के सृजन, रिक्त पदों की भरे जाने सम्बन्धी आवश्यक निर्देश एवं लिपिकों के स्थानान्तरण का वर्ष निर्धारित किये जाने की माँग

96—श्री दशरथ सिंह—

क्या गन्ना मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव उ0 प्र0 के अर्द्धशा0 प0 सं0–16/2/1980–कार्मिक–2, दिनांक 11 अप्रैल, 1983 व अर्द्धशा0 प3 सं0 14/1/1984 दिनांक 17 अप्रैल, 1985 तथा शासनादेश सं0 14/1/94, दिनांक 17 फरवरी, 1988 एवं शासनादेश संख्या 14/1/84–कार्मिक–2, दिनांक 31 मार्च, 1989 के परिपालन में विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासनादेश संख्या 14/1/90–कार्मिक–2 दिनांक 16 मार्च, 1990 का परिपालन सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

शासन के इन निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरण किये गये हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता हैं ।

97—श्री दशरथ सिंह—

क्या गन्ना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग में कितने गन्ना पर्यवेक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक नियमों के विपरीत अपने गृह परिक्षेत्र गृह जनपद में तथा एक ही स्थान पर गत 5 वर्षों से अधिक समय से हैं और उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है ? क्या मन्त्री जी शासन द्वारा निर्गत "स्थानान्तरण नीति" विषयक आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा जिन अधिकारियों द्वारा उसका पालन नहीं किया गया उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम शरण दास—

शासनादेश संख्या 2623 सी0 डी0/छियालिस, दिनांक 4 जून, 1988 द्वारा गन्ना ग्राम्य सेवकों के संवर्ग को समाप्त कर दिया गया तथा उस समय उस संवर्ग के 3404 कर्मियों का गन्ना पर्यवेक्षकों के संवर्ग में संविलयन कर दिया गया। इस संविलयन के पूर्व अधिकांश।

गन्ना ग्राम सेवक अपने गृह परिक्षेत्र/गृह जनपदों में कार्यरत थे । गन्ना पर्यवेक्षकों को सेवा नियमावली के अनुसार इन्हें अपने गृह जनपद से अन्यत्र तैनात होना चाहिये । इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं, किन्तु अपने गृह जनपद में पूर्व से तैनात ऐसे कर्मियों की संख्या इस संवर्ग में बहुत अधिक होने से एक साथ ही सभी को हटा देना न तो व्यवहारिक है और न ही जनहित में है । इसमें अत्यधिक वित्तीय भार भी निहित है ।

जहां तक गन्ना विकास निरीक्षकों का प्रश्न है, अपवाद स्वरूप इने-गिने गन्ना विकास निरीक्षक अपने गृह जनपदों में, विशिष्ट परिस्थितियों में तैनात हैं, जिन्हें भी अपने गृह जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जहां तक 5 वर्षों से अधिक समय से किसी एक कार्य क्षेत्र में तैनात रहने का प्रश्न है, ऐसे भी मामले बहुत कम हैं और ऐसे कर्मियों को भी अन्यत्र स्थानान्तरित करने का निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं । उक्त परिप्रेक्ष्य में, इस सन्दर्भ में कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

98—श्री दशरथ सिंह—

क्या गन्ना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फील्ड स्टाफ के कर्मचारियों को परिक्षेत्र स्तर के कार्यालयों, जिला-स्तर के कार्यों के लिए उपगन्ना आयुक्त स्तर कार्यलयों एवं गन्ना आयुक्त कार्यालय में सम्बद्ध करके उनसे लिपिक वर्गीय कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या फील्ड स्तर पर कार्य करने के लिए कर्मचारी पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों उनके कार्यालयों में सम्बद्ध करके जनता का कार्य अवरुद्ध किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या उनको फील्ड में कार्य करने हेतु भेजा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

नये स्वीकृत कार्यालयों में आवश्यक पदों की स्वीकृति के अभाव में एवं सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति करने में विलम्ब के कारण क्षेत्र से कर्मचारियों को न्यूनतम संख्या में सम्बद्ध किया जाता है । आवश्यक पदों के सृजन, रिक्त पदों को नियमित रूप से भरने तथा सम्बद्ध कर्मचारियों को क्षेत्र में वापस भेजने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

99—श्री दशरथ सिंह—

क्या गन्ना मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला उपगन्ना आयुक्त स्तर के कार्यालयों में शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार हर 3 वर्ष के बाद लिपिकों का काउन्टर बदला जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास—

किसी निर्धारित अवधि के पश्चात् पटल बदलने के सम्बन्ध में कोई शासनादेश नहीं है । साधारण तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को 3 से 5 वर्ष तक एक पटल पर रखा जाता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

बरेली चीनी मिल को शहर से बाहर लगाने के प्रस्ताव पर विचार

100—डाक्टर विनोद जोहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि नैकपुर चीनी मिल बरेली की चिमनी से निकलने वाली भूसी की वजह से सिविल लाइन्स सुभाष नगर, बड़ीनाथ क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल की चिमनी को ऊंचा किये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां । उ० प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई बरेली की चिमनी की ऊंचाई पहले से ही काफी ज्यादा है अतः और ऊंची नहीं की जा सकती है । आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990–95) की अवधि में बरेली चीनी मिल का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण प्रस्तावित है । इस योजना के अन्तर्गत इस मिल को शहर से बाहर अन्य स्थान पर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

गाजीपुर जनपद के कतिपय ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि का अनुसूचित जाति/जनजाति में आवंटन

101—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के जखनियांव दुल्लहपुर, सोदियांव, हंसराजपुर और नन्दगंज में ग्राम समाज की कितनी भूमि है ? उक्त भूमि में से क्या कुछ भूमि अनुसूचित जाति/जनजातियों को दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

102—श्री सुरेश प्रताप सिंह 'गांधी'—

[दिनांक 26 जून, 1990 को अता० प्र० सं० 89 द्वारा उत्तरित]

जनपद देहरादून के कतिपय ग्रामों के पर्वतीय अंचल के भूस्वामियों को आबे लगान का लाभ दिलवाये जाने की मांग

103—श्री रणजीत सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी में है कि लगान मुक्त सीमा से अधिक भूमि वाले भू–स्वामियों को पर्वतीय अंचल में आबा लगान देय होता है ? यदि हां तो क्या यह सत्य है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला–रायपुर सहसपुर एवं विकास–नगर के पर्वतीय अंचलों के भूस्वामियों को आबे लगान का लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यथाशीघ्र वंचित भूस्वामियों को उक्त लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा जो लगान अनियमित तरीके से भूस्वामियों से वसूला गया है उसे वापस किए जाने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री राम शरण दास—

पर्वतीय अंचल के जिन क्षेत्रों में कुमायूं तथा उत्तरांचल जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 तथा जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 लागू हैं, उनमें मालगुजारी के अवधारण के प्रयोजनार्थ 1 1/2 एकड़

भूमि की गणना 1 एकड़ के बराबर किए जाने का प्रावधान है । प्रश्न में उल्लिखित जनपद देहरादून के चारों विकास खण्डों के 410 ग्रामों में उक्त दोनों अधिनियम लागू नहीं हैं, अतएव चारों विकास खण्डों के भू-स्वामियों को उक्त लाभ अनुज्ञप्त नहीं हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

104-श्री रणवीर सिंह--

[6 वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के चकबन्दी विभाग में मृतक लेखपाल के रिक्त पद पर कार्यरत दोनों व्यक्तियों की 1974 की नियमावली के अन्तर्गत नियुक्तियां

105-श्री राजधारी--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव बगहा, पोस्ट रिसिया, तहसील मेजा, जनपद इलाहाबाद में श्री गुरदीन सिंह लेखपाल (मृतक) के स्थान पर दो व्यक्ति श्री महेन्द्र सिंह (चपरासी) व श्री सुरेन्द्र सिंह (अमीन) सन् 1988 से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इन दोनों कर्मचारियों को नियुक्ति कब तथा किस अधिकारी द्वारा किस नियम के तहत की गई ? क्या सरकार कार्यरत कर्मचारियों तथा नियुक्ति प्रदान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

मृतक लेखपाल के स्थान पर उनके एक पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह को अमीन के पद पर अपर जिलाधिकारी (ग्रामीण) द्वारा दिनांक 8 नवम्बर, 1976 को तथा दूसरे पुत्र श्री महेन्द्र सिंह को चकबन्दी निदेशालय के आदेश दिनांक 16 मई, 1988 के अन्तर्गत स्थानापन्न चपरासी के पद पर चकबन्दी विभाग में दिनांक 4 जून, 1988 को नियुक्त किया गया । श्री सुरेन्द्र सिंह, अमीन का देहान्त हो चुका है । दोनों नियुक्तियां "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" के अन्तर्गत की गयी हैं ।

चकबन्दी विभाग में मृतक लेखपाल के दूसरे पुत्र श्री महेन्द्र सिंह की चपरासी की नियुक्ति के सम्बन्ध में जांचकर आवश्यक कार्यवाही के लिए चकबन्दी आयुक्त को निर्देशित कर दिया गया है ।

106-श्री ब्रज शंकर पाण्डेय--

[4 थे बुधवार में अता० प्र० सं० 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर, साधन सहकारी समिति के सचिव, श्री अष्टभुजा प्रसाद का निलम्बन एवं कृत कार्यवाही

107-श्री शिव प्रताप शुक्ल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में साधन सहकारी समिति रमवापुर जगत राम के अन्तर्गत लगभग 10 गांवों के किसानों के लाखों रुपये श्री अष्ट भुजा प्रसाद, सचिव ने फर्जी हस्ताक्षर करके निकलवा लिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

सचिव, श्री अष्टभुजा प्रसाद को निलम्बित कर दिया गया है । मामले की जांच की जा रही है ।

जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद में तैयार की गयी फसली की खतौनी में खातों की नई संख्या

108—श्री चन्द्र शेखर सिंह (बस्ती)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 (नियम 97) जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 27 के अधीन तैयार की गयी खतौनी बाबत मौजा, सिरसी तप्पा, सिरसी, परगना महुली पूरब, तहसील खलीलाबाद, जिला-बस्ती के खाता संख्या 1066, 1067 व 1068 को छोड़कर अपूर्ण बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों को दण्डित करते हुये इस अपूर्ण खतौनी को पूर्ण करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं, प्राप्त सूचना के अनुसार बन्दोबस्त जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 के अनुसार वर्ष 1392-97 फसली की जो खतौनी तैयार की गयी, उसमें बन्दोबस्त जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 के खाता संख्या 1066, 1067 तथा 1068 को छोड़ा नहीं गया बल्कि खतौनी में इन खातों की नई संख्या क्रमशः 833, 834 तथा 835 है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

109—श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिला की नियुक्ति एवं आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

110—श्री बेतराम—

विधान सभा 1989 के प्रथम सत्र के 7वें मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 में अनुसूचित जाति की महिला की नियुक्ति किस कारण से की गयी थी ? यदि कोटा पूरा नहीं करना था तो किन परिस्थितियों में सामान्य महिला अभ्यर्थियों के साथ उक्त अनुसूचित जाति की महिला को उक्त पद के चयन में सम्मिलित किया गया ? क्या महिला स्वागती का एक ही पद भेजकर कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 15/135/75-रा0 एको0, दिनांक 29 दिसम्बर, 1976 में निहित व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

महिला स्वागती का पद लोक सेवा आयोग की परिधि में होने के कारण वर्ष 1975 में कार्य की आवश्यकता को देखते हुये अल्पकालिक व्यवस्था में रोजगार कार्यालय से सीधे प्रार्थना-पत्र के आधार पर चयन करके चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अनुसूचित जाति की महिला की नियुक्ति की गई थी ।

कोटा पूरा करने के लिये चयन नहीं किया गया था अपितु सामान्य अभ्यर्थियों के साथ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों पर भी विचार किया गया ।

यह पद सामान्य श्रेणी का है । अतः संदर्भगत शासनादेश सं0 15/135/76-रा0 एको0, दिनांक 29 दिसम्बर, 1976 लागू नहीं होता ।

111--श्री चेतराम--

क्या उक्त के संदर्भ में मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला इंचार्ज के पद पर स्थानापन्न नियुक्ति स्वागती के पद से पहले की गयी थी ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में महिला स्वागती का पद चयन हेतु भेजा गया और महिला इंचार्ज का पद बाद में लोक सेवा आयोग को भेजा गया ? क्या यह सही है कि महिला इंचार्ज का पद सूचना विभाग के पत्रांक सं0 11333/सू0 एवं ज0 सं0 वि0 (प्रशासन) 158/90, दिनांक 23 अगस्त, 1979 द्वारा लोक सेवा आयोग को चयन कराने हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो लगभग 11 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त इस पद को लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित क्यों नहीं किया गया ? इस मामले की क्या सरकार जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

दोनों पद अलग-अलग श्रेणी के थे । पदों को लोक सेवा आयोग को संदर्भित करने के लिये अलग-अलग कार्यवाही की जानी थी । जिसके कारण दूसरे पद को संदर्भित करने में विलम्ब हुआ ।

जी हां ।

पद के स्थायी पदधारक के बारे में आयोग द्वारा समय-समय पर जिज्ञासायें उठायी गयी । जिज्ञासाओं के निराकरण के उपरान्त आयोग से पद पर नियमित चयन करने के लिये अनुरोध किया गया है ।

112--श्री चेतराम--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के 7वें मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 153 के उत्तर के बारे में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला इंचार्ज के पद पर तैनात कर्मचारी को नियुक्ति हेतु क्या सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे गये थे अथवा इस पद को समाचार पत्रों में विज्ञापित किया गया था ? क्या उक्त महिला अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य निर्धारित आयु सीमा रखने वाला इण्टरमीडिएट पास कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा अधिकतम आयु की सीमा में छूट दी गयी है उसका नाम व पद क्या था ? अधिकतम आयु सीमा में छूट किस तिथि को दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अधिकतम आयु सीमा में छूट दिये जाने का औचित्य क्या था ? यदि अधिकतम आयु सीमा में छूट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नहीं दी गयी है तो क्या उक्त महिला की सेवायें अवैध घोषित करने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

महिला इंचार्ज के पद पर नियुक्ति हेतु सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे गये थे न कि समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया गया था ।

प्रश्नगत पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक थी । अतः इण्टरमीडिएट अभ्यर्थी की उपलब्धता की जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना निदेशक (विभागाध्यक्ष) कार्यालय आदेश सं0 9200/सू0 एवं जे0 वि0 (प्रशासन) 86ई-ई, दिनांक 12 अगस्त, 1987 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में छूट दिये जाने के आदेश निर्गत किये गये ।

अतीहत में छूट दी गयी ।

आयु सीमा में छूट नियमानुसार विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई है । अतः सेवामें अवसर प्रोपित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

113—श्री बेतराम—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के 7वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बतायेगी कि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री एवं नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह यादव) के पत्र, दिनांक 16 सितम्बर, 1988 के परीक्षण उपरान्त क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

संबंधित पत्र प्राप्त हुये थे । स्थिति से तत्कालीन माननीय राज्य मन्त्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा तत्कालीन माननीय नेता विरोधी दल को अवगत करा दिया गया था ।

114—श्री देव कुमार यादव—

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

115—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

[6वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर में जिला योजना के माध्यम से 1,582.90 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव

116—श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में कितना धन व्यय किये जाने की योजना है ? क्या यह सही है कि उक्त योजना का लगभग सम्पूर्ण धन किसी एक विशेष क्षेत्र में व्यय किये जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो किस-किस क्षेत्र में कितना-कितना धन आवंटित है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

राज्य योजनान्तर्गत, राज्य सेक्टर योजनाओं के लिये धनराशि/परिव्यय प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध करा दिया जाता है । जनपद विशेष का ब्यौरा आकलित नहीं किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुल सायोजनागत परिव्यय में से जिला योजना के माध्यम से सीतापुर जनपद में 1,582.90 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है ।

जिला योजना के परिव्यय का विभाजन क्षेत्रवार नहीं किया जाता है । इसलिये किसी क्षेत्र विशेष हेतु पूर्ण धनराशि आरक्षित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री सरयू प्रसाद सेवानिवृत्त लेखपाल, जनपद हरदोई को अवशेष वेतन व पेंशन भुगतान करने के जिलाधिकारी, हरदोई के निर्देश

119—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरयू प्रसाद सेवानिवृत्त लेखपाल, परगना कछन्दऊ, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई को दिनांक 12 दिसम्बर, 1975 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था जिसके विरुद्ध उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी ? क्या माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें दिनांक 12 दिसम्बर, 1975 से 31 जनवरी, 1981 (सेवानिवृत्ति तिथि) तक वेतन, पेंशन आदि अवशेषों का ससम्मान भुगतान के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उन्हें वेतन, पेंशन आदि देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां, शासन द्वारा आवश्यक परीक्षण के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19 अक्टूबर, 1989 के अनुसार अवशेष वेतन एवं पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरदोई को यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

आदर्श पटेल विद्यालय, ऐन, लखनऊ के पक्ष में आवंटित भूमि पर अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

118—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पटेल आदर्श विद्यालय, ऐन, लखनऊ के पक्ष में पूर्व वर्षों में कितनी भूमि का पट्टा दिया गया था ? क्या उक्त भूमि पर विद्यालय को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भूमि पर कौन-कौन लोग कब्जा किये हुये हैं ? उक्त अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये विद्यालय को कब तक कब्जा दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

वर्ष 1975 में आदर्श पटेल विद्यालय, ऐन, लखनऊ के पक्ष में खसरा संख्या 2233, रकबा 0-5-0, 2236 रकबा 0- -10, 2237 रकबा 3-2-0, 2548 रकबा 1-6-0, 2550 रकबा 3-19-10 कुल 5 किता रकबा 9-2-10 का आवंटन किया गया था । आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि पर संस्था को कब्जा दिला दिया गया था । स्थानीय जांच से यह पाया गया कि खसरा संख्या 2235, रकबा 0-5-0 पर श्री राम, खसरा संख्या 2236 रकबा 0-9-10 पर श्री राम दत्त व 2237 रकबा 3-2-0 पर श्री सिंही लाल व राम सेलावन ने अनधिकार कब्जा कर लिया है । खसरा संख्या 2235 रकबा 0-5-0 व 2236 रकबा 0-9-10 के अनधिकृत कब्जेदारों ने कब्जा छोड़ना स्वीकार कर लिया है किन्तु खसरा संख्या 2237 का अनधिकृत कब्जा श्री सिंही लाल व श्रीराम खिलावन छोड़ने को तैयार नहीं हैं । अतः इनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ कर दी गयी है ।

उप संचालक चकबन्दी, फैजाबाद द्वारा विनियम अनुपात निर्धारण सम्बन्धी अनियमितता का पुनः संशोधन करते हुये चक निर्माण

119—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद सदर तहसील के ग्राम सराएरासी में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं की जांच पिछले वर्षों में संयुक्त संचालक श्री सिंघल द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त श्री सिंघल ने अपनी जांच आख्या में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं को स्वीकार किया है ? यदि हां तो सरकार चकबन्दी में हुई अनियमितताओं को समाप्त कराने के लिए पुनः मालियत के आधार पर नये सिरे से चक काटने के लिए निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देकर जनता के साथ न्याय करेगी ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जी हां । जांच में मुख्य रूप से विनिमय अनुपात निर्धारण संबंधी अनियमितता प्रकाश में आयी थी ।

निगरानियों में उप संचालक चकबंदी, फैजाबाद के निर्णय दिनांक 28 अप्रैल, 1990 द्वारा पुनः विनिमय अनुपात संशोधित करते हुये चक निर्माण करने हेतु सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर ग्राम प्रत्यावर्तित किया गया है ।

जनपद फैजाबाद के माझा क्षेत्र में बन्दोबस्त अभिलेख क्रियायें एवं लम्बित मुकदमें

120—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में मांझा क्षेत्रों के बन्दोबस्त के कितने मुकदमें बन्दोबस्त अधिकारी, फैजाबाद के यहां 31 मार्च, 1990 तक लम्बित हैं ? क्या सरकार स्थायी रूप से जनपद में किसी बन्दोबस्त अधिकारी को नियुक्त करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास—

जनपद फैजाबाद के माझा क्षेत्रों में बन्दोबस्त क्रियाएं नहीं बल्कि अभिलेख क्रियाएं चल रही हैं । दिनांक 31 मार्च, 1990 तक 537 मुकदमें लम्बित थे ।

शासन ने माह मई, 1990 में सहायक अभिलेख अधिकारी के पद पर तैनाती कर दी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हल्द्वानी को नैनीताल जनपद का मुख्यालय बनाने की मांग

121—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि हल्द्वानी को नैनीताल जनपद का मुख्यालय बनाने की मांग काफी समय से हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

इस प्रकरण को अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में नये मंडलों/जिलों/तहसीलों के पुनर्गठन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति को संदर्भित कर दिया गया है जिसकी संस्तुति प्रतीक्षित है ।

बरेली-हल्द्वानी मार्ग पर लालकुंआ, किच्छा एवं कनमन में घोषित फेयर स्टापेज

122—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि बरेली-हल्द्वानी मार्ग पर कनमन, किछा लालकुंआ में राजकीय बस स्टाप न होने से बसें नहीं रुकती है जिसके कारण इन क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ? यदि हां तो क्या मंत्री जी इन स्थानों पर बसों के रुकने व बस स्टाप बनाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बरेली-हल्द्वानी मार्ग पर लालकुंआ तथा किच्छा में पूर्व से ही बसों के लिए फेयर स्टापेज घोषित है । कनमन को भी फेयर स्टापेज घोषित कर दिया गया है । उक्त मार्ग से गुजरने वाली बसें यात्रियों को चढ़ाती-उतारती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

123—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[दिनांक 26 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 110 द्वारा उत्तरित]

भू-अर्जन कार्यालय, ललितपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कथित पत्रों पर कार्यवाही किय जाने की मांग

124—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा 28 अप्रैल, 1989 के उनके दौरे के दौरान तथा दिनांक 30 मार्च, 1988 को आयुक्त झांसी मन्डल को भू-अर्जन कार्यालय ललितपुर जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कोई पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार भू-अर्जन कार्यालय ललितपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तथा कथित पत्रों का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जौनपुर जनपद के ग्राम राजेपुर में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा धारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

125—श्री अमर नाथ यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के तहसील शाहगंज के ग्राम राजेपुर में ग्राम सभा की भूमि चकरोड एवं नयी आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा हैं ? यदि हां, तो सरकार इन अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर

पड़ी है ? क्या इस सम्बन्ध में विधान परिषद् सदस्य श्री राजनाथ सिंह ने 16 मार्च, 1990 को उनको पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला सहकारी बैंक, जौनपुर के वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन) पर गबन का झूठा आरोप

126-श्री अमर नाथ यादव—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, जौनपुर में क्या किसी ऐसे व्यक्ति को वरिष्ठ प्रबन्धक, प्रशासन बनाया गया है जिसके विरुद्ध 5 लाख रुपये के गबन का आरोप है तथा उसके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? इन्हें वर्तमान पद से कब तक मुक्त कर निलम्बित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । इस समय ऐसा कोई अधिकारी जिला सहकारी बैंक, जौनपुर में वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन) के पद पर कार्यरत नहीं है, जिसके विरुद्ध 5 लाख रुपये के गबन का दोषारोपण है । जिला सहकारी बैंक, जौनपुर शाखा सदर के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक एवं डी0 डी0 इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई है, कि उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा निर्गत एकाउंट पेयी चेकों की धनराशि में रद्दोबदल करके रु0 4,21,654 का गोलमाल किया गया है । उपर्युक्त शाखा प्रबन्धक से पूर्व में आवश्यकतानुसार समय-समय पर उक्त बैंक में वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन) के पद का कार्य लिया गया है ।

तत्कालीन शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक, जौनपुर को बैंक, के आदेश दिनांक 26 जून, 1990 द्वारा निलम्बित कर उन्हें मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया है । यह प्रकरण अपराध अनुसंधान शाखा के विवेचनाधीन है ।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राप्तीनगर तथा विकासनगर योजनाओं में पंजीकृत आवेदकों को भूखण्ड/निर्मित भवन कराने हेतु भूमि का अधिग्रहण

127—श्री शिव प्रताप शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के राप्ती-नगर तथा विकास नगर में भूखण्ड देने के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये हैं ? यदि हां, तो क्या भूखण्ड आवेदकों को प्राप्त करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भूखण्ड देने के लिए भूमि आवंटित की गई है ? यदि नहीं, तो बिना भूमि आवंटित किये भूखण्ड देने का आवेदन क्यों आमंत्रित किया गया है ? क्या भूखण्ड देने के लिये आवेदकों से पैसा भी जमा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या भूखण्ड न दे सकने की स्थिति में विकास प्राधिकरण आवेदकों का पैसा ब्याज सहित वापस करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

जी नहीं ।

रायती नगर योजना में समस्त प्रस्तावित भूमि के अभिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुयी है एवं प्राधिकरण को कब्जा नहीं प्राप्त हुआ है । विकास नगर योजना में समस्त प्रस्तावित भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हो चुका है तथा माह जुलाई 1990 में पंजीकृत व्यक्तियों को भू-खण्डों का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है ।

प्राधिकरण द्वारा रायती नगर तथा विकास नगर योजनाओं में पंजीकृत आवेदकों को भू-खण्ड अथवा निर्मित भवन उपलब्ध कराने हेतु भूमि अधिग्रहीत की गई, की जा रही है । अग्रिम पंजीकरण का उद्देश्य इच्छुक क्रेताओं की स्थिति जानना और संसाधन बढ़ाना है ।

जी हां ।

जी हां ।

किसी पंजीकृत आवेदक द्वारा अपने पंजीकरण धनराशि वापस मांगे जाने, लाटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन न हो पाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा उसको धनराशि ब्याज सहित वापस प्रदान, नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले में खजनी तहसील का मुख्यालय बदलने की मांग

128--श्री शिव प्रताप शुक्ला--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में खजनी नाम से चल रही तहसील का मुख्यालय बदल दिया गया है ? यदि हां, तो कहां ? क्या, सरकार उसे प्रस्तावित स्थान पर ही रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

जी नहीं । परन्तु तहसील भवन के निर्माण हेतु खजनी के समीपस्थ भूमि क्रय की गई है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति हेतु वर्ष 1986-87 के प्रस्ताव पर विचार की मांग

129--श्री यशवन्त--

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्य प्रभारी सुपरवाइजरों को जो अवर अभियन्ता की योग्यता एवं अर्हता रखते हैं, निकट भविष्य में होने वाली अवर अभियन्ता की नियुक्ति में वरीयता उसी प्रकार से दी जायेगी जिस तरह 1986, 1987 में दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कथित प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

आवास एवं नगर विकास विभाग में इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल पदों हेतु की गयी नियुक्तियों का चयन निरस्त

130--श्री यशवन्त--

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि 23 अगस्त, 1987 को विभाग द्वारा इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल अवर अभियन्ता का साक्षात्कार लिया गया था ? यदि हां, तो कितने पदों के विरुद्ध कितने अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया तथा उसमें कितने को नियुक्ति प्रदान की गयी ? अवशेष पदों के लिए सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। दिनांक 23 अगस्त, 1987 को अवर अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के 42 पदों के लिये साक्षात्कार किया गया था, किन्तु बाद में कुछ तकनीकी कमियों के कारण चयन निरस्त कर दिया गया और किसी का नियुक्ति नहीं की गई।

इलाहाबाद मंडल के प्रारम्भिक ऋण सहकारी समिति के सचिवों के चयन में हुई गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच

131—श्री राज किशोर सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मार्च, 1988 में इलाहाबाद मंडल के प्रारम्भिक ऋण सहकारी समिति के सचिवों के चयन में सहकारी समिति निबन्धक, लखनऊ के आदेशानुसार गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार की जांच कराई गई थी और जांच के फलस्वरुप समस्त चयन सूची को निबन्धक द्वारा निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो दोषी उपनिबन्धक श्री आर० के० जैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच अपर निबन्धक से अग्रेत्तर कराई जा रही है और उनको निर्देश दिये गये हैं कि साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र बनाकर भेज।

प्रश्न ही नहीं उठता।

माननीय राजस्व मंत्री को सम्बोधित शिकायती पत्र पर जांच एवं जनपद बाराबंकी में अनियमित पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन

132--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मंगारदास व अन्य निवासीगण ग्राम-रामपुर जोगा, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी का दिनांक 28 अक्तूबर, 1989 को ग्राम प्रधान रामपुर जोगा द्वारा किये गये अवैध पट्टों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को दिनांक 19 फरवरी, 1990 एवं 24 फरवरी, 1990 एवं राजस्व मंत्री को 26 फरवरी, 1990 को शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास—

माननीय राजस्व मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 26 फरवरी, 1990 को छोड़कर शेष पत्र दिनांक 19 फरवरी, 1990 व 24 फरवरी, 1990 प्राप्त हुए ।

शिकायती पत्रों पर जांच कराई गई जिससे 9 व्यक्तियों के पक्ष में हुए पट्टे अनियमित पाये गये, जिन्हें निरस्त करने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद बाराबंकी ग्राम रामपुर जोगा में अवैध पट्टों के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के शिकायती पत्र पर कार्यवाही किये जाने की मांग

133—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि ग्राम–रामपुर जोगा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में अवैध पट्टे के सम्बन्ध में गंगारे दास व अन्य ग्राम–वासियों के पत्र के साथ श्री राम लजित चौधरी विधायक का शिकायती–पत्र दिनांक 26 फरवरी, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों एवं सहकारी चीनी मिल संघ की प्रबन्ध कमेटियों के चुनाव कराये जाने की मांग

134—श्री रणजीत सिंह तथा श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिल एवं सहकारी चीनी संघ, संघ की प्रबन्ध कमेटी के गठन हेतु चुनाव 15 वर्षों से नहीं कराए गए हैं ? यदि हां, तो उक्त संस्थाओं के निर्वाचन कब तक कराए जा सकेंगे ?

श्री राम शरण दास—

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों एवं सहकारी चीनी मिल संघ की प्रबन्ध कमेटियों के चुनाव विगत कई वर्षों से नहीं कराए गए हैं ।

उक्त चुनाव उपयुक्त समय पर कराये जाने के विषय में अगर अनावश्यक विलम्ब के निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद जालौन में माधोगढ़ में नई तहसील के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन

135—श्री शिवराम सिंह कुशवाह—

क्या मुख्यमन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जालौन में माधोगढ़ एवं जनपद झांसी में समथर को तहसील घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह तहसीलें कब तक घोषित कर दी जायेंगी ?

श्री राम शरण दास—

जनपद जालौन में माधोगढ़ में नई तहसील के सृजन का प्रस्ताव अन्यथा, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति के विचाराधीन है। जनगणना के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा 30 जून, 1991 तक नई प्रशासनिक इकाइयां स्थापित करने पर रोक लगा दी गई है। अतएव इसके पूर्व कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

जनपद झांसी में समथर की तहसील बसाने का प्रश्न निर्धारित मानक के पूरा न होने के कारण औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

गांव व देहात स्तर पर रजक वर्ग हेतु धोबी घाट के लिए भूमि सुरक्षित किये जाने की व्यवस्था

136—श्रीमती गौरी देवी—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव व देहात स्तर पर रजक वर्ग (धोबी वर्ग) के लोगों को गन्दे कपड़े की धुलाई व कपड़ों को सुखाने के लिए तालाबों, पोखरों एवं अन्यत्र भूमि उपलब्ध करा कर धोबी घाट हेतु व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो किन प्राविधानों के तहत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

धोबियों (रजक वर्ग) हेतु कपड़ों में रेह लगाने तथा धोबी घाट के लिए पृथक-पृथक प्रयोजनार्थ 2 बिस्वा तक भूमि सुरक्षित किये जाने की व्यवस्था चकबन्दी नियमों के अन्तर्गत है।

उक्त आवश्यक चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर 178-क के अन्तर्गत की गई है।

क्षेत्र का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी, ग्राम समरिया नं0 1 के मामले पर धारा-52 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी किये जाने की कार्यवाही

137—श्री निहाल सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 मार्च, 1981 को ग्राम समरिया नं0 1, जनपद वाराणसी का मामला चकबन्दी कोत अधिनियम के अन्तर्गत धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु चकबन्दी विभाग, वाराणसी द्वारा चकबन्दी आयुक्त उ0 प्र0 को भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो विगत 9 वर्षों में धारा 53 का प्रकाशन किन कारणों से नहीं हो पाया है ? उक्त ग्राम का धारा 53 का प्रकाशन कब तक हो जायेगा ?

श्री राम शरण दास—

जी हां।

स्थगन आदि सम्बन्धी कार्यवाही चलते रहने के कारण धारा 53 का प्रकाशन अभी नहीं हो सका।

संशोधित प्रस्ताव जिले से प्राप्त हो गया है। धारा 52 के प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है?

सेसवरिया शुगर मिल, बभनान, जनपद गोण्डा के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी

138—श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश—

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवसरिया शुगर मिल, बभनान, गोण्डा की प्रतिवर्ष पेराई क्षमता क्या है तथा इसमें कितने मजदूर कार्य करते हैं ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस मिल में लगी पुरानी मशीनों तथा प्रबन्धकीय अधिकारियों की मनमानी के कारण पूरा सीजन मिल संतोषजनक ढंग से नहीं चल पाती और भारी मात्रा में किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा रह जाता है ? क्या यह भी सत्य है कि मिल पर कई करोड़ रुपया किसानों/सरकार का बकाया चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको कोई सुधारु व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सेक्सरिया शुगर मिल, बभनान, जनपद गोण्डा की पंजीकृत पेराई क्षमता एक हजार टन गन्ना प्रति दिन है, तथा इस चीनी मिल में लगभग 800 (आठ सौ) श्रमिक कार्य करते हैं। पेराई सत्र 1989-90 में चीनी मिल में आधुनिकीकरण के कारण गन्ना पेराई कार्य सन्तोषजनक ढंग से नहीं हुआ, किन्तु कृषकों के गन्ने का व्यावर्तन यथा समय अन्य मिलों को किए जाने के कारण मिल क्षेत्र में कोई गन्ना मिल को पेराई हेतु अवशेष नहीं रहा।

इस चीनी मिल पर किसानों का रु0 158.58 लाख गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है।

बभनान चीनी मिल के विरुद्ध अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करके कलेक्टर, गोण्डा को प्रेषित किया जा चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

सिधौली बस स्टेशन पर यात्रियों हेतु उपलब्ध समय-सारिणी एवं किराया सूची एवं 'राज्ययात्रा परिषद' के पत्र पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश

139—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री द्वारा श्री श्याम लाल, विधायक की मांग पर सिधौली में सभी बसों का स्टेपेज घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या अभी तक बस स्टेशन पर यात्रियों को बसों में अधिकांश परिचालकों द्वारा टिकट नहीं बनाया जाता है तथा बस स्टेशन पर समय-सारिणी तथा किराया सूची यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

परिचालकों द्वारा टिकट न बनाने के विषय में यात्रियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बस स्टेशन पर समय-सारिणी तथा किराया सूची यात्रियों के लिए उपलब्ध है।

140—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिधौली बस स्टेशन की दुव्यंवस्था के सम्बन्ध में स्टापेज घोषित होने के बाद भी अधिकांश परिचालकों द्वारा टिकट न बनाने के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य यात्री परिषद् का दिनांक 6 अप्रैल, 1990 का शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या पत्र पर कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित सुझाओं पर विचारोपरान्त, दिनांक 30 अप्रैल, 1990 को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीतापुर को दिए जा चुके हैं ।

निदेशक, सहकारी प्रबन्ध, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र० लखनऊ से विरुद्ध प्रश्नकर्ता के कथित शिकायती पत्र पर जांच एवं आवश्यक कार्यवाही

141—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, सहकारी प्रबन्ध, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 8 जनवरी 1990 जिसकी प्राप्ति मुख्य मंत्री जी के पत्र सं०-सी० एम० वि० को०/एम-2/20-70/फै/90 द्वारा स्वीकार की है, पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

इस मामले में जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद देहरादून में तढ़ौर बस अड्डे पर राजकीय परिवहन निगम की बसें संचालित किये जाने की मांग

142—रणजीत सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंसूरी, जनपद देहरादून में तढ़ौर में बस अड्डे का निर्माण कराया गया है । यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस बस अड्डे तक राजकीय परिवहन निगम की बसें संचालित हो रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जी नहीं ।

व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण बस संचालन फिलहाल सम्भव नहीं है ।

स्वर्गीय भागवत भगत का नाम शहीद स्मारक पर अंकित कराने, प्रतिमा लगाये जाने एवं देवरिया जिले के स्वतन्त्रता सेनानी रजिस्टर में उनका नाम अंकित किये जाने की मांग

143—श्री हरवंश सहाय—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय भागवत भगत, ग्राम सठियांव, पो0 बैकुण्ठपुर, जिला देवरिया के आश्रितों को ताम्र पत्र दिये जाने स्वतंत्रता रजिस्टर देवरिया में नाम दर्ज किये जाने तथा ब्लाक भटनी, तहसील सलेमपुर में बने शहीद स्मारक पर उनका नाम दर्ज किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के दो पत्र दिनांक 5 मार्च, 1990 तथा 20 मार्च, 1990 एवं सांसद श्री हरिकेवल प्रसाद का पत्र दिनांक 5 मार्च, 1990 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जी हां ।

ताम्रपत्र केवल जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ही दिये जाते हैं, उनके आश्रितों को नहीं । स्व0 भागवत भगत का नाम शहीद स्मारक पर अंकित कराने, प्रतिमा लगाये जाने तथा देवरिया जिले के स्वतंत्रता सेनानी रजिस्टर में उनका नाम अंकित किये जाने के विषय में जिलाधिकारी, देवरिया से आख्या मांगी गयी है ।

विकास नगर सेक्टर 6, कुर्सी रोड योजना, लखनऊ की समस्याओं का आवास-विकास परिषद् द्वारा समाधान

144—श्री हरवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास नगर सेक्टर 6, कुर्सी रोड योजना, लखनऊ के विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में श्री शारदानन्द अंचल, विधायक का पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक करा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्रश्न में अंकित पत्र में उल्लिखित समस्याओं का उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यथा-सम्भव समाधान कर दिया गया है ।

जिला देवरिया, ग्राम सठियांव में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत चकरोड फाइल किये जाने की कार्यवाही

145—श्री हरवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सठियांव, पो0 बैकुण्ठपुर, ब्लाक भटनी, जिला देवरिया के चकरोड फाईनल कराये जाने विषयक सांसद श्री हरिकेवल प्रसाद का पत्र दिनांक 5 मार्च, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इसे शीघ्र फाईनल करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास—

जी हां।

माननीय सांसद का पत्र प्राप्त हुआ था, परन्तु उस पर तिथि अंकित नहीं है।

ग्राम सठियांव से पूरब, पश्चिम एवं दक्षिण की ओर निकलकर मुख्य चकरोड में मिलने वाली चकरोड के कुछ हिस्से को आस-पास के कास्तकारों ने जोत लिया था जिसका सीमांकन कराकर चकरोड खाली करा दिया गया है। चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत चकरोड फाईनल हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण से कार्य न करने देने के सम्बन्ध में मांगी गयी आख्या

146—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें पांचाल नगरी आवास समिति, बरेली की भूमि पर बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य न करने देने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र 5 जनवरी, 1990 को प्राप्त हुआ था ? यदि, हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

उक्त पत्र के सन्दर्भ में उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण से आख्या मांगी गयी है।

जनपद जौनपुर के जिला सहकारी बैंक लि0, जौनपुर की शाखा मानीकला से दिनांक 30 व 31 मार्च, 1990 को आई0 आर0 डी0 पी0 योजना में चयनित लाभार्थियों को सामान दिलाने में हुये भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत के तहत जांच में पाये गये दोषी के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण

147—श्री दशरथ सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंग कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र शाहगंज (सोधी) में जिला सहकारी बैंक लि0, जौनपुर की शाखा मानीकला से 30 व 31 मार्च, 1990 को आई0 आर0 डी0 पी0 योजना में चयनित लाभार्थियों को सामान दिलाने में हुये भ्रष्टाचार एवं उसकी शिकायत जिलाधिकारी, जौनपुर एवं महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक, जौनपुर को कब और किसके माध्यम से प्राप्त हुयी ? शिकायत प्राप्त होने के कितने दिन बाद जांच अधिकारी ने घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और चयनित लाभार्थियों के हस्ताक्षरयुक्त बयान लिये ? क्या शिकायती-पत्र में पुनः जांच की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो जांच में विलम्ब क्यों की गयी ? जांच में विलम्ब करने वाले जांच अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर

रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच में शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक मानीकला एवं ए० डी० आई० एस० बी० दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

(क) जिलाधिकारी जौनपुर को सम्बोधित एवं महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि०, जौनपुर को पृष्ठांकित श्री महावीर प्रसाद प्रतिनिधि माननीय सांसद राजा यादवेन्द्रम दत्त का शिकायती-पत्र 4 अप्रैल, 1990 को जिला सहकारी बैंक जौनपुर में प्राप्त हुआ जिसमें महाप्रबन्धक बैंक से केवल 26 मार्च, 1990 के बाद वितरित आर्थिक सहायता सम्बन्धी मामले का निरीक्षण कराने की मांग की गयी।

(ख) निरीक्षण/जांच अधिकारी ने एक सप्ताह बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया और लाभार्थियों के दिनांक 18, 19 एवं 20 को उपलब्ध होने पर उनके हस्ताक्षर युक्त बयान भी लिये, 6 में से एक लाभार्थी से कई बार सम्पर्क करने पर उपलब्ध न होने के कारण बयान नहीं लिये जा सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जांच में पाया गया कि एक लाभार्थी श्री इस्लाम, जो जौनपुर स्टेशन के अधीन गेटमैन के पद पर कार्यरत है 1,500 रु० से अधिक प्रतिमाह वेतन पाता है, को गरीबी रेखा से नीचे मानकर ऋण वितरण करने की संस्तुति विकास खंड शाहगंज द्वारा की गयी। यह अनियमितता विकास खंड द्वारा की गयी है अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु अपर जिलाधिकारी (परियोजना), जौनपुर को लिखा गया है। जांच में शाखा प्रबन्धक दोषी नहीं पाये गये।

148—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

[6वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

149—श्री मयंकर सिंह, श्रीराम, रती विन्ध तथा श्री अचल सिंह—

[6वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खंड नरैनी, जनपद बांदा से प्राप्त कथित शिकायती-पत्र पर जांच की कार्यवाही

150—डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 13 नवम्बर, 1986 श्री जग्गा पुत्र श्री घुन्नी जाति हरिजन ग्राम शेली कल्याण तहसील नरैनी जनपद बांदा के पत्र के साथ सहकारी बैंक बदौसा द्वारा खाद, बीज आदि के ऋण की पहली वसूली के सम्बन्ध में, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खंड नरैनी से श्री जग्गा के शिकायती-पत्र की जांच करवाई गयी। जांच आख्या के आधार पर शिकायतकर्ता की क्षेत्रीय सहकारी समिति बदौसा के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है। अतः कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

पी० सी० एफ० में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री ओ० पी० द्विवेदी की पदोन्नति तथा उनके विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के आदेश

151—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि पी० सी० एफ० में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता, श्री ओ० पी० द्विवेदी के विरुद्ध काशीपुर बम्बई में निर्मित शीतगृह में अनियमितताओं के सम्बन्ध में तत्कालीन राज्य मन्त्री सहकारिता द्वारा कोई निरीक्षण टिप्पणी शासन को दी गयी थी तथा पी० सी० एफ० द्वारा प्रेषित आख्या को अस्वीकृत करते हुये संयुक्त सचिव "सहकारिता" ने पुनः परीक्षण कर दोषी अभियन्ता श्री द्विवेदी को दण्डित किये जाने की अपेक्षा की थी ? क्या यह भी सही है कि श्री द्विवेदी को निलम्बित न कर उन्हें अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त के लिये कौन-कौन दोषी हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

जी हां।

जी हां।

एक सीमित अवधि के लिये तदर्थ आधार पर श्री ओ० पी० द्विवेदी, की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया था, परन्तु पुनः उन्हें सहायक अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता के पद पर श्री ओ० पी० द्विवेदी की पदोन्नति तथा उनके विरुद्ध अनियमितताओं की जो शिकायतें हैं, दोनों प्रकरणों में जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

शाहजहांपुर जनपद के विकास क्षेत्र जैतीपुर की सहकारी समिति एवं सहकारी संघ द्वारा कृषि रक्षा उपकरण, कृषि रक्षा रसायन एवं कृषि तन्त्रों का वितरण न किया जाना

152—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की साधन सहकारी समिति खेड़ारठ तथा सहकारी बांध खेड़ा बझेड़ा द्वारा आज तक कृषि रक्षा उपकरण, कृषि रक्षा रसायन एवं कृषि यन्त्रों का वितरण नहीं किया गया ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 23 अप्रैल, 1990 को पी० सी० एफ० के प्रबन्ध निदेशक ने यह जानकारी दी कि प्रत्येक सहकारी समिति में कृषि यन्त्र उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उक्त समितियों के विरुद्ध प्रबन्ध निदेशक ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। शाहजहांपुर जनपद के विकास क्षेत्र जैतीपुर की सहकारी समिति खेड़ारठ एवं सहकारी संघ लि0 खेड़ा बहेड़ा द्वारा आज तक कृषि रक्षा उपकरण, कृषि रक्षा रसायन एवं कृषि यन्त्रों का बितरण नहीं किया गया क्योंकि निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या-सी-123/बीज-उर्वरक, दिनांक 29 मई, 1988 द्वारा एक विकास खंड में दो बिक्री केन्द्रों को कीटनाशक दवाइयां वितरण करने हेतु चिन्हित करने के निर्देश थे, जिसके परिपालन में विकास खंड, जैतीपुर को साधन सहकारी समिति लि0, सुरजपुर एवं गोविन्दपुर को चिन्हित किया गया था। संदर्भित समिति तथा संघ से कृषि रक्षा उपकरण, कृषि रक्षा रसायन एवं कृषि रक्षा यंत्रों के वितरण की मांग नहीं की गयी थी।

तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा 23 अप्रैल, 1990 को दी गयी जानकारी का कोई अभिलेख नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, डोईवाला में बैलगाड़ियों, ट्रकों की पार्किंग में कठिनाई

153-श्री रणजीत सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 इकाई जोईवाला में 25 हजार कुन्टल प्रतिदिन क्षमता का नया प्लान्ट लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि फैक्टरी में बैलगाड़ियों, ट्रकों के लिये पर्याप्त पार्किंग यार्ड नहीं है ? यदि हां, तो निगम उक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही कर रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि फैक्टरी हेतु प्रथम बार लगभग 28 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद डिनोटिफाइ करके लगभग 16 एकड़ भूमि छोड़ दी गयी थी। यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां।

इस वर्ष फैक्टरी में बैलगाड़ियों, ट्रकों के पार्किंग में कठिनाई नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड द्वारा 28 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया।

आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी में सम्पूर्ण चकबन्दी कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

154—श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के कौन-कौन से गांव हैं, जिनमें चकबन्दी की प्रक्रिया प्रारम्भ हुये 15 वर्ष हो गये हैं किन्तु अभी तक चकबन्दी कार्य पूरा नहीं हो सका ? इसके क्या कारण हैं तथा वहां चकबन्दी का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री राम शरण दास—

आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी के 12 ग्राम (सूची संलग्न है) ऐसे हैं जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हुये 15 वर्ष से अधिक का समय हो गया है परन्तु अभी चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुयी है।

उक्त ग्रामों में मुकदमों की अधिकता तथा अभिलेखों की जीर्ण-शीर्ण दशा के कारण विलम्ब हुआ है। उक्त ग्रामों का चकबन्दी कार्य वर्ष 1991 के अन्त तक पूरा कराने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 194 पर)

155—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

सहकारी चीनी मिल सठिगांव जनपद आजमगढ़ में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सृजित पद एवं अपूर्ण आरक्षण कोटा

156—श्री फौजदार प्रसाद—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सठिगांव चीनी मिल जनपद आजमगढ़ में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कितने पद सृजित हैं ? क्या उनमें आरक्षित पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

सहकारी चीनी मिल साठिगांव जनपद आजमगढ़ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 640 पद सृजित है।

जी नहीं।

नियुक्ति के समय आरक्षित वर्ग के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो पाने के कारण।

जनपद बाराबंकी, ग्राम बहरेलाडीह में स्थित पाटा संख्या 398 के पूर्ण विवरण की जानकारी

157—श्री तीरथ राज—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बहरेलाडीह परगना सूरजपुर, तहसील रामसनही घाट जनपद बाराबंकी स्थित गाटा संख्या 398 कौन से कृषकों के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित हैं एवं खसरा परताल में किन कृषकों के नाम कितने-कितने पेड़ अंकित हैं ? इसमें से कितने कृषक हरिजन हैं ? क्या यह सत्य है कि गाटा संख्या 398 पर वन विभाग ने अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उपर्युक्त कथित गाटे पर से वन विभाग के अवैध कब्जे को हटा कर वास्तविक कृषकों जो कि कथित गाटे के भूमिधर हैं अथवा उनके नाम पेड़ अंकित हैं को देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

प्रश्नगत ग्राम में स्थित गाटा संख्या 398 का कुल क्षेत्रफल 11-18-8 है। इनमें के 398/1 रकबा 5-18-8 गांव सभा के नाम बंजर तथा 398/2 रकबा 6-0-0 रवीन्द्र सिंह, शिव सिंह पुत्रगण सत्यनाम सिंह व उपेन्द्र विक्रम सिंह पुत्र हरिकरन सिंह ग्रामवासी के नाम असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में राजस्व अभिलेख में अंकित है।

खसरा

पड़ताल (चकबन्दी) में हरिश्चन्द्र सिंह के अलावा और किसी कृषक का नाम अंकित नहीं है और न किसी के नाम पेड़ अंकित है न ही किसी हरिजन कृषक नाम अंकित है ।

यह सही है कि गाटा संख्या-398/1 मि0 4-10-0 पर वन विभाग का अवैध कब्जा है जिनका बेदखल करने की कार्यवाही जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत विचाराधीन है । वन विभाग का जिस भूमि पर अनाधिकार कब्जा है, वह भूमि बंजर दर्ज है, किसी कृषक के नाम दर्ज नहीं है तथा उसमें किसी भूमिधर के पेड़ भी नहीं है और न किसी काश्तकार के नाम से कोई पेड़ अंकित है ।

158--श्री तीरथ राज--

[दिनांक 19 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 15 द्वारा उत्तरित ।]

जिला बाराबंकी ग्राम रामपुर जोगा में दिनांक 28 अक्तूबर, 1989 को कतिपय व्यक्तियों को आवंटित भूमि एवं जांचोपरान्त अनियमित पट्टों का न्यायालय में लम्बन

159--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर जोगा पोस्ट बरौली जाटा, जिला बाराबंकी में दिनांक 28 अक्तूबर, 1989 को कितनी भूमि आवंटित की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त जमीन किन-किन व्यक्तियों के नाम आवंटित हुयी है ? क्या मौजूदा प्रधान ने प्रस्ताव किया था कि यह कोरम पूर्ण है और क्या तत्कालीन प्रधान ने अपने स्तर से पट्टा अपने भतीजे एवं उप प्रधान तथा सदस्यों के नाम कर और नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को पत्रावली नहीं दिखाई है ? यदि हां, तो क्या उक्त पट्टा को खारिज करने हेतु ग्रामवासियों ने दिनांक 24 फरवरी, 1990 को एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी को दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम शरण दास--

कथित ग्राम में दिनांक 28 अक्तूबर, 1989 को 16 बीघा 19 बिस्वा 04 बिस्वांसी भूमि आवंटित की गयी थी ।

उक्त भूमि सर्वश्री राम जियावन, हनोमान, बुद्धू, हुसैनी, हिरई, मथुरा, मोहारी, कल्लू, काशी, अवधराम, भोला सिंह, कैलाश, रमेश, मंशाराम, चन्दर, मोलहे, सियाराम, दयाराम, रामेश्वर, जगदीश तथा रामसनेही के नाम आवंटित की गयी है ।

यह प्रस्ताव वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में ही हुआ है और इस प्रस्ताव में ग्राम प्रधान श्री बैजनाथ ने अपने भतीजे श्री रमेश तथा उप प्रधान श्री सियाराम के पक्ष में भूमि आवंटन किया है और आवंटन पत्रावली अनुमोदन के पूर्व नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को प्रस्तुत नहीं की गयी ।

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र पर जांचोपरान्त पट्टे अनियमित पाये गये हैं, जिनके निरस्तीकरण सम्बन्धी वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित है ।

राज्य चीनी निगम में लागत सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रदत्त शुगर वेज बोर्ड का वेतनमान

160--श्री जय प्रताप सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य चीनी निगम में लागत सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को शुगर वेज बोर्ड का वेतन दिया जाता है ? क्या यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि लागत सहायक की नियुक्ति राज्य चीनी निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा विगत दस साल पूर्व की गयी थी ? यदि हां, तो चीनी निगम में कार्यरत सहायक अभियन्ता केमिस्ट एवं लैब इंचार्ज की भांति लागत सहायक को चीनी निगम द्वारा वेतन न दिए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि लागत सहायक का पद शुगर वेज बोर्ड में नहीं है ? यदि हां, तो शुगर वेज बोर्ड का वेतन देना कहां तक उचित है ? क्या पर्सनल कन्सल्टेन्ट श्री एम0 पी0 जैन ने लागत सहायक के वेतन के सम्बन्ध में कोई संस्तुति की है ? यदि हां, तो उनकी आख्या क्या है ? उसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया ?

श्री राम शरण दास--

जी हां ।

चीनी मिलों में कार्यरत लेखा संवर्ग के अन्य समकक्ष पदों के अनुरूप ही इन्हें शुगर वेज बोर्ड का वेतनमान दिया जा रहा है ।

जी हां ।

इन महत्वपूर्ण तकनीकी पदों पर अच्छे अभ्यर्थी प्राप्त हो सकें तथा निगम के अनुभवी कर्मचारियों का पलायन न हो, इस उद्देश्य से इन पदों के कर्मचारियों को निगम का वेतनमान दिया गया है ।

जी हां ।

कार्य की प्रकृति से यह पद लेखा लिपिकीय/लेखाकार सम्वर्ग का है, अतः इस पद के पद धारकों को वही वेतनमान दिया जा रहा है जो शुगर वेजबोर्ड में लेखा लिपिकीय/लेखाकार सम्वर्ग के लिए निर्धारित है, जो सर्वथा उचित है ।

श्री जैन ने इस सम्बन्ध में अपनी राय दी थी ।

उनकी राय के अनुसार क्वालीफाइड कास्ट असिस्टेंट को 10 वर्ष के अनुभव के बाद सीनियर कास्ट असिस्टेंट के पद पर रु0 770-1600 का वेतनमान दिया जा सकता है जो कि प्रोन्नति नीति के अन्तर्गत अन्य सम्वर्गों के साथ विचारणीय होगा ।

यह कार्मिक परामर्शी की रायमात्र थी, जो स्वीकृत नहीं हुई है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा चयनित सेल्समैनों का यूपिका प्रशासनिक समिति द्वारा अभ्यर्थियों का नियुक्तिकरण न किये जाने का निर्णय

161—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा वर्ष 1989 में यूपिका के लिए सेल्समैनों का चयन किया गया था ? यदि हां, तो कितने सेल्समैन चयनित हुए थे ? कितने को कार्यभार दे दिया गया है ? क्या इसी

विषय का प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2 मई, 1990 मुख्य मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, 91 सेल्समैनों का चयन वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा किया गया । यूपिका की प्रशासनिक समिति ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति न किये जाने का निर्णय लिया है ।

जी हां ।

विचार किया जा रहा है ।

जनपद महराजगंज, तहसील नौतनवां के कतिपय ग्रामों में सीलिंग में घोषित भूमि का पूर्ण विवरण

162—श्री अमरमणि—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील नौतनवा, जनपद महराजगंज के ग्राम बटई, डीहा, हरपुर पाठक, निपनियां, सिहोरवां, शीशगढ़ गजरही, भैंसहिया, बरगदवा, सेवतरी, सिंहपुर, पैंसियाबाबू, महरी धोडहवा, खैराटी, करमहवा, धोसिमहवा कजरी, टेढ़ी मनिकापुर बैरवा, बनकरवा, बैरवा चन्दनपुर चहदह और मुड़िला सिंहपुर, अयोध्या, झामट, तहसील फरेन्दा में कितनी भूमि सीलिंग में है कितने के वाद न्यायालय में लम्बित है ? क्या सरकार सीलिंग की भूमि पात्र व्यक्तियों में बटवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवा के ग्राम बटईडीह, हरपुर पाठक, निपनियां, सिहोरवां, शीशगढ़, गजरही, भैंसहिया, बरगदवा, सिंहपुर, सेवतरी, पैंसियाबाबू, महरी, धोडहवा, खैराटी, करमहवा, धोतिहवा, कजरी टेढ़ी, मनिकापुर, बैरवाबनकटवा, बैरवा-चन्दनपुर, चकदर, मुड़िला में सीलिंग में 308.85 1/2 एकड़ भूमि एवम् तहसील फरेन्दा के ग्राम मुडिला, सिंहपुर, अयोध्या तथा झामट में सीलिंग में 52.44 2/3 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई । अतिरिक्त घोषित भूमि का कुल योग 361.30 1/6 एकड़ है । इसमें से 158.44 एकड़ भूमि से सम्बन्धित वाद न्यायालय में लम्बित हैं तथा 168.64 2/3 एकड़ भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों में किया जा चुका है । 34.21 1/2 एकड़ भूमि न्यायालयों के आदेशों के अन्तर्गत खातेदारों को वापस कर दी गई है । आवंटन हेतु अविवादित अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है ।

जनपद महराजगंज में सीलिंग में घोषित भूमि का आवंटन

163—श्री अमरमणि—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज जनपद में सीलिंग में कितनी भूमि है ? कितनी भूमि का वाद न्यायालय में विचाराधीन है ? सीलिंग में प्राप्त कितनी जमीन पात्र व्यक्तियों में आवंटित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

महराजगंज जनपद में 6060.43 एकड़ भूमि सीलिंग में अतिरिक्त घोषित हुई है । 2778.86 एकड़ भूमि का वाद न्यायालय में विचाराधीन है । सीलिंग में प्राप्त 2039.69 एकड़ भूमि 4313 पात्र व्यक्तियों में आवंटित की गई ।

जनपद रामपुर के तहसील मिलक में राज्य सड़क परिवहन निगम का स्थायी डिपो स्थापित किये जाने की मांग

164—श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालय मिलक, जनपद रामपुर में राज्य सड़क परिवहन निगम का स्थायी डिपो स्थापित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31 जनवरी, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर परिवहन निगम द्वारा स्थायी डिपो स्थापित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद रामपुर के तहसील मुख्यालय मिलक में राज्य सड़क परिवहन निगम का स्थायी डिपो स्थापित करने विषयक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । माननीय विधायक का दिनांक 31 जनवरी, 1990 को जो पत्र प्राप्त हुआ है वह उक्त स्थान पर बस स्टेशन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है ।

प्रश्नगत स्थान पर परिवहन निगम द्वारा स्थायी डिपो बनाये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । जहां तक बस स्टेशन के निर्माण का प्रश्न है, निगम प्रबन्ध द्वारा डिपो स्टेशनों को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर बस स्टेशन निर्माण न कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

श्री रामराज रामपुर एवं डाक्टर सत्यपाल फैजाबाद बन्दियों को रिहा किये जाने की मांग

165—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामराज एवं डाक्टर सत्यपाल ने 24 वर्षों से जेलों में सजा काट रहे हैं ? क्या श्री रामराज रामपुर जिला जेल व डाक्टर सत्यपाल फैजाबाद जिला जेल में बंद है ? 24 वर्ष तक जेल में सजा काटने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सतीश प्रकाश—

जी हां, बन्दी राम राज जिला कारागार, रामपुर में निरुद्ध है । बन्दी ने दिनांक 28 जून, 1990 तक 25 वर्ष 2 माह 20 दिन की सपरिहार सजा काटी है । बन्दी डाक्टर सत्यपाल उर्फ डाक्टर ओम प्रकाश ने दिनांक 31 मार्च, 1988 तक पेरोल पर रिहा होने के पूर्व कुल 20 वर्ष 11 माह 2 दिन की सजा काटी है । सम्प्रति बन्दी पैरोल पर ही है ।

उपरोक्त बन्दीगण के प्रकरणों पर विचारोपरान्त उन्हें मुक्ति हेतु उपयुक्त न पाए जाने के कारण कारागार से रिहा नहीं किया गया ।

महोही को जिला बनाये जाने की मांग

166—श्री मूल चन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महोही को जिला बनाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक जिला घोषित कर देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

प्रदेश में नये जिलों व तहसीलों के सृजन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु मण्डल, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने तथा भारत सरकार द्वारा 30 जून, 1991 तक के लिए जनगणना के फलस्वरूप प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन पर लगायी गई रोक की समाप्ति के उपरांत ही यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

बभनान से गोण्डा मार्ग पर संचालित बस सेवा एवं बभनान से फैजाबाद बस सेवा चलाये जाने की मांग

167--श्री राम विशुन आजाद--

क्या परिवहन मंत्री, विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में बभनान छपिया, मसकनवां, मनकापुर होते हुये गोण्डा तक तथा बभनान से मसकनवां मनकापुर होते हुए फैजाबाद तक बस सेवा आरम्भ करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

बभनान से गोण्डा वाया छपिया मकनवा मनकापुर मार्ग पर बस सेवा संचालित है।

बभनान से फैजाबाद वाया मसकनवां मनकापुर बस सेवा चलाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गौर बभनान फैजाबाद, मसकनवां छपिया फैजाबाद एवं मनकापुर नवाबगंज फैजाबाद मार्गों पर सीधी बस सेवायें संचालित की जा रही हैं।

168--श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कानपुर हरदोई मार्ग पर संचालित बसों की संख्या

169--श्री धर्मज्ञ मिश्र--

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर डिपो से कानपुर हरदोई रूट पर परमिट के विपरीत कम बसें चलायी जा रही हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या सरकार हरदोई जनपद के डिपो को उक्त परमिट स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कानपुर हरदोई मार्ग पर 8 अस्थाई परमिटों के विपरीत 6 बसें चलाई जा रही हैं। बसों का तकनीकी खराबी चालक/परिचालक के अचानक अनुपस्थित होने तथा यात्रियों की अनुपलब्धता के कारण कम बसें संचालित हुई हैं।

कानपुर हरदोई मार्ग के संचालन के लिए कानपुर क्षेत्र द्वारा परिषद परिवहन प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त किये गये हैं। अतः इन्हें अन्य डिपो को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते हैं।

170--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

171--श्री रविकान्त गर्ग--

[अ० मंगलवार में अता० प्र० सं० 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय पालीटेक्निक मिर्जापुर के लौहकला अनुदेशक श्री इन्द्रासन शुक्ला के स्थानान्तरण आदेश

172—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री ने श्री इन्द्रासन शुक्ल, लौह कला अनुदेशक, राजकीय पालीटेक्निक मिर्जापुर का स्थानान्तरण जनपद आजमगढ़ में करने के सम्बन्ध में आदेश संख्या 296/वी0 आई0 पी0, दिनांक 21 जुलाई, 1989 एवं आदेश संख्या 339, दिनांक 3 अगस्त, 1989 निदेशक/सचिव प्राविधिक शिक्षा को दिया था ? यदि हां, तो उनके आदेशों का पालन न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके श्री शुक्ल का स्थानान्तरण आजमगढ़ जनपद में करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

आजमगढ़ में अनुदेशक, लौह कला का पद रिक्त न होने के कारण श्री शुक्ला का स्थानान्तरण उस समय नहीं किया जा सका था।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। श्री शुक्ल को आजमगढ़ में दिनांक 30 जून, 1990 से रिक्त होने वाले पद के विरुद्ध स्थानान्तरित करने का आदेश निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा दे दिया गया है।

हरदोई से माधोगंज होते हुए कुरसठ टाउन एरिया तक और बसे संचालित किए जाने की मांग

173—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई से माधोगंज होते हुए कुरसठ टाउन एरिया तक शासन द्वारा कितनी बसें स्वीकृत हैं ? कितनी बसें नियमित रूप से चलाई जा रही हैं ? शेष बसें कब तक चलाई जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार हरदोई से माधोगंज होते हुए कुरसठ तक दो बसों के संचालन की स्वीकृति है। वर्तमान में उक्त मार्ग पर केवल एक बस का संचालन हो रहा है। जिसके अच्छे प्रतिफल नहीं हैं। यदि इसके अच्छे प्रतिफल प्राप्त होंगे तो दूसरी बस का संचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

आवास विकास परिषद् द्वारा बरेली के सूरजभान जूनियर हाई स्कूल को दुचलिता मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से भूमि का आवंटन

174—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आवास विकास परिषद द्वारा अपनी योजनाओं में स्कूलों के लिए भूमि छोड़ी गई थी जिसे 26 मार्च, 1987 को पत्र संख्या 124 के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित मूल्य के 50 प्रतिशत के हिसाब से आवंटित किया गया था परन्तु शासनादेश 7323/11 मई, 1986/200/1481 दिनांक 11 नवम्बर, 1986 के अनुसार दरों का संशोधन कर दिया गया था ? यदि हां, तो बरेली स्थित सूरजभान जूनियर हाई स्कूल की जमीन जो योजना नम्बर 3 में क्रय की गई थी, का पूरा भुगतान उक्त दर से करने के बावजूद और धन मांगे जाने का क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बरेली स्थित सूरजभान जूनियर हाई स्कूल की भूमि के सम्बन्ध में उक्त संस्था ने दिनांक 8 मई, 1985 के विज्ञापन में 50 प्रतिशत की दर से आवंटन किए जाने हेतु दि0 30 मई, 1985 को आवेदन-पत्र दिया था तथा उस समय प्रभावी शर्तों को स्वीकार करने की सहमति दी थी। अतः शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 1986 इस प्रकार इस मामले में संगत नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में संस्था ने उपयोगिता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत शिकायत राज्य स्तरीय आयोग के समक्ष रखी जो दिनांक 5 जुलाई, 1989 को नामंजूर कर दी गई थी। इस आदेश के विरुद्ध संस्था ने राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की वह भी दिनांक 6 नवम्बर, 1989 को अस्वीकृत कर दी गई।

जिला हरदोई के ग्राम कन्धारी एवं अन्य कथित ग्रामों में पान की नष्ट फसल से प्रभावित व्यक्तियों को शासन द्वारा सहायता प्रदान किए जाने की मांग

175—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम कन्धारी, बासा, बरहत, सदामऊ, देबियापुर, इब्राहीमपुर, तहसील व जिला हरदोई में अधिक ठण्डक और कोहरा के कारण विगत शीत काल में पान की फसल नष्ट हो गई थी ? यदि हां, तो शासन ने प्रभावित व्यक्तियों को क्या राहत दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन द्वारा पान की फसल के पीड़ित किसानों को कब तक राहत प्रदान कर दी जाएगी ?

श्री राम शरण दास—

ग्राम कन्धारी, बासा, बरहत, सदामऊ, देबियापुर, इब्राहीमपुर की पान की फसल को विगत शीतकाल में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की क्षति हुई थी। प्रभावित व्यक्तियों की पान की फसलों को 50 प्रतिशत से कम क्षति तथा उनकी वार्षिक आय 5000 रु0 से अधिक होने के कारण कोई अहेतुक सहायता नहीं दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय में प्र0 व0 स0 के पद पर स्थानापन्न रूप से की गई प्रोन्नतियां

176—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में वर्ष 1970 के चयन के बाद तथा वर्ष 1978 के चयन में सीधी भर्ती से चयनित कर्मियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व की अवधि में प्रवर वर्ग सहायक के पदों की जो रिक्तियां उत्पन्न हुई उन पर उ0 प्र0 सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जो प्रोन्नतियां की गई थी क्या वे अभी भी चल रही हैं और तदनुसार प्रोन्नत कर्मियों की निरन्तर सेवा में एक दिन का भी व्यवधान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रवर वर्ग सहायक के पद पर प्रश्नगत प्रोन्नतियां उ0 प्र0 सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1942 में प्रोन्नति हेतु निहित नियमों के अन्तर्गत नहीं अपितु स्थानापन्न रूप से की गई थीं। रिक्ति उपलब्ध रहने तथा अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण स्थानापन्न व्यवस्था चलती रही है।

उ0 प्र0 सचिवालय में प्र0 व0 स0 के पद पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा नियमित चयन मे स्थानापन्न रिक्तियों को सम्मिलित किए जाने की जानकारी

177–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पद के लिए वर्ष 1978, 1981, 1983 तथा 1985 में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विज्ञापित रिक्तियों तथा विभागीय कोटा की रिक्तियों में क्या उक्त पद की स्थानापन्न रिक्तियों को भी सम्मिलित किया गया था ? यदि हां, तो कितनी–कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

जी नहीं ।

नियमित चयन हेतु स्थानापन्न रिक्तियों को सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था नियमों में नहीं है ।

178–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह––

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ0 प्र0 सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर वर्ष 1978 में उत्पन्न रिक्तियों का चयन आयोजित कराये जाने हेतु आयोग को सूचना

179––श्री महेन्द्र प्रताप सिंह––

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय पदोन्नति के मामलों में जिस अवधि में नियमित चयन आयोजित नहीं किये गये होते हैं उस अवधि में प्रतिवर्ष उत्पन्न रिक्तियों की गणना करके उन्हें लोक सेवा आयोग अथवा चयन समिति को तद्नुसार चयन सम्पन्न करने हेतु सूचित किया जाता है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर वर्ष 1978 में आयोग से चयन आयोजित कराने के पूर्व क्या उस अवधि, जिसमें आयोग द्वारा चयन आयोजित नहीं किये गये थे, में प्रतिवर्ष उत्पन्न रिक्तियों की गणना करके उन सभी रिक्तियों को आयोग को तद्नुसार चयन सम्पन्न करने हेतु सूचित किया गया था, जिसकी व्यवस्था उक्त पद की सेवा नियमावली के नियम 11 में भी है ? यदि नहीं, तो अस्थायी आधार पर रिक्तियों की गणना करके उन पर आयोग से चयन कराने के लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

जी हां ।

वर्ष 1978 में आयोग से चयन आयोजित कराने के पूर्व प्रतिवर्ष उत्पन्न रिक्तियों की गणना करके उन सभी रिक्तियों को सूचित किया गया था : किसी के दोषी होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

मथुरा के होटल मधुवन को तीन तारा होटल की प्रदत्त सुविधायें एवं बिल चार्जेज

180--श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर में कोई तीन तारा होटल भी है ? यदि नहीं, तो पर्यटकों से तीन तारा होटल के चार्जेज क्यों वसूले जाते हैं ? इसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार को जानकारी में है कि एफ0 एल0 6 लाइसेन्स न होने पर भी वहां होटल के कमरों में शराब की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

होटल का नाम न दिए जाने के कारण यह बताया जाना सम्भव नहीं है । फिर भी यदि आशय होटल मधुबन से है, जिसमें जिलाधिकारी मथुरा के अनुसार तीन तारा होटल की सुविधायें उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तीन तारा श्रेणी प्राप्त नहीं है, इसके अभिलेखों के निरीक्षण से पाया गया कि इस होटल द्वारा तीन तारा होटल के स्तर के बिल चार्ज नहीं किए जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा कोई मामला न तो पकड़ा गया है और न ही इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में आवास विकास प्राधिकरण के भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

181—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1984 में जनपद मऊ में आवास विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक आफ इंडिया में कुछ लोगों द्वारा पैसा जमा कराया गया था ? यदि हां, तो आवास विकास प्राधिकरण के उक्त भवनों का निर्माण कब तक पूरा करा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सन् 1984 में नहीं अपितु 1985 में मऊ में पंजीकरण खोला गया था । भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है ।

182—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आगरा के रजिस्ट्रार कार्यालय में श्रेणी 3 के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किए जाने की मांग

183—श्री किशन गोपाल—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के रजिस्ट्रार कार्यालय में श्रेणी 3 एवं 4 के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्रेणी 4 के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है। श्रेणी 3 के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के कोटे में एक कर्मचारी की कमी है।

अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी के मई, 1990 में अन्य जनपद में स्थानान्तरण हो जाने के कारण।

लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर संचालित बस सेवा द्वारा गोसाईंगंज यात्रियों को परिवहन सुविधा

184—श्री सन्त बख्श सिंह रावत—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रधान प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र सं0 529(1) जी0 जी0 एम0 ओ0 189, दिनांक 23 मार्च, 1989 द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम, लखनऊ, आजमगढ़ तथा फैजाबाद को इस आशय का पत्र दिया गया था कि उक्त डिपो की गाड़ियां लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर स्थित गोसाईंगंज बस स्टेशन पर अवश्य रुका करे? यदि हां, तो क्या उनका कार्यान्वयन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

आदेशों का कार्यान्वयन हो रहा है। प्रश्नगत मार्ग पर संचालित बस सेवायें गोसाईंगंज बस स्टेशन पर रुकती हैं तथा यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं।

उत्तर प्रदेश आवास–विकास परिषद् की लखनऊ योजना में श्रीमती समीना खातून को भवन आवंटित किये जाने की परिषद् द्वारा की गयी कार्यवाही

185—श्री जगदीश लाल—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि पंजीकरण संख्या एल0 डब्लू0/6449(5)–8–1–80, के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की लखनऊ नगर स्थित योजनाओं के लिये पंजीकृत श्रीमती समीना खातून को अभी तक किसी भी प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि इनके बाद पंजीकृत वर्ष 1985 तक के पंजीकृत अभ्यर्थियों को भवन आवंटित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो श्रीमती समीना खातून को भवन प्रदर्शन में अब तक सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं तथा इन्हें भवन कब तक आवंटित कर दिया जायेगा? क्या मन्त्री जी पंजीकरण के समय की वर पर उक्त आवंटन किया जाना सुनिश्चित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

भवनों का आवंटन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा किया जाता है जो एक अधिनियम के अन्तर्गत स्वशासी संस्था है। परिषद् ने इस प्रकरण का परीक्षण करने के बाद सूचित किया है कि श्रीमती समीना खातून जिनका पंजीकरण संख्या एल0 डब्लू0/डब्लू–6449(5) है, को अभी तक किसी भी प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं किया गया है। श्रीमती खातून पांचवें दौर की पंजीकृत व्यक्ति हैं तथा इस दौर के काफी व्यक्ति आवंटन से अवशेष हैं।

नगद क्रय पर सहमति देने वाले वर्ष 1985 के कुछ पंजीकृत व्यक्तियों को दुर्बल आय वर्ग के भवन-आवंटित किये गये हैं। यदि श्रीमती खातून भी नकद क्रय हेतु अपनी सहमति देती हैं तो उन्हें प्राथमिकता से भवन आवंटित कर दिया जायेगा यदि वह किस्त पर ही भवन लेना चाहती हैं तो उन्हें अगले आवंटन में स्वतः पद्धति से परिषद् द्वारा सम्मिलित कर लिया जायेगा।

पंजीकरण के समय को दर पर भवन परिषद् नियमानुसार आवंटित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आवंटन से पूर्व भवनों का अद्यावधि मूल्यांकन निर्माण लागत के अनुसार किया जाता है एवम् तदनुसार ही आवंटी से मूल्य लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की राजाजीपुरम् आवास योजना लखनऊ में स्थित भवन संख्या एफ-3613 का आवंटन

186—श्री जगदीश लाल—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा गौसिया हबीब, निवासी टकसाल चौक, लखनऊ के पंजीकरण संख्या एल0 डब्लू0/डब्लू, 2462 (5)-27-7-79, पर आवास-विकास परिषद् की राजाजीपुरम, कालोनी, लखनऊ में भवन संख्या एफ-3613 किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है? यदि हां, तो विधिवत् पंजीकृत अभ्यर्थी के भवन आवंटित न करके उसके पंजीकरण संख्या पर एक दूसरे व्यक्ति को भवन आवंटित किये जाने का क्या औचित्य है? क्या मन्त्री जी इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करा कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा श्री गौसिया हबीब को वरीयतानुसार उन्हें भवन आवंटित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मन्त्री जी पंजीकरण के समय की दर पर उक्त आवंटन किया जाना कृपया सुनिश्चित करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की राजाजीपुरम् आवास योजना, लखनऊ में स्थित भवन संख्या एफ-3613 का आवंटन आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय के पत्र संख्या 11214/सं0 प्र0 3/एफ-3613, दिनांक 23 मई, 1984 के द्वारा कुमारी गौसिया हबीब के पंजीकरण संख्या 2462(5) के विरुद्ध किया गया था। परन्तु आवंटी के द्वारा 6 माह से अधिक अवधि तक वांछित धनराशि जमा न करने तथा औपचारिकताओं की पूर्ति के अभाव में दिनांक 10 दिसम्बर, 1984 को उनका आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। कालान्तर में उक्त भवन का आवंटन नियमानुसार दिनांक 8 मई, 1985 को एक अन्य पंजीकृत व्यक्ति को कर दिया गया, जो उसका पात्र था। प्रश्नगत मामले में किसी भी स्तर पर कोई अनियमितता नहीं हुई है, अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। चूंकि सुश्री गौसिया हबीब का आवंटन/पंजीकरण बयाने की धनराशि जब्त करते हुये निरस्त किया जा चुका है, अतः वे भवन आवंटन के लिए अब अर्ह नहीं हैं।

उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में चकबन्दी की रिट याचिकायें

187—श्री तीरथ राज—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के द्वारा सन् 1982 में चकबन्दी से सम्बन्धित कुल कितनी याचिकायें (रिट पिटीशन) स्वीकार की गयी हैं? स्वीकृत याचिकाओं में से कितनी याचिकाओं में अन्तिम निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा पारित कर दिया गया है और कितनी याचिकायें अभी भी लंबित हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में वर्ष 1982 में चकबन्दी की 1203 रिट याचिकायें सुनवायी हेतु स्वीकार की गई थी, जिनमें से अब तक 290 रिट याचिकाओं का निर्णय हो चुका है तथा 913 रिट याचिकाएं अभी लम्बित हैं।

जनपद बस्ती के मुख्यालय पर स्थित राजस्व अभिलेखागार में ग्राम जिल्द बन्दोबस्त में श्रीमती शोभा देवी के नाम गलत इन्द्राज करने के आरोप में सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

198—श्री विनोद कुमार चौधरी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के सातवें मंगलवार को श्री शारदानन्द अंचल द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या–177 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील–बांसी, जनपद–बस्ती को प्राप्त कराये गये जिल्दबन्दोबस्त चकबन्दी के द्वितीय प्रति पर श्रीमती शोभादेवी के नाम चौपारा लाइन के ऊपर फर्जी पट्टे का अमलदरामद उल्लेख उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या उसे निरस्त किया गया ? यदि नहीं, तो उसे निरस्त न करने के क्या कारण है ?

श्री राम शरण दास—

जी हां।

उक्त फर्जी अमलदरामद को दुरुस्ती हेतु वाद पंजीकृत किया गया, परन्तु जनपद बस्ती के विभाजन पर नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर को अभिलेखों के हस्तान्तरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके कारण मामले की वर्तमान स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। जिलाधिकारी, बस्ती तथा सिद्धार्थनगर को सम्बन्धित पत्रावली तलाश करने तथा स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद बस्ती, ग्राम मनेतापुर के लेखपाल द्वारा फर्जी पट्टे के दुरुस्तीकरण हेतु तहसीलदार बांसी को की गयी शिकायत

199—श्री विनोद कुमार चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल ग्राम–मनेतापुर, तहसील–बांसी (बस्ती) में 17 फरवरी, 1986 को कोई रिपोर्ट तहसीलदार बांसी को किसी फर्जी पट्टे के गलत इन्द्राज को दुरुस्त करने हेतु 33/39 के अन्तर्गत की थी ? यदि हां, तो क्या फर्जी पट्टे का दुरुस्तीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां।

जनपद बस्ती के विभाजन पर नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर को अभिलेखों के हस्तान्तरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके कारण मामले की वर्तमान स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। जिलाधिकारी, बस्ती तथा सिद्धार्थनगर को सम्बन्धित पत्रावली तलाश करने तथा स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद देवरिया में कार्यरत चकबन्दी लेखपाल के फर्जी शैक्षिक प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

190—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशव कुमार शर्मा, सदस्य, विधान परिषद् का अभिलेख विभाग, गोरखपुर में कार्यरत किसी चकबन्दी लेखपाल के शैक्षिक प्रमाण-पत्र फर्जी होने से सम्बन्धित शिकायती-पत्र जुलाई/अगस्त, 89 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास—

श्री केशव कुमार शर्मा, सदस्य, विधान परिषद् का ऐसा कोई पत्र जुलाई/अगस्त, 89 में प्राप्त होना नहीं पाया गया है, परन्तु माननीय विधायक महोदय से सम्पर्क करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उन्होंने, श्री ब्रह्म देव सिंह पुत्र श्री दीप नरायन सिंह, चकबन्दी लेखपाल, जो पहले गोरखपुर में तैनात थे और वर्तमान समय में जनपद देवरिया में कार्यरत हैं, के विरुद्ध जन्म-तिथि तथा शैक्षिक योग्यता का फर्जी प्रमाण-पत्र देने की शिकायत की थी।

इस प्रकरण में प्रारम्भिक जांच श्री ब्रह्म देव सिंह की सेवा-पुस्तिका में उपलब्ध प्रमाणित टी० सी० के आधार पर जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा करायी गयी। सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से मिली जानकारी से श्री सिंह के मिडिल पास न होने और उनकी जन्मतिथि 1 जुलाई, 1925 होने की बात प्रकाश में आयी है। जांच शीघ्र, पूर्ण करके उचित कार्यवाही करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दे दिये गये हैं। 6

नैनीताल शहर में अवैध तरीके से भवन निर्माणों का प्राधिकरण द्वारा किया गया चालान

191—श्री किशन सिंह तड़ागी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल शहर में विगत कई वर्षों से निर्बाध गति से अवैध तरीके से भवन निर्माण कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने कौन-कौन से ठोस कदम उठाये हैं ? जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

अवैध निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 व 28 तथा इसके पश्चात् विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 1986 की धारा 25 व 26 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। विखण्डित प्राधिकरण ने 440 अनाधिकृत निर्माणों का चालान किया था तथा वर्तमान प्राधिकरण द्वारा 66 चालान किये गये हैं।

दिल्ली से दुधवा मार्ग एवं लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क वाया चकेरवा गौराहा-निघासन मार्ग पर बसों के संचालन की व्यवस्था

192—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र 72 निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों की सुविधा के लिये दिल्ली से दुधवा एवं लखनऊ से चकेरवा चौराहा और निघासन होते हुये दुधवा नेशनल पार्क तक राजकीय बसों को चलाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

दिल्ली से बुधवा मार्ग पर वर्तमान में अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर दिल्ली से पलिया सेवाओं का संचालन किया जा रहा है । पलिया से बुधवा की दूरी 10 किमी० है । इस पूरे मार्ग में बुधवा-पलिया-मैलानी निजी बसें संचालित हो रही है । वर्तमान में बुधवा के पर्यटक पलिया आकर दिल्ली के लिये सीधी सेवा का लाभ पा रहे हैं ।

लखनऊ बुधवा नेशनल पार्क वाया चकेरवा चौराहा-निघासन मार्ग के अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर लिय गये हैं । संचालन सम्बन्धी व्यवस्था की जा रही है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 3 जुलाई, 1990 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी । जो माननीय सदस्य अनुपस्थित होंगे उनको निरस्त माना जायेगा ।

पहली सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की, दूसरी श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की, तीसरी डा० दिनेश जोहरी की, चौथी श्री मूल चन्द्र की, पांचवी श्री हृदय नारायण की, छठी श्री रघुवर दयाल वर्मा की और सातवीं श्री बाबू सिंह की हैं ।

जैसा परम्परा रही है माननीय सदस्यों की सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाय ।

(नियम 301 की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी)

एक सदस्य—

यह तो देख लीजिये कौन-कौन नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है ।

लखनऊ जनपद में जल भराव से व्याप्त गंदगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रविदास मेहरोत्रा—

[माननीय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करते हुये कहना चाहता हूं कि लखनऊ पूर्व विधान सभा क्षेत्र के अनेको मोहल्लों एवं बस्तियों म जबर्दस्त जल भराव एवं गन्दगी व्याप्त हैं । शहर के नाले, गलियां एवं सीवेज प्रणाली पूर्णतया जाम हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ शहर में जल निकासी एवं सफाई की कोई कारगर योजना नहीं बनी है। बरसात का मौसम शुरू होते ही नाले एवं नालियां उफनाने लगी हैं। अनेकों मोहल्लों एवं बस्तियों में जबरदस्त जल भराव एवं गन्दगी से अनेकों प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं।

बरसात शुरू होने के बाद भी नालों एवं नालियों की सफाई न होने के कारण लखनऊ शहर की सड़कों एवं मोहल्लों में गन्दा पानी भर रहा है तथा घरों में गन्दा पानी जा रहा है। शहर के अनेकों मोहल्लों में सीवर लाइन चोक हो गयी है।

जल भराव, व्याप्त गन्दगी, नालों एवं नालियों की सफाई न होने के कारण जनता में जबर्दस्त रोष एवं असन्तोष व्याप्त है और जनता आन्दोलित हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करके सरकार से मांग करता हूं कि लखनऊ पूर्व विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त जल भराव, गन्दगी को दूर किया जाये, नालों एवं नालियों की सफाई करवायी जाये, चोक पड़े सीवर लाइन ठीक करवाये जाये, जहां सीवर लाइन नहीं पड़ी है वहां सीवर लाइन डलवायी जाय तथा सफाई करवाने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास किये जाय।]

जनपद ललितपुर में विद्युत वोल्टेज की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[मान्यवर, जनपद ललितपुर में सिर्फ मुख्यालय पर ही विद्युत् स्टेशन होने से उक्त जनपद में लाइनों की लम्बाई 800 किमी0 से भी अधिक हो गई है। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत के वोल्टेज की भयंकर कमी के कारण जनपद के सभी छोटे उद्योग, नलकूप एवं पेयजल व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो चुकी है। जिससे सम्पूर्ण जनपद में भय तथा आतंक का वातावरण पैदा हो गया है। जनपद में पूर्व स्वीकृत 4 विद्युत् स्टेशन, महरौनी, मडावरा विरधा, तथा तालबेहट भी अभी तक नहीं बनाये गये हैं। विद्युत् परिषद् द्वारा उक्त विद्युत् स्टेशन हेतु स्वीकृत होने के पश्चात् भी पैसा न देने से यह स्थिति उत्पन्न है। समस्त जनपद वासी आन्दोलित पर उतारू हैं। साथ ही बिजली की लाइनों की व्यवस्था भी जीर्ण-शीर्ण होने से अनेक घटनायें होती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं शासन से मांग करता हूं कि सभी विद्युत् स्टेशन तुरन्त बनाये जावें तथा लाइनों को तुरन्त ठीक कराया जाये।]

बरेली महानगर में पतंग उद्योग से विकीकर माफ किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर दिनेश जौहरी—

[मान्यवर, बरेली महानगर में लगभग 10 हजार गरीब औरतें, मर्द एवं बच्चे पतंग बनाने का कार्य करते हैं। प्रदेश भर इस कुटीर उद्योग में लाखों लोग लगे हुये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अच्छी पतंग बनाने का काम कला, हाथ की सफाई और तजरबे पर निर्भर करता है। पतंग बनाके बेचने वाले कारीगरों को आज कल बिक्रीकर के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इस उद्योग में लगे प्रतिशित गरीब लोग ठीक से हिसाब-किताब नहीं रख पाते हैं इसके कारण उन्हें बिक्रीकर के मामले में भारी अर्थ दण्ड उठाना पड़ता है।

पतंग, मंझा व चरखी एक ही कुठीर उद्योग से उत्पादित होते हैं मंझे पर से वर्ष 1988 में गत सरकार बिक्रीकर समाप्त कर चुकी है। चरखी पर से भी टैक्स माफ करने पर विचार कर रही है। यदि पपंग पर भी सेल्स टैक्स माफ कर दिया जावे तो इस उद्योग में गरीब लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

मैं मांग करता हूं कि पतंग उद्योग से सेल्स टैक्स माफ किया जावे।]

जनपद वाराणसी में भदोही क्षेत्र में सिनेमाहाल के ध्वस्त होने से दबकर मरने वालों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूल चन्द्र—

[माध्यवर, मेरे क्षेत्र के भदोही वाराणसी में रंग-तरंग सिनेमा हाल चालू होने के एक महीने में ही क्षतिग्रस्त हो जाने से 7 लोगों की दबकर मृत्यु हो गई दर्जनों लोग घायल हो गये हैं। उक्त हाल वाराणसी का एक सेठ जी का है जो दिनांक 29 मार्च, 1990 को बना हुआ है और दिनांक 28 अप्रैल, 1990 को ध्वस्त हो गया जब मैं मौके पर गया तो लोगों ने बताया कि मात्र 5-6 महीने में यह हाल तैयार किया गया पास भी हो गया, यह भी कहा कि छूट लेने के लिए रिश्वत लेकर पास कराया गया और इंजीनियर की मिली भगत से पास हुआ है। इस हादसे के सम्बन्ध में दिनांक 2 मई, 1990 ईसवी को मुख्य मन्त्री को लिखित रूप से अवगत कराया मुआवजा देने के लिए मृतक परिवार को और घायलों के अनुदान मुख्य मन्त्री कोष से देने तथा मालिकान के तरफ मृतक परिवार वालों को आज तक कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया है। इस प्रकार और इसी सोजन में एक और रंगमहल सिनेमा हाल रिश्वत देकर पास कराया गया है उसकी भी हालत संदिग्ध है। जांच कराकर सिनेमा मालिक से मुआवजा व अनुदान दिलवाया जाय और मृतक परिवार वालों को आने विवेकाधीन कोष से सहायता दिये जाने की मांग करता हूं। साथ ही साथ घायल लोगों के उपचार व उन्हें भी आर्थिक सहायता दिलाये जाने का अनुरोध करता हूं।]

जनपद उन्नाव के नगर क्षेत्र समितियों द्वारा बनाये गये प्रस्ताव को जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नारायण—

[माध्यवर, उन्नाव जिले की नगर क्षेत्र समितियों द्वारा वर्ष 1989-90 के कार्यों के लिए बनाए गए प्रस्तावों का जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन न किये जाने से पूरे जनपद की सभी नगर क्षेत्र समितियों के विकास कार्य ठप्प हैं। टाउन एरिया पुरवा ने तो एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विकास कार्यों के टेण्डर न पास किये जाने की निन्दा भी दिनांक 26 जून, 1990 को इसी सप्ताह की है। इसके पूर्व इसी प्रकार टेण्डर अनुमोदन में टालमटोल किये जाने के विरुद्ध नगरपालिका उन्नाव की बैठक में भी जिला अधिकारी के आचरण पर मार्च, 1990 में रोष व्यक्त किया गया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिले की सभी नगर क्षेत्र समितियों के विकास कार्यों के प्रस्ताव लम्बित हैं। पुरवा नगर क्षेत्र समिति ने निन्दा प्रस्ताव किया है, शेष नगर क्षेत्र समितियां भी ऐसा ही प्रस्ताव करने जा रही हैं, जन रोष है।

विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है इसलिए आदरणीय सदन के संज्ञान में लाते हुये आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद के नगर व देहात में विद्युत संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[मान्यवर, फिरोजाबाद नगर व देहात में गत एक सप्ताह से विद्युत आपूर्ति में निरंतर अवरोध होने से रोस्टिंग के अतिरिक्त 4-5 घंटे तक बिजली नहीं मिलती है। इस कारण समूचा कारोबार ठप्प हो गया है चूड़ी के कटाई और कांच के कटाई तथा अन्य अनेक उद्यम बिजली के संकट के कारण बन्द होकर हजारों मजदूरों को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है। सवेरे 6 बजे बिजली जाने के बाद 12-1 बजे के करीब आती है और सांयकाल 7 बजे के कभी 11-30 बजे कभी 12-30 बजे के पहले बिजली प्राप्त नहीं होती। इस कारण सभी उद्यमी और मजदूर बेकार हैं और भारी आक्रोश है इतना ही नहीं फिरोजाबाद में एक पेयजल सम्पूर्ति बिजली के बन्द होते ही बन्द हो जाती है और पेयजल का संकट खड़ा हो जाता है। समस्त पेयजल के राष्ट्रीय नलकूप जितनी अवधि तक बिजली जाती है उपरोक्त अवधि तक बन्द रहते हैं। इस कारण जल सम्पूर्ति नहीं हो पाती है। 4 दिन से लगातार पेयजल और विद्युत संकट से उत्पन्न मजदूर भूखमरी को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन, सड़क जाम और सरकारी अदालतों पर धरने दिये जा रहे हैं। जिससे स्थिति भयावह बन गई है कभी आन्दोलन खड़ा हो सकता है बिजली विभाग के अधिकारी मदान्ध हैं और बगैर पैसा लिये ट्रान्सफार्मर जो जल गये हैं उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न के द्वारा सरकार से आग्रह करता हूं कि फिरोजाबाद में विद्युत आपूर्ति 14 घंटे सुनिश्चित की जाय और ट्रान्सफारमर, तार, खम्भा आदि उपलब्ध कराय जायें तथा रोस्टिंग से अधिक बिजली कटौती पर रोक लगायी जाये। विद्युत की लाइन जो पेयजल का नियमित हैं उन पर विद्युत सम्पूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित की जाय ताकि पेयजल संकट न हो सके।]

जनपद अलीगढ़ के ग्राम खिरतोली के गंगा के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू सिंह—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम किरतोली, तहसील अतरोली, जिला अलीगढ़ गंगा के बाढ़ की कटाव के कगार पर पहुंच गया है और उस गांव के कटते ही गंगा बुढ़ गंगा में आ जायेगी जिससे 10 गांव बुढ़ गंगा के बाढ़ के प्रभाव और कटाव की लपेट में आ जायेंगे। सरकार की ओर से उक्त कटाव को रोकने का अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ है जिसके कारण समूचे जनपद में रोष और शोक का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय सिंचाई मन्त्री जी से तत्काल कटाव को रोकने की मांग करता हूं।]

सदन में लोक महत्व की सूचनाओं पर चर्चा आरम्भ होते ही शासन पक्ष द्वारा कोरम का प्रश्न उठाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष--

आज औचित्य की कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं....

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है 301 के सम्बन्ध में यहां पर कई बार यह बात आती है....

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय नहीं बाद में, मैं औचित्य के प्रश्न ले रहा हूं। औचित्य के प्रश्न पर 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, दूसरी श्री कुंवर सिंह नेगी, तीसरी श्री विमल प्रसाद तिवारी, चौथी श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, पांचवी श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी व श्री चेतराम, छठीं श्री रविकांत गर्ग। पहली दो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा दूसरी श्री कुंवर सिंह नेगी की सूचनाओं पर मैं उनको सुनूंगा शेष सूचनायें नियम 300 में नहीं आती हैं इसलिए अस्वीकार की जाती हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं महत्वपूर्ण मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन में एक विशेष परिपाटी पड़ गयी है कि जब 7 बजने को होते हैं और लोक महत्व की सूचनाओं पर इस सदन में चर्चा शुरू होती है तो उस समय सत्ता पक्ष के लोग जानबूझ कर कोरम का सवाल उठाते हैं। आपके स्वयं संज्ञान में होगा कि मन्त्री पद पर विराजमान लोग भी अपने दल के सदस्यों से जाने के लिये कहते हैं। आपकी तरफ से कोरम की घंटी बजती है, कोरम की घंटी के माने हैं कि आप लोगों को बुला रहे हैं कि सदन में आयें और यहां कार्यवाही में भाग लें। एक तरफ से आपकी तरफ से आदेश यह हुआ, तो आपके आदेशों की अवहेलना आपकी आंखों के सामने होती है जो संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ है। आप देखें यह 5 मार्च, 1984 की कार्यवाही है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप संक्षेप में बात करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उस समय इस कुर्सी पर माननीय अध्यक्ष विराजमान थे उन्होंने जो निर्णय दिया मैं उसे पढ़ना चाहता हूं "शासन पक्ष की जिम्मेदारी है कि कोरम की व्यवस्था रखें, भविष्य में इस प्रश्न पर खासतौर से ध्यान देना चाहिये। तो यह अपेक्षा शासन पक्ष से है कि वह कोरम को मेनटेन करने के लिये जिम्मेदार है। आश्चर्य तब होता है जब शासन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पक्ष के लोग खुद जानबूझ कर यहां पर कोरम का सवाल उठाते हैं। मैं आपका ध्यान केन्द्रीय विधान सभा स्थायी आदेश संख्या 25 की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें दिया गया है कि यदि कोरम की व्यवस्था खड़ी हो जाये तो आप गिनती कर लें, लेकिन यह ठीक नहीं है कि हर 5 मिनट बाद कोरम की व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाये।

मान्यवर, केन्द्रीय विधान सभा, स्थायी आदेश 25 में उपबन्ध किया गया, जो संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार पुस्तक के पृष्ठ संख्या 362 पर दिया गया है—

"यदि यह (अध्यक्ष) सभा के दौरान किसी भी समय किसी सदस्य द्वारा मांग के परिणाम स्वरूप सदस्यों की गिनती करें और वह देखें कि 25 सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो वह सभा को उस अगले दिन तक के लिये स्थगित कर दें जबकि सामान्यतया सभा की बैठक होनी हो।

परन्तु उपस्थित सदस्यों की गिनती किये जाने के एक घंटे के अन्दर पुनः सदस्यों की गिनती नहीं की जायेगी।"

तात्पर्य बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिये कोरम की घंटी बजवाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

इसी सम्बन्ध में लोक सभा की कार्यवाही 16 मार्च, 1963 में लिखा है पहले अंग्रेजी में बता दूं फिर हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा—

सि० डिप्टी स्पीकर दें कनेक्शन आफ दें हाउस इज दैट विदइन दम आवर कोरम विल नाट बी चैलेन्जड बी रैंग द बेल ऐट 4 ओ क्लाक प्लीज वेट टिल 5 ओं क्लाक।—

मान्यवर, सदन की परम्परा है कि एक घंटे के भीतर कोरम की चुनौती नहीं दी जायेगी। मैंने 4 बजे घंटी बजायी थी, कृपया 5 बजे तक प्रतीक्षा करें।

मान्यवर, एक और परिपाटी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और वह यह कि इस आदरणीय सदन में पहले मौनावकाश होता था जो बाद में समाप्त कर दिया गया लेकिन परिपाटी थी कि 1 से 2.30 बजे तक कोरम की व्यवस्था नहीं होगी और दूसरी बात सदन 11 से 5 बजे के बाद चल रहा है और समय बोलने के लिये दिया गया है तो सत्ता पक्ष से कोरम की बात नहीं करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में लोक सभा की कार्यवाही दिनांक 29 मार्च, 1963 में श्री राम सेवक यादव ने बोलते हुए कहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उस वक्त समय दिया गया है, जब सदन में कोरम नहीं है। मुझे कुछ ऐसी बातें कहनी थीं, जिनको अगर इस सदन के माननीय सदस्य सुनते, तो शायद हमको बल मिलता, लेकिन इस समय कोरम नहीं है।

उक्त पर माननीय उपाध्यक्ष ने कहा—

"इफ यू आस्क फार कोरम यू मे नाट बी एबिल टू हैव योर से नाऊ इट इज एन एक्सटेन्डेड डिबेट एन्ड नो कोरम इज नेसेसरी"

हिन्दी में है कि डिबेट इक्सटैंड की गयी है इसलिये इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं है। तो यह परिपाटी है और अकारण कोरम की बात उठाकर सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहिए और इसमें सत्ता पक्ष को कोरम पूरा करने की बात है। लेकिन दुख है कि चर्चा लगी है किन्तु बीच में खड़े हो जायेंगे जान बूझकर को कोरम पूरा नहीं है चूंकि सरकार को उत्तर न देना पड़े और मंत्री उत्तर देने से छुटकारा पा जायं। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कोरम की घंटी बारबार न बजायी जाये और घंटी बजाने के बाद सदन से सदस्यों का चला जाना क्या अशिष्टाचार नहीं है?

श्री पंचानन राय--

तो उसकी सत्ता पक्ष के सदस्य अनावश्यक टोकाटाकी नहीं करेंगे

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए

(व्यवधान)

वह बैठें तो मैं कहूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री यादव जी, माननीय चौधरी जी कृपया बैठें । आप जानते हैं हल्की-फुल्की, थोड़ी-बहुत नोकझोक तो हो ही जाती है ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

इससे किसी को पीड़ा हुई है, चौधरी जी को पहुंची है तो ये पुनः रहता है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की ओर से खड़े होकर जो अनावश्यक व्यवधान पैदा किया जाता है, इस पर भी वह ध्यान दें । यह जो सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की ओर से अनावश्यक व्यवधान खड़े होकर पैदा किया जाता है, उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । आपने जब एक औचित्य के सवाल पर गुप्ता जी को सुन लिया था और संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकार लिया था, तो फिर बाद में बीच में एक अन्य सदस्य को उस पर कैसे बोलने का अवसर दे दिया गया, यह अनावश्यक ही तो हुआ है । यदि यह परम्परा पड़ेगी कि अन्य सदस्य भी इसमें बोलें तो यह चर्चा कभी समाप्त नहीं होगी, सबका बहुत समय इसमें लग जाएगा । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

आपने खुद कहा, जैसा पंचानन राय जी ने अनावश्यक शब्द लगाया, मैं आप से यह पूछना चाहता हूं,

(व्यवधान)

जब वह खड़े होते हैं तो सत्ता दल के लोग अनावश्यक समय जाया करते हैं ऐसा ये हमेशा करते हैं तो जो प्रश्न आपके समने प्रस्तुत हो जाते हैं और आपकी सहमति हो जाती है तो वह किसी सदस्य का न रह कर सारे सदन का हो जाते हैं तथा उस पर जिस किसी का भी नाम आपकी ओर से निर्देशित होगा, उसको बोलने का समय मिल जाएगा और वह आपकी आज्ञा से बोलेगा तो ऐसी हालत में जब कोई सदस्य आपकी आज्ञा से बोलता है तो इस तरह माननीय सदस्य के अनावश्यक शब्द उसमें लगाना संसदीय परम्परा के यह विपरीत है । यह पुराने सदस्य हैं, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

चौधरी जी, अब तो बैठ जाएं ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

माननीय गुप्त जी ने जो सवाल उठाया, वह नियम 300 के अन्तर्गत भी नहीं आता है कोरम नहीं है तो कार्यवाही नहीं होती है । उनके कहने का मुख्य आशय यह है कि यह सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है कि वह सदन में कोरम बनाए रहे । तो गुप्त जी काफी अध्ययनशील सदस्य हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि वह एक तरफा अध्ययन करके ही यहां बात रखते हैं और यह बात भी रखी है । उन्होंने लोक सभा की भी बात रखी। वह विधान सभा की कार्यवाही देखें तो 7 मई, 1979 को इसी तरह का सवाल यहां उठाया गया था तो उस पर आपकी पीठ से व्यवस्था हुई कि कोरम बनाए रखना नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों की ही जिम्मेदारी है । इस तरह यदि माननीय गुप्ता जी अपने को विरोध पक्ष में समझते हैं जैसा कि है नहीं, तब भी कोरम बनाए रखना उनके दल की जिम्मेदारी थी और यदि वह सत्तपक्ष में अपने को समझते हैं तो भी उनकी जिम्मेदारी है कि कोरम को बनाए रखें । दोनों की स्थितियों में यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वह कोरम बनाए रखते । हर हालत में वह अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं ।

(व्यवधान)

माननीय गुप्त जी चिन्तन करें तो उनका दल ही पर्याप्त है सदन में कोरम बनाए रखने के लिए

(व्यवधान)

मैं आपके बीच में तो नहीं खड़ा हुआ हूं, यह वैसे मेरे बीच में खड़े हो गये । मैं नहीं बैठ रहा हूं, यह कैसे खड़े हो गये । इस तरह यह जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है कि सदन में कोरम बनाए रखा जाए । आपकी पीठ से व्यवस्थाएं भी इस तरह की हैं कि दोनों नेता सदन और नेता विरोधी दल इसके लिए जिम्मेदार हैं कि सदन में कोरम नहीं है तो नियमों के विपरीत कोई कार्यवाही नहीं होगी । जो लोग इस तरह के प्रश्न उठाते हैं वे सदन की कार्यवाही को नियमित करने की ही कार्यवाही करते हैं । सदन में कोरम नहीं है तो कार्यवाही नहीं होनी चाहिए । कोरम यदि गुप्त जी रखना चाहें तो उनका दल ही पर्याप्त है और मैं प्रयास करूंगा कि हमारे दल के लोग अन्त तक बैठे रहें ।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

माननीय संसदीय कार्यमन्त्री जी ने कहा कि माननीय राजेन्द्र प्रसाद गुप्त जी, उनके कहने के अनुसार विरोध पक्ष के नेता हैं । तो वह विरोध पक्ष के नेता हैं या सत्ता पक्ष के, यह आप स्पष्ट करवा दें ।

(श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कोरम रखने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है । तो मान्यवर, आप विनती करवा लीजिये कि उनके पक्ष में कितने लोग हैं और हमारे पक्ष में कितने लोग हैं ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्यमन्त्री और माननीय गुप्ता जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है। सभी सम्मानित सदस्यों, दल के नेताओं और विशेष रूप से संसदीय कार्यमन्त्री जी से और सम्पूर्ण सदन से मेरा यह अनुरोध है कि सभी मिलकर यह प्रयास करें कि सदन में कोरम रहे। जब महत्वपूर्ण विषय यहां पर उठाये जाते हैं। सभी माननीय सदस्यों से, चाहे वह इस पक्ष में बैठे हों या उस पक्ष में हों, मैं अनुरोध करूंगा कि सदन में रहकर कोरम बनये रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष पीठ से जब कुछ बोला जाता है तो बीच में और किसी सदस्य को नहीं बोलना चाहिये। मैं सम्मानित नये सदस्यों से, खास तौर से अनुरोध करूंगा कि जब सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही हो, तो आप लोग अधिक से अधिक समय यहां रहें जिससे आप लोगों को संसदीय परम्पराओं का ज्ञान होगा, नियमों का ज्ञान होगा और आप कुछ सीखेंगे। वैसे तो सदन को चलाने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व सभी पर है। हालांकि गुप्ता जी ने लोक सभा का यहां पर उद्धरण पढ़कर सुनाया है। लेकिन जैसा कि संसदीय कार्यमन्त्री जी ने पढ़कर सुनाया कि कोरम को बनाये रखने का उत्तरदायित्व माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल का है। मैं फिर आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सदन में कोरम बनाये रखें।

श्री मूल चन्द्र--

मान्यवर, मेरी एक व्यवस्था है। आप कह रहे हैं कि नये सदस्य सदन छोड़कर न जायें, कोरम को पूरा रखें। मान्यवर, आपका निर्देश सर्वोपरि है मगर मेरा निवेदन है कि आप नये सदस्यों को बोलने का मौका नहीं देते हैं।

सत्रकाल में जिलाधिकारी द्वारा समितियों की बैठकें बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(व्यवधान)

(श्री कुंवर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया सभी माननीय सदस्य बैठ जायें मैंने नेगी जी को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द्र--

नये सदस्यों के लिये आपसे निवेदन किया था उसके लिये क्या व्यवस्था है

श्री उपाध्यक्ष--

आपका निवेदन स्वीकार है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, नियम यह है, व्यवस्था यह है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सब लोग शान्त हो जायं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, नियम यह है कि समितियों की बैठकों में सत्रकाल के दौरान, जबकि यहां बैठक हो रही हो कोई बैठक न बुलाई जाये। मान्यवर मुझको, चमोली से भूमि संरक्षण अधिकारी का पत्र मिला, जो दो जुलाई, 1990 को दस बजे जिला कार्यालय गोपेश्वर म भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी, इस सम्बन्ध में था। मान्यवर, पिछले महीने 15 जून को यह मामला मैंने औचित्य के प्रश्न के रूप उठाया गया था आपका पीठ से समय-समय यह निर्देश हुये कि किसी भी समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी नहीं करेंगे, इसमें माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने उत्तर में कहा था कि "मान्यवर, माननीय नेगी जी ने जो प्रश्न उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया है। जन प्रतिनिधियों का सम्मान अधिकारियों से ज्यादा होना चाहिये, इसमें आपके और हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, इस सम्बन्ध में पहले से ही निर्देश हैं। सिर्फ भारत सरकार के अधीन जो समितियां गठित होती हैं उनको छोड़कर, उनमें हमारा नियन्त्रण नहीं है और जो तकनीकी है, बाकी सभी समितियों के अध्यक्ष जनप्रतिनिधि होंगे। इस सम्बन्ध में पहले से भी स्पष्ट आदेश हैं मैं पुनः इन आदेशों को हर जिले को भिजवा दूंगा और इसका कड़ाई से पालन कराऊंगा जनप्रतिनिधियों के समादर में कोई कमी न रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

इसमें दो प्रश्न हैं। आपकी पीठ की अवहेलना शासन वर्ग द्वारा की जा रही है। उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। यह न तो तकनीकी समिति है न केन्द्र सरकार की समिति है फिर इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी कैसे कर रहे हैं। जब विधान सभा का सत्र चल रहा है और बैठक हो रही है तो कैसे मीटिंग बुला ली गयी। यह महत्वपूर्ण बठक है। सत्र के दौरान वहां नहीं जाया जा सकता है इसमें पहले भी आपकी पीठ से निर्णय दिये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश भी है। मुख्य सचिव के अ0 शा0 पत्र संख्या 1542(2) सं0/17-79-9 सं0 1979, दिनांक 21 फरवरी, 1979 का है, यह समस्त मंडलायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष समस्त जिलाधिकारी, सचिवालय के समस्त अनुभाग को भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। आपने जो कहा है वह पर्याप्त है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

उसमें कहा गया है कि जैसा कि आपको विदित है कि विधान मंडल के माननीय सदस्य विभिन्न स्तरों पर बहुत सी समितियों से सम्बन्धित हैं। यह देखा गया है कि इन समितियों की बैठकें कभी-कभी ऐसे अवसरों पर होती हैं कि जिसमें माननीय सदस्य भाग नहीं ले पाते हैं। अतएव, मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि विभिन्न समितियों आदि की बैठकें, जिसमें विधान मंडल के माननीय सदस्य भी हों...

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

सदनों के सत्र के दौरान उन दिनों न रखी जायें जब विधान मंडल के सदनों की बैठकें चल रही हों। सदनों के सत्र के अवसर पर इन बैठकों को यथा सम्भव शनिवार अथवा रविवार (जब सदन की बैठक न हो रही हो) रखा जाना चाहिये।

कृपया उपरोक्त का ध्यान रखते हुये कार्यवाही करें। मान्यवर, इन आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। परम्पराओं का अनुपालन नहीं हो रहा है। इस पीठ के निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। इसलिये मैं इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में उठा रहा हूं। यह औचित्य के प्रश्न की परिधि में आता है। मेरे इस प्रश्न को आप गम्भीरता से लें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद)—

मान्यवर, माननीय नेगी जी ने जो जिलों में होने वाली बैठकों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाया है उस सम्बन्ध में पहले से भी आदेश हैं और कल ही, 2 जुलाई को एक और यहां से अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। यह पत्र सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों, सचिवों, विभागाध्यक्षों और सचिवालय के समस्त अनुभागों को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि जब सत्र चल रहा हो तो शनिवार और रविवार को छोड़कर कोई बैठक न आहूत की जाय। जो आपने इस सम्बन्ध में शिकायत की है उसको हम अलग से दिखवा लेंगे। जो इस सम्बन्ध में पहले से आदेश हैं और जो कल आदेश भेजे गये हैं उनके अनुपालन के बारे में हम कहेंगे कि इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

*श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

अभी हमारे माननीय नेगी जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया। जिसके उत्तर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वह अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। मान्यवर, ऐसे निर्देश कई बार हो चुके हैं और नियम 301 में भी हम लोग जो सवाल करते हैं उनका एक सप्ताह में अंतरिम उत्तर और 30 दिन में अंतिम उत्तर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनके अधिकारी इनकी बात नहीं मानते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने यह मीटिंग रखी है उसके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, अधिकारियों को यह इतना बिगाड़ गये हैं कि थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन वह ठीक हो।

श्री रविकांत गर्ग—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय, सदस्य आप बैठ जायं, मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री रविकांत गर्ग—

मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है। आधे मिनट सुन लीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

जिनको अस्वीकार किया है उन्हें नहीं सुना जाएगा। आप समय नष्ट न करें।

श्री रविकान्त गर्ग--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

वह कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा।

जो प्रश्न माननीय कुंवर सिंह तेंगी ने उठाया है उस सम्बन्ध में मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि जो आदेश हैं उनका पालन सुनिश्चित करायें। सदन चल रहा हो तो समितियों की बैठकें न रखी जायं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

इसी के बारे में मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने निर्णय दे दिया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आपकी शिरोधार्य है। मेरा निवेदन है कि जिलों में जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य किया करें।

श्री अमरमणि--

आपकी व्यवस्था के बावजूद भी यह खड़े हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

हमारी बिना अनुमति के जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जाएगा।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सभ्य निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 2 जुलाई, 1990 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के अनुमोदित कार्यक्रम में से दिनांक 3 जुलाई, 1990 से दिनांक 20 जुलाई, 1990 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने के सिफारिश की है :--

3 मंगलवार (1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्यय क के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(2) विधायी कार्य (संगत नियमों को निलम्बित करते हुए) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार एवं उसका पारण। आधा घंटा

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(पढ़ा हुआ माना जाय की आवाजें)

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(पढ़ी हुयी मानी गई कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें निम्न लिखित हैं ।)

[4 बुधवार

5 गुरुवार

बैठक नहीं होगी ।

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्यय के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) विधायी कार्य—

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधि मान्यकरण) विधेयक 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण आधा घंटा ।

(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिए गए निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण तथा उस पर एक घंटे की चर्चा ।

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति प्रदेश में उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाय और इसे प्रभावी बनाने के लिए सम्बन्धित चयन बोर्ड के सदस्य उक्त तीनों वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में रखे जायं ।"

6 शुक्रवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

निम्नलिखित विधायी कार्य—

(क) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पर विचार एवं उसका पारण—आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पर विचार एवं उसका पारण आधा घंटा ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(3) प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घंटा

7 शनिवार — बैठक नहीं होगी ।

8 रविवार — (1) वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

9 सोमवार — (2) निम्नलिखित विधायी कार्य ।

(क) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

(3) प्रदेश के थाना और जिला स्तर के मालखानों में अरबों रुपये का सामान गायब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 दिनेश जौहरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घंटा ।

10 मंगलवार — (1) वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिए गए निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण तथा उस पर चर्चा—

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद आजमगढ़ को नया मण्डल बनाना जाय ।"

11 बुधवार — (1) वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) प्रदेश में खाद्य तेलों, नमक एवं मिट्टी के तेल तथा भवन निर्माण सामग्री जैसे ईंट, लोहा, सीमेंट आदि के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घंटा ।

12 गुरुवार — (1) वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिए गए निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण तथा उस पर चर्चा—

"इस सदन का निश्चित मत है कि आजमगढ़ के त्वरित विकास के लिए वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाय ।

13 शुक्रवार (1) वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान :

14 शनिवार
15 रविवार } बैठक नहीं होगी ।

16 सोमवार
17 मंगलवार
18 बुधवार } वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्यय के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

19 गुरुवार (1) वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्यय के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) प्रदेश में नीलगायों द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घंटा ।

20 शुक्रवार वित्तीय वर्ष 1990–91† के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना अभी माननीय उपाध्यक्ष ने दी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†दिनांक 17 जुलाई, 1990 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 3 जुलाई, 1990 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से निवेश संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनाएं चयनित की गयीं :—

पहली सूचना (1) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र शुक्ल, श्री दौलत राम (2) श्री कुंवर सिंह नेगी (नियम 311 में प्राप्त) झांसी बाल सुधार गृह से फरार 9 बाल कैदियों द्वारा दो सशस्त्र पहरेदारों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में हैं।

दूसरी सूचना डा0 दिनेश जौहरी की—प्रदेश में छापे में पकड़ी गयी औषधियों के परीक्षण हेतु मात्र दो प्रयोगशालाएं होन से औषधि परीक्षण में विलम्ब होने के सम्बन्ध में हैं।

तीसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी दादा की—वाराणसी नगर में गन्दगी के कारण संक्रामक रोगों के प्रकोप से लगभग 10 व्यक्तियों की मृत्यु तथा कई लोगों के अस्पताल में भर्ती होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं।

चौथी सूचना श्री बाल चन्द्र मिश्रा की—जनपद उन्नाव की थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा पत्रकारों को अपमानित किये जाये के सम्बन्ध में हैं।

पांचवीं सूचना श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य की—भारत सरकार के कण्ट्रोलर एवं आडीटर जनरल द्वारा प्रदेश सरकार की वरिष्ठ शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं का खुलासा किये जाने के सम्बन्ध में हैं।

छठीं सूचना श्री अमर नाथ यादव की—काशी विद्यापीठ में बन्द सान्ध्य कक्षाएं खोलने एवं पीड़ित अध्यापकों की सेवा बहाली के सम्बन्ध में हैं।

सातवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह की—प्रदेश में 3 वर्ष से कार्यरत 500 अंशकालिक चिकित्साधिकारियों की सेवा समाप्त कर नयी नियुक्तियां किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं।

आठवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार तिवारी की—गत एक माह से दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री लटूरी सिंह यादव, श्री अनिल कुमार सिंह यादव, तथा श्री देवेन्द्र सिंह यादव की—दिनांक 23 जून, 1990 को श्री लालाराम यादव निवासी पाँचारपुर (एटा) की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं।

दसवीं सूचना (1) श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, (2) श्री विमल प्रसाद तिवारी की—सहकारी संस्थाओं मे खाद न उपलब्ध होने के कारण किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी, बाल सुधार गृह की, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के कारागारों के इतिहास में इतनी लोमहर्षक शायद ही कहीं घटना हुई होगी। 9 छोटे-छोटे बालक प्रातःकाल ही फरार हो गये और उन्होंने मान्यवर, 2 गार्ड की हत्या कर दी और बन्दीगृह स्टाक से 303 बोर की 3 रायफलें, एक बन्दूक बारह बोर की और 150 जीवित कारतूस भी ले गये। मान्यवर, इसकी अविलम्बता की ओर ध्यान दें, बात बड़ी स्पष्ट है। एक तो यह कि जो 15 वर्षीय अतुल श्रीवास्तव नाम का अपराधी बन्द था, जिस कोठरी में बन्द था वह 20×20 की थी और उसमें इसके अलावा 21 और बालक बन्द थे इन सभी को बिना टिकट चलने के अपराध में बन्द किया गया था।

मान्यवर, अतुल श्रीवास्तव का इतिहास क्या है, इसको देखें, आपको स्मरण होगा कि इस सदन में नेहा हत्याकाण्ड का मामला उठा था। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री लक्ष्मी नारायण की 6 वर्षीय पौत्री नेहा का अपहरण करके इसने कत्ल कर दिया था और उसके तुरन्त बाद एक बैंक कर्मी के तीन वर्षीय पुत्र को बक्शे में बन्द कर दिया था, हत्या करने की नीयत से, मान्यवर, ये जो आज इधर आकर बैठ गये हैं ये इन्हीं कर्मों से आये हैं, ये लोग अतुल श्रीवास्तव को संरक्षण दे रहे थे। मान्यवर, यह अपराधी अतुल श्रीवास्तव पकड़ा गया लेकिन पकड़ने के बाद उसके साथ जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए, मुझे अफसोस है कि इस सरकार ने नहीं किया। बल्कि जहां बिना टिकट लड़के बन्द थे वहीं 302 और 307 के इस मुजरिम को बन्द कर दिया। मान्यवर, अभी मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हो जायेंगे और कहेंगे कि 2 पकड़ लिये गये, कितनी जल्दी पकड़ लिये गये तो इन दो लोगों को पकड़कर आप कीर्तिमान की बात न करें। मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है जिस बात पर मैं बल देना चाहता हूं कि यह प्रभाव क्या है, यहां पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और लोग वहां पर मारे जा रहे हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह नीति सम्बन्धी बात है कि किस तरह से बाल अपराधियों को रखा जाता है और उनके साथ अभियुक्तों की रखा जाता है। वहां पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है इस पर विचार करना है, इसलिए इस पर चर्चा करायें और आज ही चर्चा करायें।

श्री उपाध्यक्ष—

रवीन्द्र शुक्ल जी, संक्षेप में अपनी बात कहें, आपका ज्यादा समय गुप्ता जी ने ले लिया है।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, एक मिनट ही दे दें तो बहुत है। मान्यवर, यह जो बाल सुधार गृह में इतने सारे लोगों को बन्द किया गया। मान्यवर, जब मैं जीत कर आया तो यह नेहा हत्या काण्ड बहुत दिनों से दबा पड़ा था क्योंकि वहां के तत्कालीन विधायक और राज्य मंत्री का उस पर संरक्षण था। जब मैंने इस मामले को उठाया तो फिर यह अतुल श्रीवास्तव पकड़ा गया। मान्यवर, इसने 3 वर्ष के एक लड़के को एक (व्यवधान) बक्स में बन्द कर दिया था लेकिन वहां के मोहल्ले वालों को पता चल गया तो उसे निकाल लिया गया, अगर वह 15–20 मिनट और बन्द रहा होता तो इसकी हत्या हो गयी होती।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, कांग्रेस सरकार के राज्य मंत्री ने इस मामले को दबवा दिया था लेकिन जब वह पकड़ा गया तो नेहा हत्या काण्ड खुला और एक हत्या होते हुए बची और उसके बाद भी इस तरह से बाल अपराधी से साथ रखा जाना एक खुला अन्याय ह । इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार कर इस पर चर्चा करावें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, यह जो अतुल श्रीवास्तव है, यह बालक नहीं है, यह व्यस्क है । इसको बाल सुधार गृह में वहां कैसे रखा गया, बच्चों के सुधार जेल में कैसे रखा गया ।

मान्यवर, दूसरा यह कि जो सुरक्षा कर्मी वहां पर थे, दो आदमी खाना खाने चले गये । उन्होंने अपनी रायफलें स्टाफ रूम में रख दीं और सो गये । तो पुलिस की और सुरक्षा कर्मियों द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, जिससे यह घटना घटी है । इसकी गम्भीरता को देखते हुए अनुरोध है कि इस पर चर्चा अवश्य करावें ।

श्री बौलत राम (सीतापुर)—

मान्यवर, बाल सुधार गृह में ऐसे शातिर अपराधी क्यों रखे गये । अगर बाल सुधार गृह में शातिर अपराधियों को बच्चों के साथ रखा जायगा तो बाल सुधार नहीं होगा, बल्कि अपराध बढ़ेंगे । इसी के परिणाम स्वरूप हत्याएं हुई हैं और बाल सुधार गृह से बच्चे भागे हैं । इस पर सदन का कार्य स्थगित करके चर्चा करावें । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मा0 गुप्ता जी और अन्य मा0 सदस्यों के द्वारा ये जो सूचना नियम 56 में दी गयी है, यह बाल अपराधियों के सम्बन्ध में है । जो सूचना हमारे पास है उसके अनुसार वहां से 9 बाल अपराधी कल प्रातः भागे, हमारे एक कान्स्टेबिल की हत्या कर दी, 3 रायफलें चुरा लीं और 150 कारतूस भी चुरा लिये । इसको अपने बहुत गम्भीरता से लिया है । श्रीमन् वैसे इसमें बाल अपराधियों से सरकारी रायफल, मृतक की 303 बोर की गन और कुछ कारतूस बरामद भी कर लिये गये हैं । यह गम्भीर मामला है । इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिये और इसको कड़ाई से रोकना चाहिये । इसके हर पहलू की छानबीन कराई जायेगी और भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे, इस प्रस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

इसके हर पहलू पर विचार करके प्रयास किया जायेगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न घटें, इसमें सब कुछ शामिल है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*डाक्टर विनेश जौहरी—

माननीय, मेरी सूचना प्रदेश में घटिया व नकली दवाओं की बिक्री से बढ़ रहे खतरे के सम्बन्ध में है। पूरे प्रदेश में घटिया और नकली दवाओं की भरमार है। आदमी पैसे पूरे देता है, लेकिन मरीज को दवा घटिया मिलती है। फारवीन, पैंथाड्रान, मार्फीन, डेकाड्रान, एन्टीबायटिक आदि जितनी नकली चाहें, मैं इस सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं। अभी गोरखपुर में नकली दवा का व्यापार करने वाले एक शातिर गिरोह को पकड़ कर चालान किया गया। अभी बरेली में भी दवा बिक्रेताओं के यहां छापे मारे गये और नकली दवाएं पकड़ी गयीं। यह सही है कि आपने पिछले एक महीने में बहुत से छापे मारे। बरेली में 18 छापे मारे गये। लेकिन छापे मारने से नकली दवा का प्रचलन रुक नहीं पा रहा है। छापे मारने के बाद सैम्पुल को दो लेबोरेट्री में भेजते हैं यह जानने के लिए कि दवा सही है कि नहीं। लेकिन वहां पर एक साल में दो सौ से ज्यादा टेस्ट नहीं हो पाते, लेकिन तब तक दवायें एक्सपायर हो जाती हैं, इस लिए नकली और घटिया दवायें इस्तेमाल हुई या नहीं यह पता नहीं लग पाता है। मेरा कहना है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक लेबोरेट्री और खोली जाय या फिर बाहर कहीं से परीक्षण करावें, अन्यथा घटिया दवाओं को यह सरकार रोक नहीं पायेगी। यह गम्भीर मामला है। प्रदेश की 13 करोड़ जनता को घटिया दवाएं मिल रही हैं और इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। किसी को सही दवा मिल रही है या नहीं, इसका पता नहीं चल पाता। मैं मांग करता हूं कि इस गम्भीर विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

डा0 सुरजीत सिंह डंग—

जहां इस सरकार द्वारा बहुत बड़े-बड़े वायदे किये जाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे, लेकिन अगर मरीज ठीक होगा, तो वह दवा से ही होगा। लेकिन अगर दवा नकली होगी, घटिया होगी, तो इसका सीधा-सीधा खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ेगा। यह बहुत स्पष्ट है कि जब तक नकली और घटिया दवाओं की रोकथाम के लिए द्रुत गति से दवाओं की परीक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तब घटिया और नकली दवाओं को बनने से रोका नहीं जा सकता। मैं सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि ड्रग इंस्पेक्टरों की बहुत कमी है और एक-एक ड्रग इन्स्पेक्टर को 5-5 जिले देखने पड़ते हैं। इस विषय पर सदन में एक घन्टे की चर्चा होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी रोगी अवश्य होता है, इस लिए इस पर चर्चा कराई जाये।

श्रम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री मुख्तार अनीस)—

माननीय, माननीय सदस्यों ने जो नकली दवाओं की समस्या को यहां पर उठाया है, उसको शासन बहुत ही गम्भीरतापूर्वक ले रहा है। पिछले 7 महीनों के अन्दर लगातार छापे मारे गये हैं और विभिन्न क्षेत्रों में 47 छापे अब तक मारे जा चुके हैं तथा नकली दवायें पकड़ी गयी हैं। माननीय सदस्य, बरेली का कहना सही है कि हमारे पास टेस्टिंग करने का क्षेत्र बहुत सीमित है। कुल 900 दवाओं की टेस्टिंग हम दो लेबोरेटरी में करते हैं, जिसमें से एक लखनऊ में और दूसरी बनारस में है। मुख्य लखनऊ ही है, इसकी शाखा वाराणसी में है। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, शासन विचार कर रहा है कि हम कैसे लेबोरेटरीज की संख्या को बढ़ायें क्योंकि प्रदेश की आबादी बढ़ रही है और दवाओं की मात्रा-संख्या भी बढ़ रही है, इस हिसाब से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टेस्टिंग के लिए अधिक प्रयोगशालाओं का होना बहुत आवश्यक है, किन्तु जैसा कि सभी जानते हैं कि शासन के पास सीमित साधन हैं, इस लिए ऐसा करना अभी सम्भव नहीं है । इस लिए मैं इस सिलसिले में कुछ करने के बारे में सोच रहा हूं और जल्दी ही इसका अच्छा फल निकलेगा । गोरखपुर और बरेली में जो छापे मारे गये हैं, उनमें तमाम नकली दवायें पकड़ी गयी हैं । लखनऊ में भी छापे मारे गये हैं और वो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनको जेल भेजा गया है, तथा कार्यवाही हो रही है । इस सिलसिले में जहां तक शासन का सवाल है, स्वास्थ्य विभाग इस विषय पर विचार कर रहा है, तारीख 24 को बजट है इसके बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे, कि कैसे नकली दवाओं पर रोक हो, ताकि जानमाल की सुरक्षा हो, निश्चित रूप से इसका अच्छा परिणाम निकलेगा ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप ही स्पष्टीकरण मांगेंगे, तो फिर सभी मांगेंगे ।

डाक्टर विनेश जौहरी—

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें, यह सब लोगों से जुड़ा प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी ने कह तो दिया है कि वह मीटिंग करेंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दाद—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, गर्मी और बरसात में हैजा फैलता है, लेकिन दुख का विषय है कि इसकी रोक थाम के लिए सीवरों की सफाई, नदियों का छिड़काव आदि जो व्यवस्थायें, वह महापालिका द्वारा नहीं की गयीं । इसकी रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । वाराणसी गलियों का नगर है, वहां पर मल-मूत्र बह रहा है, कचरे के ढेरों से बदबू आ रही है, जिसके कारण वहां आज हैजा फैल गया है ।

महापालिका द्वारा जो अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं, वहां पर इतनी ज्यादा दुर्व्यवस्था व गन्दगी है कि एक ही सुई से कई लोगों को सुई लगाई जा रही है, सुई को बिना स्टरलाइज किए । जिस कारण आज लोग इन अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं। एक ही मुहल्ले में 4 लोग मर गये । 10 लोगों की अभी तक मृत्यु हो गई है । पेयजल में भी काफी गन्दगी है । डाक्टरों का कहना है कि यह रोग फैल रहा है । जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, जो प्रिकासनरी मेजर्स लिये जाने चाहिए थे, वह उन्होंने नहीं लिये । इसी कारण आज लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है । जो इसके लिए दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय ताकि जो यह महामारी प्रदेश में फैल रही है, उसको रोकथाम हो सके ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, माननीय सदस्य, वाराणसी की बातों को मैंने विस्तार से सुना । इस समय जो बरसात का मौसम आ रहा है, उसमें सम्भावना है कि ये रोग फैलें, इस सिलसिले में जो ड्रग्स हैं, उनकी सप्लाई की जा रही है, विशेषकर जो महानगर हैं । जहां तक सफाई

की बात ह, इसे स्वास्थ्य विभाग व नगर विकास दोनों मिलकर करते हं । हम जो नगर विकास विभाग को डाक्टर्स देते हं वह डेपुटेशन पर देते हैं । आज शाम को ही हमने 5.00 बजे नगर विकास विभाग व स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाई हं, उसमें इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी कुछ जगहों पर यह रोग फला भी, लेकिन उसको हमने सफलतापूर्वक रोक भी दिया ।

श्री बाल चन्द्र मिश्रा--

मान्यवर, लोकतन्त्र में पत्रकार और जनप्रतिनिधि दोनों ही महत्वपूर्ण अंग हैं । आज लोकतन्त्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा हं । 27 जून की बात हं । उन्नाव जनपद में गंगाघाट थाने के नये थानाध्यक्ष श्री गिरीशचन्द्र यादव ने चार्ज लिया । वहां उन्होंने जन प्रतिनिधियों व पत्रकारों की एक बैठक आहूत की । उस बैठक मे उन्होंने चेतावनी दी कि पत्रकारों से उन्हें एलर्जी हं । यदि उन्हें कोई भी पत्रकार थाने के परिसर में मिल गया तो उसे वह इसी नीम के पेड़ से बांध कर स्वयं उसके ऊपर लाठी बरसायेंगे । इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि नेताओं के साथ गुण्डे रहते हं । उन गुण्डों के बल पर वह चुनाव जीत कर आते हं । पत्रकारों पर तो उन्होंने हमला किया ही, जन प्रतिनिधियों के लिए भी उन्होंने इस प्रकार के अपमानजनक विचार व्यक्त किए कि गुण्डई के बल पर नेता चुनाव जीत कर आते हं । उन्होंने यह भी कहा कि मेरे रहते इस थाने पर आज से किसी भी जन प्रतिनिधि या पत्रकार को एक गिलास पानी तक नहीं दिया जायेगा, पान मसाला नहीं दिया जायेगा । इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य मन्त्री के साथ मेरे सम्बन्ध हं । इस सबसे बड़े महत्व की तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जब पत्रकारों ने उनकी इस चेतावनी पर रोष व्यक्त किया तो उन्होंने कहा कि आप जो चाहो, वह छाप दो, इससे मेरा नुकसान होने वाला नहीं हं, अपितु इससे मेरा भला ही होगा । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का इस तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी ने जो यह घोषणा की हं कि वह पत्रकारों से निपट लेंगे, चूंकि वह नेता सदन हैं और इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री भी हैं, जो इस प्रकार के विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, आज जगह-जगह पर कर्मचारियों के बीच उसकी प्रतिक्रिया हो रही हं, जिस कारण पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती हं । पत्रकारों और जन प्रतिनिधियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होता रहेगा । इसलिए मेरा निवेदन हं इस लोक महत्व के विषय पर आप चर्चा करायें । यदि आप इस पर चर्चा नहीं करायेंगे तो कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो सकती हं, जिससे स्थिति बिगड़ सकती हं । इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन हं कि आप इस पर शेष सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें ।

(श्री भोला पाण्डेय के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री भोला पाण्डेय--

आप निर्देशित करें कि इसे गम्भीरता से लें ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय के खड़े होने से व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद--

मान्यवर, माननीय मिश्रा जी ने जो नियम 56 में उठाया हं पत्रकारों के सम्बन्ध में । इसकी पूरी सूचना मेरे पास नहीं हं लेकिन जानकारी कर लेंगे । वहां पर नये

थानाध्यक्ष को भेजा गया है। जहां तक सरकार की मंशा का सवाल है, वह पहले से ही स्पष्ट है, पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में कोई गफलत नहीं होगी। इसको दिखवा लेंगे और जो मुनासिब कार्यवाही हो सकती है, की जायगी।

*श्री कृष्ण स्वरुप वैश्य—

माननीय उपाध्यक्ष जी, भारत सरकार के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने जब उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ शिक्षा संस्थाओं के लेखे-जोखे का परीक्षण किया तो फैजाबाद के आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय तथा कानपुर के हरकोर्ट बटलर विश्वविद्यालय में गम्भीर अनियमितायें पायीं। फैजाबाद के विद्यालय की स्थापना 1975 में हुई, आज तक वहां पर कोई बैलेंस शीट नहीं बनायी गयी। इसके बारे में 1978-79 में कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया गया, 96 लाख रु0 खर्च हो गये, पूरा नहीं हुआ है। इस विद्यालय में 5 रिसर्च सेन्टर्स की स्थापना की गयी जिसमें 2.50 करोड़ रु0 व्यय हुआ, वह भी पूरे नहीं बन पाये, कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। इन दोनों विद्यालयों में जो बीज सप्लाई किया जा रहा है, घटिया किस्म का बीज है। घोर वित्तीय अनियमितताओं, धन की बर्बादी और योजनाओं के समय पर पूरा न होने के कारण इसका स्तर बहुत गिर गया है। यह रिपोर्ट भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने दी है। बड़े पैमाने पर धन की बर्बादी हुई है। मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री उपाध्यक्ष—

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं अन्य की, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है।

दूसरी सूचना डाक्टर दिनेश जौहरी की है, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

तीसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी बादा की है, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

चौथी सूचना श्री बाल चन्द्र मिश्रा की है, इस पर शासन को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया जाता है।

पांचवीं सूचना श्री कृष्ण स्वरुप वैश्य की है, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

शेष पांच में सभी में शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी बड़ी कृपा हुई कि नियम 56 में कार्य-स्थगन दिया, आपने स्वीकार नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश में कृषक परेशान हो रहा है और खाद कहीं भी उर्वरक केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं है। इसको गम्भीरता से लें।

श्री बेनी प्रसाद—

मान्यवर, नियम 56 की कार्यवाही पर निर्णय दे दिया गया, क्या फिर अनुमति दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न करके इसे उठाया। मैंने, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान अनुदान संख्या 65 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) अनुदान संख्या-66 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) अनुदान संख्या-67 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) अनुदान संख्या--68 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) अनुदान संख्या-69 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

शिक्षा एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,93,23,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,81,28,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,15,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि के अतिरिक्त 9,09,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69-(राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,15,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि "हाँ" की लाबी में बहुत शोर हो रहा है, कृपया जरा शान्त करायें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, यह तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, परन्तु जरा आप जाकर देख लें ।

मान्यवर, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपकी आज्ञा से मुझे शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला, आपने मुझे अवसर दिया है जिस बजट को प्रस्तुत करने के लिये, वह अवसर सौभाग्य से डाक्टर सम्पूर्णानन्द को मिला था। आपने ऐसे विभाग का बजट प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया है जिसके ऊपर पूरे समाज की संरचना की जिम्मेदारी है, सीमित संसाधनों के होते हुए जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था उसी के आधार पर जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किये हैं, यदि आप उन्हें गौर से देखें तो आप पायेंगे कि 16 प्रतिशत शिक्षा जगत पर व्यय किया जायेगा, जबकि पहले केवल 14.9 प्रतिशत ही इस दिशा में व्यय किया जाता था। अपनी संस्कृति को बचाने के लिये शासन सचेष्ट है। शिक्षा जगत में न केवल गुणात्मक सुधार के लिये बल्कि जो लोगों की अपेक्षायें हैं, उनके प्रसार के साथ ही साथ इसमें ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिससे इसके कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षा विभाग राज्य में शिक्षा दे सके।

मान्यवर, आपको मालूम है कि जब कभी अवसर आया है, मैंने इस सदन में भी कहा है मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य विभिन्न अवसरों पर चिन्तित हो चुके हैं और उन्होंने अपनी चिन्ता व्यक्त भी की है। और चिन्तन व्यक्त भी किया है। मैंने अनेक अवसरों पर कहा है कि शिक्षा विभाग में अनंत समस्यायें हैं। मुझे अनंत समस्याओं से ग्रसित विभाग को देखने का अवसर मिला है, तो चिन्ता हुई कि इन समस्याओं का समाधान करें और न केवल अध्यापकों के कल्याण के विषय में कुछ कार्य करें, बल्कि शिक्षा के सुधार के सम्बन्ध में भी कुछ काम करें। इसके साथ ही साथ उसके विस्तार के सम्बन्ध में भी कार्य करें।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं शिक्षा का क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें आवश्यकता है इससे जुड़े हुये सभी लोगों के समन्वित प्रयास की। मान्यवर, शिक्षा में 4 पाये हैं। एक पाये के रूप में हम काम देख रहे हैं, दूसरा पाया है शिक्षक समुदाय और गैरजन और तीसरा पाया है विद्यार्थी और चौथा पाया है हमारा पूरा समाज और छात्रों के अभिभावक आज आवश्यकता है कि हमें सचेष्ट और सजग होना चाहिये। हम अध्यापकों का सहयोग मिले। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पिछले 6 महीनों में अध्यापकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में जनपदों से जो सूचना मिली, जो मित्र मिले, उन्होंने बताया कि यद्यपि पूरा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है। मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग के लिये।

मान्यवर, मैं कुछ समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, अभी तक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लम्बे समय तक नहीं लिया जाता था, भवनहीन विद्यालयों की समस्या थी, बेसिक विद्यालयों में साज-सज्जा की कमी थी, विद्यालयों में भवन नहीं थे, टाट-पट्टी नहीं थी, भेजें नहीं थीं, ब्लैक बोर्ड नहीं थे। विज्ञान और गणित कई वर्षों से अनिवार्य विषय बना दिये गये थे, लेकिन आपको ज्ञात है कि अध्यापकों का प्रावधान नहीं हो सका। हमारे सामने अंशकालिक शिक्षकों की समस्या है, मृतक आश्रितों की समस्या है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ समस्याओं का निदान हमने किया है और उस दिशा में इस विभाग को आगे ले जाने की ओर हमने प्रावधान किया है।

माननीय वित्त मंत्री एवं मुख्य मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसा बजट दिया है, जिसमें समस्त समस्याओं का समाधान तो नहीं, लेकिन काफी समस्याओं का समाधान करने का अवसर मिला है। मान्यवर, अभी ही एक प्रश्न आया था कि प्राइमरी

विद्यालयों के खोलने के सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। 6ठी पंच-वर्षीय योजना में पूरे प्रदेश में कुल 1933 विद्यालय खोले गये और 7वीं पंच-वर्षीय योजना में 1337 विद्यालय खोले गये, इतने 5 साल में खोले गये, लेकिन हमने जो इसी एक वर्ष में प्राविधानित किया है वह 2,362 विद्यालयों का खोला जाना। मान्यवर, यही नहीं कि विद्यालय खोले जायें, बल्कि वह भवनहीन न हों, यह हमारी चिन्ता का विषय है और इसी चिन्ता के कारण सरकार ने फैसला किया है कि इसी एक वर्ष में इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, उसके लिये, कार्य योजना बनायी गयी है उस योजना के तहत प्रतिमास अनुश्रवण कर रहे हैं जिससे समय सीमा के अन्दर भवन मिल जायें। मान्यवर, जब भवन रहित विद्यालयों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी, तो बी० टी० सी० बेरोजगारी की चर्चा हुई थी। मान्यवर, आपको मालूम है इस पूरे प्रदेश में 45 हजार से भी अधिक बी० टी० सी० बेरोजगार अध्यापक मौजूद हैं और पिछले दशक में यदि आप आंकड़ों को देखें तो प्रति वर्ष औसतन 2 या 3 हजार अध्यापकों की नियुक्ति हुई। यह सोचनीय स्थिति है कि जहां पर 45 हजार से अधिक अध्यापक बेरोजगार हों और उन्हें सेवा का अवसर न मिले। इसलिये हमने योजना बनायी है कि पूरे प्रदेश में इस अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 10 हजार बी० टी० सी० अध्यापकों को हम नियुक्ति करेंगे। इस तरह से जहां एक ओर उनकी बेरोजगारी में कमी आयेगी वहीं दूसरी ओर जो हमारे गांवों के प्राइमरी स्कूल हैं उनमें भी कुछ प्रभावी काम हो सकेगा और हां यह शिकायत रहती थी कि एक अध्यापक मौजूद रहता है वहां पर कम से कम दो अध्यापक करने का हमारा निश्चय और संकल्प है। इस तरह से दो दशाओं में हमारा यह कदम काम करेगा।

मान्यवर, आपको मालूम है कि पिछली पंच-वर्षीय योजना में पूरे प्रदेश में एक भी जूनियर हाई स्कूल अनुदान सूची में नहीं लिया गया। यह चिन्ता का एक विषय रहा है। जो कई-कई वर्षों से अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उन विद्यालयों को जल्दी से जल्दी हम अनुदान सूची में ले लें, यह हमारा प्रयास है और इसीलिये इस बजट में प्राविधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 300 जूनियर हाई स्कूल और 200 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने की व्यवस्था की गई है।

प्राइमरी स्कूलों का जिक्र हम यहां पर करते हैं। कल भी और उससे पहले भी माननीय सदस्यों ने यहां पर चिन्ता प्रकट की कि जहां हमारे भवन रहित विद्यालय हैं, उसके साथ ही साथ वे साधन विहीन भी हैं। मान्यवर, इन स्कूलों में आपने देखा होगा कि कहीं टाट नहीं, कहीं पट्टी नहीं, बोरे लेकर गांवों के बच्चे स्कूलों में जाते थे, बैठने के लिये कुर्सी नहीं, मास्टरों को पढ़ाने के लिये ब्लैक बोर्ड नहीं। यहां पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि विद्यालयों में बच्चों को पानी पीने के लिये लोटा बाल्टी तक उपलब्ध नहीं है। इस तरह से बेसिक शिक्षा में कैसे सुधार हो, इस लिये हमने योजना बनायी है जिससे कोई भवन रहित विद्यालय नहीं रहेगा। प्रदेश में इस तरह से कोई भी विद्यालय, प्राइमरी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसमें टाट पट्टी न हो, कुर्सी, मेज, लोटा, बाल्टी और ब्लैक-बोर्ड न हो। इसके लिये हमने एक सुनिश्चित योजना बनायी है। इसके लिये हमने अनुश्रवण की व्यवस्था की है कि जिला स्तर पर हर महीने और प्रदेश स्तर में तीन महीने में एक बार हम अनुश्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे यह सामान वहां पर उपलब्ध हो जाय क्योंकि इस सरकार की मान्यता है कि यह केवल उसकी घोषणायें नहीं, केवल वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नहीं बल्कि उसका क्रियान्वयन भी ठीक से होना चाहिए ताकि हमारी घोषणायें थोथी न निकलें। यह हमारे नेतृत्व के निर्देश हैं।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक विशेष व्यवस्था और की गई है वह यह है कि इन प्रारम्भिक विद्यालयों में सामान की पूर्ति बेसिक शिक्षा कार्यालयों से होती थी। इस

व्यवस्था में हमने परिवर्तन किया ह । अभी तक करोड़ों रुपये का जो सामान था वह प्रदेश स्तर और जिला स्तर से खरीदा जाता था । हमारे जो जिला मुख्यालय में थे उसमें सामान पड़ा रहता था, उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं थी, अच्छा सामान भी नहीं था, विद्यालयों में पहुंच भी नहीं पाता था । इसलिये अब उस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है और अब यह किया गया है कि इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्राधिकृत किया गया है कि गांवों के जो कारीगार हैं, जो बढ़ई हैं, लोहार हैं उससे यह कोशिश करें कि गांवों के कारीगरों से इस सामान का निर्माण करायें । यदि वे टाट-पट्टी बना सकते हैं तो उनसे बनवायें । इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन में यह एक छोटा सा कदम है । मान्यवर, इस सदन ने सुना जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने 13वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा करने की घोषणा बजट में की जो पहली बार हो रहा है । यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उठाया है ।

मान्यवर, एक निर्णय और निश्चय हमने और किया है जो हमारी पार्टी ने गांवों की ओर चलो और उनकी तरक्की का किया है, महिलाओं की तरक्की का किया है । हमने निर्णय लिया है कि जो भी विकास खंड ऐसे हैं जहां लड़कियों की शिक्षा का कोई प्राविधान नहीं है तो उन अनसेवित ब्लाकों में हाई स्कूल स्तर तक के विद्यालय खोलेंगे वह निश्चय हम कर चुके हैं और उस कड़ी में पूरे प्रदेश में 100 राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल बालिकाओं के खोलने का प्राविधान है ।

मान्यवर, एक और विसंगति रही है जिससे हर माननीय सदस्य विज्ञ है और उनके दिल में कष्ट है कि हाईस्कूल में विज्ञान और गणित अनिवार्य विषय बना दिया गया, माननीय पंचानन राय जो सहमत होंगे ।

श्री पंचानन राय—

उस समय आप मंत्री रहे होंगे, उधर ही थे ।

श्री सच्चिदानन्द—

नहीं था । तो गणित और विज्ञान को अनिवार्य बना दिया गया लेकिन गणित और विज्ञान के अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की गयी । तो उसके लिये हमने बजट में प्राविधान किया है यह पहली बार निश्चय किया गया है और 11 सौ गणित और विज्ञान के अध्यापक हम नियुक्त करने वाले हैं ।

एक बात मैंने कल भी कही थी प्राइमरी विद्यालयों के बारे में और आज दोहराता हूं कि हमारे जो बी0 टी0 सी0 के प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनमें लगभग 10 हजार को हम नियुक्त करेंगे तो वैसी ही घोषणा (इस समय 1 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी पीठासीन हुये ।) सदन में करना चाहता हूं कि माध्यमिक विद्यालयों में भी जिस तरह की हमें सूचना मिली है उसमें हम 10 हजार अध्यापकों को नियुक्त करेंगे । (व्यवधान) बगैर प्रयोजन के हम बात नहीं करते हैं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के कल्याण के लिये हमने कदम उठाये हैं । मृतक शिक्षकों के आश्रितों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य यहां पर कहते रहते हैं कि यहां से आदेश जाते हैं लेकिन नियुक्त नहीं होते हैं । तो यह फैसला किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत मृतक शिक्षकों के आश्रितों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में आदेश दिया गया है कि उनकी योग्यता के अनुसार किसी भी उपलब्ध पद पर किया जाय जो पहले नहीं होता था ।

मान्यवर, एक शिकायत और लगातार हम मिल रही है पेंशन, ग्रेचुटी, फंड आदि के भुगतान में वर्षों लग जाते हैं । इस सम्बन्ध में अभियान भी पहले चलाया गया

उसके बावजूद विभिन्न जनपदों से इस आशय की शिकायत मिलती रही है। इसके लिये अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया है कि यदि देय भुगतान यदि कोई न्यायिक प्रकरण नहीं है तो हर दशा में 5 सितम्बर, 1990 तक प्राविडेंट फंड ग्रेचुटी, पेंशन के कागज तैयार कर दिये जायं और यदि इसमें कोई दोषी पाया गया तो उस अधिकारी को दण्डित किया जायेगा जो पहले नहीं होता था।

एक और उपलब्धि हमारी रही है हमारे गुरुजनों के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों के मैं उनको साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं वहीं मैं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने 38 साल के बाद यह कीर्तिमान बनाया है कि 29 ई, 1990 को इण्टरमीडिएट का और 12 जून, 1990 को हाई स्कूल का परीक्षाफल घोषित कर दिया है।

मान्यवर, लगातार समाचार पत्रों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसा पुस्तकों का अभाव है, इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार कागज उपलब्ध नहीं करा पाया और जैसे ही हम लोग आये हमारी चिन्ता का विषय वह बना कि सस्ता कागज मिले जिससे बच्चों को किताबें, सस्ते और उचित मूल्य पर मिल सकें और इसके लिये कक्षा 1 से 12 तक 129 पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हैं उसके लिये हमने साढ़े सात करोड़ रुपये शासन से उपलब्ध करवाये। कक्षा 1 से 3 की नवीन पुस्तकें हमने उपलब्ध करायी हैं और सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि पुस्तकों की कमी इस प्रदेश में नहीं रहेगी।

मान्यवर, दो निर्णय यह भी लिये हैं—पहला निर्णय संस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में और दूसरा अरबी शिक्षा के सम्बन्ध में है। संस्कृत महाविद्यालयों और विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन 30 जून, 1989 के अनुमन्य की गयी थी और 58 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक की सुविधा का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही अरबी, फारसी मदरसों में वेतनसेक द्वारा दिये जाने का मामला विचाराधीन है और इसके लिये 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, शिक्षा में सुधार के लिये फैसला लिया गया है कि आने वाले वर्षों में अब गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिये हमने बी0 टी0 सी में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इण्टर से बी0 ए0 कर दिया है जो 1991–92 से लागू होगा।

मान्यवर, जो हमारे नारमल स्कूल चल रहे हैं वह मांग और पूर्ति के आधार पर किस तरह चले? कितने विद्यालय ट्रेनिंग के चले और जो शेष बचें उनको क्या हायर सेकेन्डरी स्कूल के रूप में परिवर्तित करें? इस सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, इसी तरह से प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक हैं उनकी ट्रेनिंग भी चलती रहे, जो सेवारत अध्यापक हैं उनको भी और यदि मृतक के आश्रित के नाते कोई नौकरी पाता है तो उसको ट्रेनिंग दिला सकें इसके लिये भारत सरकार के सहयोग से 40 जिलों में फैसला किया है संस्थान बनाने का और 10 स्थानों का चयन हो गया है और भवन बन रहे हैं।

मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ फैसले लिये गये हैं उनमें एक फैसला यह है कि अनौपचारिक शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिये एक सेतु साहित्य बनाया जायेगा जो साक्षर हो सकें और कक्षा 5 की परीक्षा देना चाहें तो वे दे सकते हैं।

माननीय, एक फैसला यह भी हुआ है राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में जिसका कार्यान्वयन शिक्षा विभाग द्वारा होना है और जिसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है 8 महानगरों में 8 भारतीय भाषायें पढ़ाने का फैसला मुख्य मंत्री जी ने लिया है, और हम अपने प्रदेश में मलयालम, तेलगू, तामिल, उर्दू आदि 8 भाषाओं को इन 8 महानगरो में पढ़ायेंगे। यह इशारा है, यह एक संकेत है कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जो हम कहते हैं, वह करते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में यह हमारा थोड़ा सा प्रयास है।

दोहरी शिक्षा के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई है इस सदन में इस सत्र में और पूर्व सत्र में। मेरा सादर अनुरोध है कि वह अपने विचार अपने अनुभव के आधार पर इस सम्बन्ध में हमारे पास भेजें। यह हमारी चिन्ता का विषय है और यह हमारा संकल्प है दोहरी शिक्षा पद्धति को समाप्त करना वह अपने लिखित विचार और हम भेज सकें तो हम उनके आभारी होंगे क्योंकि उससे हमें निर्णय लेने में सुलभता होगी और हम सही और सर्वोपयोगी निर्णय ले सकेंगे। मेरा विश्वास है कि हमारे इस आरोप के बाद माननीय सदस्यों के बहु मूल्य सुझाव हमें निश्चितरूप से मिलेंगे, जिससे हम इस दिशा में कोई फैसला शीघ्र कर सकेंगे।

माननीय, उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ हमने फैसले लिये हैं। एक तो इस पर है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत हो। इसके लिये आवश्यकता थी, कि हर मंडल स्तर पर एक क्षेत्रीय कार्यालय हो, लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव में हम ऐसा तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन कानपुर में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का निर्णय हमने ले लिया है और जिसके लिये इस बजट में भी प्राविधान है।

एक हमारे चिन्ता का विषय और है जिसमें हमे सबका सहयोग चाहिये। शिक्षा का विषय ऐसा है, जिस विषय में यदि माननीय सदस्य यह चाहें शिक्षा विभाग उसे ठीक कर सकता है तो यह सही नहीं है। इसमें हमें सबका सहयोग आवश्यक है— गुरुजनों, छात्रों और अभिभावकों सबका। विश्वविद्यालय की परीक्षायें नियमित हों, इसके लिये हम बड़े चिन्तित हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्नातक और परास्नातक उनके शैक्षिक सत्र नियमित हों। इसके लिये हम अनुरोध कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से, और छात्र नेताओं से। हमें विश्वास है कि वे निश्चित रूप से इसमें हमें अपना सहयोग देंगे। इस सम्बन्ध में आपके भी सुझाव हों तो उनको या तो आज आप बता दें या आगे कभी दे दें। माननीय, एक अपील है, प्रदेश के 15 हजार प्राथमिक शिक्षा के भवनों के निर्माण की व्यवस्था इस जटिल समय में भी हमने जैसे तैसे की है, लेकिन हमारी दूसरी चिन्ता है, जो हायर सेकेण्डरी स्कूल, कालेज और डिग्री कालेज हैं उनको लेकर। जहां तक डिग्री कालेजों का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में हमने कुछ प्राविधान किया है और इस वर्ष जो आधे-अधूरे भवन हैं, उनको पूरा करवाने या आगे बढ़ाने का काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन माननीय सदस्यों से एक अपील है, अनुरोध है कि वे शिक्षा को इस व्यवस्था में समाज को जोड़ने की कोशिश करें, मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

पहले हमारे यहां दानवीर हुआ करते थे, जो सड़कों के किनारे कुयें बनवाने का काम, अस्पताल बनवाने का काम, और विद्यालयों को बनवाने में सहयोग देने का काम करते थे। तो हम ऐसे दानवीरों से अपील करना चाहते हैं और उनसे हम इस दिशा में सहयोग की आकांक्षा करते हुये यह कहना चाहते हैं कि जो दानवीर हमारे जूनियर हाई स्कूलों के भवनों को बनवा देंगे या राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन बनवा देंगे यह किसी कालेज में कक्ष बनवा देंगे तो हम उन स्कूलों के नाम अथवा

उन कक्षों के नाम उन दानवीरों के नाम पर रख देंगे, उनमें उनका नाम रख देंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी इस अपील पर निश्चित रूप से कुछ लोग आगे आयेंगे। हमारे सदस्य साथी भी इसमें हमारे साथ सहयोग करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, इसकी हम उनसे पूरी आशा करते हैं। मैं एक निवेदन करूंगा कि शिक्षा वह विषय है, जिसमें हमारी चिन्ता है, चाहे इस पक्ष का सदस्य हो या उस पक्ष का हो। दोनों की चिन्ता समान है।

यह शिक्षा की व्यवस्था यदि नहीं होगी तो आने वाला भविष्य का क्या होगा, यह देखकर मन कांप उठता है। आइये हम सब मिलकर इस शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करें। अध्यापकों के कल्याण के सम्बन्ध में जहां हमने कुछ काम किये हैं, हमारी चिन्ता है कि छात्रों के कल्याण के लिए भी हम कुछ करें। मान्यवर, मैं इस सदन के साथियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि 1980-81 में इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो आज देश के प्रधान मन्त्री हैं, राष्ट्रीय छात्र निधि की स्थापना की थी। काफी दिनों से उसका उपयोग नहीं हुआ। मैंने श्री नारायण दत्त तिवारी का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट किया था। 5 करोड़ रुपये की इसके लिए व्यवस्था की गयी थी।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने भारत के प्रधान मन्त्री का नाम लिया है, तो मैं इस विषय पर आपका संरक्षण चाहता हूं कि परम्परा है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जायेगा। शिक्षा मन्त्री जी ने इसका रास्ता खोल दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने एक संदर्भ दिया है।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने संदर्भ के रूप में कहा कि जब वह यहां के मुख्य मन्त्री थे। मेरा एक आग्रह है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष में सभी माननीय सदस्य, सभी जन प्रतिनिधि चाहे कोई कहीं काम कर रहा हो, जो साक्षर हैं, वह एक या दो व्यक्तियों को साक्षर बना सकें तो शायद यह बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसे भी कहा जाता है कि "शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है"। सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे समाज को आन्दोलित करें कि जो शिक्षित हैं वे कम से कम दो व्यक्तियों को अपने स्थान पर शिक्षित कर सकें। इन शब्दों के साथ में अन्त में केवल एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस वातावरण की आवश्यकता है, उस सृष्टि को, उस वातावरण को बनाने में पूर्ण मनोयोग से उस मानसिकता को बनने में हमारा सहयोग आवश्यक है, हम सब मिलकर वह मानसिकता बनायें। तो बहुत बड़ा काम होगा क्योंकि यह काम केवल इस सरकार के लिए नहीं होगा बल्कि पूरे समाज के लिए होगा, जिस समाज के कन्धों पर निर्भर है इस देश और प्रदेश का भविष्य। इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव करता हूं।

(श्री पंचानन राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली अस्त्र है शिक्षा के द्वारा जैसा कि शिक्षा मन्त्री जी ने कहा, मैं उसका स्वागत करता हूं कि मानव का निर्माण होता है। अच्छे मानव का निर्माण होता है। यदि हम अच्छे मानव का निर्माण कर सकें तो तरक्की के रास्ते पर जा सकते हैं।

मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं तथा जो उन्होंने भाषण दिया उसमें मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने शिक्षा को कोई प्राथमिकता नहीं दी है। यह केवल वेतन बांटने का बजट है शिक्षा के गुणात्मक सुधार और विकास का कोई संकेत इस बजट से नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है, प्रारम्भ से ही एक अविश्वास का वातावरण सरकार की घोषणाओं के प्रति सबके मन में है, जो शिक्षा से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध हैं और उसका स्वरूप आज माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने अपने इस भाषण में भी स्पष्ट कर दिया है। कुछ घोषणायें इन्होंने की, तो हमारे कुछ मित्रों ने तालियां पीटकर उनका स्वागत किया। मान्यवर, सबसे दुखद निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में यह हुआ, जब यह इधर थे और दुर्भाग्य से सदन में मैं नहीं था, उस समय जो भारत सरकार के वित्त मन्त्री थे उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के प्रसार पर कोई धन व्यय नहीं किये जाने का प्राविधान करा दिया, उस निर्णय की आलोचना करने का आज इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिसमें यह तथ्य हुआ कि परम्परागत सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के प्रसार के लिए परम्परागत कोई धन व्यय नहीं किया जावेगा। इस निर्णय के समय भी माननीय शिक्षा मन्त्री जी शासक दल में ही थे। पिछली पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ 23 लाख छात्र प्राथमिक विद्यालयों में पढ़े हैं। इन छात्रों के लिए 58 हजार अध्यापकों की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि 10 हजार अध्यापक रखेंगे। बजट में जो प्राविधान किया गया है उस पैसे से पांच हजार अध्यापक ही रखे जा सकते हैं और आप दस हजार की घोषणा विधान सभा में कर रहे हैं, तो आपकी बातों पर अविश्वास नहीं होगा तो क्या होगा। पन्द्रह हजार भवन विहीन विद्यालय आपने बताया है। आपने जो बजट साहित्य दिया है इसमें लिखा है कि 1989—90 में सात हजार भवन विहीन विद्यालयों के भवन बनवाए गये और इस वित्तीय वर्ष में आपने पांच हजार 86 भवन

बनाने का बजट में प्राविधान किया है और मन्त्री जी कहते हैं हम 15 हजार भवन बनवा देंगे, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम शिक्षा के मामले में जो बात कही जाय वह गंभीरता से कही जाय। पिछली पंचवर्षीय योजना में 58 हजार अध्यापकों का अभाव हो गया है केवल बेसिक शिक्षा में। आपने 5 हजार अध्यापकों का प्राविधान किया है। मैं मान लेता हूं कि आप 10 हजार अध्यापकों का ही प्राविधान कर देंगे तब भी 48 हजार अध्यापकों की कमी रह जायगी। यह जो कमी रह जायगी इसको कैसे आप पूरा करेंगे। बिना अध्यापक के पढ़ाई कैसे होगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 1,12,566 गांव हैं और यह सरकार गांव को ओर जाने वाली सरकार कहती है। इनमें से 74705 गांवों में प्राथमिक विद्यालय हैं लेकिन 37861 गांव अब भी बचे रह जायेंगे जिनमें कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। आप कह रहे हैं कि 2362 स्कूल खोलेंगे जबकि बजट में आपने 2270 के लिये पैसे का प्राविधान किया है। आप 2 हजार विद्यालय खोलेंगे और 5 हजार के लिये भवन बनायेंगे तो यह मिलाकर 7 हजार हुये। मेरा कहना है कि 7 हजार के भवन तो पिछले वित्तीय वर्ष में भी बन रहे थे तो फिर आप कहां आगे हैं यह बताये।

माननीय, प्राइमरी शिक्षा की जो हालत है उस सिलसिले में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव मेरा यह है कि छात्रों और शिक्षकों का जो अनुपात निर्धारित है उसके हिसाब से अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिये। आप डाइरेक्टर के पद बढ़ाते चले जायं, और भवन बनवाते चले जायं लेकिन डायरेक्टर और भवन अध्यापन नहीं कर सकते हैं। इसलिये आज आवश्यकता है कि छात्रों की अनुपात में अध्यापकों की व्यवस्था की जाय। आज प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की क्या हालत है। अभी मन्त्री जी ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक स्कूल में नहीं जाते थे, जबसे उनकी सरकार आयी है तबसे जाने लगे हैं। तो यह हो सकता है कि पहले कहीं एकाध जगह अध्यापक न जाते रहे हों। सदन चल रहा है हम सब लोग भी तो यहां उपस्थित नहीं रहते हैं। आखिरकार वह हमारी ही नकल तो करेंगे। हो सकता है कि अध्यापक कहीं न जाते रहे हों लेकिन विडंबना है कि पूरे वर्ष भर के इन अध्यापकों को अपने ट्रांसफर के लिये दौड़ना पड़ता है, घूस देनी पड़ती है कड़वी सच्चाई यदि नहीं देता है तो अधिकारियों की मनमानी का शिकार होकर मारा-मारा फिरता है। तो ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाय जिससे अध्यापकों को घूस न देनी पड़े, दौड़ना, न पड़े ताकि वह निश्चित होकर शिक्षण का कार्य कर सकें। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी को। श्री भगवान दास शर्मा, नगर पालिका जूनियर हाई स्कूल फतेहपुर सीकरी में प्रधान अध्यापक हैं। उनके पूर्व भी कुंज बिहारी प्रसाद वहां के हेड मास्टर थे जो 1977 में एस0 डी0 आई0 होकर चले गये। 58 साल की आयु वह 90 में पूरे कर रहे थे। माननीय मंत्री जी ने 13 साल बाद आदेशित कर दिया कि वह फतेहपुर सीकरी जाकर कार्यभार ग्रहण कर लें। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने एक अच्छा काम किया कि किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे, मैं इसका स्वागत करता हूं कि वह एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं लेकिन हमारा शिक्षा विभाग 58 साल पर जिसको रिटायर होना है उसको 60 साल के लिये नियुक्त कर देता है और फतेहपुर सीकरी में कार्यभार ग्रहण कर देता है। 13 साल से जो अध्यापन कार्य वहां कर रहे थे, वहां के हेडमास्टर लखनऊ का चक्कर काट रहे हैं मंत्री जी से भी मिले और डायरेक्टर से भी मिले। एक दिन मुझसे भी टकरा गये। मैंने कहा कि ऐसा नहीं सकता है तो उन्होंने कहा कि यह हो रहा है। तो जब अध्यापकों के प्रति ऐसा होगा तो आप कैसे शिक्षा का सुधार कर सकेंगे। मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापकों को इस तरह से परेशान न किया जाय अध्यापकों को उनकी इन मजबूरियों से मुक्ति दिलाकर कार्य करने के लिये प्रेरित करने का कोई कार्यक्रम शिक्षा विभाग के पास नहीं है। गांवों में जहां पर यह विद्यालय स्थापित हैं वहां की सामाजिक, सांस्कृति आर्थिक और

भौगोलिक पृष्ठभूमि के अनुसार प्रत्येक विद्यालय की कार्य योजना की नीति होनी चाहिये और उसके अनुसार अध्यापन करने की पूरी आजादी शिक्षक को होनी चाहिये तब तो प्राइमरी शिक्षा में सुधार हो सकता है।

माननीय, माध्यमिक शिक्षा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माध्यमिक शिक्षा के बारे में लम्बे अरसे एक मांग होती चली आ रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रबन्ध की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। अब हालत क्या है कि उच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालतों तक जितने मुकदमें आज जमीन जायजाद के चल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मुकदमें विद्यालयों में प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में हैं। मेरा कहना है कि लड़ाई और पढ़ाई दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं। जब विद्यालयों में मुकदमें बाजी हो रही है, मारपीट हो रही है और दो-दो प्रबन्ध तन्त्र हैं तो अध्यापक भी समाज में रहता है, वह भी दो हिस्सों में बट जायगा, विद्यार्थी दो हिस्सों में बंट जायगें जिससे शिक्षण कार्य नहीं हो सकेगा। तो जो यह व्यक्तिगत प्रबन्ध कीय व्यवस्था है इसको समाप्त किया जाय। प्रबन्धक वर्ग की भूमिका मात्र शोषण और उत्पीड़न की रह गयी है। भवन निर्माण अथवा अन्य किसी विकास के कार्य में प्रबन्धाधिकरणों का कोई योगदान नहीं है। अतः समय आ गया कि शिक्षा के क्षेत्र में इस अनावश्यक बोझ को न बोया जाय। माध्यमिक शिक्षा में जो मूलभूत समस्यायें हैं उन समस्याओं के बारे में मंत्री जी ने कोई चर्चा नहीं की है।

माननीय, मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम एक हजार प्रशिक्षित स्नातक और 100 प्रवक्ता के पद सृजित करेंगे। यह तो बजट में लिखा हुआ है, मौखिक रूप से उन्होंने कहा कि 10 हजार भर्ती करेंगे। मैंने जानना चाहा, तो उन्होंने कहा 1100, बाद में उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया कि 10 हजार भर्ती करेंगे। माननीय, बजट में 1000 एस0 टी0 और 100 प्रवक्ता के पद भरे जाने का प्राविधान है, इस प्रदेश में विद्यालय हैं 5 हजार से ज्यादा, इसमें से 1 हजार बढ़ा देंगे विज्ञान पढ़ाने के लिए, तो एक भी पद एक विद्यालय में नहीं दे पायेंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में 14 अक्तूबर, को 5 हजार एल0 टी0 के और 500 प्रवक्ता के पद सृजित किये जाने की घोषणा सरकार ने की थी।

(व्यवधान)

आप सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को नियंत्रित करें। वह सुनने का धैर्य रखें। माननीय, आपकी इजाजत हो, तो मैं बैठ जाऊं। 42 लाख छात्र माध्यमिक विद्यालयों में हैं इस बढ़ी हुई संख्या के लिए मानव के अनुसार 11 हजार अध्यापकों की आवश्यकता होगी और मंत्री जी 1100 पदों के ही भरे जाने की घोषणा कर रहे हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी जो प्रदेश में मुख्य मंत्री थे उन्होंने घोषणा की कि 5 हजार एक पंचवर्षीय योजना में बड़े वह प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, घोषणा आसमान में नहीं कर दी, जो आपके आज वित्त सचिव हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, ए0 पी0 सी0 वह नियोजन सचिव थे वित्त सचिव की हैसियत से उनकी सहमति थी। इस वित्तीय वर्ष में 5500 जगह यह जगह 1100 पद सृजन कर रहे हैं। यह तो पूरा बजट यथा स्थितिवादी है। एक भी तो कदम ये बता दें कि कौन सा क्रांतिकारी कदम इनकी सरकार ने उठाया है? माननीय, यह एक पुस्तिका है, दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त की जो घोषणा हुई उनकी मंत्री जी का इसमें भाषण छपा हुआ है। मंत्री जी ने कहा कि वित्त विहीन मान्यता तथा अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति एक गलत निर्णय था, लेकिन पिछली सरकार ने जो गलत किया उसको आप दूर करें, तो आपकी सराहना हम करेंगे। गलती पर तो आप को चल रहे हैं। आप वित्त विहीन मान्यता तथा अंशकालिक शिक्षक की समाप्ति भी किया। ये आपने कोई कदम नहीं उठाया। आप भी उसे चालू किये हुये हैं। वही बजट

भाषण आप पढ़ रहे हैं, जो अधिकारियों ने आपको लिख कर दे दिया है। मान्यवर, मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं, पिछली सरकार ने शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित कर दिये, अब कुछ अधिकारियों ने उसमें गलत स्पष्टीकरण जारी कर दिया, जिससे पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी। इसके सम्बन्ध में एक बैठक शिक्षा मंत्री जी के कक्ष में आयोजित की गयी 19 फरवरी को, जिसमें इनकी शिक्षा सचिव उसमें पधारी थीं और सब ब्यूरोक्रेसी बैठी थी। शिक्षा मंत्री जी के ब्लड प्रेशर हो गया था, ऐसा बैठक में बताया गया था। बैठक में जो कुछ निर्णय हो गये, वह निर्णय जो 19 फरवरी को बैठक में हुआ उसको कितनी तेजी से यह सरकार चला रही है, कि क्रियान्वित करने का कोई आदेश आज तक नहीं निकाला। 16 फरवरी को राजाज्ञा से इन्होंने स्पष्टीकरण भी जारी किया था, क्या जारी किया था उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं यह व्यवस्था कि जो अध्यापक उत्कृष्ट पाये जाने के कारण राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और उनका राज्य सरकार द्वारा 2 साल का इक्सटेंशन दिया जाता रहा है उसे समाप्त कर हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह अच्छा काम किया कि सब इक्सटेंशन खत्म कर दिया तो उनके विभाग ने सोचा हम तो पीछे रह जायंगे तो इन्होंने जो राष्ट्रपति पुरस्कृत जो अध्यापक थे, जिनको 2 साल का इक्सटेंशन मिलता चला आ रहा था, वह खत्म कर दिया।

(श्री बाबू राम यादव द्वारा मिल रहा है कहने पर व्यवधान)

श्रीमती शारदा गुप्ता, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इंटर कालेज, आगरा नाम बता रहा हूं, को नहीं मिला। मान्यवर, इस तरह से टोकाटोकी होगी तो मेरा समय तो बढ़ ही जायेगा

(व्यवधान)

मैं कह रहा था कि यह सब इस तरह से हो रहा था। यह एक बहुत अच्छा काम बताते हैं और उसको हमने मान लिया। मान्यवर, 12 तक निशुल्क शिक्षा कर दिया इसके लिए बजट में 8 करोड़ 16 लाख रुपये की कमी का प्राविधान कर दिया गया है लेकिन चाक और डस्टर कहां से खरीदा जायेगा इसका बजट में कोई प्राविधान नहीं है। स्कूल खुल गये हैं अब वहां झगड़ा यह खड़ा है कि इन्होंने कह दिया कि फीस माफ कर दिया गार्जियन कह रहा है कि फीस नहीं देंगे और प्रिंसिपल कहा रहा है कि माफी का कोई आदेश नहीं आया है चाक और डस्टर कहां से खरीदा जायेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, इन्होंने कहा है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं कि सब जो अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं इनको 5 सितम्बर को पेंशन चार्ज दे दी जायेगी, हर साल सुनता हूं। जब से मैं सदन में आया हूं जो शिक्षा मंत्री रहता है वही कहता है, आप भी कहते हैं कि दे दी जायेगी। उसके लिए कोई विधिक व्यवस्था कर दें क्या घोषणाओं से मिल जायेगी, वेतन वितरण अधिनियम संशोधित कर दें, और प्राविधान कर दें कि अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन उसी तरह से मिलेगा जैसे कार्यरत को वेतन मिलता है तो यहां तो लेक्चर से सब काम हो रहा है, लेक्चर से कुछ होता नहीं है।

मान्यवर, पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, सत्तापक्ष के सदस्य भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कापियां ब्लैक में मिल रही हैं। अगर पाठ्य पुस्तकों का अभाव हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो एक पाठ्य पुस्तक निगम बना दीजिये जो शिक्षण सामग्री और पुस्तकें बिना लाभ हानि के सिद्धान्त, पर तैयार करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये। आज है क्या, यह व्यवस्था तो प्रकाशों के जिम्मे है और वह कृत्रिम अभाव पैदा कर देंगे और काला बाजारी में बिकेगीं, आज भी बिक रही हैं, आगे भी बिकेगीं जब तक कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होगी।

माननीय, उच्च शिक्षा के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं, इन्होंने महिलाओं के बारे में कहा कि महिलाओं को काफी तरजीह दी जायेगी, विद्यालय खोले जायेंगे। माननीय, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रति क्रान्ति का दर्शन हुआ है कि विश्वविद्यालय के कुलपति को बिना किसी कारण तीन माह का वेतन देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। शिक्षा जगत के इतिहास में एक काला अध्यादेश जारी किया जिसको इस सदन में लाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, 3 तारीख को लगा था कार्यमंत्रणा समिति में हुआ यह कि इसको वापस ले रहे हैं, आगे ले जायें। माननीय, यह काला अध्यादेश जो जारी हुआ है, जिसमें कुलपतियों का दर्जा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से भी बदतर कर दिया। माननीय, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से बना यह यूनिवर्स में जो रहस्य है उसका पर्दा हटाने का काम यहां होता है। लेकिन शोध सरकार के संरक्षण में होगा तो कैसे काम चलेगा। विश्वविद्यालय तो शोध के केन्द्र हैं, वहां पर ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में शोध होना चाहिए। उसका मुखिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में बना दिया जायेगा तो शिक्षा को कहां पहुंचाना चाहते हैं। भावी पीढ़ियों दिमागी तौर पर बौनी होकर रह जायेंगी क्योंकि शोध का स्रोत स्वतन्त्र चिन्तन से ही करता है। इन्होंने महिलाओं की चर्चा की। एक ही महिला कुलपति थी, उसको हटाने के लिये ये अध्यादेश लाए हैं। तमाम कुलपतियों के स्थान रिक्त हैं। ये विद्वानों की नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं। पैनल रिकमण्ड हो रहे हैं, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। विश्वविद्यालयों पर ओवर ड्राफ्ट हैं और परीक्षायें अनियन्त्रित हैं। ये विश्वविद्यालयों के विकास के लिये काम नहीं कर रहे हैं। कानपुर चूंकि मुख्य मन्त्री जी का मण्डल है, उनकी चापलूसी के लिए एक अफसर का पद सृजित कर रहे हैं। यह सबसे नया मण्डल है लेकिन वहां सहायक शिक्षा निदेशक जरूर बैठायेंगे, चूंकि मालिक का मण्डल है। अफसर बढ़ा देंगे लेकिन उनकी फौज शिक्षा का विकास नहीं करेगी।

अब मैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहूंगा। माननीय, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मशहूर है कि इसकी पूरी व्यवस्था फ्रॉड पर आधारित है। प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर जो धन व्यय हो रहा है, उसे बेसिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर लगाया जाता तो शिक्षा में अच्छा योगदान होता। खेतों में काम करने वाले मजदूर, अनपढ़ किसानों के बच्चे पढ़े लिखे बनें, अनपढ़ न रहें, यह हर माता पिता चाहता है। एक तरफ तो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रौढ़ शिक्षा में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। समाचार छपाये जाते हैं रोक दिये जाते हैं समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिये जाते हैं। यह पैसा किसी काम में खर्च नहीं होता। बड़े बड़े शहरों में गोष्ठियां होती हैं, बस इससे ज्यादा प्रौढ़ शिक्षा में और कुछ नहीं होता। अतः इसके बारे में जितनी कम चर्चा की जाय और जितना कम समय बर्बाद किया जाय, वही ठीक है। इसकी व्यवस्था को बन्द कर देना चाहिये। लेकिन करेंगे नहीं। प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों बेकार हैं। औपचारिक शिक्षा दीजिए। नहीं तो सन् 2000 तक विश्व में जितने निरक्षर होंगे उनमें से आधे भारत वर्ष में ही होंगे। अब मैं एस0 सी0 आर0 टी0 के बारे में दो शब्द कहूंगा। यह शोध करने के लिए बना है। मन्त्री जी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, जनता भी चाहती है। हम चाहते हैं कि यह एन0 सी0 ई0 आर0 पी0 की तरह से हो जाय। लेकिन राज्य विज्ञान संस्थान और राज्य शिक्षा संस्थान बनाया गया सी0 आर0 पी0 के अधीन जो आज एस0 सी0 आर0 टी0 के अधीन है। इस प्रदेश से बनाया गया था कि वहां शोध होगा शिक्षा के केन्द्र में विज्ञान के क्षेत्र में। किन्तु जब कोई पुलिस का अधिकारी फील्ड में गड़बड़ी करता है तो उसे सी0 आई0 डी0 में भेज दिया जाता है। उसी तरह से शिक्षा विभाग में व्यवस्था सी हो गई है कि अगर शिक्षा विभाग में कोई

(समय 2 बज कर 20 मिनट पर)

भ्रष्टाचार का दोषी पाया जायेगा तो उन्हें इन संस्थानों में भेज दिया जाय, स्थान्तरित कर दिया जाय । उत्तर प्रदेश के यह संस्थान जो शोध के लिये बनाये गये हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की शरणस्थली हो गये हैं उन्हें वहां स्थान्तरित किया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि इन जगहो के लिए बिल्कुल अलग कैडर बना दिया जाय । दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं । ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना और घूस लेना ।

राज्य शिक्षा संस्थान—यह जो संस्थान है, इनके लोगों का भले ही वेतन आप बढ़ा दीजिए, इनके जिम्मे जो काम हो, शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन, प्रणाली में सुधार और पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या सुधार कर सकते हैं इस पर वे राय दें । अब हो क्या रहा है वहां लोग विधायकों के पीछे चलते हैं ताकि कोई जिला मिल जाय, जिला विद्यालय निरीक्षक बन जाय । वहां वे दण्ड समझ रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि वे दण्ड के स्थान न होकर शोध के स्थान हो जायं, इसको सुनिश्चित किया जाय । बड़ी चर्चा है दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त करने की । इसकी समाप्ति के लिए हम लोग लम्बे जमाने से अध्यापक के रूप में लड़ते रहे हैं । हम लोगों ने तमाम बार नारे उठाये बड़े कदम अब नहीं रुकेंगे, साथ पढ़ेंगे कृष्ण-सुदामा । जो समाज के नवाढ्य वर्ग आजादी के बाद पैदा हुआ, यह जो खर्चीले विद्यालय हैं, इसमें बड़े लोगों के बिगड़े लड़के पढ़ते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप इन जगहों का सर्वेक्षण करा लीजिये जो टेस्ट हो रहे हैं इंजीनियरिंग में मेडिकल में प्रवेश के लिए, इन विद्यालयों के पढ़े हुए लड़के उनमें नहीं जा पाते हैं । यह विद्यालय और इनमें पढ़ना सम्पन्नता का प्रतीक बन गया है । जैसे आजकल गांव और शहरों में एक कम्पटीशन का चल गया है । फ्रिज है कि नहीं, टेलीविजन है कि नहीं । इन विद्यालयों में पढ़ाना भी एक तरह से सम्पन्नता का प्रतीक बन गया है । यह जो धनाढ्य लोग अवैध ढंग से धन अर्जित किये हुए हैं इनके बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं । सामंजवादी प्रवृत्तियां, नौकरशाही की मानसिकता तथा नवधनाढ्य वर्ग द्वारा अर्जित अवैध दौलत के गढ़ जोड़ने विदेशी भाषा और पश्चिमी चलन के प्रति ऐसा आकर्षण और सम्मोहन पैदा कर दिया है कि इस मानसिकता को चौथे नारों से नहीं जोड़ा जा सकता है ।

मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी को कि एक निर्णय किया कि दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त करेंगे । समाप्त कोई भाषण करने से नहीं होगा । मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है । सुझाव दे रहा हूं ।

श्री राम तेज—

आप कोई सुझाव दे दीजिये ।

श्री पंचानन राय—

जो कोठारी आयोग ने सुझाव दिये हैं उनको आप कल ही लागू करा दीजिये । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक मार्च को कानपुर में 10 हजार अध्यापकों के बीच में कहा था ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें । माननीय राय साहब समय का ध्यान कृपया रखें ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, दो तीन मिनट लूंगा । मैं कहना चाहता हूं कि अगर पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाना अनिवार्य होगा तो जो पड़ोस का विद्यालय होगा उसमें ही बच्चा पढ़ेगा । चाहे

कलेक्टर का लड़का हो या उसके चपरासी का लड़का हो फिर दोनों एक ही जगह पढ़ेंगे। मन्त्री और चौकीदार के बच्चे भी एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे। उससे स्कूलों की दशा में सुधार होगा। हो क्या रहा है जो कुछ कर सकते हैं उनके बच्चे तो अच्छी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए और जो वहन नहीं कर सकते हैं उनके लिए भवन विहीन प्राइमरी स्कूल हैं। जो कोठारी आयोग ने सुझाव दिये हैं उनको लागू कर दीजिये। दोहरी शिक्षा समाप्त करने के लिए एक गोष्ठी आयोजित हुई उसको एक रंगीन सी किताब मुझको मिल गयी है इसमें है दोहरी शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति।

श्री अधिष्ठाता—

यह आज ही मिली होगी।

श्री पंचानन राय—

यह पहले की बंटी हुई है। माननीय विक्रमादित्य पाण्डेय जी भी उसमें गये थे समापन भाषण के लिये।

(व्यवधान)

श्री राम तेज—

आप रंगीन की क्यों बात कर रहे हैं।

श्री पंचानन राय—

इससे आप मन्त्री नहीं बनेंगे टोका टोकी से कोई मन्त्री नहीं बनता है। दोहरी शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी उस गोष्ठी में कौन लोग बुलाये गये। शिक्षा विभाग के छोटे अफसर से लेकर आला अफसर, जनता के प्रतिनिधि के रूप में एक श्री मोहन सिंह, 200 आदमियों की एक गोष्ठी हुई। तिलक हाल में लोग इकट्ठा हुए, ताकि इनका भुगतान करें। श्री मोहन सिंह को छोड़ कर किसी ऐसे आदमी को नहीं बुलाया जो इस सम्बन्ध में सही सुझाव दे सकता था। यह गोष्ठी पैसा बर्बाद करने और खाना पूरी के लिए हुई थी। आखिरकार कोई विधायक बुलाये होते, लेकिन कोई जनता के प्रतिनिधि को बुलवाये होते, बुलाया उनको, जिनको समापन भाषण करना था, एक मन्त्री के नाते बुलाया गया, अफसरों को फौज को, केवल एक जन प्रतिनिधि थे मोहन सिंह, जिनको वहां बुलाया गया था।

माननीय, यदि यह दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त करना चाहते हैं, आप यह देखिये कि दोहरी शिक्षा प्रणाली के सबसे बड़े हिमायती कौन हैं? इसके हिमायती वही लोग हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से दौलत पैदा की है, जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि वह इस विषय पर गम्भीर है, तो इसी सदन में, इसी सत्र में विधेयक लाये कि कोठारी आयोग की संस्तुति लागू की जायेगी, जैसा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कानपुर में 1 मार्च को कहा था कि हर आदमी का बच्चा अपने पड़ोस के स्कूल में पढ़ेगा। माननीय, शिक्षा का सुधार तब तक नहीं हो सकता, जब तक राज्य के बजट का कम से कम 35 से 40 प्रतिशत और केन्द्र के बजट का कम से कम 10 प्रतिशत खर्च न हो। यह स्पष्ट है कि जब पैसा नहीं होगा, तो अध्यापक नहीं होंगे, जब पैसा नहीं होगा, तो टाट पट्टी, भवन नहीं होगा और जब संसाधन नहीं होंगे, तो फिर पढ़ाई भी नहीं होगी। आज 58 हजार अध्यापक प्राइमरी विद्यालयों में चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार स्कूल खोल नहीं रही है।

आज माध्यमिक विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का अनुपात एक और सौ का है। जिस हिसाब से छात्र भरती किये जाय, उस हिसाब से अध्यापक भी भेजे जाने चाहिए। आज तमाम स्कूलों में बच्चों के लिये क्लास रूम नहीं हैं, विज्ञान की प्रयोगशालायें नहीं

हैं, तो आप समझ लीजिये कि बरामदों और मैदानों में कैसे पढ़ाई होगी, इस लिए आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश के बजट का 40 प्रतिशत और केन्द्र के बजट का 10 प्रतिशत शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाय । मान्यवर, यह सरकार शिक्षा को अनुत्पादक विनियोग मानती है, क्योंकि इससे कोई उत्पादन नहीं होता है । मेरा कहना यह है कि शिक्षा को उत्पादक विनियोग माना जाना चाहिए। अनुत्पादक विनियोग मानने की मान्यता गलत है, इसे बदलना होगा । मैं दोहरी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ हूं ।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बारे में भी दो शब्द कह दूं । वहां कोई चुनाव बहुत दिन से नहीं हुये हैं । जब मुलायम सिंह जी की सरकार ने तमाम संस्थाओं के चुनाव करा ही दिये हैं, तो इसके भी चुनाव करा दें, ताकि इसमें जो विधान मंडल के प्रतिनिधि जाते हैं, विधान परिषद के प्रतिनिधि जाते हैं, शिक्षकों के जाते हैं, वह जा सकें । मुलायम सिंह जी एक अध्यापक से मुख्य मंत्री बने, लेकिन फिर भी शिक्षा का बजट जहां का तहां रहा और जो अफसरों ने लिखकर दे दिया, शिक्षा मंत्री ने उसको पढ़ दिया । आज शिक्षा विभाग के कार्यालयों में जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त है । इसे समाप्त करने के किसी प्रयास की चर्चा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने नहीं की । अध्यापकों से प्रायः कार्य के लिये घूस की अपेक्षा की जाती है और न देने पर परेशान किया जाता है मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रबन्ध की व्यवस्था समाप्त और शिक्षा नीतियों के निर्धारण तथा उनका कार्यान्वयन में शिक्षकों की प्रभावशाली भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक शिक्षा में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हो सकता है ।

इस सम्बन्ध में इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है । यह यथास्थिति बजट है । शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं, अपने भाषण में इसका कहीं भी आपने जिक्र नहीं किया । भाषा नीति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने अंग्रेजी भाषा को समाप्त करने की बात कही है लेकिन आपका शिक्षा विभाग इसका उल्टा कर रहा है । हाई स्कूल की 70 लाख रुपये की अंग्रेजी माध्यम की किताबें खरीद ली हैं और 30 लाख रुपये की हिन्दी माध्यम में खरीदी हैं कमीशन लेकर । आखिर आपके विभाग को सरकार की नीतियों का तो आदर करना ही चाहिए । प्रदेश में 2402 स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं और 3800 अस्थाई हैं । मुख्य मंत्री जी जब जनता दल के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर इनके अध्यक्ष को दी थी, जिसके कुछ हिस्से में उदाहरण के तौर पर रखना चाहता हूं । उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा था "मांग संख्या एक जिसमें प्रदेश के समस्त स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को मात्र 25 करोड़ रु० प्रदान कर वेतन वितरण अधिनियम में लाने के सम्बन्ध में है--मैं आपको विश्वास दिलाता हूं । जनता दल की सरकार बन जाने से तत्काल बाद क्षतिपूर्ति त्रिभाषा अनुदान के अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये वार्षिक की व्यवस्था कर अब तक के स्थाई मान्यता प्राप्त समस्त जूनियर हाई स्कूलों को एक ही साथ वेतन वितरण अधिनियम में लाने की घोषणा की जायेगी । मैं वादा करता हूं कि भारत के अन्य प्रान्तों की भांति अस्थाई स्कूलों को स्थायित्व प्रदान करने के तुरन्तु बाद वेतन वितरण अधिनियम में लाने की व्यवस्था की जावेगी । 2402 में से उन्होंने 300 को अनुदान देने की घोषणा कर दी । इस तरह से जनता को गुमराह करके इन्होंने सत्ता पाई है । अस्थाई को आज तक स्थाई नहीं कर पाये हैं । माध्यमिक विद्यालयों में आप 200 ले रहे हैं, जबकि आपको 300 लेना चाहिए था । सातवीं पंचवर्षीय योजना में परम्परागत शिक्षा पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं उठाया जायेगा, जब यह निर्णय हुआ उस समय भारत सरकार

के जो वित्त मंत्री और आज इस देश के प्रधान मंत्री हैं, उनकी जय-जय कार करके आप सरकार में आये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि बाद में आप फिर 10 मिनट का समय हमें देंगे।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने शिक्षा विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जो ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय श्री पंचानन राय जो ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। पिछली सरकार में जब श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जो ने इस विभाग का बजट प्रस्तुत किया था तो उस समय प्रदेश का टोटल बजट तो बड़ा था और कुछ करोड़ समय शिक्षा विभाग को भी दिये थे, किन्तु टोटल बजट में से शिक्षा विभाग के बजट का परसेन्टेज कम था। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें टोटल बजट का परसेन्टेज भी बढ़ा है। यह एक नई बात है। मान्यवर, मैं संक्षेप में 2-4 सुझाव देना चाहूंगा। जो आपका यह इण्टरमीडिएट ऐक्ट है, इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं, ये किसके अधीन हैं, ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरह वह आज तक तय नहीं हो पाया है। मैनेजमेंट को अधिकार नहीं है इनको सीधे मुअत्तल करने का क्योंकि इसमें एप्रूवल लेना पड़ेगा जिला विद्यालय निरीक्षक से। जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकार नहीं है सीधे कार्यवाही करने का। मेरा आग्रह है कि शिक्षा अधिनियम में परिवर्तन करके इसे जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीन कर दिया जाय जो कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सके। आज तक किसी भी अध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है।

यह जो दोहरी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, पूर्ण रूप से उसका समर्थन करते हुए अनुरोध करूंगा कि इसमें विलम्ब न करें। इसमें जल्द से जल्द जो भी करना हो शीघ्रातिशीघ्र करें।

जो गांव में स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं या इण्टर कालेज हैं, इसमें दो प्रकार की व्यवस्था चल रही है। जो सरकारी विद्यालय हैं, वहां के अध्यापक तो 58 साल में रिटायर हो जाते हैं, जबकि वेतनमान दोनों का बराबर हो गया है। सरकारी विद्यालयों के अध्यापक पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर आते हैं और 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं; जब कि निजी प्रबन्ध तंत्र वाले विद्यालयों में अध्यापक 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। यदि इनकी भी रिटायरमेंट की आयु सीमा 58 वर्ष कर दी जाय तो नये लोगों को सेवा करने का अवसर मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी।

यह जो प्राइमरी स्कूल हैं, आज प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य हो, इसकी व्यवस्था करें।

मैं अंत में सुझाव देना चाहूंगा अगर आपके अन्दर नैतिकता है और आप नेता हैं तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण मांगिये, निगमीकरण मत मांगिये। दो वेतन मत लीजिये, अध्यापक के रूप में स्कूल से वेतन और एम० एल० ए० के रूप में विधान सभा से वेतन। यह दोहरी नैतिकता मत चलाइए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी के बजट में जो शिक्षा के सम्बन्ध में, अभी जैसा पाण्डेय जी ने कहा मेरा भी मानना है कि शिक्षा के बजट में जितने रुपये का प्राविधान होना चाहिये था, नहीं हुआ है। इसी लिये कह रहा हूं कि आज शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय हो गयी है यदि शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारा गया तो बड़ी भारी चिन्ता इस बात की है कि हमारे देश का नागरिक विशेष कर प्रदेश का नागरिक कहा जायगा। आपने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हमने परीक्षाफल बड़े समय से निकाला। मैं भी बधाई देना चाहता हूं लेकिन जिन परिस्थितियों में यह परीक्षाफल घोषित हुआ है यदि उसकी जड़ों पर जायं तो क्षोभ की स्थिति उत्पन्न होता है। पहले भी नकल होती थी परन्तु इस समय जिस प्रकार से नकल की गयी और तमाम जितने भी केन्द्र थे वहां पर सौदेबाजी हुई और उसके बाद जो कार्य हुआ है अत्यन्त ही अशोभनीय है। और सबसे बड़ी भारी चिन्ता की बात यह है कि माननीय, अब जो हमारे अभिभावक हैं वह सब इस तरह से इससे जुड़ गये हैं कि अब वे स्वयं यह चाहते हैं कि नकल कराने के लिये उनके घरों तक साधन पहुंचा दिये जायं। अगर इसी तरह से हमारे बच्चों का भविष्य बनता रहा तो यह एक चिन्तनीय विषय है। मैं स्वयं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक शिक्षा को बढ़ावा दें किन्तु यह जो नकल की प्रणाली और पकड़ रही है, उसको समाप्त किया जाय।

माननीय, समय कम है इसलिये मैं सूत्र रूप में अपनी बात को कहूंगा जिससे कि हमारे अन्य साथियों को भी समय मिल सके। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक आप सेवा नियमावली नहीं बना पाये हैं तो आप कहां उन्नति करेंगे और कैसे प्रोन्नति करेंगे। आपने कहा कि 1100 पद सृजित कर रहे हैं मैं कहता हूं कि पर्वतीय अन्चल में 6 हजार से ज्यादा रिक्तियां हैं आप वहां तो अध्यापक भेज नहीं रहे हैं। 6 माह हो गये, आपने कहा कि हम नियुक्तियां बन्द कर देंगे और आज आप कहते हैं कि हम विद्यालय का शैक्षिक स्तर ऊंचा करेंगे।

माननीय, हमारे साथी जानते हैं कि हमारे यहां दो अध्यापक विद्यालय को चलाते रहे, केवल दो अध्यापक किस तरह से उन्होंने विद्यालय का कार्य किया होगा? वह इधर और उधर बैठने वालों की बात नहीं है, जबसे आपने कुर्सी सम्भाली है तब से वहां एक भी अध्यापक नहीं है। माननीय, मैं सही कर रहा हूं कि हमारे यहां पर्वतीय अन्चल में इण्टरमीडिएट कालेज है, माननीय मंत्री जी, इसे नोट करिये कि रुद्र प्रयाग जो कि सड़क पर ही है बद्रीनाथ और केदारनाथ के मार्ग पर वहां के इण्टरमीडिएट कालेज में 8 मई, 1989 को शाक्य नाम के प्रधानाचार्य की नियुक्ति हुई और एक साल तक वे गायब रहे। अब 30 मई, 1990 में जाकर बताया है कि हम आ गये हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

माननीय, कम से कम दस मिनट का समय तो दीजिये और शिक्षा विभाग की शोचनीय स्थिति के बारे में जरा सुनिये।

आपने कहा कि मैंने नियुक्तियां दे दीं। माननीय, मुझे मुख्य विषय पर तो आने दीजिये। हमारे यहां प्रान्तीय विद्यालय हैं वहां कई अध्यापक मर चुके हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमने सबके लिये पेंशन और ग्रेच्युटी सब दे दी। हमारे यहां प्रान्तीय विद्यालय के मामले ऐसे अटके हुए हैं, कोई अध्यापक मर गया है, उसकी सर्विस का पता नहीं है, आपके यहां सेवा नियमावली नहीं है, प्रान्तीय विद्यालय के अध्यापकों की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियुक्ति का पता नहीं है, अंशकालिक अध्यापकों को नियुक्ति के लि` कोई सुनवाई नहीं हुई । प्रौढ़ शिक्षा के लिये लालटेन भी नहीं है ।

इसी तरह से संस्कृत और हिन्दी की बात है । आपकी सरकार ने हिन्दी एकेडमी को 32 लाख रु0 दिये हैं जबकि उर्दू एकेडमी को 38 लाख रु0 दिये गये हैं । मैं उर्दू के विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन जिस हिन्दी की आप इतनी वकालत करते हैं उसको तो रुपया मिलना ही चाहिये ।

उच्च शिक्षा के बारे में मेरा कहना है कि केवल आर्ट की क्लासेज से डिग्री कालेज नहीं चल सकता है जब तक कि वहां विज्ञान की शिक्षा के लिये कक्षायें न खोली जायं तब तक वह डिग्री कालेज सुचारु रूप से नहीं चलाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

डाक्टर शिवा नन्द नौटियाल--

इन्हीं शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि शिक्षा की कोरी नीति कब तक चलती रहेगी, जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठायेंगे, तब तक शिक्षा में कोई सुधार होने वाला नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, आप नये लोगों को भी इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान करें ।

(व्यवधान)

*श्री धनीराम वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जूनियर हाई स्कूलों को वेतन वितरण अधिनियम में लाकर एक सराहनीय कार्य किया है, जो कार्य कांग्रेसी शासन में 8 वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको करके एक सराहनीय कार्य किया है । इसके साथ ही साथ आपने हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेजों को भी वेतन वितरण अधिनियम में लाकर अच्छा और सराहनीय कार्य किया है । आपने जो नये प्राइमरी विद्यालयों को खोलने की घोषणा की है, 2362 विद्यालयों को खोलने की घोषणा की है यह बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है । इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश में गरीब और अमीर सभी को समान शिक्षा देने के लिये जो आपने कार्य किया है, वह प्रशंसनीय है । आपने इन्टर तक की शिक्षा को फ्री कर दिया है, निःशुल्क कर दिया है, यह बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है । अभी तक बहुत से गरीब लोगों के बच्चे शिक्षा पाने से वंचित रह जाते थे, अब उनको शिक्षा पाने का अवसर मिलेगा, यह बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य आपने किया है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके प्रदेश की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और सन् 2000 तक आपके इस प्रदेश में लगभग 5 करोड़ बच्चे ऐसे हो जायेंगे 10 और 15 साल के जो निरक्षर रह जायेंगे, अगर यही व्यवस्था रही और अगर आपने इसी क्रम से विद्यालय खोलने का काम किया । मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता के सुख और समृद्धि के लिये शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये आपको काम करना होगा। हमारे मंत्री जो जागरूक हैं मेरा निवेदन है कि कम से कम 5000 विद्यालय खोलने का प्राविधान करें और शिक्षा के बजट को बढ़ाने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करें और हम उनका समर्थन करेंगे, इसलिये कि प्रदेश में और देश में भविष्य में निरक्षरों की संख्या न बढ़े। इन शब्दों के साथ में एक सुझाव देना चाहता हूं कि अभी तक सेक्शन खोलने की परमीशन नहीं थी जिससे कि एक-एक सेक्शन में 100-100 लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है और आपने बत्ती जला दी है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सेक्शन्स की परमीशन और पोस्ट्स की परमीशन दें, जिससे शिक्षा सुचारु रूप से चल सके। इसके अतिरिक्त और 2-3 बातें कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

उनके लिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो प्राइमरी विद्यालय जो जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल में गये, उनका अटैचमेंट समाप्त कर दिया गया। ऐसा करने से यह हुआ कि जो हाई स्कूल और इण्टरमीडियट तक के विद्यालय हैं वे सब वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत आ गये और जूनियर हाई स्कूल से जो अटैच हैं उनको नहीं लिया गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो विद्यालय जूनियर हाई स्कूल से अटैच हैं उनको भी वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत आप लायें।

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूं। वित्त विहीन मान्यता जैसा कि कटौती के प्रस्तावक माननीय पंचानन राय जी ने कहा है, समाप्त की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

मान्यवर, इससे अध्यापकों का शोषण हो रहा है। हमारी जनप्रिय सरकार ऐसा नहीं करेगी। इसके साथ ही साथ जूनियर हाई स्कूलों को स्थायी मान्यता के लिये जो रोक लगी हुई है उसको समाप्त किया जाय। ऐसा मेरा अनुरोध है। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री दौलतराम (सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे शिक्षा के बजट में बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट रखा है उसमें उन्होंने दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के विषय में कोई घोषणा नहीं की। जैसी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त किया जायेगा लेकिन बजट में उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति नहीं तिहारी शिक्षा नीति चल रही है। दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करने की बात की जा रही है, यह कोरी कल्पना मात्र है। हमारे प्रदेश में चाहे जो भी विद्यालय हों, एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा तब तक दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करना कोरी कल्पना होगी। एक तरफ यह सरकार घोषणा करती है कि हम कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा देंगे। लेकिन मान्यवर, आप देखें कि जो प्राइवेट स्कूल, प्रबन्धकीय विद्यालय चल रहे हैं उनमें 100 रुपये से पांच सौ रुपये तक फीस ली जाती है, उन पर क्या अंकुश लगाया जाता है, उनमें क्या ....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गरीबों के बच्चे पढ़ सकते हैं ? ऐसे विद्यालय हमारे प्रदेश में चल रहे हैं। लखनऊ में चल रहे हैं जहां सौ रुपये से लेकर पांच सौ रुपये तक शुल्क लिया जाता है। सरकार कान में तेल डाले बैठी है। मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ऐसे विद्यालयों पर अंकुश लगायें और जो इस तरह से नाजायज फीस ली जाती है उसको समाप्त किया जाय। एक तरफ निःशुल्क शिक्षा की बात कही जाती है और दूसरी तरफ इस तरह के विद्यालय चल रहे हैं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक विकास शुल्क लिया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक विकास शुल्क 1 रुपया और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 2 रुपये विकास शुल्क लिया जाता है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इसका परीक्षण करा लें। विद्यालय के विकास के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस विकास शुल्क को समाप्त कर दें आज तक जितने भी प्रबन्धकीय विद्यालय हैं, उन सब में अध्यापकों का शोषण हो रहा है। मेरा एक सुझाव है कि प्रबन्धकीय व्यवस्था समाप्त कर दी जाय इस व्यवस्था के चलते शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं हो पायेगी।

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि हाई स्कूल में जो विज्ञान और गणित के विषय रखे गये हैं जिनमें विज्ञान एक और दो तथा गणित एक और दो किये गये हैं यह उचित नहीं है मेरा सुझाव है कि गणित और विज्ञान एक-एक ही रहने चाहिये।

इसके अलावा इंटरमीडिएट की भांति हाई स्कूल में भी प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन कराया जाय और उनकी परीक्षा भी इंटर के परीक्षार्थियों की भांति ली जाय। शिक्षा में आज गिरावट आ रही है उसको ठीक करने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री दौलत राम—

मान्यवर, परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाय। दोहरी शिक्षा पद्धति को समाप्त किया जाय। बच्चों के बैठने के लिये टाट-पट्टी की व्यवस्था की जाय। सस्ते मूल्य की कापियों के लिये कागज उपलब्ध कराया जाय।

(श्री विश्वनाथ का नाम पुकारने पर कई सदस्य बोलने लगे)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बिष्ट जी, आप बैठिये मैंने विश्वनाथ जी को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

किसको पुकारा, है ?

श्री अधिष्ठाता—

एक-एक करके बोलेंगे तो सबको समय मिल जायेगा। इस तरह से तो कोई नहीं बोल पायेगा। मैंने श्री विश्वनाथ जी को बुला लिया है। उनको पहले सुन लें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

(आप लोग आसन ग्रहण करें, चौधरी साहब आप बैठ जायं। एक साथ तो सब बोल नहीं पायेंगे। जिस सदस्य का नाम लिया गया है उसे पहले सुन लें।

(व्यवधान)

जो नाम आपके दल की तरफ से आये हैं उनको बुलाते हैं तो फिर आपकी तरफ से चिट आती है। आपके दल की तरफ के नाम आये हैं उसके बाद आप उनको बोलने नहीं देते हैं। आप अपनी तरफ से करते हैं कि इनको बुलवाइये

(व्यवधान)

मैंने श्री विश्वनाथ सिंह जी को बुलाया है। आप शान्त रहें।

*श्री विश्वनाथ—

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा बजट पर बोलने का समय दिया मैं सर्वप्रथम शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद बधायी देता हूं कि उन्होंने क्रान्तिकारी और परिवर्तनकारी शिक्षा कारी बजट प्रस्तुत किया। माननीय, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो घोषणायें की हैं, वह सराहनीय हैं। उन्होंने जो दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है वह तो बहुत ही सराहनीय है।

(व्यवधान)

माननीय, अध्यापकों की भर्ती करके शिक्षा के उन्नयन की दिशा में शिक्षा मन्त्री ने सराहनीय कार्य किया है किन्तु यह पर्याप्त नहीं और इसलिये आवश्यकतानुसार और अध्यापकों की नियुक्ति की जायं अन्यथा शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण व्यवस्था का कार्य पंगु हो जायेगा।

माननीय, आजादी के चार दशकों के बाद भी प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त धन को केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को देती है और प्रान्त की सरकारें इसे पानी की तरह बहा रही हैं, इसमें प्राप्त धन लुटेरों के हाथ में जा रहा है, इस प्रकार यह व्यय निरर्थक है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा को समाप्त किया जाये और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाये।

माननीय, शिक्षा मन्त्री जी ने जो प्राथमिक विद्यालय खोलने की संख्या 2300 बतायी है वह गांवों के अनुपात में बहुत कम है। एक विधान सभा क्षेत्र पर मुश्किल से 3-4 विद्यालयों से अधिक प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये शिक्षा के बजट को बढ़ायें जिससे गांवों के अनुपात में विद्यालयों की स्थापना हो सके और गांव स्वर्ग बने।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अध्यापक होने के नाते कहना चाहता हूं कि एक तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाये और दूसरे प्रौढ़ शिक्षा को समाप्त किया जाये ।

तीसरे सुझाव है कि उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर आपने अध्यादेश जारी किया है जिससे उसकी स्वायत्तता का हनन किया गया है । मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि उच्च शिक्षा के पवित्र संस्थाओं में अध्यादेश की तलवार को लटका कर उनकी पवित्रता को समाप्त करें क्योंकि इससे कुलपतियों और प्रोफेसरों में असन्तोष एवं भय व्याप्त है । अतः इस अध्यादेश को आप वापस लें ।

अन्त में एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असहायिक मान्यता प्राप्त लघु माध्यमिक विद्यालयों को वेतन वितरण सूची पर लिया जाये । इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री ऊवल—

मान्यवर, शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है, वह इससे जाना जा सकता है कि इंसान और पशु में फर्क करने के लिए कहा जाता है—बिना पढ़े नर पशु कहावे । आज हमारे प्रदेश में अशिक्षित लोगों की संख्या 8 करोड़ के करीब है और इसमें बालिकाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और बालकों में भी कमोबेश यही स्थिति है । विश्व शिक्षा संगठन ने अपने एक सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट दिया है, उसके अनुसार 20वीं सदी के बाद नम्बर एक पर यह अशिक्षित देश होगा । इसलिए बहुत गम्भीरता से इस पर आपके विचार करने की आवश्यकता है । हमारे प्रदेश में बालिकाओं बालकों की शिक्षा 30 परसेन्ट के करीब होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, और बच्चियों यानी महिलाओं की शिक्षा 12–13 परसेन्ट से अधिक नहीं होगी । 15 परसेन्ट से ज्यादा तो किसी भी हालत में नहीं होगी । इसलिए गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए और मैं इस सम्बन्ध में अब आपके सामने कुछ सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास समय कम है, फिर भी 10 मिनट तो है ही ।

श्री अधिष्ठाता—

आपके लिए भी समय उतना ही है ।

श्री ऊवल—

ऐसा कैसे होगा । तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्टर कालेजों में जगहें रिक्त हैं पूरे प्रदेश में, मैं चाहता हूं कि आप इसका सर्वेक्षण करावें और जितनी जगहें रिक्त हैं, उनको आप भर दें । इसी तरह डिग्री कालेजों की भी हालत है, उनमें भी जगह रिक्त है । हमारे नौटियाल जी भी बोल रहे थे, तो उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुखः हुआ उनकी एक–एक बात को सुनकर मुझे दुखः हो रहा था, क्योंकि यह सारी उनके जमाने की ही बातें हैं । यह शिक्षा में जो गिरावट आई, यह उसी समय से चली आ रही है, जबसे ये शिक्षा आयोग उन्होंने बनाए । जिस समय आपने यह माध्यमिक शिक्षा आयोग और उच्च शिक्षा आयोग बनाए थे, उसी समय मैंने उनका विरोध किया था और कहा था कि ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे, इनको न बनाया जाए । लेकिन सरकार आपकी थी और आपने बना दिया उनको ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं और जो भवन विहीन हैं, जिनको आपने बनाने का निश्चय किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं....

(व्यवधान)

जो सच्चाई है उसे मैं जरूर कहूंगा। टाटपट्टी की भी जो आपने व्यवस्था की है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं।

बी0 टी0 सी0 ट्रेण्ड अध्यापक सन् 72 से बेकार पड़े हैं, जो कि नौटियाल साहब की ही करनी का फल है, उनको आप कृपा करके खपाने का कष्ट करें, और मैं तो कहूंगा कि इसके लिए यदि आवश्यक हो तो आप बी0 टी0 सी0 की ट्रेनिंग को भी बन्द कर दें। यह भी करना पड़े तो इसके लिए आप यह करें।

आपने प्रत्येक ब्लाक में हाई स्कूल विद्यालय की घोषणा की है। वास्तव में इनकी संख्या बहुत कम है, यदि आप इनकी संख्या को आगे बढ़ा दें, तो आप उसके लिए भी बधाई के पात्र होंगे। बहुत से इंटर कालेज हैं, वहां साइंस नहीं है, बहुत से इंटर कालेज साइंस की मान्यता लेना चाहते हैं। हमारे यहां से सरजू प्रसाद इन्टर कालेज और एक विद्यालय और है, जो यह दो विद्यालय साइंस की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको मान्यता नहीं मिल पाई। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे सभी विद्यालयों को जो वित्त विहीन और शर्तों को पूरा करते हुए साइंस की मान्यता चाहते हैं, तो आप उन सभी को मान्यता दे दें।

प्राइमरी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। कहीं भी इसके विपरीत नहीं है। सरकार की सारी जिम्मेदारी होती है, उसको आपको लेना चाहिए। विकास शुल्क के बारे में एक प्रश्न किया था, लेकिन आपने कहा "नहीं"। उत्तर प्रदेश सरकार को मोहर लगाकर सब जगह बांट रखा है, आज भी वह वसूली करते हैं। आपके प्रभाव में ही बेसिक शिक्षा विभाग ने एक जिन्दा अध्यापक को मुर्दा बना दिया और उसे रिटायर करके उसका सारा का सारा पैसा ले लिया। आपके गांव के भी एक अध्यापक की इसी तरह की हमें जानकारी है।

माध्यवर, प्रौढ़ शिक्षा बिल्कुल गलत चल रही है। इसका पैसा यदि इधर डाइवर्ट कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि किसी एक जगह का नाम लीजिए। मैंने हरदोई जिले के 3-4 ब्लाकों का नाम लिया कि वहां पर कितना घपला है मान्यवर, जौनपुर पूर्वांचल में कोई महिला डिग्री कालेज नहीं है। मान्यवर, यदि आप वहां पर डिग्री कालेज खुलवाने की मान्यता दे दें तो जिस तरह से पूर्वांचल यूनीवर्सिटी खुल रही है पूर्व क्षेत्र में, इससे शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान होगा।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(श्री बाबू राम यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बाबू राम यादव—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने जो इस प्रगतिशील बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए आभारी हूं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो घोषणा की थी अपने बजट भाषण में कि कक्षा 12 तक के बच्चों की फीस माफ हो जायेगी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उसका प्रावधान किया है। मैं इसके साथ ही कटौती का प्रस्ताव पेश करन

वाले हमारे विद्वान वरिष्ठ माननीय पंचानन राय से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने दोहरी शिक्षा नीति की बात की थी, तो पहले वह स्वयं अपने दोहरे कार्यों को छोड़ें। पंचानन राय जो नौकरी भी करते हैं और विधायक भी हैं।

(व्यवधान)

*श्री भोला पाण्डेय—

माननीय नगर विकास मंत्री प्रिंसिपल भी हैं और मंत्री भी हैं।

श्री बाबूराम यादव—

पंचानन राय जी पहले अपनी दोहरी कार्यप्रणाली छोड़ें और फिर जनसेवा में आयें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं पंचानन राय जी का शिक्षक नेता के रूप में सम्मान करता हूं। लेकिन उनको सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए थी कि उन्होंने 38 वर्षों का रिकार्ड तोड़ा है। आज कांग्रेस का हुकूमत का रिकार्ड टूटा है।

माननीय शिक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि इस बार इन्टर का रिजल्ट मई में घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही साथ अध्यापक और अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने नियत समय के अन्दर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। मान्यवर, हमारे प्रदेश के बच्चे बोरी में पट्टी लपेटकर पढ़ने के लिए जाते थे और दरवाजे पर बैठकर पढ़ते थे। यदि अध्यापक के यहां रिश्तेदार आ जाता था तो उनकी छुट्टी कर दी जाती थी। यानी विद्यालयों के लिए भवन नहीं थे। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने 31 मार्च तक सारे विद्यालयों के लिए भवन बनवाने का वायदा किया। इसका बजट में प्राविधान है। मैं एक बात और माननीय पंचानन राय से कहना चाहता हूं। अध्यापकों में इन्होंने नकल की प्रणाली को बढ़ावा दिया था। इनके समय में प्रदेश में नकल होने लगा थी। इस बार हमारी सरकार ने नकल पर अंकुश लगाया है। पचास फीसदी नकल रोकी गई है। जिसकी वजह से अधिकारियों को चोटें भी आईं। इसके लिए मैं सरकार को और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने बी0 टी0 सी0 का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप जल्दी अपनी बात पूरी करें।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, पहली बार बोल रहा हूं बोल लेने दें, जो बी0 टी0 सी0 का प्रशिक्षण लिए हैं वह अपनी आधी जिन्दगी पूरी कर चुके हैं वह इनके सामने, इनकी सरकार के सामने नौकरी की मांग करते रहे, चिल्लाते रहे लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने दस हजार शिक्षकों को नौकरी देने का प्राविधान किया है।

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि—

अंबोदा बहवोहि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभि आर्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिदवृथा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस क्रान्तिकारी और प्रगतिशील बजट का समर्थन करता हूं और पंचानन राय जी से कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा से जुड़े हैं और आप ऐसी बात कह रहे हैं आप अपने इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का समय प्रदान किया । शिक्षा मंत्री ने अशिक्षितों की भांति अपना बजट भाषण शुरू किया

(व्यवधान)

आज प्रदेश को, सूबे को बुनियादी शिक्षा नीति की आवश्यकता है । साम्प्रदायिक शिक्षा नीति की आवश्यकता है, बेरोजगारी को खत्म करने की शिक्षा नीति की आवश्यकता है । पूरे सूबे के अन्दर, पूरे प्रदेश के अन्दर शिक्षा को समाज से जोड़ने की शिक्षा नीति की आवश्यकता है । इनमें किसी बिन्दु पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ध्यान केन्द्रित नहीं किया । जो कांग्रेस की बात है—

(व्यवधान)

मैं बुनियादी परिवर्तन की बात आपसे कहना चाहता हूं ।

बेरोजगारी को दूर करने की बात आपके मुख्य मंत्री जी ने कही, आपकी सरकार ने कही, लेकिन शिक्षानीति के अन्दर कोई ऐसा प्राविधान बने, ऐसी कोई बात नहीं कही । हमारी सरकार ने पालीटेक्निक की व्यवस्था कराई थी आपकी सरकार ने किस पालीटेक्निक को खोलने की व्यवस्था कराई है । मैं कहना चाहूंगा कि लार्ड मैकाले के जमाने से जो शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, एक बुनियादी शुरुवात की गई थी उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है । आपकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है । आप स्पष्ट रूप से घोषणा करते कि प्रदेश के अन्दर, जिस तरह से केरल, पश्चिमी बंगाल आदि में जिस तरह से शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया उसी तरह से हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करेंगे ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट पर)

श्री भोला पाण्डेय—

लेकिन आपके अन्दर वह भावना नहीं है, आपकी कथनी और करनी में भेद है । आपकी विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है ।

एक सदस्य—

शिक्षा बजट पर बोलिये ।

श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था कि अशिक्षितों के दिमाग में मेरी बात घुसने वाली नहीं है । आज शिक्षा में बदले की भावना से कार्य हो रहा है । मंत्री जी ने कहा है कि हम अनुदान दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह अनुदान देने की व्यवस्था कहां की गयी है । केवल इटावा जनपद में बजनों ऐसे विद्यालय हैं जो जनतादल के लोगों द्वारा संचालित हैं उनको ही अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है । आपने अंग्रेजी हटाने की बात कही और हिन्दी को बढ़ावा देने की बात कही गयी है । हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये कितने संस्थान हैं, भारतेन्दु

संस्थान, मुंशी प्रेमचन्द संस्थान आदि जो संस्थान हैं यह हिन्दी को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन इनके लिये आपने कौन से कदम बजट में उठाये हैं यह आप बतायें। आपने केवल सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिये ऐसी बातें की हैं।

औरइया में एक कान्वेण्ट स्कूल है जिसको एक लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। अनुदान बांटने के नाम पर सरकारी पैसे की बरबादी हो रही है। शिक्षा के नाम पर, अनुदान बांटने के नाम पर एक ही दल के लोगों को अनुदान देने की बात की जा रही है जिससे आप पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पिछले दिनों लखनऊ में डी० ए० वी० कालेज के जो प्रबन्धक हैं मदन मोहन तिवारी वह चुनाव लड़ रहे थे।

(शोर)

कामर्स के विद्यार्थियों को मान्यता दिलाने की व्यवस्था उन्होंने नहीं की। आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है उसके प्रसार और प्रचार के लिये बजट में व्यवस्था की जाती। संस्कृत के आलावा और जो हमारे प्रदेश की स्थानीय भाषायें हैं उनके प्रसार-प्रचार के लिये कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है।

व्यवधान के मध्य

दोहरी शिक्षानीति को समाप्त करने की जो बात आपने कही है वह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। न तो इस बजट में हिन्दी को आगे बढ़ाने की बात है और न पढ़ने-पढ़ाने के लिये कोई कारगर व्यवस्था की गयी है। आप गांव के विकास की बात करते हैं लेकिन आपकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अन्तर है। आपने घोषणा की हम विद्यालयों के भवन बनायेंगे लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्षता—

आप कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्यगण, आप लोग शांत रहें।

श्री भोला पाण्डेय—

माननीय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने शिक्षा बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री सभापति—

आप लोग कृपया बैठें।

(श्री सोमांश प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान के मध्य)

यह बात सही है कि दलों के द्वारा जो सूची दी जायगी, उससे आपको माननीय सदस्यों को बुलवाने में सहायता मिलेगी, लेकिन आपके पास विवेक का भी अधिकार है, जो व्यक्ति हाउस में खड़ा होता है और आपकी दृष्टि उस ओर पड़ती है, तो आप अपने विवेक से भी उसको बोलने का अवसर दे सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी बात सही है कि जो सूची आती है, उनको पूर्ण निदेश नहीं मानते हैं, पीठ अपने विवेक से बोलने के लिये निर्णय करती है, लेकिन एक साथ ही तो सबको नहीं बोलवाया जा सकता है। एक साथ ही कई सदस्य खड़े हो जाते हैं और एक साथ ही सब लोग बोलने लगते हैं।

(घोर व्यवधान)

(श्री सोमांश प्रकाश के पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

*श्री सोमांश प्रकाश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के महम बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि मनुष्य जीवन प्राप्त होने के पश्चात् ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है, इसलिये मैं प्रारम्भिक शिक्षा को आधारशिला बालक और बालिकाओं के लिये मानता हूं।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग बहुत उंघिया रहे हैं, इसलिये आप सबको एक साथ ही बोलने का मौका दे दीजिये और सब एक ही साथ बोल लें।

श्री सोमांश प्रकाश—

मान्यवर, प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर जितना ध्याव देना चाहिये, उतना नहीं दिया जा रहा है, हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस वर्ष प्रारम्भिक शिक्षा पर काफी अच्छी घोषणा की है, टाट-पट्टी देने की, भवन बनाने की, लेकिन आज समस्या इस की है कि शिक्षा का स्तर बहुत कम है, जहां पर सुख सुविधा ज्यादा है, वहां पर अध्यापक ज्यादा हैं, और बच्चे कम है और जहां पर सुविधा नहीं है, वहां पर बच्चे ज्यादा हैं और अध्यापक कम हैं और शिक्षा की दशा ऐसी है कि ब्लैक बोर्ड नहीं है, टाट-पट्टी नहीं है, भवन नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हू कि प्रदेश में दोहरी शिक्षा को समाप्त करने की घोषणा की है, परन्तु इसमें मेरा यह सुझाव है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा का स्तर ठीक होना चाहिये। आज दशा यह है कि अभिभावक अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहें हैं। गांव-गांव में मांटेसरी स्कूल, शिशु मंदिर और पब्लिक स्कूलों में बच्चों को मजबूर होकर पढ़ाया जा रहा है। यदि अपने प्राइमरी स्कूलों का स्तर ठीक हो जाय, तो किसी को वहां पढ़ाने का शौक नहीं है। माननीय पंचानन राय जी कह रहे थे कि कृष्ण और सुदामा को एक साथ पढ़ाने की नीति चलाना है। श्रीमन् उस समय आचार्यों का क्या चरित्र था और किस प्रकार वे जंगलों में रहकर शिक्षा देते थे। आज के शिक्षक अपनी सुख-सुविधा पर ध्यान रखते हैं, बच्चो की पढ़ाई की ओर नहीं। मेरा सुझाव है कि प्राइमरी शिक्षा के शिक्षकों के लिये शासन द्वारा नीति बनाई जाय कि मण्डल स्तर से तो बाहर न भेजा जाय, लेकिन गृह जनपद में कोई न रहे।

यह ध्यान करने की बात है कि गृह जनपद पर कोई अध्यापक न रहे लेकिन मंडल स्तर से भी बाहर न जाय क्योंकि छोटे कर्मचारी हैं थोड़ी तनख्वाह है। लेकिन जब तक ये अपने गृह जनपद से बाहर नहीं जायेंगे तब तक कोई शिक्षा का स्तर बढ़ नहीं पायेगा और न बच्चों को ठीक से पठनपाठन करा पायेंगे। इसे तरह से मान्यवर, मैं उच्च शिक्षा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और उच्च शिक्षा के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हू क्योंकि समय बहुत कम है। मान्यवर, जितने हमारे विभागाध्यक्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, अलग-अलग महाविद्यालय हैं उनके विभागाध्यक्षों की समयावधि निर्धारित की जाय और बारी-बारी से योग्यता के अनुसार हर अध्यापक को विभागाध्यक्ष होने का मौका दिया जाय। मैं अपने क्षेत्र के बारे में यह मांग करना चाहता हूं कि हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में भोपा में एक डिग्री कालेज बनाया जाय और हमारे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम लक्षेणा में लड़कों के इन्टर कालेज की मान्यता दी जाय व गांव पचेड़ा में लड़कियों के हाईस्कूल की मान्यता दी जाय।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने कुछ स्वागतयोग्य बात कही है, मैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि सबको शिक्षा सबको काम, अगर इस सिद्धान्त को मानकर सरकार चले तो प्रदेश में कोई ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जो शिक्षा न अर्जित कर ले। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम 10 हजार बी० टी० सी० के लोगों को जो प्रशिक्षित हैं, उनको काम देंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि हम दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करेंगे लेकिन हमारे प्रदेश में दोहरी शिक्षा नहीं चल रही है यहां प्रौढ़ भी है, अनौपचारिक भी है और नवोदय भी है इन सबको आप खत्म कर दीजिए। आप चलाइये प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, माध्यमिक, इसके बाद डिग्री और उसके बाद जो कक्षाएं होती हैं। अगर इस पर आप ज्यादा जोर दें तो जितने बी० टी० सी० के बेकार लोग हैं, जितने अंशकालिक हैं, जितने और भी बेकार अध्यापक हमारे प्रदेश के पढ़े हुए हैं, सबको काम मिल जायेगा। लेकिन जो उस अवधि के आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको समाप्त कर दें। आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर पुरानी कांग्रेस आई की सरकार चल रही थी। यह केवल भाषण से नहीं होगा जब तक आप बुनियादी तरीके से इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदल देंगे। शिक्षा में ऐसा परिवर्तन लाइये जिससे पढ़ने-लिखने के बाद लोगों को काम मिल सके। इस पर मंत्री जी का कोई भाषण नहीं हुआ और न कोई आपने चर्चा की और न कोई आपके साहित्य में इसकी चर्चा है।

मान्यवर, हालत क्या है, माननीय मंत्री जी ने एलान किया है कि कुछ नयी प्राइमरी पाठशालाएं खोलेंगे लेकिन हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा प्राइमरी पाठशालाएं खोलने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना स्कूल के बच्चे बिना पढ़े-लिखे रह जाते हैं। डेढ़ किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर विद्यालय स्थित हैं और बहुत से ऐसे अनभूत गांव हैं जहां बहुत आबादी है लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। आपने मानक क्या बनाया कि कितनी आबादी पर विद्यालय खोलेंगे डेढ़ किलोमीटर पर, मैं कहता हूं कि डेढ़ किलोमीटर को छोड़िये जो पहले से चल रहा है, आप बनाइये आधा किलोमीटर पर। आबादी के हिसाब से पाठशाला खोले जिससे हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। मान्यवर, हमारे इस प्रदेश में अंग्रेजों के जाने के बाद मुश्किल से 27 प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हैं। अगर आप अन्य प्रदेशों को देखें तो 16वां स्थान उत्तर प्रदेश का है जो शिक्षा में इतना पिछड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल बजट में रुपया पढ़ देने से शिक्षा पर आप मत आत्मसंतुष्ट हो जाइये। शिक्षा पर बहुत ज्यादा रुपया खर्च करने की जरूरत है, तब जाकर काम होगा। पहले जब कांग्रेस सरकार केन्द्र में थी, तब मुश्किल से 2 फीसदी बजट शिक्षा का था। आज की स्थिति में यदि सचमुच शिक्षा देना चाहते हैं तो इस पर अधिक से अधिक धन खर्च होना चाहिये। आज स्थिति यह है कि लोग अपनी प्राइमरी पाठशालाएं खोलकर चला रहे हैं। उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद् में प्रार्थना-पत्र दिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है।

दूसरे मैं कहना चाहता हूँ कि आज शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। जितने डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं, वहां बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। आप अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। कालेजों में नियुक्ति की जरूरत है, वहां पर भी बिना पैसे के नियुक्ति नहीं होती। जैसा कि माननीय पंचानन राय ने कहा, प्राइवेट तन्त्र को समाप्त किया जाय और तमाम स्कूलों को राष्ट्रीयकृत किया जाय, तभी हमारे देश में सचमुच शिक्षा मिल सकती है। तभी भ्रष्टाचार भी समाप्त हो सकेगा। एक बात और कह कर खतम कर रहा हूं। जो चार्ट इन्होंने दिया है हाई स्कूल और इन्टर के उत्तीर्ण छात्रों का इसमें हाई स्कूल का रिजल्ट 1988 में 46.80 परसेन्ट, 1989 में 44.82 परसेन्ट और 1990 में 44.21 परसेन्ट रहा, जबकि इन्टर का रिजल्ट 1988 में 69.09 परसेन्ट, 1989 में 63.44 परसेन्ट और 1990 में 64.10 परसेन्ट रहा। तो शिक्षा का स्तर बराबर गिर रहा है। लड़के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि नकल कर रहे हैं। हर कालेज में ऐसे केन्द्र खुल गये हैं और वहां नकल होती है, इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है।

(घोर व्यवधान)

(जो अधिष्ठाता द्वारा श्री रामकरन आर्य का नाम पुकारे जाने पर श्री जागेश्वर बिना अनुमति के बोलने लगे, जो कि घोर व्यवधान एवं मेजों की निरन्तर जोरदार थपथपाहट के कारण सुना नहीं जा सका।)

श्री अधिष्ठाता—

आप सब बैठिये। जागेश्वर जी जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायगा। ये जो बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप सब लोग बैठें। सदन में व्यवस्था बनाये रखिये।

(श्री जागेश्वर व तमाम सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलते रहे जिससे सदन में (घोर व्यवधान हो गया)।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय जागेश्वर जी यह कुछ कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। इस तरह से किसी के कुछ नहीं समझ में आयेगा।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे और किसी माननीय सदस्य की कोई बात समझ में न आने के कारण लिखी नहीं जा सकी)

श्री पंचानन राय—

माध्यवर, कृपया पहले सदन को व्यवस्थित कराने का कष्ट करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया माननीय जागेश्वर जी को बिठायें। आप सभी लोग कृपा करके बैठ जायें।

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद—

माननीय जागेश्वर जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे कृपया बैठ जायें।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जो नये माननीय सदस्य हैं उनको बोलने का मौका दें, तो अच्छा रहेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम करन आर्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं आपके समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, अबकी इधर की बारी थी ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने माननीय राम करन आर्य जी को बुलाया था । बीच में माननीय जागेश्वर जी खड़े हो गये और बगैर मेरी अनुमति के बोलने लगे । उस सम्बन्ध में मैंने पहले ही निर्देश दे दिये हैं कि उनकी कोई भी बात नहीं लिखी जायेगी । इसलिये अब माननीय राम करन आर्य जी पहले बोल दें । आप लोग इस तरह से समय नष्ट न करें । यह समय बहुत महत्वपूर्ण है । आप सब लोग बैठ जायं ।

(घोर व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, यह तो बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, आपकी अनुमति के बगैर वे बोलते रहे ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप सब लोग बैठें ।

श्री राम करन आर्य—

मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है शिक्षा का, उसका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि यह जो शिक्षा की बरबादी हुई है यह पिछली सरकार की देन है, यह उसकी जिम्मेदारी है । आज जो हमारे यहां प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

प्राइमरी स्कूलों के टीचरों का ट्रान्सफर कम से कम 100 कि० मी० दूर किया जाना चाहिये और दूसरे जिले में किया जाना चाहिये ।

पास के ही स्कूल में उसका घर होता है । 10 बजे वह खाना खा पीकर जाता है और 4 बजे चला आता है । गांवों में जब तक नई शिक्षा के तहत प्राइमरी स्कूलों में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इसमें सुधार संभव नहीं है । मान्यवर, इंटर-मीडिएट शिक्षा के जो कालेज हैं, प्रदेश में, उनको सरकार द्वारा अपने अंडर में लिया जाना चाहिये, इसके अलावा प्रदेश की सरकार के पास अब कोई चारा नहीं है । एक तरफ पब्लिक स्कूल हैं और दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के स्कूल हैं, हमारी सरकार ने और माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि हम इकहरी शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे और दोहरी शिक्षा प्रणाली को खत्म करेंगे । अगर दोहरी शिक्षा प्रणाली को खत्म करना है तो सरकार को प्राइमरी स्कूल का स्तर बढ़ाने चाहिये । लेकिन होता यह है कि जो

महंगे स्कूल हैं, लोग उनमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिये भेजते हैं, क्योंकि वहां पढ़कर बच्चे के लिये रोजी-रोटी का अच्छा इन्तजाम हो जाता है। जबकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा या तो नमक का बोरा ढोयेगा या फिर मजदूरी करेगा, इसलिये दोनों शिक्षा बराबर होना चाहिये।

मेरा तीसरा सुझाव है कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, उसमें इस तरीके से परिवर्तन किया जाय, जिससे वह रोजगारपरक हो सके। उसमें पुराने तरीके को छोड़कर नये विज्ञान तकनीक से शिक्षा दी जानी चाहिये। पुराने जमाने के "लाठी लेकर भालू आया" वाले तरीके को छोड़कर नई तकनीक के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी और स्वतन्त्रता सेनानियों तथा महापुरुषों के नाम पाठ्य-क्रम में जोड़े जाना चाहिये।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारी महिलाओं का प्रतिशत शिक्षा में बहुत कम है, इसलिये इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इसी तरह हरिजनों, गिरिजनों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त हो सके, लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिये उनकी शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है। मान्यवर, केरल की शिक्षा और उत्तर प्रदेश की शिक्षा में इतना अन्तर क्यों है? जरूर इसमें कहीं न कहीं कोई खोट है। माम्यवर, अभी पंचानन राय जी बहुत बोल रहे थे, यह घिसी-पिटी पुरानी शिक्षा व्यवस्था इन्हीं की देन है। आज बड़ी बहस कर रहे थे, यह परिवर्तन होना वह परिवर्तन होना चाहिये। क्यों नहीं खुद इन्होंने कोई परिवर्तन कर दिया। इतने दिनों तक इनकी सरकार रही। लेकिन फिर भी पंचानन राय जी ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अन्त में, शिक्षा मन्त्री जी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करते हुये मैं पुनः शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का उत्थान करना है और उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के बराबर लाना है, तो जरूरी है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाय। तभी इस प्रदेश का विकास हो सकता है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

*श्री हरि शंकर तिवारी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे बड़ा खुशी हुई कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट रखा, वह ग्रामोन्मुखी बजट रखा। मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसे आपकी सरकार ने ग्रामोन्मुखी बजट रखा, उसी तरह से शिक्षा का बजट भी ग्रामोन्मुखी होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह आप प्राइमरी विद्यालयों का प्रत्येक गांव में निर्माण करा रहे हैं, उन विद्यालयों का आज कोई मानक नहीं है, जिससे ग्राम प्रधानों और प्रधानाध्यापकों को बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं, आपके अधिकारियों के द्वारा। जब कोई अधिकारी वहां जाता है तो वह कहता है कि यह भवन मानक का नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की व्यवस्था बनायें जिससे एकरूपता हो और एक ही तरह का मानक हो। ताकि ग्राम प्रधानों और प्रधानाध्यापकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

गोरखपुर विश्वविद्यालय का निर्माण कृषि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था। गोरखपुर विश्वविद्यालय केवल पूर्वांचल का ही नहीं अपितु बिहार से लेकर कई जनपदों का विश्वविद्यालय है, परन्तु उसमें आज तक कोई भी कृषि संकाय नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है, इसलिए मेरी मांग है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी वहां पर कृषि संकाय की स्थापना करें। यदि आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है तो। संस्कृत के जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें अन्य विषयों को भी पढ़ाया जाय ताकि संस्कृत विश्वविद्यालय का जो आज पठन-पाठन का स्तर गिर रहा है, उसमें भी एकरूपता आ जाये। परीक्षा प्रणाली की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश में जो प्रतियोगितात्मक परीक्षायें हो रही हैं, उसमें हमारे प्रदेश का स्तर गिर रहा है, जब तक आप इन परीक्षा प्रणालियों में एकरूपता नहीं लायेंगे, तब तक हमारा स्तर ठीक नहीं हो सकता है। परीक्षाओं को सही समय पर कराया जाना चाहिए, उनमें नकल नहीं होनी चाहिये जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आम आदमी को उससे लाभ नहीं मिल पायेगा।

विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक मानक होना चाहिए और उसमें जन प्रतिनिधियों को भी निरीक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो बजट रखा है, उसमें उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में एक बालिका विद्यालय खोलने की योजना के बारे में कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बड़हलगंज, जो देवरिया, बस्ती, मऊ व आजमगढ़ का केन्द्र है, वहां पर आप अपने बजट में एक बालिका डिग्री कालेज खोलने का प्रावधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ में पंचानन राय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बात सही है कि शिक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। यह भी सही है कि आज जो शिक्षा का बजट रखा गया है, वह पिछले दो-तीन सालों में जो बजट यहां पर रखा गया था, उससे बेहतर है। मैं इस बात के लिए शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जूनियर बेसिक विद्यालयों में कांग्रेस सरकार ने जो रोक मान्यता के सम्बन्ध में लगा रखी थी, उस प्रतिबन्ध को इस सरकार ने हटा दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि कटौती का प्रस्ताव रखते वक्त श्री पंचानन राय जी ने भी कहा था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था, चुनाव के पहले बेरोजगारी की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफ सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात करती है, परन्तु बेरोजगारी दूर करना तो दूर है बालकों को पढ़ने की भी छूट नहीं है प्रदेश में कम्पटीशन हो गया है। माननीय शिक्षा मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक बात का और प्रावधान कर दें तो क्रान्तिकारी घोषणा हो जायगी कि जो लड़का पढ़ना चाहता है, अब तो कम्पटीशन हो गया कक्षाओं में प्रवेश के लिये उसे दाखिला दिया जाय। जब तक हिन्दुस्तान में खासकर उत्तर प्रदेश में शतप्रतिशत कक्षाओं में शिक्षा नहीं होगी तब तक उत्तर प्रदेश न तो विकास करेगा और न ही इसमें बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ हो पायगा। शतप्रतिशत शिक्षा के लिये आवश्यक है कि नौकरी दें या न दें तो प्रत्येक को पढ़ने की छूट दें। क्या माननीय शिक्षा मन्त्री घोषणा करेंगे कि बिना कम्पटीशन के जिस क्लास में विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ने की छूट दी जायगी। श्रीमन्, बलिया जनपद में एक मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय है उसकी सीट की क्षमता कृषि विभाग में 25-26 की है। जब ये इसके पहले शिक्षा मन्त्री थे तो एक भी सीट नहीं बढ़ी। मैंने इस बात को उठाया था, घोषणा हुई थी कि 30 सीट बढ़ाई जा रही हैं, आज तक एक भी सीट नहीं बढ़ी। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी से विचारविमर्श करने के बाद यह तय हो जाय कि इण्टरमीडिएट, बी० ए०, एम० ए० में

कृषि में विज्ञान में जो भी पढ़ना चाहता है, उसका बिना कम्पटीशन और सिफारिश के, प्रवेश होगा या फिर यही छूट हो जाय कि जो पढ़ा-लिखा है उसे नौकरी देंगे, दोनों में से एक तो होना चाहिये। हर जिले में जूनियर बसिक विद्यालय खोलकर चलाने का काम बेरोजगार शिक्षक युवक कर रहे हैं लेकिन केवल 300 जूनियर बेसिक विद्यालय मान्यता सूची पर हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम 1,000 जूनियर बेसिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर ले लें तो निश्चित रूप से आप वहां के अध्यापकों की तरफ से बधाई के पात्र होंगे।

यह जो आपकी व्यवस्था चल रही है प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की इसे तो समाप्त कर दीजिये, वहां पर अब केवल लालटेन एवं अन्य सामानों को बेचने का जलाने और चक्की पीसने का काम होता है, कोई पढ़ाई नहीं होती है उसी पैसे को जूनियर बेसिक विद्यालयों को मान्यता सूची पर लाने के लिये खर्च किया जाय। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को रद्द करके जो पैसा बचता है, उससे गांव में प्राइमरी शिक्षा खोलने की व्यवस्था सरकार कर दे। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल कालेजों में पद सृजित किये जायं। बहुत दिनों से पद सृजन बन्द कर दिया गया है। यह समस्या बहुत गम्भीर है। क्या माननीय मन्त्री जी घोषणा करेंगे कि पद सृजित किये जायेंगे? बहुत दिनों से इस बात की मांग होती रही है कि हम दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे, सरकार ने भी घोषणा कर दी है। हमारी पुरानी सरकार यानी जनता पार्टी की सरकार समाप्त हो गयी लेकिन दोहरी शिक्षा नीति समाप्त नहीं हुयी। अगर कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बना तो दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त नहीं होगी। अतः दोहरी शिक्षा प्रणाली को तत्काल समाप्त करने की घोषणा करें।

(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं, माननीय मन्त्री जी ने जो क्रान्तिकारी बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री चंदसुख भारती—

माननीय, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया। यद्यपि मैं तीन-चार बार खड़ा हुआ तब जाकर मुझे यह मौका दिया गया है। मैं टीचर रहा हूं इसलिये मैं अपने अनुभव के आधार पर कि किस तरह से शिक्षा करायी गयी है, इसके सम्बन्ध में कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं।

माननीय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, जबकि भारतवर्ष में 37 प्रतिशत शिक्षा है और उत्तर प्रदेश में केवल यह 27 प्रतिशत ही है। इसलिये यहां प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल खोलना पड़ेगा, इससे हमारी दो समस्याओं का समाधान हो सकेगा एक तो शिक्षा का प्रसार होगा और दूसरे जो हमारे बी0 टी0 सी0 के अध्यापक बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा।

हाई स्कूल के बारे में मुझे यह कहना है कि आपके हाई स्कूल तभी अच्छी तरह से चल सकेंगे जब उनमें विज्ञान (1) और विज्ञान (2) को जो आपने कम्पलसरी किया है उसमें सुधार किया जाय। जब विज्ञान (1) नहीं था तो उस समय कम

से कर विज्ञान को पढ़ाई में, प्रयोगात्मक परीक्षा जो होती थी लड़कों को उसका पूर्व ज्ञान होता था लेकिन जब से विज्ञान (1) विषय खुला है, शिक्षा का स्तर नीचे की ओर गिरा है। मेरा सुझाव है कि हाई स्कूल में केवल विज्ञान (1) विषय ही रखा जाय। इसका प्रयोगात्मक विषय हटा दिया जाय।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा उच्च शिक्षा में जैसे कि मेडिकल की पढ़ाई में एम0 डी0 की शिक्षा होती है उसमें अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। जबकि उसमें अनुसूचित जाति की लड़की 40 प्रतिशत अंक वालों को नहीं लिया गया है परन्तु उसमें 36 व 37 प्रतिशत अंक वाले लड़कों को लिया गया है, जो सवर्ण हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों का भी ध्यान रखा जाये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें। मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया संक्षेप में अपने सुझाव दें।

*श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर कुछ कहने का अवसर दिया है इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो शिक्षा का घोमुखी बजट रखा है, इससे अवश्य ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा में सुधार होगा, इसके लिय मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री जी के और माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत में सुधार आया है, पहले उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई के समय अध्यापक नहीं रहते थे लेकिन जब से यह जनता दल की सरकार आयी है तब से अध्यापकगण स्कूलों में पढ़ाने के लिये जाने लगे हैं। दूसरी बात माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि पहले परीक्षा केन्द्रों में बहुत बड़ी तादात में नकल हुआ करती थी, उसमें भी सुधार हुआ है, इस वर्ष नकल नाम-मात्र की हुयी है।

शिक्षा के बारे में मेरे दो-तीन सुझाव हैं उस पर माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि वे इस पर ध्यान देंगे। एक सुझाव यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों के जूनियर हाई स्कूल के हेड मास्टर जो मुआइना करते हैं, उनसे एस0 डी0 आई0 का वेतन कम है और हेड मास्टर का वेतन अधिक है। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी एस0 डी0 आई0 का वेतन हेड मास्टर से अधिक हो।

दूसरी बात हरगांव में प्राइमरी विद्यालय की स्थापना करायी जाय। अगला सुझाव यह है कि जिन विद्यालयों को 1978 से मान्यता दी जा चुकी है, उनमें विज्ञान के लिये अध्यापक दिये जायं और इसके साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति जिला विद्यालयों में अवश्य की जाय।

मान्यवर, अभी माननीय पाण्डेय जी बोल रहे थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि इटावा में जनता दल के विद्यालयों को अनुदान दिया गया है उनको शायद यह जानकारी नहीं है कि जो विद्यालय जनपद इटावा में चल रहे हैं, उनको अनुदान दिया है। इटावा जनपद के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि माननीय भोला पान्डे जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा है कि मुख्य मन्त्री जी ने इटावा जिले में अपने जनता दल के स्कूलों को अनुदान दिया है, यह कहना उनका निराधार है। उन्होंने इटावा जिले के जिन विद्यालयों ने अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं, सभी को अनुदान दिया है। जिन स्कूलों के प्रबन्धक कांग्रेस हैं, उनको भी अनुदान दिया है। उनके नाम मैं बताना चाहता हूं, लोक मान्य रूरल इंटर, कालेज, महेवा, जवाहर इंटर कालेज, बुरापुर, इंटर कालेज लवेदी, डिग्री कालेज, बकेवर इन सभी कलेजों के प्रबन्धक कांग्रेसी हैं, फिर भी उनको अनुदान दिया गया है। इन शब्दों के साथ, मैं शिक्षा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अमर नाथ यादव--

माननीय, कक्षा 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क किया गया है, जिनके लिये सरकार को बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन दूसरी ओर जो हाई स्कूल और इंटर कालेजों से सम्बद्ध प्राइमरी स्कूल हैं, वहां पर 15 रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह शुल्क लिया जा रहा है। इस प्रकार से उन छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस शुल्क को भी समाप्त किया जाये।

मान्यवर, जो अनियन्त्रित और अवैधानिक रूप से विद्यालय चल रहे हैं, जैसे नर्सरी स्कूल और मान्टेसरी स्कूल, इन सभी को समाप्त किया जाना चाहिये, इनसे भ्रष्टाचार पनप रहा है। मान्यवर, हाई स्कूल और इंटर कालेजों के सभी स्तरों पर सेलेक्शन ग्रेड मान्य है, लेकिन जो प्रधानाचार्य हैं, जिनको सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा नहीं प्रदान की गयी है उन्हें भी यह ग्रेड दिया जाये।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि वित्त विहीन मान्यता नहीं दी जानी चाहिये, इसको समाप्त किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि मान्यता और सहायता दोनों साथ-साथ दी जानी चाहिये। वित्त विहीन मान्यता देने से भ्रष्टाचार फैलता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अवकाश प्राप्त शिक्षकों की पेंशन की गणना नियुक्ति की तिथि से नहीं की जाती है, बल्कि जब से विद्यालय को अनुदान मिलता है, उस दिन से की जाती है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उनकी पेंशन की गणना नियुक्ति की तिथि से की जानी चाहिये। कानपुर में विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय है, जो बिलकुल अच्छी तरह से चल रहा है, उसने अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र दिया, लेकिन उसको अनुदान नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उसको अनुदान दिया जाये। मान्यवर, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जो जौनपुर में है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में है, मेरा निवेदन है कि यह कार्यालय जौनपुर या वाराणसी में बनाया जाये, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में सुविधा हो।

मान्यवर, पद सृजन पर वर्ष 1984 से रोक लगी है, इसको समाप्त किया जाये। प्रत्येक विद्यालय में जो कम से कम 5 रिक्तियां हैं, वह भरी जा सकती हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित चलेगी। मान्यवर, अंग्रेजी विद्यालयों को जो मान्यता दिये जाने का प्राविधान है, उसको समाप्त किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(शोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम छबीला—

माननीय, लोक सेवा अयोग में मुख्य मंत्री जी ने हिन्दी को लागू करने की बात कही है। इसलिये मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, वर्तमान समय में को शिक्षा का स्तर होना चाहिए।

(इस समय 4 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये ।)

वह पिछली सरकारों के कुकृत्यों और कुरीतियों के कारण वह स्तर नहीं रह गया है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप कृपया बैठ जांय । अधिष्ठाता जी ने दूसरे सदस्य को बुलाया था ।

(व्यवधान)

श्री राम छबोला—

मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । शिक्षा के क्षेत्र में जो आज भ्रष्टाचार व्याप्त है ।...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जांय ।

श्री राम छबोला—

मान्यवर, जहां विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऋषियों-महर्षियों और बड़े-बड़े शिक्षाविदों की झंकार सुनाई देनी चाहिए थी आज वहां पर गोलियों की झंकार सुनाई दे रही है । मैं कहना चाहता हूं कि समिति का गठन किया जाय जो शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कर, ऐसे भ्रष्ट कुलपतियों को ऐसे भ्रष्ट लोगों की जांच करे और उनको हटाने का काम करे...

(व्यवधान)

मान्यवर, आप वाकिफ होंगे, एक गांव में बच्चा पैदा होता है और एक शहर में पैदा होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बच्चा पैदा होने का बजट नहीं है । शिक्षा का बजट है ।

(श्री राम छबीला के बोलते रहने पर ।)

आप किस विषय पर बोल रहें । माननीय सदस्य मेरी बात सुनें । किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं....

(व्यवधान)

यह शिक्षा का बजट है । आप शिक्षा पर बोल रहे हैं या बच्चा पैदा होने पर...

(घोर व्यवधान)

श्री राम ढवीला--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कृपा करके बैठ जांय । आप जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । कुछ नहीं लिखा जायेगा । बैठ जांय ।

(श्री राम ढवीला व्यवधान के मध्य बोलते रहे जो स्पष्ट नहीं हो सका । कई सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

आपने जो समय से बाहर बोला है वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा....

(व्यवधान)

आप नये सदस्य हैं ।

श्री राम ढवीला--

[× × ×]

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं.....

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है...

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जसवन्त सिंह जी, आप पुराने सदस्य हैं । एक बार सत्ता पक्ष की तरफ से बुलवाया जाता है और दूसरी बार विपक्ष से बुलवाया जाता है । कृपया बैठ जांय ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय किसी का इंतजार नहीं करता है । आप समय बर्बाद न करें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

विष्ट जी, आप बैठें मैंने आपको नहीं बुलाया है ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया । इस शिक्षा के बजट पर जो हमारे पक्ष के

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वरिष्ठ सदस्य माननीय पंचानन राय जी ने जिस कारण से और जिस ढंग से कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज मुझे दुःख है इतने लम्बे अनुभव के बाद देखने को जो बात मिली है मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर जब चर्चा हो रही है तो उसमें जिस तरह से उधर से अनुशासनहीनता हो रही है और पीठ की अवज्ञा हो रही है उससे मुझे दुख हो रहा है । मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा जो एक वरिष्ट सदस्य हैं वह कृपया अपने सदस्यों को अनुशासित करें अथवा उनकी कोचिंग करवायें और उनके लिये प्रशिक्षण क्लास लगवायें । कल ही मान्यवर, जनता दल के माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था कि सदन नियमानुसार कैसे चले लेकिन आज मान्यवर, फिर क्या हो रहा है आप आज्ञा नहीं दे रहे हैं फिर भी उधर से माननीय सदस्य बोलते जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मेरा नाम पुकार लिया है और उधर से किस तरह से टोका-टोकी हो रही है । मैं पंचानन नहीं राय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं मैं कोई मिनिस्टर हूं ।

(व्यवधान)

मैं माननीय पंचानन राय जी को बधाई देता हूं वह सही माने में इसके हकदार हैं क्योंकि उन्होंने सही माने में कटौती का प्रस्ताव रखा है । उन्होंने जो सुझाव दिये हैं वह केवल आलोचना के लिये नहीं बल्कि कारगर सुझाव दिये हैं माननीय मंत्री जी को आलोचना कर भी नहीं सकते हैं इसलिये कि उनका हमारे साथ लम्बा सम्बन्ध है एक दल में हम साथ-साथ बैठे हैं ।

(व्यवधान)

कृपया शांति से सुनें सत्य वचन हमेशा कटु लगते हैं उसको सुनने में कठिनाई होती है । माननीय शिक्षा मंत्री जी आप शिक्षा के मामले में अनुभवी हैं क्योंकि आप कांग्रेस के समय में शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं तो उस समय का भी आपको अनुभव है और आपने उस समय भी शिक्षा विभाग सम्भाला है और आज भी जनता दल में शिक्षा विभाग मिला है, प्रदेश के सौभाग्य से आप आज भी शिक्षा मंत्री हैं । हम आशा करते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो अनुभव रहा है उससे निश्चित रूप से प्रगति होगी क्योंकि आपमें दोनों का, कांग्रेस की नीतियों का और जनता दल का, सामंजस्य है तो इन दोनों के सामंजस्य से शिक्षा विभाग में जो बालक पैदा होगा वह निश्चित रूप से प्रदेश के लिये लाभकारी होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने सुझाव दें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

इन शब्दों के साथ, मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, यह बालक की बात कर रहे हैं तो परिवार नियोजन का क्या होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

शुक्ला जी, आप पुराने मेम्बर हैं कृपया शांत रहें। आप अपनी बात कहें, यह तो उलझाते रहेंगे।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

हमारी दिक्कत यह है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वह कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। जब हम इधर से बोलते हैं तो टोका-टोकी होती है जिसमें अनावश्यक रूप से समय बर्बाद होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिन्दुवार अपनी बात कहें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, माननीय पंचानन राय जी ने कटौती के प्रस्ताव में जो सुझाव रखे हैं मैं उनका जोरदार शब्दों में समर्थन करते हुये कहना चाहता हूं कि प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा में जो धनराशि व्यय हो रही है।

(समय 4 बजकर 20 मिनट पर)

वह निरर्थक है और उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसको किसी प्रकार बचाकर बेसिक शिक्षा में लगाये तो उपयोग होगा।

मान्यवर, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और उच्च शिक्षा सेवा आयोग बने हैं उनकी कार्यशैली में सुधार लाये और देखें कि कितने स्थान रिक्त हैं और कितनी धीमी गति से यह कार्य कर रहे हैं। इसलिये सुझाव है कि इन शिक्षा सेवा आयोगों की जो संस्तुतियां हो उनको प्रबन्धक मानें। इस प्रदेश में सैकड़ों ऐसी संस्तुतियां हैं जिन्हें आयोग ने किया लेकिन प्रबन्धक उनकी नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं।

मान्यवर, एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि शहरों और कस्बों में माण्टेसरी स्कूलों की बाढ़ आ गयी है। एम0 ए0 और बी0 ए0 पास लड़कियां 75-80 रुपये में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कम वेतन पर काम कर रही हैं। इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाये। इन शब्दों के साथ, श्री पंचानन राय के कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाये। श्री अधिष्ठाता जी श्री चन्द्रशेखर को बुलवा रहे थे और वह खड़े हो गये थे।

(व्यवधान)

आप लोग शान्त रहें। श्री चन्द्रशेखर जी आप बोलें।

*श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)—

मान्यवर, एक लम्बी प्रतीक्षा के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो बदतर व्यवस्था रही है उसमें जो बेहतर बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने का जो समय दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, श्री पंचानन राय ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षित व्यक्ति का अशिक्षित भाषण है। ऐसा प्रस्ताव तो वही कर सकता है जो विद्वान तो हो लेकिन जिसके तर्क और बुद्धिमानी के हों। इनके तर्क को देखें—शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का मस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । मान्यवर, 1,12,566 गांव प्रदेश में हैं और उसके 1/3 भाग गांवों में आज तक प्राथमिक शिक्षा नहीं पहुंची है । छात्र और शिक्षक के बीच अनुपात सही नहीं है । दोहरी शिक्षा व्यवस्था खर्चीली है और फिर यह साबित करता है, यह इसलिये कह रहा हूं कि एक विद्वान् के गैर बुद्धिमानी के तर्क हैं जिससे इनके और इनके दल के मुंह पर और श्री भोला पांडे ने जो मैकाले की शिक्षा नीति चलाने की बात की जिसकी जिम्मेदारी जिनके पास थी उनके मुंह पर कालिख पोतने का काम किया है । उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक बिन्दु लूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है और उस बिन्दु पर अपनी बात ही न कहकर अपनी बात को गांधी जी के साथ जोड़ूंगा । मैं एक लाईन में अपनी बात कहूंगा और उसके समर्थन में महापुरुष गांधी जी को आपके सामने और इस सदन के सामने पेश करूंगा । यह जो शिक्षा की बद से बदतर हालत है---"शिक्षा का यह कैसा हाल, छूट हाथ से गई कुदाल" शिक्षा में और शिक्षा क्षेत्र में निरन्तर गिरावट इधर आती चली गई है । हिन्दुस्तान जो दुनियां का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित देश था हर मायने में, वह आज कंगाल होकर रसातल की ओर जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इतना समय नही है कि आप इतने इतमिनान से बोल रहे हैं ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह---

मैं एक ही सुझाव दे रहा हूं । गांधी जी ने हरिजन सेवक में कहा है बच्चों पर अंग्रेजी लादने का अर्थ है उनके प्रकृति के विकास को कुंठित कर देना और शायद उनकी मौलिकता को नष्ट कर डालना । किसी भाषा को सीखने का अर्थ है, "स्मरण शक्ति का विकसित करने का बुनियादी शिक्षण" । फिर गांधी जी ने आगे "हरिजन सेवक" में लिखा है---"यह हमारा दृढ़ मत है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को बचपन मे अंग्रेजी में बोलने व सोचने की ट्रेनिंग देते हैं, वे देश के साथ व अपने बच्चों के साथ विश्वास-घात करते हैं । वे उन्हें राष्ट्र की सामाजिक व धार्मिक धरोहर से वंचित करते हैं व राष्ट्र सेवा के बिलकुल अयोग्य बनाते हैं । अंग्रेजी का ज्ञान अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आवश्यक नहीं है ।" गांधी जी ने तो शिक्षा को उद्योग की शिक्षा के साथ जोड़ा है जो बुनियादी शिक्षा को उससे इसको जोड़ना है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षा के साथ उद्योग की शिक्षा को जोड़ा जाए और दोहरी शिक्षा पद्धति को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दिया जाए देश हित में ।

श्री किशोरी श्याम---

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट रखा है, शिक्षा बजट में जो बातें कही गई हैं, वे बहुत अच्छी हैं । परन्तु मैं अपना एक सुझाव देना चाहता हूं । यहां जो इन्टर कालेज और हाई स्कूल ग्रामों में चलते हैं, उन स्कूलों मे जो झगड़े हैं, उनके क्षेत्र में जो प्रभावी नियन्त्रण आपका है, वह उसमें अच्छे लोगों को नहीं आने देता है । मैं चाहता हूं कि आप वहां पर धारा 116 को समाप्त कर दें, तो डी0 डी0 ई0 को इसका अधिकार मिल सकता है और उससे शिक्षा की दशा सुधार सकती है । नहीं तो आप बजट पास करते रहेंगे और उसकी आवश्यकताओं को वहां नहीं पहुंचा पाएंगे । सरकार यदि ऐसा करेगी कि अपने हाथ में उसका नियन्त्रण ले ले या किसी कमेटी के लिए ले लें । दोनों में एक हो जाएगा तो शिक्षा में सुधार होगा । दोनों तरफ जो जुड़ा हुआ है, वह ठीक नहीं है । आज इसके चलते अध्यापक लोग मैनेजर की चिन्ता नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं हैं । 22 वर्ष मैं मैनेजर रहा हूं, मैंने सारे दृश्य देखें हैं । इस परिवर्तन के पहले मैं मैनेजर रहा हूं । आज वहां पर या तो मैनेजर का या फिर सरकार का नियन्त्रण रहना चाहिए । आप धारा 116 को समाप्त कर दीजिए, तो वह व्यवस्था सुधर सकती है ।

यह जो प्रौढ़ शिक्षा है, इसमें जो अनाधार हो रहा है, उसको देखा नहीं जाता है ।

(व्यवधान)

हमारे यहां 27 हजार एक माह में दिये और एक भी आदमी शिक्षित नहीं हुआ । मान्यवर मैं आपसे यह चाहता हूं कि या तो प्रौढ़ शिक्षा को समाप्त कर दिया जाय ताकि उस पर अपव्यय न हो और या कोई प्रभावी व्यवस्था हो । मेरे यह दो सुझाव हैं । इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ध्यान देंगे, मैं उम्मीद करता हूं ।

श्री मुक्तिनाथ—

मान्यवर, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह बजट बहुत ही सोच--समझ कर लाया गया है । पुरानी सरकार की जो दुर्नितीयां थीं उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि पुरानी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम को बन्द कर दिया था । मैं अपने विद्वान शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उन नये आयामों को शुरू करने का प्रयास किया है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के समय में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल समय से पूर्ण आ गया, यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है । इससे बच्चों का भविष्य एक निश्चित समय के अन्दर सुनिश्चित हो गया । पहले साल भर परीक्षाफल के इन्तजार में समय बरबाद हो जाता था । मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां पर 25 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा कन्या महाविद्यालय नहीं है । मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर स्नातकोत्तर कक्षाएं चलाने की व्यवस्था करवा दें । वर्तमान समय में जो स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने हेतु पाबन्दी लगी है इस बंदिश को हटाते हुए रुद्रपुर जिला देवरिया में श्रीराम जी सहाय डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं चलाने के लिए स्वीकृति प्रदान करें । साथ ही उस क्षेत्र में कन्या विद्यालय खोला जाय । पहले जो जूनियर हाई स्कूल थे, उसमें जो प्रधानाध्यापक होते थे उनका परिवर्तन "प्रधानाचार्य" के रूप में कर दिया जाता था लेकिन पुरानी कांग्रेसी सरकार ने इस परिवर्तन को बन्द कर दिया । मैं वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछड़े गरीब एवं अल्पसंख्यक लोग हैं उन्होंने विद्यालय अब खोलना शुरू किया इसलिए एक सुनियोजित षडयन्त्र के तहत विद्यालयों की मान्यता तथा प्रधानाध्यापक को प्रधानाचार्य के रूप में परिवर्तन पर रोक पिछली सरकार ने लगायी । कृपया इसे समाप्त कर दें । मान्यवर, जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें शिक्षकों की कमी है । तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि जो बी० टी० सी० के अध्यापक हैं उनकी भर्ती में वृद्धि करें । मान्यवर, हाई स्कूल एवं जू० हा० स्कूल हैं जो वेतन वितरण अधिनियम में नहीं लिया गया है । कृपया अतिशीघ्र उन्हें वेतन वितरण अधिनियम में लिया जाय । मान्यवर, इतने अन्तराल के बाद एक क्रान्तिकारी कदम की शुरुआत की गयी है उसका मैं स्वागत करता हूं तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम 300 हाई स्कूल और 1000 जू० हा० को अनुदान सूची में लिया जाय । मान्यवर, इन सब विद्यालयों को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लाने का प्रयास करें । मान्यवर, इतने अन्तराल के बाद जिस कार्यकारी कदम की शुरुआत की गयी है उसमें 300 हाई स्कूल और 1000 जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रयास करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

*श्री रामबचन धुसिया--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि लम्बे समय के बाद मुझे नये सदस्य को, आपने गौरवमयी सदन में बोलने का मौका दिया है मैं आपका आभारी हूं कि आज माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के शासनकाल में विद्वान शिक्षा मन्त्री के बजट पर बोलने का मौका मिला । माननीय मन्त्री जी से मैं चाहूंगा, मैं बहुत भाषण नहीं देना चाहता हूं, इन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन की बात कही, लेकिन इन्होंने कहीं पर यह नहीं लिखा कि माध्यमिक शिक्षा में इण्टरमीडिएट में हरिजनों का कोटा पूरा कराया जाए । मैं मानयीय मन्त्री जी से अपील करता हूं कि माध्यमिक शिक्षा में इण्टरमीडिएट कालेज में जो नियुक्तियां हों उसका कोटा पूरा कराया जाय । इसके अतिरिक्त जहां तक प्रौढ़ शिक्षा का सवाल है प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से धन का गबन किया जा रहा है इससे किसी को भी लाभ नहीं हो पा रहा है मैं यह चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा को बन्द करके, वह धन और कालेजों में लगाया जा रहा है । यह मेरी अपील है । मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के बारे में कहना चाहता हूं कि माध्यमिक स्कूल, इण्टरमीडिएट स्कूल प्रबन्धकों के कारखाने बने हुए हैं तो ऐसी व्यवस्था को समाप्त किया जाए । माननीय शिक्षा मन्त्री जी आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस व्यवस्था को समाप्त करें ।

(शोर)

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि माध्यमिक स्कूल और प्राइमरी स्कूल में काम करने वाले जो अध्यापक हैं वह सुबह को स्कूल जाते हैं और शाम को चले आते हैं वह झगड़ा लगाते हैं उनका ट्रान्सफर बहुत दूर होना चाहिए, 100 किलोमीटर दूर उनको रखा जाना चाहिए । प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को गांव से दूर रखा जाना चाहिए । यह स्कूल में जाने के बाद बच्चों से पैर दबवाते हैं, रस पीते हैं और तनख्वाह पूरी लेते हैं और झगड़ा लगवाते हैं । माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक सारे झगड़े की जड़ हैं उनको 100 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

समाप्त करें ।

*श्री सुरेश चन्द्र सिंह यादव--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मौका दिया शिक्षा विभाग का यह बजट 43 वर्षों के इतिहास में क्रान्तिकारी बजट है, आप गांव के भोले-भाले बच्चों को शिक्षित नहीं कर सके इसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प किया है । प्रत्येक ग्राम सभा में

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

एक प्राइमरी विद्यालय खोलने की जो सरकार ने व्यवस्था की है, शिक्षा मन्त्री जी ने घोषणा की है उसके लिए मैं शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देता हूं । मान्यवर, कक्षा 12 तक जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है उसके लिये मैं बार-बार शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी बात मान्यवर, परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । कांग्रेस की हुकुमत में जो हमारे सामने लोग बैठे हुये हैं, एक प्रकरण की जानकारी मान्यवर, आपको भी होगी । फर्रुखाबाद में 1988-89 में परीक्षायें हो रही थीं तो वहां पर एक इंसपेक्टर लोर जो था उसको वहां के प्रबन्धकों ने नकल के रुपयों और लिस्ट के साथ उसको बन्दी बनाया गया था और आपके माध्यम से उस इंसपेक्टर का तबादला कराया गया था । माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी जो हमारे सामने मौजूद हैं वह भी जानते हैं । जिस तरह से फर्रुखाबाद में शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से धन की लूट की गयी थी उस व्यवस्था को रोकने के लिए हमारी सरकार ने परीक्षा केन्द्रों के खिलाफ कदम उठाये हैं जिसके लिये मैं सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यादव जी, आप अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री सुरेश चन्द्र सिंह यादव--

माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो सेल्फ परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की है उसके लिए मैं शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं । दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए जो घोषणा की गयी है यह एक क्रान्तिकारी कदम है । इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री मुलायम सिंह यादव और माननीय शिक्षा मन्त्री को धन्यवाद देना चाहता हूं । पिछली सरकार में 90 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो सत्ता में बड़ी-बड़ी ऊंची कुर्सियों पर बैठकर नकल की व्यवस्था किया करते थे । इसको समाप्त करने के लिए जनता सरकार ने एक कठोर कदम उठाया है और सेल्फ परीक्षा केन्द्र रखे हैं जिसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं । इसके अलावा जो चपरासी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं पहले उनकी फर्जी नियुक्तियां होती थीं और उनको शोषण किया जाता था तो इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा की जो प्रणाली है इसमें धन का अपव्यय हो रहा है जो प्रौढ़ शिक्षा को समाप्त करने की व्यवस्था की जाय । इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी ।

श्री उपाध्यक्ष----

अब आप समाप्त करें ।

(शोर)

अब आप जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा ।

(शोर)

श्री सुरेश चन्द्र सिंह यादव--

[× × ×

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप जो बोल रहे हैं, नहीं लिखा जायेगा । आप समय से बाहर बोल रहे हैं आप बैठिये ।

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुरेश चन्द्र सिंह यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देते हुये मैं शिक्षा मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मुझे धन्यवाद मत दीजिये, कृपया बैठिये ।

(श्री विमल प्रसाद तिवारी के खड़े होने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सुरेश यादव ने माननीय तिवारी जी का नाम लेकर कोई बात कही थी।

(व्यवधान)

श्री सुरेश यादव--

मान्यवर, मेरा स्पष्टीकरण सुन लीजिये । मैंने मान्यवर, यह कहा था कि माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी जनपद फर्रुखाबाद के विधायक हैं, उन्हें यह बात मालूम है ।

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इस सदन के विद्वान सदस्य पंचानन राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देता हूं । मान्यवर, यह बजट शिक्षा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बजट है । हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के फार्मों को ब्लैक से बेचने वाला बजट है । हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल को बढ़ावा देने वाला बजट है । इस पर जो परीक्षा हुई हैं, इतना भ्रष्टाचार रहा है कि खिड़की लेकर नकल कराई गयी, जो कल्पना से परे थी । मान्यवर, दिल्ली और राजस्थान से आ कर लोगों ने पैसे के बल पर यहां पर फार्म खरीदे थे । मान्यवर दोहरी शिक्षा की नीति के बारे में इस दशक को सबसे बड़ा मजाक है । दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है । मान्यवर, वहां पर ये पिछली कांग्रेस सरकार की बुराई कर रहे हैं, मान्यवर, पहले कांग्रेस सरकार ने ब्लैक बोर्ड योजना के तहत प्रत्येक स्कूल में दो अध्यापक आवश्यक रूप से रखा था, लेकिन आज उस योजना को समाप्त कर दिया गया और एक नहीं अनेकों स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी अध्यापक प्राइमरी स्कूल में मौजूद नहीं है । इस तरह का सरकार ने बजट में कोई प्रविधान नहीं दिया है । विज्ञान के अध्यापकों के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि विज्ञान के अध्यापक ट्यूशन के आधार पर लड़कों के प्रैक्टिकल का मापदण्ड बना रखे हैं, जो गरीब किसान, मजदूर नीचे के स्तर के लोग हैं जो आपसे पुकार और गुहार करते हैं वे ट्यूशन का खर्चा नहीं बर्दास्त कर सकते हैं इसलिए उनको सफलता नहीं मिल पाती है । मेरा सुझाव है कि ट्यूशन को अपराध की श्रेणी में लाया जाय, जिससे गरीब छात्रों को न्याय मिल सके । धन्यवाद ।

(श्री राम बक्श वर्मा के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरि चरन यादव--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायगा आप बैठ जायं ।

श्री हरि चरण यादव--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कोई बात नियम के तहत कहेंगे कि अपने आप खड़े होकर कहने लगेंगे ।

(श्री हरिचरण यादव व अन्य सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कोई भी बात नियमों में करेंगे यह जब चाहेंगे तब करेंगे वह नियमों के अन्तर्गत लाइये यह लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, इसको अनुमति आप न दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा और कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यहां पर शिक्षा का बजट चल रहा है और मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां पर आप किसी भी व्यक्ति को ऐसी अनुमति न दें कि कोई भी सामान कहीं से उठा लावे और सदन की प्रापर्टी बनाने के लिए आपको दे दे ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है ।

श्री राम बक्श वर्मा--

मान्यवर, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

एक सदस्य--

मान्यवर, समय खत्म हो रहा है, महिला सदस्य को समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बाद हम, महिला सदस्य को समय देंगे, माननीय वर्मा जी को बोल लेने दें । समय और बढ़ जायेगा समय की कोई बात नहीं है ।

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम बख्श वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी और माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जो बजट आज यहां माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है वह क्रान्तिकारी और परिवर्तनकारी बजट है और इस प्रदेश की जनता के अन्दर व्याप्त विसंगतियों को समाप्त करने वाला बजट है। मैं इसके साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जहां देश के अन्य प्रान्तों में विशेषकर गुजरात में शिक्षा पर कुल बजट का 8 प्रतिशत खर्च किया जाता है पश्चिमी बंगाल में 6 प्रतिशत खर्च किया जाता है वहीं हमारे प्रदेश में मात्र 3 प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा खर्च किया जाता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश में शिक्षा के उन्नयन के लिए शिक्षा के परिवर्तन के लिए जो शिक्षा बजट का प्राविधान है उस को बढ़ाया जाय। इसके साथ ही मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो डिग्री कालेजों में पास्ट ग्रेजुएट कालेजों में जो टीचर्स हैं उनकी जो सामूहिक बीमा योजना लागू की गयी है वह 25 हजार रुपये की रखी गयी है। मेरा सुझाव है कि जिन टीचर्स को 3 हजार 4 हजार 5 हजार रुपये प्राप्त होता है, उनके लिए यह राशि बहुत कम है, इसको बढ़ाकर एक लाख रुपया कर दिया जाय। इसके साथ ही डिग्री कालेज के शिक्षकों के लिए एल0 टी0 सी0 की भी सुविधा मिलनी चाहिए। मान्यवर, जो बड़े-बड़े शहरों में डिग्री कालेज के टीचर्स काम करते हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से वह ठीक से पढ़कर कालेज में नहीं जा सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि उनको कम ब्याज पर ऋण देने की सुविधा दी जाय ताकि वह अपना आवास बना सकें। इसके साथ ही मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जनता पार्टी के जमाने में पूल टीचर्स की व्यवस्था की गयी थी उन पूल टीचर्स को अभी तक खपाया नहीं जा सका है, उनको खपाया जाय। इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अपने क्षेत्र की ओर कि मेरे क्षेत्र में उमरदा में जो इन्टर कालेज निर्माणाधीन है 15 अगस्त, 1988 से उसका अभी पहला चरण ही पूरा नहीं हो सका है। इसी तरह से कालेज बना तो अगले 5 वर्षों में भी नहीं बन सकेगा। उस इन्टर कालेज को शीघ्र बनाने के लिए और अधिक धन का प्राविधान किया जाय। मान्यवर, हमारे फर्रुखाबाद में कोई रेगुलर जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं है। इससे वहां की शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। मैं एक दो सुझाव और देना चाहता हूं। हमारे यहां जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार है उसमें कुछ लिपिक 25 वर्षों से उसी कार्यालय में कार्यरत हैं और वे रुपये लेकर परीक्षा सेन्टर तय करते हैं। मेरा सुझाव है कि जो 5 वर्षों से अधिक वहां कार्यरत रह चुके हैं उनका स्थानान्तरण दूसरे जनपदों में किया जाय। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और माननीय पंचानन राय द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा नीति पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह जो शिक्षा का बजट आपने प्रस्तुत किया है उसमें देहाती क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल हैं वहां आज भी अध्यापक नहीं हैं वे स्कूल बन्द हैं। वे स्कूल पेड़ों के नीचे चल रहे हैं, उनके बारे में इस बजट में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि सन् 1990-91 तक सारे प्राइमरी स्कूलों के विद्यालय भवन बन जायेंगे और आपने यह

भी कहा था कि शिलान्यास की तिथि निश्चित हो गयी है । मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि स्कूलों के शिलान्यास तो हो गये लेकिन धनराशि आज भी नहीं पहुंची । बरसात हो गयी और शिलान्यास पड़ा रह गया । मान्यवर, 1975 से फैजाबाद में बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड अध्यापक बेकार हैं । जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं वहां पर इन बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्ति की जाय । मान्यवर, हमारे यहां जूनियर हाई स्कूलों के भवन नहीं हैं । जो परिषद के स्कूल हैं, उनका हाल यह है कि लोग जाने को तैयार नहीं हैं । अध्यापकों के न रहने से शिक्षा का सही प्रबन्ध न होने से इनकी स्थिति बहुत खराब है । जो स्कूल प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं । उन स्कूलों में अध्यापकों को 50 रुपया वेतन दिया जाता है जिससे कि वे अपना जीवन-यापन नहीं कर सकते । कम से कम एक हजार ऐसे विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाय । देहातों में कन्याओं के लिए जो प्राइमरी स्कूल थे वे लड़कों के साथ मिला दिये गये इसलिए अब वहां कोई कन्या स्कूल नहीं है । मैं मांग करता हूं कि कम से कम एक जूनियर हाई स्कूल और एक हाई स्कूल की व्यवस्था कन्याओं के लिए की जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय पंचानन राय जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं कि बड़ी मेहनत के बाद आपने मुझे समय दिया और शिक्षा के बहुत बहुमूल्य बजट पर बोलने का मौका दिया । पूरे सदन में माननीय सदस्यों से यह बात संज्ञान में आयी और आपके सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि इस प्रदेश में महिलाओं की आबादी और पुरुषों की आबादी का मेल आधा-आधा है पचास परसेन्ट है । उसमें शिक्षा का समावेश कितना है । मैं इस बजट के कुछ मुद्दों पर माननीय शिक्षा मन्त्री की सराहना करते हुए भी यह कहने से अपने को रोक नहीं पा रही हूं कि शिक्षा का प्रतिशत इतना कम होने के बावजूद भी महिलाओं को इस सदन में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है । आज यह सब देखने में आया । मैं आपसे निवेदन करते हुए कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट में, उनके बजट साहित्य मे महिलाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण देने की बात आई है । उस पर मैं भी बल देते हुए यह चाहूंगी कि नौकरियों म क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह घोषणा करेंगे इस सदन में कि महिलाओं को क्या आरक्षण दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीया सदस्य से अनुरोध है कि वे कृपया संक्षेप में सुझाव दे दें तो अच्छा रहेगा ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी--

मैं उन बातों की सराहना कर रही हूं कि सन् 1980 से लेकर आज तक बीच के 10 वर्ष के अन्तराल में, यह असहायक मान्यता जो विद्यालय हैं वे अनुदान सूची में नहीं लाये गये थे, उनको लाकर के बहुत ही सराहनीय काम छात्रों और अध्यापकों के बीच में जो योगदान दिया है इस सरकार ने, वह बहुत ही सराहनीय काम है । आपकी एक घोषणा है कि हर विकास खंडों में बालिका हाईस्कूल बनवायेंगे । मैं निवेदन करूंगी कि बलिया जनपद के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र म एक बालिका इंटर कालेज की घोषणा आप आज इस सदन में करें । आजादी के बाद से जनपद

बलिया में एक ही बालिका इंटर कालेज है जो बलिया में है। बांसडीह में कोई कन्या इंटर कालेज नहीं है। वहां खोला जाय। प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की मैं आलोचना कर रही हूं उसका विरोध कर रही हूं यह बहुत ही आवश्यक है और यह निवेदन करूंगी कि इस पर जो कुछ भी पैसा आता है उसको आप समान शिक्षा पर और भी शिक्षा पर दें। इसमें जो भी वातावरण है गंदा है। शिक्षा विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उसका वर्णन थोड़े समय में करना बहुत ही मुश्किल है। बलिया जनपद में एक अनौचारिक शिक्षा केन्द्र है।

श्री उपाध्यक्ष--

बलिया जनपद से माननीय भोला पाण्डेय जी बहुत बोल चुके हैं। अब आप समाप्त करें। समय काफी हो गया है। माननीय सदस्य कृपया शांती बनाये रखें।

श्रीमती विजय लक्ष्मी--

सुझाव के तौर पर ही कहना चाहूंगी कि प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा को खत्म करें क्योंकि उनके जो जिले के अधिकारी हैं वह बहुत ही भ्रष्ट हैं। वे हर मामले में खरीद फरोक्त की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप कृपया करके बैठें।

श्रीमती विजय लक्ष्मी--

प्राथमिक पाठशाला के सम्बन्ध में कहूंगी कि बहुत से ऐसे गांव हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विजय लक्ष्मी जी अब आप कृपया करके बैठ जांय। 5 बज गये हैं, मैंने इसमें 15 मिनट ज्यादा ही समय दे दिया, अब आप लोग कृपया करके बैठ जायं। अब माननीय पंचानन राय जी को बुला रहा हूं।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, पहले माननीय विजय लक्ष्मी जी तो बैठ जायं तभी तो मैं बोलना शुरू करूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सब लोग कृपा करके बैठ जायं।

श्रीमती विजय लक्ष्मी--

इतना निवेदन करने के बाद भी जो आपने मौका दिया, पूरा मौका नहीं दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, काफी चर्चा हुई और विपक्ष के सदस्यों ने और सत्तापक्ष के सदस्यों ने, जिन्होंने बजट की प्रशंसा भी की और उन्होंने भी जो कुछ सुझाव दिए उन सुझावों के आधार पर उन्होंने मेरा समर्थन किया जो मैंने कटौती के प्रस्ताव के समय सुझाव दिए थे। एक बात कहना चाहता हूं सबसे बड़ा प्रश्न बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित

अध्यापक हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में मेरा सुझाव है कि जितनी अध्यापकों की आवश्यकता है, उतने अध्यापक भरती कर लिए जायें, उसके बाद उनको प्रशिक्षित कराया जाय, उससे संसाधन बचेगा और उस संसाधन का इस्तेमाल अन्य कामों में किया जा सकेगा। क्योंकि होता यह है कि प्रशिक्षण की हमारी जो पद्धति है, उसमें जैसे हम किसी को 72-74 में ट्रेनिंग दिए और उसे नौकरी मिली 1988 में, इस तरह वह 14 साल बेकार रहता है और प्रशिक्षण पर व्यय किया गया पैसा इस तरह बेकार चला जाता है। इसलिए चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो और चाहे उच्च शिक्षा हो, पहले अध्यापकों का चयन कर लेना चाहिए, उसके बाद उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

मान्यवर, एक बात दोहरे वेतन की कहना चाहूंगा। हमारे दो साथियों ने अलग-अलग कारणों से यह बात उठाई। एक ने तो इसलिए उठाई क्योंकि जबसे शिक्षकों ने दोहरी शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा के क्षेत्र से व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था की समाप्ति की आवाज को तेज किया तब से नव धनाढ्य वर्ग तथा प्रबंधकीय निहित स्वार्थ का प्रयास है कि सार्वजनिक जीवन में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाय। मान्यवर, कोई भी अपना रोजगार ऐसे ही नहीं छोड़ता, न किसान अपनी खेती छोड़ता है, न वकील अपनी वकालत छोड़ता है। इसके साथी के सम्बन्ध में, मैं किसी कायर की नकल नहीं करता, जब इस प्रदेश में 1984 में प्रबंधकीय निहित स्वार्थ के दबाव में अध्यापकों के पर्चे लाभ का पद घोषित करके खारिज किए गए, तो बहुत से लोग इस्तीफा देकर पर्चा दाखिल कर आये, लेकिन हमने इसके विरुद्ध प्रयास किया। न्यायालय से सिद्ध करा दिया कि अध्यापक का पद लाभ, उन लोगों ने समाजसेवा के लिए इस्तीफा नहीं दिया। अगर उन्हें त्याग-पत्र देना था, तो उसी समय दिए होते, जब सार्वजनिक जीवन में आये थे। कायरता के कारण भाग खड़े हुए। मान्यवर, यहां कुछ लोग इतने बुद्धिमान हैं, जो पार्लियामेंट से लौटकर असेम्बली में चले आये हैं, इनकी बुद्धि की मैं सराहना करता हूं। इनको पार्लियामेंट का भी अनुभव है और यहां का भी अनुभव हो रहा है, इनकी योग्यता मुझसे अधिक हो सकती है, इसलिए मैं इनकी बुद्धि की सराहना करता हूं। जो यह समझते हैं कि यह जो बजट है, यह पिछली सरकार का बजट है, जबकि बजट वर्तमान सरकार का है और वर्तमान सरकार को ही सुझाव देने चाहिए।

मान्यवर, मैं केवल तीन बातें और कहना चाहता हूं। जब वर्तमान मुख्य मंत्री जी विरोध में थे और जनता दल के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने घोषित किया था कि असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जो हैं, उनको अनुदान सूची में ले लेंगे। अगर मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरी तीन बातों में से किसी एक की भी घोषणा इसी सदन में अभी कर दें, तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा। पहली बात तो यह कि शिक्षा के क्षेत्र से व्यक्तिगत प्रबंधकीय व्यवस्था को समाप्त करके शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा, क्योंकि प्रबन्धकीय व्यवस्था की कोई उपादेयता नहीं है और यह भ्रष्टाचार का केन्द्र बिन्दु भी है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि वह 63 जिलों का प्रदेश है और 33 सीनियर बेसिक विद्यालय खोलने की बात इस बजट में कही गई है। तो मान्यवर, आप देखें कि एक जिले में एक विद्यालय भी नहीं आता है। जिन लोगों ने आज यहां स्वागत किया है, बजट का, उनको भी नहीं मिलेगा और हमको तो मिलना ही नहीं है। कम से कम एक जिले में एक स्कूल खोलने का प्राविधान इस बजट में किया जाना चाहिए था, तो ज्यादा सार्थक होता।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करिये ।

श्री पंचानन राय--

माननीय, मैंने पहले ही कहा था कि मुझको कम से कम 15 मिनट दिए जायें, खैर अब मैं 10 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करता हूं । माननीय, मैं शिक्षा मंत्री जी से और वर्तमान सरकार से अपनी आखरी बात कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं । शिक्षा को इन्हें गम्भीरता से लेना चाहिए, वह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है और शिक्षा हर इन्सान के लिए जरूरी है, इस प्रदेश के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए शिक्षा पर जब विचार-विनिमय हो, तो सदन में कम से कम इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए । तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित करने का आश्वासन इन्होंने इसी सदन में दिया था किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई विधिक कार्यवाही नहीं हुई है और न आज उन्होंने बताया कि कब तक उनकी सेवाओं को विनियमित कर देंगे । शिक्षा के बारे में ऐसी घोषणायें की जाय, जिन पर आगे चलकर अमल हो सके । अगर शिक्षा के क्षेत्र में अविश्वास पैदा हो जाएगा तो वह सबके लिए घातक होगा । अब तक आपने जो घोषणायें की हैं, उन पर कार्यान्वयन के लिए आपने कोई वैधानिक कदम आज तक नहीं उठाया है । जैसे आपने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में हम 10 हजार अध्यापक नियुक्त करेंगे । आप सदन में साफ-साफ कह दें कि हम 10 हजार अध्यापक नियुक्त करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय पंचानन राय जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री पंचानन राय--

माननीय, मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दिया है । मैंने तीन शर्त रखी हैं यदि ये उन शर्तों को पूरा कर दें तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा । पहला, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, दूसरा, सभी विद्यालयों को अनुदान पर लाने की घोषणा और तीसरा समान शिक्षा के लिए एक कानून बनाया जाना । जैसे पड़ोस के विद्यालय में, जैसा कि कोठारी आयोग की सिफारिश थी तथा माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी ने भी पहली मार्च को कहा था, सभी के पड़ोस के विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

माननीय, कटौती का प्रस्ताव जब माननीय पंचानन राय जी की तरफ से आया तो मुझे ऐसा विश्वास था कि उनके अनुभव से व उनकी विद्वता से निश्चित ही इस विभाग को लाभ मिलेगा लेकिन जो बातें उन्होंने यहां पर उठाई, उससे मुझे ऐसा लगा कि स्वयं उनकी कथनी और करनी में अन्तर है । उन्होंने अभी कहा कि शिक्षा पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है सार्वजनिक है । उस पर विपक्ष के रूप में उनके जो विचार दिखाई पड़े उससे मन को कष्ट हुआ । कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं विश्वास करता था कि जब माननीय सदस्य शिक्षा के विषय में अपने विचार रखेंगे तो यह जरूर कहेंगे कि शिक्षा ऐसी देनी चाहिए ताकि शिक्षा लेने के बाद छात्र अपने पैरों पर खड़ा हो सके । वह व्यवसायिक शिक्षा के बारे में अवश्य कहेंगे । मैं आश्वासन देता हूं कि इण्टरमीडिएट में व्यवसायिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के बारे में हम एक बड़ा कदम उठा रहे है और यह भी योजना बना रहे हैं कि

इण्टरमीडिएट में व्यवसायिक शिक्षा देने के बाद छात्र को अपने पैरों पर, वन विन्डो सिस्टम के आधार पर, सहायता व अनुदान दिया जायेगा, खड़ा हो सके और अपना व्यवसाय शुरू कर सके ।

कुछ माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिये हैं । मेरा यह धर्म है कि माननीय सदस्यों के विचारों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ अवगत करा दूं । माननीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने एक विन्दु उठाया और श्री पंचानन राय जी ने भी एक शंका प्रकट की । मैंने यह कहा था कि 10 हजार बी0टी0सी0 बेरोजगार अध्यापकों को लिया जायेगा और लगभग 10 हजार माध्यमिक स्कूलों में अध्यापक नियुक्त होंगे । मैंने अन्यथा नहीं कहा । मैं समझता था कि उनकी जानकारी में होगा । मैं तथ्य देकर कहना चाहूंगा और मेरा विश्वास है कि वह आश्वस्त हो जायेंगे । 1100 पदों का सृजन हम विज्ञान और गणित में करेंगे, उन्हें यह भी मालूम होगा कि सेवा-निवृत्त से भी पद रिक्त होते हैं, राजकीय विद्यालयों में भी पद रिक्त हैं और जो हम नये राजकीय बालिका विद्यालय खोलेंगे उनमें करीब 1300 अध्यापिकाओं की नियुक्त करेंगे, जो इण्टरमीडिएट तक के विद्यालय हैं, उनका जब उच्चीकरण होगा, तो उनमें कुछ पद रिक्त होंगे, कुछ विद्यालयों के अनुदान सूची में आने पर रिक्तियां होंगी और पर्वतीय क्षेत्र में भी कुछ नये राजकीय हाई स्कूल खोले जायेंगे । इसी तरह से सारे शक छोड़कर मैंने निवेदन किया कि दस हजार·····

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

अनुदान सूची पर तो स्कूल लिया जायगा, अध्यापक की नियुक्तियां नहीं होंगी । मैं चाहूंगा कि ऐसे आंकड़े पढ़ दें जिससे अविश्वास का संकट जो पैदा हो रहा है, दूर हो जाय ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जब मैं कह रहा हूं कि लगभग 10 हजार एल0टी0 और सी0टी0 ग्रेड के अध्यापक नियुक्त होंगे, बी0टी0सी0 बेरोजगार 10 हजार अध्यापक नियुक्त होंगे तो ऐसा नहीं है कि बिना जानकारी के कह रहा हूं । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि एकल अध्यापकीय विद्यालय हैं, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं रहेगा । मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य सहमत होंगे । माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं श्री नौटियाल जी ने शंका प्रकट की कि पर्वतीय क्षेत्र में अध्यापकों की कमी है । मैंने जब से इस विभाग का काम देखना शुरू किया और जाना कि विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है उस समय से मेरे हृदय में पीड़ा थी जिसके लिए मैंने व्यवस्था कर ली है और जो नियुक्तियां होनी थीं उसके आदेश निर्गत होने शुरू हो गये हैं । माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निकट भविष्य में अध्यापकों की जो कमी है हमारे विद्यालयों में, वह पूरी होगी । जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के सम्बन्ध में····

(व्यवधान)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मन्त्री जी ने कृपा पूर्वक बताया कि पर्वतीय अंचल में शीघ्र ही नियुक्तियां करने वाले हैं । पहले उन्होंने कहा कि अब पद सृजन भी होगा । मेरा कहना था कि जो पद सृजन हैं उन पर नियुक्ति के लिये क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मैं वही कह रहा था शायद समझ नहीं सके । जो सृजित पद हैं उनमें नियुक्तियों के आदेश जाने शुरू हो गये हैं । आप अपने क्षेत्र में जायेंगे तो आपको पता चलेगा कि आदेश पहुंचने शुरू हो गये हैं ।

श्री धनी राम वर्मा जी ने कहा कि जूनियर हाई स्कूल की मान्यता बन्द है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सदन में कि जूनियर हाई स्कूल की मान्यता जो रुकी हुई थी वह खोल दी गई है, कल आदेश निर्गत हो गये हैं।

माननीय हरिशंकर तिवारी जी ने शंका व्यक्त की कि प्राइमरी स्कूल जो बन रहे हैं, उसका कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है । उन्हें बताना चाहूंगा कि दो कमरे के विद्यालय बनाने का है, वह सारी जानकारी उन्हें है । बताना चाहूंगा कि अब बेईमानी के जमाने लद गये ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

माननीय ऊदल जी ने स्कूल की कमी के बारे में बात कही ...

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी—

मैंने कहा कि जो भवन बन रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों के उनका कोई मानक नहीं है कि किस तरह के कमरे बनें, बरामदा बना ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश हैं । दो कमरे 30 वर्ग मीटर के, उसके सामने 9–10 फिट की चौड़ाई का बरामदा, प्रसाधन, उपकरणों के रख–रखाव हेतु स्थान, निर्मित भवनों का प्लास्टर, ब्लैक बोर्ड होंगे । स्पष्ट आदेश हैं, निर्देश हैं ।

जी० आई० सी० रुद्र प्रयाग में किसी प्रधानाध्यापक के गायब होने की बात कही गई । इसे नोट कर लिया है, दिखवा लेंगे ।

(डाक्टर शिवानन्द नौटियाल के खड़े होने से व्यवधान)

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मुझे एक मिनट के लिए कह लेने दें । मुझे यह कहना है कि पर्वतीय अंचल में आप ऐसे अध्यापकों को न भेजें जो एक दिन हाजिरी लगा कर साल भर गायब रहें, मुझे यही कहना है ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट पर)

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मैंने आपकी बातों का उत्तर दिया है । मैं चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने जो बिन्दु उठाये हैं उनका भी स्पष्टीकरण दे दूं । माननीय ऊदल जी ने कहा कि स्कूलों में अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं । मेरा कहना है कि यदि वहां स्थान रिक्त न होते तो उनको नियुक्ति करने का सुअवसर हमें नहीं मिलता । इसी तरह से मान्यवर, अनेकानेक समस्याएं हैं ।

मान्यवर, एक बात मेरे घनिष्ठ मित्र माननीय चौधरी साहेब ने कही कि सबको शिक्षा के लिये अवसर मिलना चाहिये और सबको जो जहां पढ़ना चाहे उसे मौका दिया जाना चाहिये, वह जहां चाहे पढ़ने के लिये भर्ती हो जाय । अब चौधरी साहेब मेरे मित्र हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं और विद्वान भी हैं लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है

और योग्यता के आधार पर बच्चों की प्रतिभा को चमत्कृत करने का पूरा-पूरा अवसर हम देंगे । विद्यालय में भीड़ बढ़ाने की हमारी कोई योजना नहीं है । हम चाहते हैं कि शिक्षा का फैलाव इस तरह से करें कि हमारे देश के बच्चे नौकरी के लिये दरवाजे-दरवाजे भटकते न रहें । केवल बी0 ए0 पास करके या एम0 ए0 पास करके कुछ लाभ होने वाला नहीं है ।

माननीय पंचानन राय जी ने मेरी ही बातों को दोहराया है, इस तरह से उन्होंने हमारी ही बातों का समर्थन किया है । उन्होंने नार्मल स्कूलों में ट्रेनिंग देने की बात कही, आवश्यकता के अनुसार बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग की व्यवस्था हम कर रहे हैं लेकिन यह ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग ही न दे दी जाये जिससे कि बेकारों की फौज में बढ़ोत्तरी हो जाय । नार्मल स्कूलों को हम विद्यालयों में परिवर्तित करके लड़कों और लड़कियों के लिये हाई स्कूल तक लायेंगे । माननीय राय साहेब ने परोक्ष रूप से मेरी विचारधारा की सराहना की है, इस सम्बन्ध में । इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, शिक्षा विभाग अन्तहीन समस्याओं का विभाग है । मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय सदस्यगण मिल बैठ कर इसमें जो कमियां हैं, कठिनाइयां हैं उनके सम्बन्ध में आगे भी हमें सुझाव देंगे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके क्योंकि शिक्षा विभाग से पूरे समाज को एक नई दिशा की अपेक्षा है उसे हम सब मिल कर दलगत भावना से हट कर, उसके निराकरण का प्रयास करेंगे । मुझे विश्वास है कि माननीय पंचानन राय जी अब अपने कटौती के प्रस्ताव को निश्चित रूप से वापस ले लेंगे ।

श्री कल्यान सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि असहायक मान्यता प्राप्त जो जूनियर हाई स्कूल हैं क्या उनको आप वेतन वितरण अधिनियम पर ले आयेंगे । जब आपके मुख्य मंत्री, माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि हम असहायक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत ले रहे हैं । तो अब आप उसे ले रहे हैं या नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

मान्यवर, मैं बहुत-बहुत आभारी हूं माननीय सदस्य और नेता भा0 ज0 पा0 का जो कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं कि उन्होंने मुझको एक अवसर दे दिया, मैं भूल गया था प्रौढ़ शिक्षा के बारे में उत्तर देने के लिए, आपके स्पष्टीकरण का उत्तर देते समय वह बात भी साफ हो जायेगी ।

मान्यवर, हमारे बजट को अगर आप देखें तो गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक शिक्षा पर 153 करोड़ रु0 की वृद्धि की है और माध्यमिक शिक्षा में 100 करोड़ रु0 की वृद्धि की है ।

जहां शिक्षा के बजट में 33 करोड़ की वृद्धि की है और परिषद के बजट में 4 करोड़ रुपये की वृद्धि की है, वहीं प्रौढ़ शिक्षा के बजट में 6 करोड़ की कमी की है । मान्यवर, आप जानते हैं कि एक साथ सब कुछ कैसे संभव है ।

श्री भोला पाण्डेय--

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि लगभग 10 हजार नियुक्तियां की जायेंगी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नियुक्तियां जाति के आधार पर होंगी या योग्यता के आधार पर होंगी ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेई--

जैसा आपको मालूम है, उस प्रकार से नहीं होगी, बल्कि नीति और सिद्धान्त के आधार पर होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,93,23,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-66 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,81,28,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-67, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,15,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,09,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,11,37,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह आकस्मिकता निधि में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में विधेयक है और जनहित में निकट भविष्य मे अग्रिम धनराशि की आवश्यकता हो सकती है । सूखा राहत योजना और खरीफ 1990 के कृषि निवेशों के लिए जो आवश्यकता हो सकती है उसके लिए इस विधेयक में प्रविधान किया गया है । मान्यवर; इसमें पहले 400 करोड़ रुपये की निधि की व्यवस्था थी उसको अब बढ़ाकर 600 करोड़ करने का प्रस्ताव है ।

मान्यवर, इसके पहले भी इस निधि में बढ़ोत्तरी होती रही है लेकिन ज्यादातर अध्यादेशों के द्वारा ही यह बढ़ोत्तरी होती रही है । हम यह विधेयक लाकर बढ़ोत्तरी कर रहे हैं । इसमें चार सौ करोड़ के स्थान पर 600 करोड़ का प्राविधान किया जा रहा है । कुछ अपरिहार्य आवश्यकताओं को देखते हुए यह बढ़ोत्तरी करना आवश्यक समझा गया । इसलिए यह विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है । मुझे विश्वास है कि जो प्रदेश में कार्य चल रहे हैं उनको देखते हुए पूरा सदन इसको बहुमत से नहीं सर्व-सम्मति से पारित करेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय डाक्टर दिनेश जौहरी, आपने प्रस्ताव भेजा है, आपको कुछ कहना है ?-
(डाक्टर दिनेश जौहरी खड़े नहीं हुए ।)

श्री श्याम नारायन श्री कुंवर सिंह नेगी, आपको कुछ कहना है ।

(माननीय सदस्यों के खड़े न होने पर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अंतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जाएगा ।

1950 की संख्या 19 सन् की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में, उपधारा (11) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्—

"(12) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि से दो सौ करोड़ रुपए की धनराशि निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं—1—श्री विमल प्रसाद तिवारी, 2—डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी, 3—श्री रविदास मेहरोत्रा, 4—डाक्टर लक्ष्मीकांत बाजपेयी, 5—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, 6—श्री अनिल भारद्वाज, 7—श्री बाबू सिंह यादव 8—श्री सुरेन्द्र विक्रम, 9—श्री सुन्दर लाल बाराबंकी, श्री काशी सिंह ऐरी, 10—श्री गोपी नाथ वर्मा, 11—श्री प्रमोद कुमारी, श्री विमल प्रसाद तिवारी, श्री मूईद अहमद, 12—श्रीमती प्रेमवती तिवारी, 13—श्री रघुवर दयाल वर्मा 14—श्री श्याम देव राय चौधरी बाबा ।

इसमें से श्री विमल प्रसाद तिवारी जी की सूचना स्वीकृत हुई है ।

श्री बाबू सिंह यादव—

मान्यवर, मेरी जो नियम 51 में सूचना थी उसका क्या हुआ । वहां लगातार पांच दिनों से जनता परेशान है किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है । इस पर गवर्नमेन्ट से वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अस्वीकार हो गई हैं

(व्यवधान)

उसमें निर्णय हो गया है । मैं आगे की मद ले चुका हूं ।

दिनांक 20 जून, 1990 को अमीनाबाद, लखनऊ में नगर महापालिका के अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर लाठी चार्ज लूट एवं तोड़फोड़ से कई लोगों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)—

मान्यवर, विगत कुछ दिनों से.....

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[लखनऊ में नगर महापालिका द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है । इसी अभियान के अन्तर्गत दिनांक 20 जून, 1990 को प्रातः 8-00 बजे नगर महापालिका के अधिकारी व कर्मचारी पुलिस बल के साथ नजीराबाद व अमीनाबाद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिये गये । नजीराबाद क्षेत्र का अतिक्रमण सफल करने के बाद जब इस दल ने अमीनाबाद में फलों वाली दुकानों के समक्ष अतिक्रमण हटाना प्रारम्भ किया तो पटरी दुकानदारों ने उसका कड़ा विरोध किया किन्तु महापालिका स्टाफ ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी रखी । इस से क्षुब्ध होकर पटरी

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दूकानदार जो अब तक वहां पर बड़ी संख्या में एकत्रित हो गये थे, ने महापालिका स्टाफ व पुलिस बल पर पथराव प्रारम्भ कर दिया। इस पथराव में नगर महापालिका का एक कर्मचारी मैकूलाल तथा सशस्त्र पुलिस बल के सिपाही कुंवर सिंह सिपाही पवन कुमार व हेड का0 राम कल्प सिंह व श्री राकेश कुमार पटरी दुकानदार को चोटें आयी तथा महापालिका के चार वाहन क्षतिग्रस्त कर दिये। इसके पश्चात् क्षेत्राधिकारी, कैसरबाग अतिरिक्त पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे व हिंसा पर अमादा भीड़ को जन एवं आत्म सुरक्षा की दृष्टि से हटाया जिसमें दो लोगों को चोटें आयीं। अपर जिलाधिकारी (नगर) व नगर पुलिस अधीक्षक स्थिति को नियन्त्रित कर रहे थे. जब पटरी दुकानदारों का एक वर्ग अमीनाबाद के क्षेत्र में व्यापारियों की दुकानों को जबरदस्ती बन्द कराने का प्रयास किया। इसका विरोध गनेशगंज व फतेहगंज के व्यापारियों द्वारा किया गया तथा दोनों गुटों में आपसी मारपीट भी हुई जिसके कारण एक व्यापारी श्री प्यारे लाल गुप्ता के सिर में चोट आयी तथा कुछ पटरी दुकानदारों के गुट के लोगों को भी चोटें आयी। व्यापारियों का एक जुलूस भी निकला जो पटरी दुकानदारों के विरुद्ध नारे लगाये। उपस्थित पुलिस बल ने दोनों गुटों के संभावित टकराव को रोका।

जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। पटरी दुकानदारों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण हटाने के समय उनके सामान को लूट लिया गया जिसका उन्होंने मुआवजा मांगा। उन्होंने अतिक्रमण के साथ पुलिस कार्यवाही की शिकायत की।

उपरोक्त घटनाओं के सम्बन्ध में श्री बी0 के0 जायसवाल, अधीक्षक, नगर महापालिका, लखनऊ ने सर्वश्री अनूप कुमार, राकेश कुमार, अब्दुल घई तथा अन्य बहुत से लोगों के नाम पता अज्ञात, सूरत शिनाख्त, के विरुद्ध थाना अमीनाबाद पर मु0 अ0 स0 251/90 धारा 107, 325/332/353/427/506 आई0 पी0 सी0, दर्ज कराया। श्री प्यारे लाल गुप्ता, पुत्र स्व0 श्री राम गोपाल गुप्ता, निवासी 80 नाका फतेहगंज, लखनऊ द्वारा श्री मुकेश केशरवानी, नेता एन0 एस0 यू0 आई0, अब्दुल अलीम, तेज नारायण सोनकर व सुमीश कुमार केसरी तथा 30–40 अन्य व्यक्ति सूरत शिनाख्त के विरुद्ध मु0 अ0 स0 263/90 धारा 147/323/427/506 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दर्ज कराया। तीसरा मु0 अ0 स0 264/90 धारा 147/326/332/353 आई0 पी0 सी0, एच0 सी0, पी0 ए0 सी0 15137 राम कल्प सिंह, पी0 ए0 सी0 11 वी वाहिनी, सीतापुर बनाम श्री अब्दुल घई, अनूप कुमार पुत्र राम कुमार, निवासी 69, आर0 एन0 सन्याल रोड, राकेश तथा 50–60 लोग नाम पता अज्ञात सूरत शिनाख्त थाना अमीनाबाद पर अंकित कराया गया।

जिलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् प्रशासनिक हित में मजिस्टीरियल जांच की घोषणा की गयी तथा यह भी आश्वासन दिया गया कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।]

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं जैसा उस बिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा था कि अतिक्रमण की समस्या बड़ी गम्भीर है और यह विकराल रूप धारण करती जा रही है इसका मूल कारण यह है कि पहले विभाग अतिक्रमण न हो इसके लिये कोई कार्यवाही नहीं करता है चाहें वह नगर पालिका हों या महापालिका हों या सार्वजनिक निर्माण विभाग हों

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

वह एक विद्वान सदस्य हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग नाम से कोई विभाग नहीं है, लोक निर्माण विभाग है ।

श्री उपाध्यक्ष--

लोक निर्माण मंत्री जी को चिन्ता हो गयी कि इनके विभाग का नाम बदल दिया है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय वर्मा जी ने मेरा ज्ञान वर्धन किया, मैं अपने को दुरुस्त करता हूं । मैं नगर विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह स्पष्ट निर्देश प्रसारित करेंगे कि अतिक्रमण न होने पाये ताकि बाद में हटाने की समस्या जो होती है जिसमें मारपीट है उससे बचा जा सके । ऐसी कोई मशीनरी बनायेंगे जो यह कार्य करे ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि क्या कोई व्यवस्था होगी कि इनक्रोचमेंट न होने पाये । इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करूंगा शासन की तरफ से हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि इनक्रोचमेंट न हो । यह आपके सहयोग पर भी डिपेंड करता है और साथ ही लोग कितना कानून का पालन करते हैं इस पर भी निर्भर है । सरकार का हमेशा प्रयास है कि इनक्रोचमेंट न होने पाये ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा जैसा उन्होंने सहयोग की बात कही हम लोगों के सहयोग से तो वह होता नहीं है लेकिन जहां खाली जगह मिलती है वहां पर लोग कब्जा कर लेते हैं । महापालिका की मशीनरी की ढिलाई के कारण अतिक्रमण होते हैं फिर भी जब दस पन्द्रह साल कहीं रोजगार का माध्यम बन जाता है तो अतिक्रमण हटाने के समय उनको वैकल्पिक जगह देने पर विचार करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

यह कहना गलत है कि 10-15 साल बाद अभियान चलाते हैं, जैसे ही पता चलता है कि गलत लोगों ने अकेले कब्जा कर रखा है तो उसको तत्काल हटाया जाता है । ऐसी परिस्थिति में उनको जगह देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैद्य--

मैं जानना चाहता हूं और यह सरकारी निर्देश भी है कि अगर कोई छोटे दुकानदारों ने किसी जगह पर बीस साल से कब्जा कर लिया है तो वैकल्पिक स्थान देने के बाद ही उसको हटाया जायेगा, ऐसी जानकारी क्या मंत्री जी को है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, कोई 10-15 साल रह जाये और उसको हटाने के पहले उसे सूचित किया जाये और उसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाये इस प्रकार के कोई आदेश नहीं है । जैसे ही जानकारी में आता है--कि अवैध रूप से कोई व्यक्ति रह रहा है तो नियमों के तहत उसे हटाने के आदेश हैं ।

श्री राज किशोर सिंह--

माननीय, अतिक्रमण की समस्या नई नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये कोई स्थायी उपाय या कोई स्थायी तरीका निकालेंगे, जिससे छोटे-छोटे लोगों की जो बेरोजगारी की समस्या है और सरकार सभी लोगों को रोजगार देना चाहती है, तो पटरी के दुकानदारों की रोजी-रोटी की समस्या को हल करने के लिये उनको कहीं दूसरे स्थानों पर दुकानें लगाने के लिये सरकार क्या कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री विक्रादित्य पाण्डे--

माननीय, यह सही है कि पटरी पर जो दुकानें लगाते हैं उनके सामने रोज़ी-रोटी की समस्या है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अवैध रूप से किसी को कब्जा करा दें। जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार गरीबों का हितैषी है और सरकार प्रयास कर रही है कि कानून एवं नियम के तहत उनका भला हो।

श्री रविदास मेहरोत्रा--

माननीय, जो पटरी पर दुकानें लगाते हैं उनके सामने मजबूरी होती है, यदि उन्हें उजाड़ना है तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कहीं दूसरी जगह स्थान दिया जाये।

(व्यवधान)

पुराने आर० टी० ओ० ऑफिस की दो लाख स्क्वायर फीट जमीन पड़ी है जिसमें वहां के पटरी के दुकानदारों को दुकाने बनवाकर क्या उनको एलाट करने की कृपा करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

माननीय, पटरी पर जो दुकाने लगाते हैं उनकी मजबूरी है, ऐसा माननीय सदस्य का कहना है, तो मजबूरी के कारण गलत कार्य करने की स्वीकृति दे दी जाय, श्रीमन् गलत काम को स्वीकृत करके गलत परम्परा को शुरू करना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायें इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, एक दो स्पष्टीकरण के बाद समाप्त करना था, लेकिन श्री विमल प्रसाद तिवारी और अन्य माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण के लिये कह दिया और आपके एक प्रश्न करने के लिये कह दिया है, तो आप ठीक से प्रश्न करें।
मेरा प्रश्न कुछ और उसका उत्तर कुछ है, इसलिए आप अपने प्रश्न को फिर से ठीक से बता दीजिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा--

माननीय, मेरा प्रश्न यह है कि यहीं गौतम बुद्ध मार्ग पर जहां पर पुराना आर० टी० ओ० का दफ्तर था, वह दो लाख वर्ग फिट का मैदान, इस समय बेकार पड़ा है, जिसके लिए फुटपाथ व्यापारियों की बराबर यह मांग रही है कि उस पर हमें दुकानें बनाकर दे दी जाएं, दुकानें बनान दी जाएं, तो इस समस्या के लिए क्या सरकार उनकी इस बात को मानने का कष्ट करेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

माननीय, आर० टी० ओ० का जो पुराना आफिस था, वहां पर जगह खाली पड़ी है, उसे पटरी वालों को देना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मोला पाण्डेय—

माननीय मंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट घोषणा की कि हम इन्क्रोचमेंट को खत्म करेंगे, लेकिन पूरे सूबे में पटरी दुकानदारों के इन्क्रोचमेन्ट के अतिरिक्त भी सड़कों पर तमाम झुग्गी-झोपड़ी बना ली गई हैं और माननीय नगर विकास मंत्री के जनपद में भी ऐसा हुआ है, तो क्या कोई ऐसा नीति या व्यवस्था की आप घोषणा करेंगे कि पूरे सूबे में जो अतिक्रमण है, जिससे यातायात बाधित होता है और सफाई व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है तथा तमाम सड़कें आदि टूट जाती हैं, वे अतिक्रमण इसके द्वारा हटा दिए जायेंगे, यह आप किसी कारण से एक ही क्षेत्र में इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह केवल लखनऊ नगर के अमीनाबाद के सम्बन्ध में है। सारे सूबे का इसमें नहीं आता है।

श्री बाल चन्द्र मिश्रा—

सर्वत्र शासन की यह मंशा रहती है कि एन्क्रोचमेंट कहीं न हो और इन्क्रोचमेन्ट हटे, लेकिन इसके विपरीत इन्क्रोचमेन्ट भी होता है और एक बार हटाने के बाद भी दुबारा वहां पर इन्क्रोचमेन्ट हो जाता है, इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अपनी इस मंशा को कार्यान्वित करने के लिए कोई इस तरह का आदेश प्रसारित करेंगे अपने विभाग के लोगों के लिए और पुलिस वालों को लिए भी कि अब यदि कहीं कोई नया अतिक्रमण होता है तो वहां भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराये जाएंगे और उन पर ऐक्शन लिया जाएगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मद सं0 16 इस पर इतने प्रश्न नहीं होते हैं, मैंने बहुत समय दिया, अब नहीं।

नागरिकों को हथियार का लाइसेन्स देने तथा लाइसेन्सों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार के परामर्श से नई नीति निर्धारित कराने के विषय में नियम 69 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, कदाचित आपको स्मरण होगा कि इस माननीय सदन में पिछले सत्र के दौरान लाइसेन्स देने और उनके नवीनीकरण के प्रश्न को लेकर बहुत तेज चर्चा हुई थी और उसमें पूरे सदन ने एक भावना यह व्यक्त की थी कि जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश की सीमा और अखिल भारतीय सीमा तक लाइसेन्स नवीनीकरण का अधिकार दिया जाए और दूसरी भावना यह थी कि जो नागरिक हैं, उनको भी अपने जानमाल की सुरक्षा के लिए अग्नेयास्त्र के लाइसेन्स देने की छूट दी जाए। और मुझे खुशी है कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि मैं पूरे सदन की भावना से केन्द्र सरकार को अवगत करा दूंगा और अपनी ओर से इस बात की संस्तुति भेजूंगा कि यह लाइसेन्स नवीनीकरण का अधिकार हमारे जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश और अखिल भारतीय स्तर पर दिया जाए और नागरिकों को लाइसेन्स देने पर जो रोक लगी हुई है, उसको हटा लिया जाएगा। लेकिन मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछले दिनों इसी विधान सभा के अन्दर जब माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर आया तो बड़ा अधूरा था। यह बात तो स्वागत योग्य है कि आपने जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है कि वे उत्तर प्रदेश और उससे बाहर के लिए लाइसेन्स का नवीनीकरण कर सकते हैं। कुछ श्रेणियां आपने बताई थीं जिन लोगों को लाइसेन्स दिया जायेगा। कदाचित कभी यह नियम रहा होगा कि जिलाधिकारी अपने यहां से संस्तुति करके भेजे, इन पांच श्रेणियों के अलावा नागरिकों को भी लाइसेन्स दिया जाता है। गृह विभाग का अनुभाग-5 जो लाइसेन्स देने के मामले को देखता है, वहां पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों की संस्तुतियां पड़ी हुई हैं लेकिन किसी को लाइसेन्स स्वीकार नहीं हुआ है। यह तो था भूमिका के तौर पर। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि तर्क यह दिये गये थे कि उत्तर प्रदेश में लाइसेन्स इसलिए नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि जम्मू-काश्मीर में उग्रवाद चल रहा है, पंजाब में आतंकवाद चल रहा है। इन तर्कों के आधार पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लाइसेन्स देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। काश्मीर में लाइसेन्स देने पर कोई रोक नहीं है, पंजाब में लाइसेन्स देने पर रोक नहीं है, बिहार में जहां पर नक्सलवाद, हिंसा, हत्या की राजनीति चल रही है, वहां पर लाइसेन्स देने पर रोक नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लाइसेन्स देने पर रोक नहीं है। कदाचित ही देश के किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश के राज्य को छोड़कर ऐसी रोक लगी होगी। मान्यवर, यह शासन का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे। इसके अलावा नागरिकों को स्वयं अधिकार है कि वे अपनी जान-माल की रक्षा स्वयं करें। मान्यवर, सरकार इस बात से सहमत होगी कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रत्येक को न तो गार्ड दिया जा सकता है और न पुलिस लगाई जा सकती है। इसलिए इस स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्र नागरिक को अपनी रक्षा के लिए आत्म-निर्भर बनाया जाय। अतः लाइसेन्स देने में उदारता बरती जानी चाहिए। अगर पुलिस कहती है या जिलाधिकारी कहते हैं कि इनका चरित्र ठीक नहीं है तो आप लाइसेन्स न दीजिये। लेकिन पुलिस के द्वारा पूरी जांच-पड़ताल होने के बाद, उनके द्वारा संस्तुतियों के बाद, ऊपर तक कागजात पहुंच जाने के बाद भी भले नागरिकों को हथियार का लाइसेन्स नहीं मिल रहा है। इसके दो परिणाम हो रहे हैं। या तो नागरिक अपनी जान का मोह छोड़कर भगवान भरोसे छोड़ दें या बदमाशों का मुकाबला करने के लिए अवैध हथियार रखना प्रारम्भ कर दें। बदमाशों के हथियारों पर कोई रोक नहीं है। बदमाशों के पास अच्छे से अच्छे हथियार हैं। किसी भी बदमाश को आपकी सरकार के लाइसेन्स की जरूरत नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि यह कोई जिद का सवाल नहीं है। जब पूरे देश के सभी राज्यों में नागरिकों को लाइसेन्स देने की गति में उदारता बरती जा रही है तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने क्या गुनाह किया है। पिछली सरकार ने जो कुछ किया वही आप भी कर रहे हैं। आपकी जनता ने इधर भेजा है।

मान्यवर, केवल दो बातें मैं कहूंगा कि एक तो लाइसेन्स के नवीनीकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को यह अधिकार दे दिये जायें कि उत्तर प्रदेश से बढ़ कर पूरे देश के लिए वह लाइसेन्स का नवीनीकरण कर सकें और दूसरी बात पुलिस के सम्बन्धित अधिकारियों के प्रमाणीकरण के पश्चात् आम नागरिक को भी अग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स देने की नीति में उदारता बरती जाय। इस पर लगे हुए प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाय।

*श्री मुईद अहमद--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो प्रकरण लाइसेन्स देने का है, मैं पूरी बात पर नहीं जाऊंगा जो माननीय सदस्य म0 ज0 पा0 ने कहा है उन सारी बातों को छोड़ते हुए कहूंगा, आज स्थिति यह है संभ्रान्त नागरिक किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संभ्रान्त नागरिक लाइसेन्स चाहता है लेकिन वह ले नहीं सकता है क्योंकि आपने छः-सात कटगरी रख दी हैं किसी के यहां कोई हत्या हो गई हो? कोई मर्डर हो गया हो, तो ऐसी कैटेगरी संभ्रान्त नागरिक में नहीं हो सकती हैं, तो इस तरह से अपराधी किस्म के लोगों को लाइसेन्स जारी हो रहे हैं। संभ्रान्त नागरिक को लाइसेन्स नहीं मिल पा रहा है वह बदशत में है। सभी माननीय सदस्यों की यह भावना है कि लाइसेन्स देने के लिए सरलीकरण करें। जो संभ्रान्त लोग हैं उनको लाइसेन्स दिया जाना चाहिए, इसमें डी० एम० को अधिकृत किया जाए कि क्रिमिनल हिस्ट्री तो उसकी नहीं है आपराधिक मुकदमा तो कोई नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, नियम 49-50 को देखें, इसमें यह परिपाटी है कि जिस माननीय सदस्य ने सूचना दी हो उनको बुलवाया जाएगा, तो इसमें माननीय मंत्री जी की ओर से वक्तव्य आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

सूचना में आपका नाम है, मुईद साहब का नाम है विकल जी आदि सदस्यों के नाम हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप पन्द्रह लोगों को बुलवाएंगे तो मंत्री जी फिर क्या बोलेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

हम मंत्री जी को बुलवायेंगे। हम अपने विवेक से बुलवा रहे हैं। मंत्री जी को को बुलवाना जरूरी है यह हमारे संज्ञान में है। मुईद साहब एक मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिन माननीय सदस्यों के नाम एजेन्डे में नहीं है क्या उनको इसमें नहीं बुलवाया जाएगा? मैं इस मामले में बोलना चाहता हूं तो क्या आप इसमें हमें बोलने का मौका देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं इसमें समय नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल--

क्यों समय नहीं देंगे, यह कुकर्म इन्हीं का है यह इन्हीं की रोक लगाई हुई है जो कुकर्म इन्होंने अपने हाथों से किए हैं इन्हीं को बोलने का आप मौका दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गये हैं। माननीय सदस्य मा० ज० पा० ने दस मिनट ले लिए। अब मैं मा० ज० पा० के किसी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, प्रदेश में जनवरी 1990 से लेकर अब तक आपराधिक और दुश्चरित्र लोगों को लाइसेंस दिए गये हैं ।

(व्यवधान)

हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों की सूची सदन के पटल पर माननीय मंत्री जी रखें और जो लाइसेंस दिए जाएं उसमें सरलीकरण किया जाए तथा नियमों को शिथिल करके लाइसेंस दिया जाए ।

*श्री ऊबल--

मान्यवर, मैं केवल दो ही मिनट लेना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो अच्छे नागरिक हैं और लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके बारे में पुलिस की संस्तुति आ गयी है उन सबको अपनी सुरक्षा करने के लिये लाइसेंस दिये जायं और जिलाधीश को इसके लिये अधिकार दिया जाय । दूसरी बात यह है कि पूरे देश के लिये रिन्यूवल का अधिकार जिलाधीशों को दिया जाय ताकि जिन लोगों के लाइसेंस पूरे देश के हैं उनको लखनऊ न आना पड़े । मान्यवर, यही दो मांग, मैं करता हूं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, यह सही है कि आजकल गावों में द्वेषवश कभी-कभी किसी की जान लेने की सम्भावना बढ़ गयी तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि जैसा ऊबल जी ने कहा जो व्यक्ति अच्छे चरित्र के हैं, जिनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं है उनको लाइसेंस देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । मेरे क्षेत्र के लोग, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र में व्यापार करते हैं और अपने साथ-लाख-दो लाख रुपया नकद लेकर जाते हैं । ऐसे लोगों के लिए कलेक्टर भी लिखते हैं, तो ऐसे लोगों को रिवाल्वर का लाइसेंस देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । आप खुद सोचें कि ऐसे लोगों की सुरक्षा कैसे हो सकती है । मेरा आग्रह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो अधिकार निहित है केन्द्र सरकार के कानून के अन्तर्गत वह अधिकार जिलाधिकारी को दे दें ताकि लोगों को दिक्कत न हो । मुझे सब से ज्यादा दुख इस बात का है कि आर्म्स ऐक्ट फायर आर्म्स पर लगता है लेकिन मेरे बस्ती जिले में अगर कोई चाकू, फरसा, बल्लम रखता है तो वह आर्म्स ऐक्ट के अन्दर आ जाता है । अपने घर में फरसा, बल्लम, रखता है तो वह आर्म्स ऐक्ट में बन्द हो जाता है तो यह प्रतिबन्ध जो लगा हुआ है इसको समाप्त करें ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी आपने व्यवस्था दी थी कि जिनके नाम हैं वह ही बोलेंगे । लेकिन माता प्रसाद जी का नाम इसमें नहीं है, आपने उनको बुलवा दिया तो मुझको भी आप मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शुक्ला जी आपने सुझाव दिया था कि तमाम माननीय सदस्य मांग लेना चाहते हैं तो उसी सुझाव के तहत मैंने माता प्रसाद जी को बुलवा दिया । आप बैठे, आपको समय दूंगा ।

---

*कक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह को पुकारे जाने पर

(शोर)

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, आज जनता को लाइसेंस मिलने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपकी भावनाओं के अनुसार सरकार को अवगत कराया जायगा लेकिन इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इटावा में तमाम एक ही जाति के लोगों को लाइसेंस दे दिये गये हैं। तमाम गुण्डों अपराधियों को लाइसेंस दे दिये गये हैं तो ऐसे लोगों के लाइसेंस कैसे बना दिये गये हैं जिनके ऊपर तमाम मुकदमें चल रहे हैं। सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे गुंडागर्दी बन्द हो, अराजक तत्वों के जो लाइसेंस हैं वह जमा कराये जायं। दूसरे सूबों से जो लोग लाइसेंस ले आये हैं वह कैसे ले आये हैं, इसकी जांच करायी जानी चाहिये तथा जो हिस्ट्रीशीटर हैं उनके लाइसेंस कानून व्यवस्था हेतु तत्काल जमा कराये जायं और जो असुरक्षित हैं उन्हें लाइसेंस दिये जाये।

(व्यवधान के मध्य)

(श्री शारदा प्रताप शुक्ल के पुकारे जाने पर)

(विरोधी पक्ष के अनेकों माननीय सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, जो स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ा।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया है।

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप लोग चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप हल्ला-गुल्ला कर लीजिए, मैं 6 बजकर 13 मिनट के बाद कोई समय नहीं दे पाऊंगा।

श्री मुईद अहमद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप माननीय मंत्री जी को बुलवाइये।

(श्री शतद्रु प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री कल्याण सिंह—

उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समय नहीं दूंगा, माननीय मंत्री जी खड़े हैं। कृपया करके आप बैठ जायं।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं बोल नहीं रहा हूं। मान्यवर, इसमें सभी सदस्यों की रुचि है, कृपा करके इसमें आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

*नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)--

मान्यवर, इस सवाल पर आधा घंटे की चर्चा आपने स्वीकार की है। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने है, सदस्यों का दबाव भी काफी है और सदस्यों पर समाज का भी दबाव है और तभी यह हथियार के बारे में काफी एक तरह से बल दे रहे हैं और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो लाठियों से प्रशिक्षित करते है वह भी हथियारों के बारे में कह रहे हैं।

(व्यवधान)

आप गोली चलाने का भी प्रशिक्षण देंगे, और यह उनका संगठन है। मैं यह मानकर चलता हूं कि गोली चलाने का प्रशिक्षण देने से देश नहीं बनता है और हथियारों पर निर्भरता कम होनी चाहिए और अगर समाज में हथियार रहेंगे तो कोई समाज जिन्दा नहीं रह सकता। और एक बात यह भी है कि इस पहलू की 2 समस्याएं हैं।

एक पहले है नवीनीकरण का और दूसरा है हथियारों को लाइसेंस देने का। अभी यहां पर पिछली बार भी बहस हुई थी और उसके बाद अब यह एक चीज तो हल हो गयी है नवीनीकरण के बारे में जो माननीय ऊदल जी की चिन्ता बहुत ज्यादा थी कि जिन लोगों को हथियार के लाइसेंस दे दिये गये हैं, पूरे देश के लिए दिये गये हैं, ज्यादातर पूरे देश के हैं। उन लोगों को जब नवीनीकरण के लिए जाना पड़ा करीब 24 जनवरी, 1989 को, क्योंकि जो केन्द्रीय आयुध, हथियारों की नियमावली है उसम सरकार ने संशोधन कर दिया है। नवीनीकरण के मामले में लाइसेंस देने के मामले में जो सक्षम प्राधिकारी जो जिले के स्तर पर, सूबे के स्तर पर, देश के स्तर पर दे सकता था, उनकी शक्तियों का विभाजन कर दिया और एक समस्या आ गयी पूरे सूबे में जिन लोगों के पास हथियार पूरे देश का था, राज्य का था वह सिमट कर हो गया जिला स्तर पर। और यह जब पिछली बार चर्चा हुई थी तो यह समस्या थी अब यह समस्या हल हो गयी है। यह हल हो गयी 28 मार्च, 1990 के बाद और इसम सशोधन हो गया, कानूनों में। अब यह हो गया है कि जिलाधिकारी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और पूरे देश के स्तर पर नवीनीकरण कर सकता है।

(कई सदस्यों द्वारा "नहीं हुआ है" कहने पर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इटावा जनपद में इटावा के जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है कृपाकर इटावा के जिलाधिकारी को निर्देश दें कि वह इटावा जनपद का प्रदेश के लिए नवीनीकरण करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जो मेरी जानकारी मे है वही मैं सदन को दे रहा हूं। अगर किसी को इसके अलावा कोई जानकारी होगी तो जब आप मौका देंगे तो अपनी बात कह देना। मेरी जानकारी यह है कि 28 मार्च, 1990 को जिलाधिकारी को जो नवीनीकरण करने की बात पर जो पाबन्दी लगायी गयी थी, वह हटा दी गयी है, नवीनीकरण के बारे में। और जहां तक लाइसेंस देने की बात है इसमें भी सूबे के स्तर तक पहले जिलाधिकारी केवल जिला स्तर तक दे सकता था, अब वह है कि सूबे के स्तर तक वह दे सकता है और देश के स्तर पर देना होगा तो राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। उसमें श्रेणियां बनाई हैं। मांग बहुत ज्यादा है और 85 से लेकर 90 तक पूरी रोक लगा दी गयी थी। मैं साफ तौर पर कहना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कानूनी तौर पर, जबानी तौर पर, कभी-कभी जुबान पर भी सरकार चलती है, कांग्रेस के समय में यह इस्तेमाल किया जाता था। पिछले 5 साल में यही हुआ कि फरमान जारी हो गया और काम हो गया। आपकी सरकार थी और उसी का नतीजा यह हुआ है कि पूरे सूबे में जिनको लाइसेंस चाहिए थे उनकी संख्या काफी बढ़ गयी है, जैसे पानी आ रहा है, सैलाब आ रहा और बांध से पानी रोक दिया जाय तो रोकने के बाद अगर अचानक उसको खोल दिया जाय तो उसकी धारा बहुत तेज होगी तो इसी तरह से संख्या बहुत बढ़ गयी है, दबाव बहुत ज्यादा है। अचानक अगर खोल दिया जाय तो इसकी संख्या इतनी ज्यादा हो जायेगी कि कोई नियंत्रण नहीं कर पायेगी सरकार। यह हमारी व्यवहारिक बात है, हमारे सामने।

दूसरी बात यह है कि जो कारतूस हैं, पिछली बार यह बात सामने आयी कि जो डकैत या अपराधी हैं, उनको कारतूस काफी मिल जाया करते थे। चूंकि समस्या लाइसेंस और कारतूस देने की है....

श्री भोला पाण्डेय--

जब से जनता दल की सरकार आयी है, मेरे पास स्पष्ट प्रमाण हैं कि...

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी बैठे नहीं हैं, पहले सुन लीजिये। किशोरी जी बैठिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि यह परेशानी है। इस समय समाज में क्या हो रहा है, व्यवहार में क्या हो रहा है, यह तो माननीय सदस्य और हम सभी जानते हैं। लेकिन यह सही है कि आज पूरे सूबे में यह विषम स्थिति हो गयी है। यह नहीं है कि समाज का जो दबाव है, उसका एहसास सरकार को नहीं है। इसका रास्ता निकालने पर विचार कर रहे हैं। चूंकि पहले से कुछ परेशानियां कम हुई हैं, नवीनीकरण में परेशानी कम हो गयी है। लेकिन लाइसेंस....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी 6-18 पर यह समय समाप्त हो रहा है, क्या आप समय बढ़ाने का प्रस्ताव करना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, नियम 349 में सिर्फ आधे घंटे की चर्चा का प्राविधान है, इसे हम और आप कैसे बदल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, खत्म करें।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप सब बैठिये। सदन नियमों से चलता है। कल का अवकाश है। अब हम परसों 11-00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 18 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

माल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
3 जुलाई, 1990।

सूची 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

सूची अतिरिक्त घोषित भूमि जो अकृषक होने के कारण गांव सभा में निहित हुई तहसील जालौन (जिला जालौन)।

क्रम संख्या	नाम ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़ों में)
1	2	3
1	घिघोसा पुरानी सीलिंग 6·01 + नई सीलिंग 6·81	12·82
2	कन्हारी	0·85
3	पहाड़पुरा	0·16
4	भदेल मु०	0·23
5	मिझौना	0·08
6	शेखपुर मु०	0·39
7	सारंधपुर	0·12
8	अतरौली	6·50
9	छानी खास	0·43
10	महिया खास	0·06
11	मई	0·27
12	खनुवा	0·13
13	सलेमपुर	0·53
14	जमरेही खानी	0·12
15	रिनिया	0·82
16	मीगनी	1·96
17	मवारीपुर	0·02
18	गोपालपुरा जागीर	8·86
19	हिंगुटा	1·29
	योग ..	35·64

परिशिष्ट "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर का संलग्नक ।—

मांग	आख्या
1—यह कि उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 201 की धारा 63 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक समिति जिसकी मौलिक नियुक्ति में पांच से अधिक कर्मचारी हो अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना करेंगी । जिसमें कर्मचारी के वेतन की कटौती के बराबर समिति को अंशदान करना होगा । किन्तु समितियों द्वारा उक्त नियम का उल्लंघन करके कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है । तत्काल दूर किया जाये ।	1—ये कर्मचारी उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 63(1) तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 201 के प्राविधानों की पूर्ति नहीं करते हैं । अतः इन्हीं अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा नहीं दी जा सकती है ।
2—यह कि जनपद की समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को समान कार्य करने पर भी वेतन में एकरूपता नहीं है । जिससे उनको निरन्तर शोषण एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । कृषक सेवा सहकारी समितियों का जनपदीय स्तर कैडर बनाकर एकरूपता लाने की कृपा करें ।	2—निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा परिपत्र संख्या सी-139/अधि0/दिनांक 28 अप्रैल, 1986 तथा सी-140/अधि0 दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 द्वारा समिति के पूर्ण कालिक कर्मचारियों को समिति की आर्थिक स्थिति के अनुसार न्यूनतम वेतन दिये जाने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं । जनपद के अन्तर्गत समितियों की आर्थिक स्थिति में भिन्नता के कारण कैडर बनाना सम्भव नहीं है ।
3—यह कि सहकारी समितियों में कृषक सेवा सहकारी समितियों का अपना विशिष्ट स्थान है । तथा उसमें सचिव के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक (एम0 डी0) कार्यरत हैं । जिन्हें वेतन एवं पूर्ण सुविधायें प्राप्त हैं । उक्त के अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक के बराबर वेतन पाने वाला एक तकनीकी अधिकारी भी नियुक्त है । जिसे राज्य कर्मचारियों के समान समिति से सभी	3—समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक/तकनीकी अधिकारी को छोड़ कर अन्य कर्मचारियों को उपरोक्त प्रस्तर 2 में इंगित परिपत्र द्वारा समिति की आर्थिक स्थिति के अनुसार न्यूनतम वेतन देने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं ।

सुविधायें बोनस, नकदीकरण आदि प्राप्त हैं। जबकि उसी समिति में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। अतः प्रत्येक कर्मचारी को समिति को आर्थिक स्थिति से जोड़ा जाय। जिससे उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार आवे तथा उनका शोषण बन्द हो।

4--यह कि साधन सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र पंचायत स्तरीय है। जबकि कृषक सेवा सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र चार से छः न्याय पंचायतों तक है जिसमें प्रत्येक आंकिक को एक दो न्याय पंचायतों का कार्य भार सम्भालना पड़ता है। अतः कम से कम सचिव के समान सुविधा पाने का अधिकारी है। किन्तु जनपद में सचिव के रिक्त स्थानों पर इनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाती। उन्हें सचिव का दर्जा प्रदान किया जाये। (क्रमशः 2 पर) तथा सचिव के समान सुविधा दिलायी जावे।

4--सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु निबन्धक सहकारी समिति के परिपत्र संख्या सी-131/अधि0/दिनांक 5 फरवर', 1988 के द्वारा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। यद्यपि सचिव पद पर आंकिक को नियमित पद से पदोन्नत करने का कोई प्राविधान नहीं है फिर भी सचिव पद पर नियुक्ति हेतु चयन में उन्हें कार्य क्षमता के आधार पर सुविधा प्रदान की गयी है।

5--यह कि सरलीकरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रति-नियुक्ति हेतु पर नियुक्ति सुपरवाइजर तक-नीको अधिकारी, सचिव को सुविधा प्राप्त है। जबकि उनसे अधिक अनुभवी योग्य अन्य कर्मचारियों को उक्त सुविधा से वन्चित किया गया। जो हम कर्म-चारियों को उपेक्षा का ज्वलन्त प्रमाण है। उन्हें तत्काल प्रतिनियुक्ति पर लेने के आदेश पारित किये जायें।

5--ये समितियों के कर्मचारियों के कर्मचारी हैं इनका पद पूर्णतः अस्थायी है जो समिति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। अतः इनको प्रतिनियुक्ति पर भेजने का कोई औचित्य नहीं है।

6--यह कि समितियों में मिनी बैंक की स्थापना की गयी। जो बैंक का ही छोटा रूप है। तथा उसी के समान कार्य करता है। किन्तु कार्य के अनुसार कोई भी सुविधा निर्धारित नहीं की गयी। जो कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल है। बैंकों के समान सुविधा प्रदान की जाये।

6--मिनी बैंकों में बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट 1949 में दिये गये प्राविधान लागू नहीं है। अतः बैंक कर्मचारियों के समान सुविधायें प्रदान करना सम्भव नहीं है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

माह जनवरी, 1990 से अप्रैल, 1990 के मध्य प्रदेश की जेलों से हुयी पलायन की घटनाओं के विवरण

क्रम-सं0	पलायित बन्दी का नाम	कारागार का नाम	पलायन का दिनांक	पलायन स्थल	पुनः पकड़ा गया या नहीं
1	2	3	4	5	6
1	विचाराधीन बन्दी राम प्रकाश	केन्द्रीय कारागार, आगरा	11/12 जनवरी, 1990	मेडिकल कालेज आगरा में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था जहां से वह रात्रि में पलायन कर गया	हां
2	सिद्धदोष बन्दी राम नंन	जिला कारागार, वाराणसी	18 फरवरी, 1990	बाहर कमान से कारापाल आवास में काम करते समय कूड़ा फेंकने गया और पलायन कर गया	नहीं
3	विचाराधीन बन्दी, सुरेश सिंह	जिला कारागार, इटावा	18 फरवरी, 1990	बैरक संख्या 10 के अहाते की मुख्य प्राचीर पर लगे बिजली के ऐंगिल आयरन में सरिया को फंसा कर उसकी सहायता से मुख्य प्राचीर पर चढ़कर भाग गये	नहीं
4	विचाराधीन बन्दी, शिवराज सिंह	तदेव	18 फरवरी, 1990		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5	विचाराधीन बन्दी, अमरेन्द्र	जिला कारागार, रायबरेली	4 मार्च, 1990	बाहर कृषि फार्म में कार्य करते समय भाग गया।	हां
6	विचाराधीन बन्दी, प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव	जिला कारागार, लखनऊ	28 मार्च, 1990	मुख्य द्वार से पलायन करने में सफल हुआ	नहीं
7	विचाराधीन बन्दी, सत्यवीर	जिला कारागार, मेरठ	21 अप्रैल, 1990	एक अन्य बन्दी की सहायता से मुख्य प्राचीर फांद कर पलायन कर गया तथा उसका दूसरा साथी नहीं भाग सका और जेल के अन्दर ही पकड़ लिया गया	नहीं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 154 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

ऐसे ग्रामों की सूची जो अभी चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत चल रहे हैं :—

1—अनुवारी नरायनपुर

2—नत्थूपुर

3—पतिय गोसपुर

4—मिरिया रेढ़हा

5—बेरमा

6—जोकहरा सहगूपुर

7—बुढ़वे हिसामुद्दीनपुर

8—जमीन हरखोरी

9—रामपुर

10—बघावर

11—महुआ

12—कमसा

उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—20 वि० सभा—4-10-1990—813 (पी० डी०)